मध्यप्रदेश का आर्थिक विकास

लेखक

प्रो० सुशीलकुमार दिवाकर

एम. ए., बी. काम., एल एल. बी.

और

प्रो० सुखचैन बासल

एम. काम

गो० से० अर्थ-वाणिज्य महाविद्यालय

जबलपुर (मध्यप्रदेश)

प्रकाशक—

मिश्र-बन्धु कार्यालय, जबलपुर (मध्यप्रदेश)

प्रथम संस्करण | १९५५ | मूल्य ३)

भूमिका

पुनर्निर्माण के इस युग में अपनी प्रगति का सिंहावलोकन करना उतना ही आवश्यक हो जाता है जितना योजना के अनुसार भविष्य का विचार करना। अपनी पूर्व-पीठिका को ठीक-ठीक समझ कर हम शायद अधिक निश्चय और दृढ़ता से अग्रसर हो सकते हैं। इस पुस्तक के लिखते समय हमारा यही लक्ष्य रहा है। भारत के पुरातन साहित्य में मध्य-प्रदेश के महत्व का जहां-तहाँ परिचय मिलता है। किन्तु ब्रिटिश काल में इस राज्य को सभी दृष्टियों से पीछे रहने का अवसर प्रदान किया गया। समूचे देश के साथ, शायद इसका शोषण अधिक किया गया। प्रगति के युग में किसी राज्य को उसकी क्षमताओं को भुलाकर प्रगति से वंचित करना ही शोषण का ज्वलन्त प्रमाण है। इसके परे हमारी भू-गर्भ सम्बन्धी अतुल धन राशि का, उदाहरण के लिए मेंगनीज का, सदुपयोग किये बिना ही उससे मध्यप्रदेश को वंचित किया जाता रहा है। आर्थिक प्रगति के अभाव में रह कर मध्य-प्रदेश ब्रिटिश शासन के स्थायित्व का सक्रिय साधन बनाया गया। उत्तर और दक्षिण के बीच सैनिक सम्बन्ध बनाये रखने के लिए मध्यप्रदेश से अधिक उपयुक्त और कौनसा विभाग उन्हें उपलब्ध हो सकता था? यह सब एक बीते हुए युग की बात है। स्वतन्त्रता की उपलब्धि के बाद मध्यप्रदेश में सर्वाङ्गीण विकास के प्रयास चालू हो गये हैं। और यह राज्य देश के किसी भी राज्य से इस दिशा में पीछे नहीं है। अपनी अतुल प्राकृतिक सम्पत्ति के कारण यह राज्य राष्ट्र के प्रगति-शकट का अत्यन्त महत्वपूर्ण अङ्ग बना हुआ है।

इस पुस्तक के प्रकाशन की पूर्ति काल में ही हमारे मुख्य मन्त्री माननीय पण्डित रविशंकर शुक्ल जी के अथक प्रयत्नों के फलस्वरूप भिलाई में एक लोह और स्पात उद्योग की स्थापना का निश्चय हो गया। राष्ट्र-परतन्त्रता के समय मध्यप्रदेश इस उद्योग से वंचित था, जब कि इसके पास तत्सम्बन्धी

सभी साधन-सामग्री प्रचुर मात्रा में सुलभ थी। भिलाई में इस उद्योग की स्थापना न तो राजनैतिक उदारता का परिणाम है और न किसी आकस्मिक निश्चय का। यह तो मध्यप्रदेश का अपने विशिष्ट प्राकृतिक साधनों के फलस्वरूप स्वाभाविक अधिकार था कि शीघ्र ही यहां एक बड़े भारी लौह-उद्योग की स्थापना की जावे। हमें आशा है कि हमारा यह नवीनतम उद्योग राष्ट्र और राज्य के विकास में अविच्छिन्न रूप से सहयोग प्रदान करेगा। कभी-कभी नेपा मिल्स के इतिहास से सामान्य मस्तिष्क में शङ्का हो जाती है। किन्तु जैसा पाठक पुस्तक में देखेंगे, नेपा मिल्स की गड़बड़ों में कुछ ऐसी परिस्थितियां मौलिक रूप से विद्यमान रहीं जिनकी वजह से मध्यप्रदेश इतने अच्छे उद्योग की सामर्थ्य रखते हुए भी इतने अधिक विलम्ब से उसे क्रियात्मक रूप दे पाया। नेपा मिल्स और भिलाई के लौह उद्योग की स्थापना से इतना अवश्य निःसंकोच लिखा जा सकता है कि बिना शासन की सहायता और उचित मार्गदर्शन के इतने बड़े काम किसी भी हालत में नहीं उठाये जाने चाहिये। शासन की अपनी महान सामर्थ्य हुआ करती है।

मध्यप्रदेश प्रगति कर रहा है। किन्तु उतने वेग से नहीं कि जितने वेग से हम अपनी निर्धनता आदि अभावों से मुक्ति चाहते हैं। अभी कोई महान जल-विद्युत योजना यहां क्रियान्वित नहीं की जा रही है। बरगी और बैनगङ्गा योजनाओं का अचानक चर्चा वार्ता का भी विषय न रह जाना, कोई प्रिय बात नहीं हुई है। वैसे तो ऐसे किसी भी बड़े काम में एक सौ एक दिक्कतें रहती हैं। केवल शासन ही इन्हें पराजित करने में सामर्थ्य का अनुभव कर सकता है। फिर भी निर्माण-पथ पर सतर्कता से चलने वाला हमारा राज्य निश्चय ही जन-जन के लिये सुखाशा का निर्माता है।

लेखकों ने इस पुस्तक को कितने ही महीनों पूर्व लिखना चालू किया था। किन्तु अन्य व्यस्तताओं और असुविधाओं के परिणाम स्वरूप यह पुस्तक लगभग दो वर्ष बाद पाठकों के समक्ष इस रूप में आ सकी है। सहज ही कुछ

स्थलों में अत्यन्त ताजी आधुनिक जानकारी की प्राप्ति पाठक को न हो। लेकिन हमारा विश्वास है कि इससे किसी भी प्रकार का अन्तर पुस्तक की उपादेयता के बारे में नहीं पड़ता। कुछ-कुछ स्थानों पर तो आवश्यकता पड़ने पर भी हमें अत्यन्त आधुनिक जानकारी आंकड़ों या तथ्यों के रूप में प्राप्त न हो सकी। हमें आशा है कि पुस्तक के द्वितीय संस्करण में हम जिस कमी का अनुभव करते हैं, अथवा जिसे पाठकगण कृपा पूर्वक सुझावेंगे, उसकी पूर्ति कर दी जावेगी।

हम अपने आचार्य श्री पन्नालाल जी बल्दुआ एवं उपाचार्य डाक्टर दयाशंकर नाग के प्रति आभार प्रदर्शित करते हैं, जिनकी प्रेरणा पाकर ही हमें किसी भी पुस्तक के लिखने का चाव होता है। हमारे साथी प्रोफेसर प्रेमचन्द्र जी श्रीवास्तव के कितने ही सुझाव हमें पुस्तक के लिए उपयोगी प्रतीत हुए। अतः हम श्रीवास्तवजी को धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार भाई अभिनंदन कुमार दिवाकर, एम. ए., एल एल. बी. को भी हमारे धन्यवाद हैं। मिश्रबन्धु कार्यालय के प्रोप्राइटर श्री बसन्तकुमार जी मिश्र एम. एल. ए. के हम विशेष रूप से आभारी हैं। उनकी कृपा के फल-स्वरूप ही हमारे विचार पुस्तक रूप में प्रस्तुत किए जा सके हैं।

जबलपुर
२०-५-१९५५

सुशीलकुमार दिवाकर
सुखचैन वासल

विषय - क्रम

अध्याय		पृष्ठ
	भूमिका	
१	मध्यप्रदेश — जन संख्या, प्राकृतिक रचना, जलवायु	१—१३
२	मध्यप्रदेश में कृषि	१४—३२
३	खनिज संपत्ति	३३—४७
४	कोयला संपत्ति	४८—५८
५	वन संपत्ति	५९—६५
६	पशुपालन	६६—६८
७	सिचाई	६९—७४
८	सूती वस्त्रोद्योग	७५—८२
९	कांच उद्योग	८३—९०
१०	बिड़ी उद्योग	९१—९४
११	कृषि पर आधारित उद्योग	९५—१०२
१२	पंचवर्षीय योजना और मध्यप्रदेश	१०३—१०७
१३	बहुमुखी योजनाएं	१०८—११५
१४	खाद्य स्थिति	११६—१२८
१५	सहकारिता	१२९—१४०
१६	कागज का उद्योग	१४१—१४६
१७	सामुदायिक विकास योजनायें	१४७—१७४
१८	राष्ट्रीय विस्तार सेवा व्यवस्था	१७५—१८४
१९	प्रमुख नगर	१८५—१८८
२०	परिशिष्ट	१९१—२०२

अध्याय १

मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश[1] (पूर्व मध्यप्रदेश और बरार) १७'४७ ° और २४'२७° उत्तरी अक्षांश (North Latitude) और ७५'५७° और ८४'२४ पूर्वी देशांश के बीच स्थित एक अत्यत महत्व का राज्य है। उत्तरी और दक्षिणी भारत के लिए कड़ी स्वरूप है। इसके उत्तर और उत्तर-पश्चिम में मध्यभारत और उत्तरप्रदेश है। पश्चिम में खानदेश (बंबई), दक्षिण में हैद्राबाद तथा पूर्व में उड़ीसा और बिहार राज्य स्थित हैं। मध्यप्रदेश का क्षेत्रफल, १,३०,२७२ वर्गमील है। इसमें लगभग अर्धांश बनाच्छादित[2] है। १५ सम्मिलित रियासतों को छोड़कर, जिनका कुल क्षेत्रफल ३१,६६८ वर्गमील है, यहाँ २७'७ मिलियन[3] एकड़ भूमि में वन हैं। ५'१ मिलियन एकड़ भूमि कृषि अयोग्य है और २८'५ मिलियन एकड़ भूमि में कृषि होती है। इसका क्षेत्रफल भारत का १/१० है। यह ब्रिटेन से कुछ बड़ा और जापान से कुछ छोटा है।

यह राज्य ५०० मील लम्बा और ४५० मील चौड़ा है। १९५१ की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश की जन संख्या २,१२,४७,५३३ है। १९४१ में यह १,६६,३१,६१५ थी। रियासतों के विलियन के कारण ४०,००,००० जन संख्या की वृद्धि हो गयी है। जनगणना और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश का स्थान निम्न तालिका से उपलब्ध होता है :--

---

[१] स्वतंत्रता के उपरांत मध्यप्रान्त और बरार के बदले "मध्यप्रदेश" नाम है।

[२] रामायण में इस प्रदेश को 'दंडकारण्य' कहा गया है। आरण्य का अर्थ वन से होता है। वन-बाहुल्य के कारण ही यह नाम दिया गया दृष्टिगत होता है। और इसी कारण यहाँ उच्चकोटि के आवागमन के साधनों का प्रसार नहीं हो पाया है।

[३] एक मिलियन से तात्पर्य दस लाख से है।

१९५१ की जनगणना के अनुसार

राज्य	क्षेत्रफल (वर्गमील में)	जन संख्या (मिलियन में)
आसाम	५४,,०८४	९·१
बिहार	७०,३६८	४०·२
बँबई	१,१५,५७०	३५·९
मध्यप्रदेश	१,३०,२७२	२१·३
मद्रास	१,२७,७६८	५६ ९
उड़ीसा	५९,८६६	
पंजाब	३७,४२८	१२·६
उत्तर प्रदेश	१,१२,५२३	६३·२
प० बंगाल	२९,४७६	२४·७
हैद्राबाद	८२,३१३	१८·६
काश्मीर-जमू	८२,५२८	४·०
मध्यभारत	४६,७१०	७·९
मैसूर	२९,४५८	९·०
पेप्सू	१०,०९९	३·४
राजस्थान	१,२८,४२४	१५·२
सौराष्ट्र	२१,०६२	४·१
त्रावणकोर कोचीन	९,१७५	९·२
अजमेर	२,४२५	०·७
भोपाल	६,९२१	०·८
बिलासपुर	४५३	०·१
कुर्ग	१,५९३	०·२
दिल्ली	५७४	१·७
हिंमाचल प्रदेश	१०,६००	१·०
कच्छ	८,४६१	०·६
त्रिपुरा	४,०४९	०·६

राज्य	क्षेत्रफल	जनसंख्या
विन्ध्यप्रदेश	२४,६००	६·३
अंदमान	३,१४३	०·०३
सिक्कम	२,७४५	०·१
योग	११,३८,८१४	३५७·०

मध्यप्रदेश में गांवों की संख्या ४८,२१२ है। जब कि ग्रामों में १,८३,७०,१६४ व्यक्ति रहते हैं, तब शहरों में केवल २८,७७,३३६ व्यक्ति रहते हैं।

मध्यप्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से "अ" श्रेणी के राज्यों में प्रथम और जन-संख्या की अपेक्षा छठवां है। समूचे राज्य में १३४ नगर और ४८,२१२ ग्राम हैं। इनमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिक्ख, जैन, पारसी, गोंड आदि जाति का निवास है।

स्त्री और पुरुष के अनुसार मध्यप्रदेश की जन संख्या इस प्रकार से दर्शायी जा सकती है।

वर्ष	पुरुष	स्त्री	प्रति १०० पुरुष पीछे स्त्री
१६५१	१,०६,६२,८१२	१,०५,८४.७२१	६६·५

१ जनवरी १६४८ से मध्यप्रदेश में निम्न रियासतें सम्मिलित हो गयी हैं। बस्तर, चैंगभाकर, छुईखदान, जसपुर, कांकेर, कवर्धा, खैरागढ़, कोरिया, राजनांदगाँव, रायगढ़, सक्ती, सारंगढ़, सरगुजा और उदयपुर। १ फरवरी १६४८ से मकड़ाई भी मिल गयी। इनके विलियन के फल-स्वरूप मध्यप्रदेश के क्षेत्रफल में ३१,३६८ वर्गमील क्षेत्रफल और ४०,००,००० जन संख्या की वृद्धि हुई।

सबसे घनी आबादी बरार और नागपुर के मैदान में तथा नर्मदा के कछार में है। इस भाग में प्रति वर्गमील १७५ मनुष्य रहते हैं। सबसे बिरली आबादी सतपुड़ा विभाग और बस्तर की उच्चसमभूमि की है। सतपुड़ा विभाग की जन संख्या ७० मनुष्य प्रति वर्गमील और बस्तर की उच्चसमभूमि में लगभग २५ मनुष्य प्रति वर्गमील रहते हैं। छत्तीसगढ़ के मैदान में प्रति वर्गमील १६५ मनुष्य, विन्ध्याचल विभाग में प्रति वर्गमील १८० मनुष्य और नर्मदा के कछार में प्रति वर्गमील लगभग १६० मनुष्य रहते हैं। यद्यपि राजस्थान की अपेक्षा जन संख्या का घनत्व (Density of Population) मध्यप्रदेश में अधिक है, किन्तु बंगाल, उत्तर प्रदेश और बंबई की अपेक्षा यह घनत्व अधिक नहीं है। मध्यप्रदेश में ११·२६ प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है। शेष ८८·७१ जनसंख्या ग्रामों में रहती है। जबकि बम्बई में २३·२६ प्रतिशत और पश्चिमी बंगाल में २१·७६ प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहती है। मध्यप्रदेश के दो नगर नागपुर और जबलपुर अधिक घने बसे हैं। सरकार द्वारा यहाँ कारपोरेशन (नगर निगम) की भी स्थापना हुई है। नागपुर जबलपुर की जन संख्या वृद्धि का परिचय इस तालिका से मिलता है।

नागपुर और जबलपुर की जन संख्या।

शहर	१९३१	१९४१	१९५१
नागपुर	२,१५,१६५	३,०१,९५७	४,४९,०९९
जबलपुर	१,२४,३८२	१,७८,३३९	२,५६,९९८

कुछ अन्य जिलों की संख्या और वहां स्त्री पुरुषों का विभाजन तथा ग्रामों और शहरों में उसका वितरण इस तालिका से स्पष्ट होता है।

जिला	संख्या	पुरुष	स्त्री	ग्रामों में रहने वाले	शहरों में रहने वाले
नागपुर	१२,३४,५५६	६,३१,१९९	६,०३,३५७	६,५६,९०६	५,७७,६५०
वर्धा	५,३८,९०३	२,७१,७५१	२,६७,१५२	४,१३,०५१	१,२५,८५२
चांदा	९,७७,६१८	४,८९,६२०	४,८७,९९८	८,८५,१४०	९२,४७८
छिंदवाड़ा	१०,८०,४९१	५,३९,४१०	५,४१,०८१	१०,०७,०१२	७३,४७९
बैतूल	४,५१,६५५	२,२६,१७५	२,२५,४८०	४,१७,९०१	३३,७५४
भंडारा	१०,७१,६५७	५,३४,५८९	५,३७,०६८	९,७९,६९२	९१,९६५
जबलपुर	१०,४५,५९६	५,३८,७३९	५,०६,८५७	७,४६,७८५	२,९८,८११
सागर	९,९३,६५४	५,०९,५८४	४,८४,०७०	८,२६,५९०	१,६७,०६४
मंडला	५,४७,६२०	२,६९,१२२	२,७८,४९८	५,३३,३७७	१४,२४३
होशंगाबाद	८,४७,८९८	४,३२,३८६	४,१५,५१२	७,१४,७६२	१,३३,१३६
निमाड़	५,२३,४९६	२,६८,७६८	२,५४,७३४	४,०१,४९०	१,२२,००६
बालाघाट	६,९३,३७९	३,४८,६८९	३,४४,६९०	६,५९,००२	३४,३७७
रायपुर	१६,४०,००६	८,०२,५५५	८,३७,४५१	१५,१४,०७६	१,२५,९३०
बिलासपुर	१६,७९,६३७	८,२५,५७१	८,५४,०६६	१६,१४,८०१	६४,८३६
दुर्ग	१४,८१,७५६	७,२०,३९२	७,६१,३६४	२४,०३,३७७	७८,७३९
बस्तर	९,१३,७४६	४,५८,२१४	४,५५,७३२	८,९५,०२९	१८,७१७
सरगुजा	८,२२,०४१	४,२०,६०८	४,०१,४३३	८,००,७७५	२१,२६६
रायगढ़	९,१९,५२०	४,५६,१४२	४,६३,३७८	८,६४,६२४	५४,८९६
अमरावती	१०,३१,१६०	५,२६,५९३	५,०४,५६७	७,४८,२२१	२,८२,९३९
यवतमाल	९,३१,९८२	४,६८,५२२	४,६३,४६०	८,२०,२५०	१,११,७३२
अकोला	९,५०,९९४	४,८५,११९	५,६५.८७५	७,४०,७६२	२,१०,२३२
बुलढाना	८,७०,१६८	४,३९,२७०	४,३०,८९८	७,२६,५७१	१,४३,५९७
योग	२,१२,४७,५३३	१,०६,६२,८१२	१,०५,८४,७२१	१,८३,७०,१९४	२८,७७,३३९

मध्यप्रदेश में धर्म के आधार पर जन संख्या का विभाजन इस प्रकार है—

धर्म	संख्या
हिन्दू	२,०२.१५,६०७
सिक्ख	३३,३६६
जैन	६६,२५१
बौद्ध	२,८४१
जोरस्थू	३,०६६
मुसलमान	८,००,७८१
ईसाई	८८,८०२
यहूदी	२२८
आदिवासी	१,१८३
अन्य	५,३७८
योग	२,१२,४७,५३३

प्राकृतिक रचना

मध्यप्रदेश के उत्तर में उन्नत और विस्तृत विन्ध्यगिरि है। भूगर्भशास्त्रियों का अनुमान है कि भारत में अरावली, विंध्य और दक्षिणी पठार सबसे प्राचीन प्राकृतिक रचना है। सतपुड़ा और विन्ध्याचल पर्वत समूचे मध्यप्रदेश के उत्तरी भाग में पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए हैं। विन्ध्याचल की लम्बाई लगभग ७२० मील और ऊंचाई ३ हजार फुट है। विन्ध्याचल की प्रमुख शाखाओं में कैमोर और भाँडेर मुख्य हैं। दक्षिण की ओर बरार के दक्षिण में अजंटा पर्वत है, पूर्व की ओर सिंहावा और बस्तर के पहाड़ हैं। मध्यप्रदेश के मध्य में सतपुड़ा पर्वत पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। सतपुड़ा की सात प्रसिद्ध शाखायें हैं। सतपुड़ा की लम्बाई ६०० मील और ऊंचाई ४००० फुट है। सात शाखाओं के कारण ही यह सतपुड़ा कहलाता है। पचमढ़ी, महादेव, अमरकंटक, मेकल, गाविलगढ़ और सालेटेकरी मुख्य शाखायें हैं। अकोला के दक्षिण में अजंटा पवत है जिसकी लम्बाई १०० मील है और ऊंचाई १५०० फीट है। बस्तर के पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी तुलासी है। सिंहावा पहाड़ रायपुर जिले के दक्षिण में स्थित है। सिरगुजा में छुटा नागपुर की उच्चसमभूमि का प्रारम्भ होता है।

पहाड़ों के अतिरिक्त मध्यप्रदेश की आर्थिक और सामाजिक क्रियाओं के क्रीडास्थल तीन प्रमुख उपजाऊ मैदान हैं। प्रथम नर्मदा का उपजाऊ कछार, द्वितीय छत्तीसगढ़ का मैदान, और तृतीय नागपुर का मैदान। नर्मदा का उपजाऊ कछार विन्ध्याचल और सतपुड़ा से बीच प्रसारित है। यह स्थल कृषि की दृष्टि से बड़ा उपयोगी है। नर्मदा नदी ही यहाँ की सर्व प्रमुख नदी है[1] जो अमरकंटक के एक कुण्ड से (३४६२ फुट ऊंचाई से) निकलती है। नर्मदा ८०१ मील लम्बी है। इसके किनारे मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद प्रमुख शहर हैं। यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। तेज़ बहाव के कारण गोदावरी, गंगा आदि की भाँति यह अपना डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा की सहायक नदियों में गौर, हिरन, तवा, गंजाल, शेर और शक्कर हैं।

---

[१] मेकल पर्वत की चोटी से निकलने के कारण इसे मेकलसुता भी कहते हैं। इसे रेवा, शाँकरी आदि नामों से भी वर्णित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ का मैदान नागपुर के मैदानी भाग के पूर्व में स्थित है। इसे महानदी का कछार भी कह सकते हैं। यह बैनगंगा नदी के पूर्व में महानदी और उसकी सहायक नदियों के कछार का बना है। महानदी की सहायक नदियों में जोंक शिवनाथ और हसदो मुख्य हैं। महानदी सिंहावा पर्वत से निःसृत होती है और बिलासपुर तथा रायपुर जिले की सीमा के किनारे बहती हुई बंगाल समुद्र में गिरती है। इसकी लम्बाई लगभग ५०० मील है। महानदी ने डेल्टा निर्माण किया है जो बहुत उपजाऊ है। इसके डेल्टा विभाग में नहरों द्वारा सिंचाई होती है।

नागपुर का मैदान आर्थिक दृष्टि से अपना निराला महत्व रखता है। यह सतपुड़ा की उच्चसमभूमि और अजंटा के बीच में स्थित है। यह मैदान वर्धा, बैनगंगा और पूर्णा नदियों के कछार से बना है। यहाँ की जमीन काली और उपजाऊ है। नागपुर में रामटेक की पहाड़ी है। पश्चिम की ओर अजंटा पर्वत स्थित है। बैनगंगा नदी छिंदवाड़ा जिले के मुंडारा कुण्ड से निकलती है और अन्त में वर्धा नदी से मिल जाती है। फिर दोनों प्राणहिता के संयुक्त नाम से बहती हैं जो अन्त में गोदावरी नदी से मिल जाती है। बैनगंगा की सहायक नदियाँ कन्हान और नाग हैं। बैनगंगा व्यापार के लिये उपयोगी है। ताप्ती[१] नदी बैतूल जिले में मुल्ताई के तालाब से निकलती है। सतपुड़ा और गाविलगढ़ के बीच बहती है। इसकी लम्बाई ४५० मील है। यह नदी सिंचाई के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। यह ३०,००० वर्ग मील में प्रवाहित है। इसकी सहायक नदियाँ मोहान और पूर्णा हैं।

मध्यप्रदेश की कुल १०० नदियाँ हैं जो दक्षिण और पूर्व की ओर अधिक बहती हैं।

मैदान, पर्वत और सरिताओं का अध्ययन इस राज्य के ५ मुख्य स्वाभाविक विभाग बनाता है।

(१) विन्ध्याचल पर्वत की उच्चसमभूमि।

(२) नर्मदा नदी का कछार।

(३) सतपुड़ा पर्वत की उच्चसमभूमि।

(४) बरार और नागपुर का उपजाऊ मैदान।

(५) महानदी का कछार

---

[१] इसके तापनी, तपनी, तपता, तापी, एत्या, सर्पा, सर्पी, तारा, ताम्रा आदि २० नाम भी हिन्दू पुराणों में कहे गए हैं।

विन्ध्याचल पर्वत की उच्चसमभूमि :—इस विभाग में विन्ध्याचल पर्वत की श्रेणियाँ फैली हुई हैं। यह भाग समुद्र की सतह से ३००० फुट की ऊंचाई पर स्थित है। दक्षिण में भांडेर और कैमोर की मुख्य श्रेणियाँ हैं। इस भाग का अधिकांश भाग ऊंचा और सपाट है। इसी भाग में से कर्क रेखा जाती है। इस भाग का उत्तरी भाग कृष्ण वर्ण की मिट्टी सहित उपजाऊ है, किन्तु दक्षिणी भाग पहाड़ी है। इसलिये कृषि की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। इस भाग की मुख्य नदियां कटनी, सुनार बेरमा आदि हैं। ये नैऋत्य से ईशान की ओर बहती हैं तथा वर्षा ऋतु में इनमें बाढ़ आती है। ये तीव्रगामी होने के कारण व्यापार के लिये विशेष उपयोगी नहीं हैं। पहाड़ी भाग होने के कारण नहरों की व्यवस्था भी उचित नहीं है। ग्रीष्मकाल में इन नदियों में जलाभाव हो जाता है। इस क्षेत्र में व्यापार की दृष्टि से सुनार नदी अधिक उपयोगी है। यहाँ गेहूँ, चना, गन्ना, ज्वार, चांवल की खेती होती है। कटनी नदी के कछार में चाँवल और गन्ने की खेती विशेष रूप से होती है। दक्षिण के पहाड़ी भाग में इमारती लकड़ी सुलभ है। पर्वतीय स्थलों की प्रमुख उपज ज्वार, कोदों, कुटकी, आदि हैं। पहाड़ों के कारण वृष्टि की कमी नहीं होती। इन्हीं पहाड़ों से हर्रा, बहेरा, आँवला, लाख, गोंद आदि की प्राप्ति होती है। इसके उत्तरी भाग में उपजाऊ भूमि होने के कारण जन संख्या अधिक है किन्तु दक्षिणी भाग में जन संख्या सघन नहीं है।

नर्मदा का कछार :- विन्ध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। यह २०० मील लम्बा तथा २५ मील चौड़ा है। इसका पश्चिम से पूर्व की ओर का फैलाव सकरा है। इसमें निमाड़, होशंगाबाद जिले का उत्तरी भाग और जबलपुर जिले का दक्षिणी भाग सम्मिलित है। उत्तरी भाग में मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। सतपुड़ा से निसृत (जो कि दक्षिण में है) शेर, शक्कर, गंजाल तथा छोटी तवा उत्तर की ओर बहकर नर्मदा नदी की सहायक नदियों का रूप धारण करती है। सरिताओं का इस प्रकार बाहुल्य होने के कारण यह विभाग अन्य विभागों की अपेक्षा उर्वरा है। इसके पूर्वी भाग में चाँवल की खेती अधिक होती है। पश्चिमी भाग में कपास और ज्वार का उत्पादन होता है। मध्य के भाग में गेहूँ, चना, तिली, और दालें होती हैं। निमाड़ के दक्षिणी भाग में गांजे का भी उत्पादन होता है। मध्य भाग में पान के बरेजे भी हैं। तवा का कछार तरबूजों और खरबूजों के लिये प्रसिद्ध है। विन्ध्य भाग की भांति बनों का भी उत्पादन वैसा ही है।

सतपुड़ा पर्वत की उच्चसमभूमि :—यह विभाग मध्यप्रदेश और बरार के मध्य फैला है। इसमें सरगुजा, चंदभाखर, अमरावती, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला जिले सम्मिलित हैं। होशंगाबाद और निमाड़ जिले के दक्षिणी भाग भी इनमें सम्मिलित हैं। यह मध्यप्रदेश का सबसे ऊंचा विभाग है। इसकी ऊंचाई २००० से ४००० फुट तक है। यह उत्तर और दक्षिण की ओर ढालू है। किन्तु बीच में ऊंचा है यह २१° से २४° अक्षांश और ७६° से ७४° देशांश के मध्य में बसा हुआ है। मध्यप्रदेश की सबसे अधिक नदियां इसी भाग से निकलती हैं। इसमें नर्मदा, सोनभद्र, शेर, शक्कर, तवा, छोटी तवा, गंजाल, बैनगंगा, वर्धा, हसदो, रोहर, और शिवनाथ मुख्य । ताप्ती नदी इस भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है।

बरार और नागपुर का मैदान :—यह काफी बड़ा है। यह मैदान सतपुड़ा की उच्चसमभूमि के दक्षिण में स्थित है। इसमें दक्षिणी मध्यप्रदेश की नदियों के कछार सम्मिलित हैं। यह उत्तर और पूर्व में ऊंचा और दक्षिण और पश्चिम की ओर ढालू है। दक्षिण में पैनगंगा और इंद्रावती नदी तक इसका फैलाव है। इस भाग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पर्वतों का अभाव ही है। अतः यह सपाट है। केवल इसकी उत्तरी और दक्षिणी सीमाओं पर ही पर्वत हैं। उत्तर में सतपुड़ा की गाविलगढ़ और मेलघाट शाखायें और दक्षिण में अजंटा पर्वत है। अजंटा की प्रसिद्ध शाखायें सातमल और चांदोरघाट हैं। चांदोरघाट ४००० फुट ऊंचा है। नागपुर में रामटेक की पहाड़ी है। इसके पश्चिमी भाग में कपास, ज्वार और मूँगफली का उत्पादन होता है। पूर्वी भाग की मुख्य उपज चाँवल है। मध्य भाग में गेहूँ का प्रामुख्य है। यह भाग फलों के उत्पादन के लिये प्रसिद्ध है। आम और संतरा प्रमुख फल हैं। नागपुर के आसपास उच्चकोटि का संतरा होता है जो कि देश भर में प्रसिद्ध है।

महानदी का कछार या छत्तीसगढ़ का मैदान :—यह बरार और नागपुर के पूर्व में उत्तर-दक्षिण फैला हुआ है। इसके मैदान के अधिकांश भाग में महानदी और उसकी सहायक नदियां फैली हुई हैं और इसलिये इसे महानदी का कछार कहते हैं। महानदी के बहाव को देखकर ही कहा जा सकता है कि इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। इस भाग में भी पर्वतों का अभाव है। किन्तु सीमाओं पर पर्वत अवश्य अवस्थित हैं। उत्तर में सतपुड़ा की श्रेणियाँ मानगुरु, मेकल आदि हैं। ईशान में सरगुजा की उच्चसमभूमि, पूर्व में सालेटेकरी और आग्नेय में सिंहावा, दक्षिण में बस्तर के पहाड़ हैं। पश्चिम की ओर यह नागपुर के मैदान से जुड़ा है।

इस भाग की मुख्य उपज चाँवल है। पश्चिमी भागों में (जहां वर्षा कुछ कम है) दालों की खेती होती है। तिली, अलसी, मूँगफली की खेती होती है। दालों में मूंग उड़द और अरहर मुख्य हैं। जंगलों की मुख्य उपज लाख, महुआ और गोंद है। यहाँ के जंगलों की सर्वाधिक मुख्य वस्तु बांस है जिसका उत्तर प्रदेश आदि में कागज बनाने के लिये निर्यात होता है।

बस्तर का पहाड़ी विभाग:– यह भाग मध्यप्रदेश के दक्षिण में स्थित है। इसमें (Eastern Ghat) पूर्वी घाट की पर्वत शाखाओं का विस्तार है। यहाँ के मुख्य पहाड़ों से सिंहावा, चित्रकूट, बस्तर के पहाड़ मुख्य हैं। यहाँ की मुख्य नदी इंद्रावती है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अन्त में गोदावरी से मिल जाती है। यह भाग ६५% पहाड़ी है। अतः यहाँ कृषि योग्य भूमि का अत्याधिक अभाव है। जो कुछ भी खेती होती है उसमें चांवल की प्रमुखता है। जङ्गलों की उपज में घास, इमारती लकड़ी, लाख, हर्रा प्रमुख हैं।

जलवायु

मध्यप्रदेश की जलवायु का वर्णन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सी. मारीसन के इस वाक्य से ही प्रारम्भ करना उपयुक्त होगा कि "यह कहा जा सकता है कि मध्यप्रदेश को छोड़कर भारत का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जो वर्षा भाव से मुक्त हो, यहाँ वर्षा कभी भी धोखा नहीं देती[1]।" यहाँ मौसमी वायु से औसत रूप से ५०" वर्षा होती है।

मध्यप्रदेश के विभिन्न विभागों की वर्षा का परिचय निम्न सारिणी से मिलता है।

मध्यप्रदेश की वर्षा

भाग का नाम	औसत वार्षिक वर्षा
विन्ध्य विभाग	३०"—५०"
नर्मदा विभाग	३०"—४५"
सतपुड़ा उच्चसमभूमि	४०"—५०"
बरार नागपुर का मैदान	३०"—४५"
महानदी का कछार	४०"—६०"
बस्तर	५०"

(1) **"It may be said that no part of India is more free from fear of draught than the Central Provinces, where the rainfall has never been known to fail,"**

A New Geography of the Indian Empire & Ceylon,
by C. Morrison (Page 135)

विन्ध्याचल विभाग के आग्नेय और दक्षिणी भागों में मौसमी वायु से ५०° वर्षा होती है। उत्तरी भाग में जो भाँडेर और कैमोर पर्वत की पृष्ट–भूमि (Rain shadow) में आता है, ३०° से कम वर्षा होती है।

नर्मदा के कछार में नैऋत्य से चलने वाली मौसमी वायु विन्ध्याचल और सतपुड़ा के बीच में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। कछार के बीच में पर्वत न होने से ३०″ से भी कम वर्षा होती है। पूर्वी भाग में ५०″ वर्षा होती है।

सतपुड़ा विभाग के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है और पश्चिमी भाग में कम। पश्चिमी भाग में ३०″, मध्य में ७०″ और पूर्व में ६०″ वर्षा होती है।

बरार और नागपुर के मैदान में पश्चिमी भाग में ३५″ से भी कम और पूर्वी भाग में ५०″ से भी अधिक वर्षा होती है। मध्य के भागों में ३५″ से ५०″ के बीच वर्षा होती है।

महानदी के विभाग में नैऋत्य से आने वाली मौसमी वायु से वर्षा होती है। यह के पश्चिमी भागों में ५०″ से कम और पूर्वी भागों में ५०″ से अधिक वर्षा होतो है।

अध्याय २

मध्यप्रदेश में कृषि

मध्यप्रदेश का क्षेत्रफल विलयित रियासतों को मिलाकर १,३०,२७३ वर्ग मील है। इसकी जन संख्या करीब २ करोड़ १३ लाख है। दक्षिण के प्रायःद्वीप के मध्य में यह राज्य स्थित है। यह १७°४७ और २४°२७ उत्तरी अक्षांशों तथा ७५°५७ और ८४°२४ पूर्वी देशांशों के बीच है। इसका क्षेत्रफल भारतवर्ष के क्षेत्रफल का १० प्रतिशत है। मध्यप्रदेश ब्रिट्रिश द्वीप पुंज से कुछ बड़ा तथा जापान से कुछ छोटा क्षेत्रफल में है। इसकी अधिकाधिक लम्बाई उत्तर दक्षिण ६५० मील और अधिकाधिक चौड़ाई पूर्व पश्चिम में ७५० मील है।

स्वाभाविक विभागों की भाँति मध्यप्रदेश के कृषि क्षेत्रों को पांच हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। वे इस प्रकार हैं:—

(१) विन्ध्य का पठार।
(२) नर्मदा नदी की घाटी।
(३) सतपुड़ा का पठार।
(४) नागपुर-विदर्भ का मैदान।
(५) छत्तीसगढ़ का मैदान (महानदी का कछार)।

विन्ध्य का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में है तथा इसमें सम्पूर्ण सागर जिला तथा अधिकांश जबलपुर जिला शामिल है। इसके दक्षिण और दक्षिण-पूर्व में भांडेर और कैमूर पर्वत मालाओं का विस्तार है तथा यह धसान, बेवस, सोनार, बरमा और कटनी का उद्गम है। सभी नदियाँ जमुना नदी में मिलती हैं।

नर्मदा नदी की घाटी के उत्तर में विन्ध्यपर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। इसका विस्तार निमाड़ जिले से जबलपुर जिले तक है। होशंगाबाद जिला इसके मध्य में है। नर्मदा इस क्षेत्र की सर्व प्रधान नदी है जो कि अमरकंटक के समीप से निकलती है। यह पश्चिम की ओर बहती है। यह अपनी सहायक शेर, शक्कर और तवा का जल एकत्रित करते हुए आगे बढ़ती है। प्रायः सभी नदियाँ नर्मदा में दक्षिण दिशा से आकर मिलती हैं। उत्तर दिशा से हिरन नदी इसमें मिलती है।

सतपुड़ा का पठार दक्षिणी निमाड़ और होशंगाबाद, उत्तरी अमरावती, बैतूल, छिंदवाड़ा और सरगुजा जिलों तक विस्तृत है। इसके अतिरिक्त बालाघाट, दुर्ग, विलासपुर और रायगढ़ जिलों के उत्तरी हिस्सों में भी इसका विस्तार है। सतपुड़ा पहाड़ की सात शाखायें हैं। इनकी (शाखाओं) लम्बाई पूर्व से पश्चिम ६०० मील है। पर्वतीय क्षेत्र के कारण यह नर्मदा, ताप्ती, पूर्णा, वर्धा, बैनगंगा इत्यादि का उद्गम स्थल है। इनमें ताप्ती नदी महत्वपूर्ण है। यह बैतूल जिले के मुलताई तहसील से निकलकर अकोला, बुलढाना, और निमाड़ जिलों में से होकर बम्बई राज्य में प्रवेश करती है।

नागपुर-विदर्भ के मैदान में नागपुर, वर्धा, बुलढाना, अकोला और यवतमाल जिले पूर्णतः समाविष्ट हैं। इसके सिवाय पश्चिमी भंडारा और चांदा जिले तथा दक्षिणी अमरावती जिला भी इस मैदान का अंग है। पूर्णा, पैनगंगा, वर्धा और बैनगंगा इसमें से प्रवाहित होती हैं।

छत्तीसगढ़ के मैदान का फैलाव सम्पूर्ण विलासपुर और रायगढ़ जिलों में है। पूर्वी चांदा और भंडारा जिले तथा सम्पूर्ण नव संगठित बस्तर जिला भी इसी मैदान के हिस्से में है। महानदी, शिवनाथ और इरावती नदियों का बहाव इसी मैदान से होकर है।

मिट्टीः—न केवल भारतवर्ष बल्कि मध्यप्रदेश की कृषि की उन्नति की भित्ति मिट्टी है। मनुष्यों की अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति तथा उनके भोजन-तत्व मिट्टी से उपलब्ध होते हैं। कृषि तथा वन की उन्नति का मूल स्तोत्र मिट्टी ही है। मिट्टी पृथ्वी के उस ऊपरी कोमलतट को कहते हैं जिसमें धरातल की चट्टानों के टूटे फूटे पदार्थ तथा वनस्पति आदि के सड़े गले तत्व मिले रहते हैं। वास्तव में ऐसे कोमल तत्व कई पर्तों तक मिलते जाते हैं। सबसे कोमल और उत्तम पर्त्त सबसे ऊपर का होता है। जिसमें उत्तम पदार्थ रहते हैं। उससे नीचे कुछ कठोर पर्त्त रहता है जिसमें असमान आकार के कण रहते हैं। सबसे नीचे की पर्त्त में धरातल की चट्टानों के मोटे-मोटे टुकड़े मिले रहते हैं। इन पर्त्तों को मिट्टी के पार्श्व-दृश्य (Soil Profile) कहते हैं। इसे मिट्टी की परिधि (Horizon) भी कहते हैं। परिधियाँ ३ प्रकार की होती हैं; अ, ब और स। सबसे ऊपर की परिधि को अ की संज्ञा दी गयी है तथा सबसे नीचे की परिधि को स की संज्ञा दी गयी है। ऊपरी भाग को मिट्टी भी कहते हैं तथा नीचे के भाग को

अर्ध मिट्टी। प्रथम परिधि ३-४ फुट मोटी होती है तथा शेष १०-१२ फुट मोटी होती है।

मध्यप्रदेश की मिट्टी की बनावट भी ऐसी ही है। इसी आधार पर राज्य में कृषि वस्तुयें उत्पन्न होती तथा उसके आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ा है। इस राज्य में कपास की काली मिट्टी (Black Cotton Soil or Regar) अत्यंत प्रसिद्ध है। यह बैहुतायक में विदर्भ के मैदान, पूर्णा और वर्धा नदियों की घाटी तथा नागपुर से कुछ आगे तक पायी जाती है। इस मिट्टी का मूलाधार 'तृण' है। तृण की जड़ें सड़ती हैं तथा उनका नोषजन पदार्थ मिट्टी में मिलकर उसे उपजाऊ बना देता है। नोषजन जितनी ही अधिक अनुपात में प्राप्त होता है उतना ही मिट्टी का काला रंग गहरा होता है। रंग की भिन्नता मिट्टी की उर्बरा शक्ति की परिचायक होती है। यह मिट्टी भुरभुरी होती है। मिट्टी के डले को यदि हाथ से मला जावे तो वह लघु कणों में टूट जाता है, यदि उसे नहीं मलें तो वह डला टूटता नहीं है। काली मिट्टी का यह गुण कृषि को अत्याधिक सहायक सिद्ध हुआ है। यह मिट्टी आवश्यक जल कण अपने तत्वों में सोखे रहती है। यह जोतने पर आसानी से टूट जाती है। मिट्टी में यह भुरभुरापन नोषजन के कारण होता है। अल्प जल-वर्षा ही इस तृण की मिट्टी के उद्भव का कारण होती है। मध्यप्रदेश के इस भूभाग में कभी भी ४५" से ज्यादा वर्षा नहीं होती है तथा अल्पतम वर्षा २०" होती है।

इस मिट्टी का दूसरा खंड है—लाल-भूरी मिट्टी। इसका कालापन हल्का रहता है तथा कभी कभी इसमें भूरापन रहता है। किन्तु यह उतनी उर्बरा नहीं होती जितनीं कि काली मिट्टी होती है। यह समुचित मात्रा में यवतमाल, बुलढाना और अन्य पश्चिमी जिलों में काली मिट्टी की अपेक्षा अधिक फैली हुई है।

काली मिट्टी के पूर्वी विस्तारण से बैनगंगा नदी का कछार शुरू होता है जो कि भंडारा और बालाघाट जिलों में से आगे बढ़ता है। उत्तर दिशा की ओर मंडला जिले में भी यह लकीर प्रविष्ट होती है। यह तारतम्य, पूर्वी जबलपुर जिले और दमोह सबडिवीजन तक है। यह सम्पूर्ण क्षेत्र भूरी और लाल मिट्टी से परिपूर्ण है। बैनगंगा के कछार की भूमि गहरी भूरी और लाल है। यह भंडारा और बालाघाट जिलों में बहुतायत से पायी जाती है। मध्यप्रदेश के पूर्वी, मध्य और उत्तर-पूर्वी जिलों में रेतीली भूरी और लाल मिट्टी पायी जाती है भूरी और लाल मिट्टी वनप्रदेश के कारण बनती है। वनों में पत्तियाँ और जड़ें इतने द्रुतवेग से गलती हैं कि उनके

उपयोगी रसायनिक तत्व मिट्टी नहीं खींच पाती। ये रसायनिक तत्व हैं। ह्यूमस और नाइट्रोजन (Humes & Nitrogen)। इनके अभाव में भूमि उर्वरा नहीं हो पाती। नोषजन, अर्थात् उपरोक्त रसायनिक पदार्थ जितने अनुपात में मिट्टी में मिलता हैं वैसा ही रंग मिट्टी का होता है। भूरी मिट्टी में रसायनिक पदार्थ ५० से ७५ प्रतिशत मिलते हैं। वनप्रदेश मिट्टी को पोडसोल (Podsol) मिट्टी की श्रेणी में भी रखा जाता है। यह मिट्टी सामान्यतः उपजाऊ होती है।

बैनगंगा के पूर्व में रेतीली पथरीली मिट्टी पायी जाती है। चिकनी बलुई मिट्टी से लेकर हलरी चिकनी बलुई मिट्टी इस प्रदेश में मिलती है। इस मिट्टी के कण सूक्ष्म होते हैं जो एक दूसरे से सटे रहते हैं। उनमें हवा शीघ्रता से प्रवेश नहीं कर पाती। वह पानी नहीं सोख पाती है। पानी मिट्टी के ऊपर भरा रहता है। चिकनी बलुई मिट्टी में चिकनी मिट्टी अधिक रहती है तथा हलकी चिकनी बलुई मिट्टी में रेतका अंश अधिक पाया जाता है। छत्तीसगढ़ इस प्रकार की मिट्टी से परिपूर्ण है। कछारी मिट्टी (Alluvial Soil) नर्मदा नदी की घाटी में मिलती है। यह नदियों द्वारा लाई गयी वनस्पतियों से बनती है जो कि उर्वरा होती है। निम्नलिखित तालिका से मध्यप्रदेश की भूमि का वितरण उपजों और मिट्टियों के आधार पर दर्शाया गया है—

क्रम	मिट्टी	कृषि उत्पादन क्षेत्र	वर्षा	स्थानीयकरण
१	काली उपजाऊ मिट्टी	कपास, ज्वार, गेहूँ, तेल के बीज और रबी की उपजें।	२०" से ४५" तक	पूर्णा, वर्धा और ताप्ती नदियों की घाटियाँ और पूर्वी नागपुर जिला।
२	सामान्य काली उपजाऊ मिट्टी।	कपास, ज्वार खरीफ की दालें और बाजरा।	" " "	" " "
३	गहरी चिकनी बलुई मिट्टी तथा साधारण चिकनी मिट्टी।	गेहूँ और रबी की फसलें कपास और ज्वार के साथ।	३६" से ५०" तक	पठार और पश्चिमी क्षेत्र नर्मदा के उत्तर में।

४	भूरी चिकनी बलुई मिट्टी।	धान, गन्ना, साधारण गेहूँ और रबी फसल के तेल के बीज।	५०" से ५५" तक	बैनगंगा की घाटी।
५	लाल और भूरी चिकनी मिट्टी।	धान, गन्ना, निम्न प्रकार की ज्वार, दालें और खरीफ फसल के तेल के बीज।	५०" से ५५" तक	बैनगंगा के पूर्वी पठार के ऊँचे भाग, उत्तरी पूर्वी मध्य-प्रदेश और छत्तीस-गढ़ के ऊँचे क्षेत्र।
६	चिकनी बलुई मिट्टी और हलकी चिकनी बलुई मिट्टी।	धान, हलके प्रकार का गेहूँ और रबी की फसलें।	५५"	छत्तीसगढ़।
७	कछारी मिट्टी।	गेहूँ।	४४" से ६०" तक	नर्मदा नदी की घाटी और समीपवर्त्ती क्षेत्र।

कृषि की स्थिति :— मध्यप्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। इस राज्य में सन् १६०६-१० में कुल ६·४२ करोड़ एकड़ भूमि थी। सन् १६४६-४७ में ६·३१ करोड़ एकड़ भूमि थी। इसमें से सन् १६४६-४७ में १.५८ करोड़ एकड़ भूमि बनों से आच्छादित थी। ४८·५६ लाख एकड़ भूमि कृषि कार्य के लिये इसी अवधि में उपलब्ध नहीं थी। पड़ती भूमि का विस्तार सन् १६०६-१० से बढ़ता ही गया है। इस वर्ष यह भूमि ३१ लाख एकड़ थी, किन्तु सन् १६४६-४७ में यही बढ़कर ४३ लाख एकड़ हो गई। पिछले ४० वर्षों में ऐसी भूमि जिस पर कृषि की जाती है ज्यादा बढ़ी। सन् १६०६-१० में मध्यप्रदेश में २४,८८६,००० एकड़ भूमि पर खेती की गयी और सन् १६४६-४७ में पड़ती भूमि २४,१६०,००० एकड़ रह गयी। सन् १६१४-१५ से सन् १६१६-१७ तक अवश्य २·५१ करोड़ एकड़ से २·५४ करोड़ एकड़ भूमि पर उपजें ली गयीं। परन्तु प्रथम विश्वयुद्ध के तुरन्त पश्चात् वास्तविक कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल घटने लगा। यह स्थिति सन् १६१८-१६ से सन् १६२१-२२ तक बनी रही। सन् १६२०-२१ में तो केवल २·३१ करोड़ एकड़ भूमि जोती और बोई गयी इस अर्ध-शताब्दी में इसी वर्ष खेती सबसे कम भूमि पर की गयी। इसी काल इन्फ्लूयेन्जा और प्लेग के संक्रामक रोग सारे

देश में फैल गए थे। मध्यप्रदेश भी इसका शिकार बना। इससे लोगों की कार्य क्षमता घट गयी। फलतः कृषि को हानि पहुँची। इसके विपरीत इस राज्य की जन संख्या रियासतों को छोड़कर (सन् १६०६-१० में) १ करोड़ ४० लाख से (सन् १६४६-४७ में) बढ़कर १ करोड़ ७० लाख हो गयी। इस प्रकार जन संख्या में प्रायः २०% वृद्धि हुई। इसी अनुपात में कृषि योग्य भूमि में ५० लाख एकड़ भूमि से वृद्धि होना चाहिये। अथवा एक करोड़ एकड़ कृषि-योग्य-भूमि को सिंचित भूमि में परिणित होना चाहिये था। ताकि दुहरी पैदावार योग्य भूमि का क्षेत्रफल बढ़ सकता। यथार्थ में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल अल्पमात्र बढ़ा और १० लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई हुई। तात्पर्य यह कि इन चालीस वर्षों में गहन कृषि (Intensive Cultivation) एवं उसके प्रवर्धनार्थ कोई भी प्रयत्न नहीं किये गये जिससे कि वह बढ़ती हुई जन संख्या के अनुपात में बनी रहती। कृषि विकासार्थ आधुनिक यंत्रों की भी सहायता नहीं ली गई।

यह सत्य है कि इस शताब्दी के प्रारम्भ से ही इस राज्य को युद्ध एवं उनसे उत्पन्न बुराइयों और व्याधियों का शिकार बनना पड़ा। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था भी शताब्दी में विश्रंखलित हुई ग्रामीण जनता कृषि अर्थ-व्यवस्था से उदासीन होने लगी। वस्तुओं के भाव भी इस उदासीनता के सहगामी बन गये। परिणाम भी इस राज्य के निवासियों के हित के विरुद्ध रहा। पिछली शताब्दी में कृषि का धंधा आय-वृद्धि का एक प्रधान साधन था। इस शताब्दी में लोगों की वृत्ति बदल गयी। वे कृषि से केवल अपने भरण पोषण की आशा रखने लगे। इस प्रकार जो कृषि पहिले जीविकोपार्जन के सिवाय व्यापारिक प्रवृत्तियों का आकर्षण बिन्दु थीं, वही कृषि कुछ समय पश्चात् केवल जीवकोपार्जन का ही साधन रह गई।

उपजें :—

मध्यप्रदेश में प्रायः उन सभी वस्तुओं की कृषि होती है जो कि शेष भारतवर्ष में उत्पन्न की जाती हैं। खाद्यान्नों में चांवल, गेंहू, ज्वार, कोंदों, कुटकी, चना आदि उत्पन्न होते हैं। तेवड़ा, मसूर, उरदा, मूंग, अरहर इत्यादि दालों की भी कृषि होती है। तेल के बीजों में अलसी, तिली, मूंगफली, सरसों, राई, रेड़ी इत्यादि। व्यापारिक उपजें हैं, कपास, तम्बाखू, गन्ना, सन, मसाले आदि। इस प्रकार मध्यप्रदेश इन वस्तुओं के उत्पादन और क्षेत्रफल में देश में अपना स्थान रखता है।

निम्नलिखित तालिका से प्रगट होगा कि कितनी भूमि कितने अनुपात में मध्यप्रदेश में है।

उपज	मध्यप्रदेश में प्रतिशत भूमि	भारतवर्ष में इस राज्य का प्रतिशत
ज्वार	२०.५	१४
गेहूं	१०.५	११
चावल	२४.६	१०
कपास	१२.४	२२
अलसी	४.२	३०
चना	५.४	६
तिली	१.६	१०
मूगफली	१.६	५
गन्ना	१३ (अनुमानतः)	१

मध्यप्रदेश को उपजों की दृष्टि से तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। कपास क्षेत्र :-बुलढाना, यवतमाल, अकोला, अमरावती व निमाण जिले में फैला हुआ है। चाँदा और छिंदवाड़ा जिले में भी कहीं २ कपास की खेती होती है। इस क्षेत्र में ज्वार भी उत्पन्न किया जाता है। दूसरा क्षेत्र चांवल का है :— इसमें बस्तर, दुर्ग, भंडारा, बालाघाट, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़ और मंडला जिले शामिल हैं। छिंदवाड़ा और चांदा में भी चांवल उत्पन्न किया जाता है। तीसरा क्षेत्र गेहूँ का है:—इसमें होशंगाबाद, जबलपुर और सागर के जिले हैं। इनके सिवाय मंडला छिंदवाड़ा और बैतूल में भी गेहूं उत्पन्न किया जाता है।

मध्यप्रदेश देश के मध्य में है। इस राज्य की कृषि प्रणालियाँ देश की विभिन्न प्रदेशों की कृषि प्रणालियों की संयुक्त उत्पत्ति हैं। यह उल्लेखनीय है कि इस राज्य में जिन पद्धतियों का उद्भव हुआ है उनमें अब इतना परिवर्तन हो गया है कि मूल पद्धतियों को पहिचानना कठिन है। दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम भारतवर्ष की खेती के तरीके बरार में पाये जाते हैं। यहाँ पर कपास और ज्वार की खेती होती है। छत्तीसगढ़ में चाँवल उत्पन्न करने का तरीका बंगाल जैसा है। नर्मदा नदी के कछार पर उत्तरप्रदेश और बिहार की कृषि पद्धति का प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार मध्यप्रदेश की स्थिति विचित्र है।

इस राज्य में वर्षा ऋतु में खरीफ की फसल की जाती है और शीत ऋतु में रबी की फसल ली जाती है। जून के महीने में वर्षा शुरू होती है। इसी समय बुवाई

भी की जाती है। कपास जून के प्रथम सप्ताह में बोया जाता है और ज्वार मध्य जुलाई में बोई जाती है। यहाँ पर मिश्रित फसलें बोई जाती हैं। कहीं २ एक ही खेत पर दो फसलें ली जाती हैं और कहीं २ इनका सस्यावर्तन (Rotation) भी होता है।

चावल :—

धान की खेती के लिये खेतों पर बाँध बनाये जाते हैं जिससे कि वर्षा-जल, नहरों तथा तालाबों का पानी रोका जाता है। धान की फसल के तीन तरीके हैं:—

(क) Broad casting

(ख) Biyasi

(ग) Transplantation

पहिली रीति से उस प्रकार की धान की फसल ली जाती है जो कि जल्दी पक जाती है और हल्की भूमि पर उत्पन्न होती है। दूसरी रीति में बीजों को मौसम के शुरू में ही खेत पर फेंक कर बो दिया जाता है। जब पौधों की ऊंचाई ६ से १२ इंच तक हो जाती है तब इन पर हल चला दिया जाता है जिससे कि इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। तीसरी रीति के द्वारा पहले धान एक सीमित भूमि के टुकड़े पर ली जाती है। जब पौधे बढ़ जाते हैं तब उन्हें उखाड़कर सम्पूर्ण खेत पर लगा दिया जाता है। जहाँ पर इस रीति से धान का उत्पादन संभव नहीं है वहाँ पर अंकुरित बीजों को फेंक कर बोया जाता है। इसके पूर्व खेत पर हल चला दिया जाता है। इस रीति को मचवा (Machawa) या लेही कहते हैं। चांवल के क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में खेतों में नालियाँ बनाई जाती हैं और उनमें धान के बीज बोये जाते हैं। अब इस रीति का चांवल क्षेत्र में भी अनुक्रमण किया जाता है। इससे मजदूरों की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। इस क्षेत्र में मिश्रित फसल नहीं ली जाती। दोहरी फसल अवश्य ली जाती है। चांवल की फसल के पश्चात तेवड़ा, चना, अलसी और उरदा बोया जाता है। कभी-कभी चांवल के साथ ही साथ खेत के कुछ हिस्से में गेहूं और चना भी बो दिया जाता है। खुले हुए खेतों में कोदों, कुटकी, तिली और तुअर को गेहूं के साथ सस्यापवर्तन (Rotation) में बोया जाता है। बांधों वाले खेतों में सस्यापवर्तन संभव नहीं है।

चावल के उत्पादन और क्षेत्रफल में परिवर्तन होते हैं। क्षेत्रफल में यह अनुकूल रहे हैं। सन् १९०९-१० में ४८·३८ लाख एकड़ भूमि पर चांवल उत्पन्न किया गया था

सन् १९४६-४७ में ६१·२० लाख एकड़ भूमि पर धान की फसल का विस्तार था। इस प्रकार पैंतालीस वर्षों में १२·८२ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि पर चांवल उत्पन्न किया गया है, किन्तु उत्पादित राशि में अधिक विचरण नहीं हुआ है। सन् १९०९-१० से १९१८-१९ तक के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सन् १९१९-२० में १६·२० लाख टन चांवल उत्पन्न हुआ था। लेकिन सन् १९४६-४७ में १४ लाख टन उत्पादन रह गया, जब कि इस वर्ष पहिले की अपेक्षा निश्चिततः भूमि का अधिक फैलाव था। इस उत्पादन-ह्रास का कारण जन संख्या का भार है। खाद की कमी, वैज्ञानिक ढङ्गों की उपेक्षा, कृषकों की दीनता, अशिक्षा आदि भी इसके कारण हैं। निम्न लिखित तालिका से विदित होगा कि चांवल उत्पादन और उसके क्षेत्रफल का समय समय पर क्या अनुपात रहा है :-

वर्ष	उत्पादन (हजार टन)	क्षेत्रफल (हजार एकड़)
१९०९-१०	... ...	४,८३७·८
१९१४-१५	... ...	४,९१२·२
१९१९-२०	१,६७९·६	५,०७१·३
१९२४-२५	१,१७४·२	५,१७१·३
१९२९-३०	१,७८७·३	५,४८०·०
१९३४-३५	१,७५७.४	५,६३१·१
१९३९-४०	१,४५३·१	५,८९६·१
१९४१-४२	८९१·६	५,७५७·५
१९४६-४७	१,४००·६	६,११९·२

चाँवल का उत्पादन जिलों के अनुसार इस प्रकार हैः—(हजार टन)

जिला	१६१६–२०	१६२४–२५	१६२६–३०	१६३४–३५	१६३६–४०	१६४१–४२	१६४६–४७
सागर	२२·४	२२·३	१६·६	२६·२	२७·७	१७·४	२३·७
जबलपुर	४०·५	४३·४	३५·७	३६·५	३८·६	१८·०	३८·७
मंडला	३१·३	४०·२	३०·१	३५·५	३२·१	१५·८	३६·६
होशंगाबाद	१२·०	१२·२	७·६	६·५	८·१	७·७	८·३
निमाड़	६·१	३·७	४·८	७·८	६·७	५·६	११·३
बैतूल	४·१	३·२	३·५	४·६	४·७	३·६	५·५
छिंदवाड़ा	४०·३	३३·४	४३·१	३६·१	३७·०	२७·८	३६·३
वर्धा	१·३	०·२	०·३	०·६	१·०	०·३	१·०
नागपुर	१३·६	५·४	१०·५	१२·०	८·२	६·६	१०·८
चांदा	१०१·५	६८·४	६६·७	११६·६	७१·४	५८·८	६२·१
भंडारा	२०६·६	१५७·१	१७७·६	१६६·२	१४०·७	१४०·६	१४६·६
बालाघाट	१३२·३	१२६·४	१३७·५	१३०·६	१२२·७	६६·८	१२०·६
दुर्ग	२३१·३	१५४·७	२४०·२	२४३·६	२०६·८	१०८·५	१८६·५
रायपुर	४६०·२	२६१·६	५३२·५	५२१·१	३७२·८	३८२·७	३०१·७
बिलास्पुर	३३६·०	२३७·८	४४७·५	३६८·२	३६६·३	१६६·५	३६५·६
अकोला	२·७	२·०	०·[illegible]	२·३	२·८	१·८	२·५
अमरावती	०·६	०·४	०·५	०·७	१·०	०·८	१·६
बुलढाना	०·८	०·४	०·४	०·४	०·६	०·४	०·७
यवतमाल	२·७	१·४	१·०	२·०	२·६	२·०	४·०

गेहूं :—

इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु में खेतों में बखर चलाये जाते हैं ताकि कांस इत्यादि न जमें। मिट्टी में इससे आद्रता बनी रहती है। कई हिस्से ऐसे हैं जहाँकि वर्षा अधिक होती है। वहाँ पर खेतों में बांध निर्मित किये जाते हैं ताकि वर्षा-जल सूखा रहे और मिट्टी आद्र बनी रहे। कांस वगैरह पानी में डूबी रहती है जिससे कि पानी की उर्वरा शक्ति नष्ट नहीं होती है। बुवाई के पहले खेतों से पानी निकाल लिया जाता है। यहां पर भी मिश्रित कृषि होती है। गेंहू और चना साथ-साथ बोये जाते हैं। इसे बिर्रा कहते हैं और यदि दो से अधिक अनाजों का मिश्रण किया जाता है तो उसे गजरा कहते हैं। कभी कभी अलसी का भी मिश्रण किया जाता है। गेहूँ चना और अलसी का गजरा प्रायः रहता है। बिर्रा का सस्यापवर्तन (Rotation) दालों से होता है। गेहूँ का सस्यापवर्तन चना, मसूर, अलसी और तुअर से होता है। गेहूँ का उत्पादन मध्यप्रदेश में सन् १९०९-१० में ३०.६४ लाख एकड़ भूमि पर हुआ था और १९४६-४७ में २८.३३ लाख एकड़ भूमि पर हुआ था। निम्नलिखित तालिका से गेहूँ के उत्पादन और क्षेत्रफल का पता चलता है:—

वर्ष	क्षेत्रफल [हजार एकड़]	उत्पादन [हजार टन]
१९०९-१०	३,०६४.२	..
१९१४-१५	३,२६५.२	...
१९१९-२०	३,१९९.३	१,६७९.९
१९२४-२५	३,३०६.४	१,१७४.२
१९२९-३०	२,९८३.३	१,७८७.३
१९३४-३५	३,६२६.१	१,७५७.४
१९३९-४०	३,१८३.९	१,४५३.१
१९४१-४२	२,९५०.६	८९१.६
१९४६-४७	२,८३३.१	१,४००.६

मध्यप्रदेश के जिलों में गेहूँ का उत्पादन [हजारों टन में]

जिला	१६१६–२०	१६२४–२५	१६२६–३०	१६३४–३५	१६३६–४०	१६४१–४२	१६४६–४७
सागर	२०८·१	२२८·२	३८·०	१७४·०	१३२·६	१०२·४	२६·२
जबलपुर	७८·०	११२·१	६८·७	७३·४	६३·२	१६·१	२२·२
मंडला	२१·०	४३·७	२८·६	२३·८	२३·१	११·८	६·७
होशंगाबाद	१४६·६	१६४·२	१०२·४	१२८·४	६८·१	६३·३	११·४
निमाड़	६·५	११·७	१०·३	१७·३	१६·३	१२·१	०·८
बैतूल	३६·६	४८·८	३५·१	३५·५	३७·३	२६·३	१·४
छिंदवाड़ा	१२७·५	१०७·६	७६·४	७५·८	६२·३	३६·२	११·४
वर्धा	२०·६	१६·५	२१·२	३०·१	२०·१	११·६	३·१
नागपुर	४०·४	३२·५	४७·४	४२·२	२५·७	१८·३	१·२
चांदा	१०·७	१२·२	११·३	१८·०	१४·७	८·०	५·१
भंडारा	१६·०	१८·७	२४·६	१८·६	१४·५	१०·०	१·२
बालाघाट	८·८	६·५	६·३	७·३	५·६	२·२	०·६
दुर्ग	३८·६	३७·१	३६.८	२३·३	२१·२	१४·६	४·०
रायपूर	७·०	७·१	७·१	४·२	४·२	२·६	१·३
बिलासपुर	२५·१	२३·३	२८·६	१५·६	१२·४	८·८	४·६
अकोला	१२·४	१७ ३	६·५	२२·७	२०·२	१५·२	१·०
अमरावती	१४·६	११ ५	१०·[illegible]	१५·२	१५·७	१५·२	०·८
बुलढाना	१४·०	६ २	१३·०	२२·२	१६·४	१०·३	०·६
यवतमाल	३·६	५·६	६·६	१४·७	७·७	१४·१	१·६

ज्वार :—

ज्वार की खेती उन जिलों में अधिक होती है जहाँ पर कपास उत्पन्न होता है। कपास क्षेत्र का खाद्यान्न ज्वार ही समझी जाती है। भूमि और जलवायु कपास के समान ही आवश्यक होती है। अकोला, अमरावती, बुलढाना, नागपुर और यवतमाल जिलों में ज्वार अत्याधिक उत्पन्न की जाती है। सागर, निमाड़, बैतूल, छिंदवाड़ा, वर्धा, और चाँदा जिले द्वितीय श्रेणी में आते हैं। होशंगाबाद और भंडारा में भी ज्वार उत्पन्न होती है। कपास क्षेत्र में एक ही खेत में कपास और ज्वार बोयी जाती है। मध्यप्रदेश ज्वार में आधिक्य वाला राज्य है। इसका उत्पादन और क्षेत्रफल इस प्रकार है :—

वर्ष	क्षेत्रफल (हजार एकड़ में)	उत्पादन (हजार टन)
१६०६–१०	४,८८५·५	..
१६१४–१५	४,२६६·४	१,२७४·४
१६१६–२०	४,३६४·८	१,२४३·४
१६२४–२५	४,१६७·३	६५६·६
१६२६–३०	४,२६२·६	१,०३५·८
१६३४–३५	४,३३३·८	६६१·६
१६३६–४०	४,७६१·२	१,१६२·२
१६४१–४२	४,७३६·४	६७५·८
१६४६-४७	४·७२१·२	८२४·६

कोदों–कुटकी

यह पर्वतीय खाद्यान्न है। चाँवल-क्षेत्र का सस्ता और गरीबों का खाद्य पदार्थ यही अनाज है। सबसे अधिक भूमि मंडला, छिंदवाड़ा, दुर्ग, रायपूर, बैतूल और जबलपूर में है। वैसे होशंगाबाद, सागर और बिलासपुर में भी इसकी कृषि होती है। इसका निर्गमन प्रान्त के बाहर नहीं होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ वर्षा ४०" से अधिक, होती है इसकी खेती की जाती है। सन् १६४६-४७ में १४ लाख ७० हजार एकड़ भूमि पर कोदों-कुटकी बोया गया था तथा कुल उत्पादन १ लाख २७ हजार टन था। कोदों-कुटकी का क्षेत्रफल एवं उत्पादन मध्यप्रदेश के महत्वपूर्ण जिलों में इस प्रकार है :—

मध्यप्रदेश के जिलों में कोंदों-कुटकी का उत्पादन और क्षेत्रफल [सन् १९४६-४७ में]

जिला	क्षेत्रफल (हजार एकड़)	उत्पादन (हजार टन)
जबलपूर	११२·७	६·४
मंडला	२६५·५	२७·०
बैतूल	१५६·४	६·४
छिंदवाड़ा	२५३·६	१७·६
दुर्ग	२४२·३	२४·६
विलासपुर	१२६·७	१२·०

दालें :—

मध्यप्रदेश में तुअर (अरहर), चना, मसूर, उड़द, मूंग, तेवड़ा और बटरा उत्पन्न होता है। इसका निर्गमन अन्य राज्यों को भी होता है। चना और तेवड़ा का क्षेत्रफल अन्य दालों से अधिक है तथा उत्पादन भी अधिक है। १९४६-४७ में इस राज्य में दालों का क्षेत्रफल और उत्पादन इस प्रकार था :—

दालें	क्षेत्रफल (हजार एकड़)	उत्पादन (हजार टन)
तुअर (अरहर)	७५९·८	६८·७
चना	१,३६४·५	१६२·५
मसूर	३०५·२	३२·२
उरदा और मूंग	१,३८१·४	...
तेवड़ा	१,१८७·१	...
बटरा	१७०·७	...
योग	५,१६८·७	

तुअर यवतमाल, बुलढाना, अमरावती, अकोला, वर्धा और नागपूर में सबसे अधिक उत्पन्न होता है। छिंदवाड़ा, निमाड़, दुर्ग, चांदा, रायपूर, बिलासपूर में भी पैदा किया जाता है। उत्तरी मध्यप्रदेश में चना सबसे अधिक होता है। रायपुर, अकोला, बुलढाना और यवतमाल में भी इसकी हलकी खेती होती है। इस राज्य में चने के सर्वोत्तम बाजार गोटेगांव, करेली, गाडरवारा, पिपरिया, रायपुर और दुर्ग में हैं। प्रत्येक विपणि में साल भर में कम से कम ५०,००० टन चने का प्रहस्तन होता है। इस राज्य में प्रायः एक लाख टन चना का विपणि में व्यापार होता है। चने के उत्पादन में मध्यप्रदेश का तृतीय स्थान है। उत्तर-प्रदेश में सबसे अधिक चना उत्पन्न होता है। चने का उपयोग अनेक तरह से किया जाता है। उससे आटा, दाल, बेसन इत्यादि तैयार किए जाते हैं। इस राज्य में चने की दाल की मांग अधिक है। चना गुलाबी, पीला, हरा, (काबुली) इस राज्य में होता है। यहाँ से चना बिहार उडीसा, बम्बई, मद्रास, हैदराबाद और मैसूर स्थानान्तरित किया जाता है। उत्तरी महाकोशल चने का अपने उत्पादन का ५० प्रतिशत निर्यात करता है। नागपुर में चने का सबसे अधिक आयात उत्तरी महाकोशल से होता है। छत्तीसगढ़ के जिले उडीसा, कलकत्ता और मद्रास तक चने का स्थानान्तरण करते हैं।

तेल के बीज :—

इस राज्य में अलसी, तिली, मूँगफली, सरसों, राई तथा अरंडी के बीज मुख्यतः उत्पन्न होते हैं। सबसे अधिक उत्पादन अलसी का है। निम्नलिखित तालिका से इनके सन् १९४६-४७ के क्षेत्रफल और उत्पादन का स्पष्टीकरण हो जायेगा :—

तेल के बीज	क्षेत्रफल हजार एकड़ में	उत्पादन (हजार टन में)
अलसी	६१२·७	४७·७
तिली	३८५·१	३०·७
मूगफली	५५६·४	
सरसों और राई	५६·३	
अरंडी का तेल	३२·३	
अन्य	३०६·८	
योग	२,२५८·६	

अनुमान लगाया गया है कि नारियल के तेल के सिवाय अन्य तेलों के आयात की आवश्यकता मध्यप्रदेश में नहीं है। तेल पेरने की मशीनें इस राज्य में कम हैं। अंदाज है कि करीब ४५ तेल के कारखाने यहाँ पर हैं। यंत्र चालित १७०० घानियाँ भी इसी राज्य में हैं। करीब १,३०,००० टन तेल उत्पन्न किया जाता है। यदि समुचित रूप से तेल निकालने के यंत्रों का उपयोग किया जावे तो ३ लाख टन तेल उत्पन्न किया जा सकता है। बिनौले से सन् सं० १९४८ में १,८८,००० टन तेल निकाला गया था।

तम्बाखू :—

तम्बाखू का उत्पादन अन्य राज्यों की तुलना में नगन्य है। सबसे अधिक तम्बाखू मद्रास प्रान्त में होती है। विभिन्न राज्यों में तम्बाखू का क्षेत्रफल और उत्पादन सन् १९४८-४९ में इस प्रकार है :—

राज्य	क्षेत्रफल (हजार एकड़)	उत्पादन (हजार टन)
मद्रास	३,०४,०००	१,०८,०८०
बम्बई	१,५१,२००	३४,१४५
उत्तर प्रदेश	५७,५६०	३,८५०
आसाम	२२,५००	११,५००
मध्यप्रदेश	८,५१०	२,१८०
मैसूर	२३,७००	४,४४०

इस प्रकार मध्यप्रदेश में प्रायः २१ लाख ८० हजार टन उत्पन्न होता है। वैसे तम्बाखू की कृषि की अवनति इस राज्य में हो रही है। सन् १९०९-१० में ३१ हजार ६ सौ एकड़ भूमि तम्बाखू के आधीन थी। किन्तु सन् १९४६-४७ तक केवल ८ हजार ७ सौ एकड़ भूमि पर तम्बाखू की गयी। सन् १९०९-१० से लगातार तम्बाखू का क्षेत्रफल घट रहा है। यही कारण है कि तम्बाखू के महत्व-पूर्ण कारखाने इस राज्य में नहीं हैं। केवल बिड़ी का उद्योग अत्यंत विकसित है। सबसे अधिक उत्पादन अमरावती और बुलडाना में होता है। इसके बीज सर्व प्रथम ऊँचे स्थल पर बोये

जाते हैं ताकि उनपर पानी न ठहर सके। छोटे छोटे पौधे ७-८ सप्ताहों में तैयार हो जाते हैं। उनकी ऊँचाई ४" से ५" तक होती है तथा उन पर ६-७ पत्ते लगे रहते हैं। इन अंकुरों को १५ या २० इंच के अंतर पर लगा देते हैं। इनके पत्तों को फसल आने पर काट किया जाता है। बाद में इन्हें सुखा लिया जाता है। इस राज्य से तम्बाखू का निर्यात नहीं होता है।

गन्ना :—

इस राज्य में गन्ने का उत्पादन अन्य राज्यों की अपेक्षा अत्यंत-न्यून है। भारतवर्ष में सबसे अधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। मध्यप्रदेश का इसमें नवाँ स्थान है। सन् १९४५-४६ में गन्ने का उत्पादन क्षेत्र इस प्रकार था :—

राज्य	भूमि (हजार एकड़ में)	राज्य	भूमि (हजार एकड़ में)
आसाम	५३	कुर्ग	
पश्चिमी बंगाल	६७	दिल्ली	२
बिहार	३८१	मद्रास	१६१
बम्बई	१२५	उड़ीसा	३५२
मध्यप्रदेश	४१	पूर्वी पंजाब	३१४
		उत्तर प्रदेश	१,८१८

४१,००० एकड़ में से २३,५७६ एकड़ भूमि सिंचित थी। बैतूल, छिंदवाड़ा और बिलासपुर में सबसे अधिक गन्ना होता है। द्वतीय श्रेणी में चांदा, भंडारा, बालाघाट रायपूर और बुलढ़ाना जिला आते हैं। गन्ने से गुड़ बनाया जाता है। इस राज्य में शक्कर के कारखाने नहीं हैं क्योंकि एक ही जिले में इतना गन्ना नहीं होता है कि एक शक्कर का कारखाना स्थापित हो सके। अतः इस व्यापारिक उपज का महत्व नहीं बढ़ पाया है।

कपास :—

मध्यप्रदेश में कपास का उत्पादन "कपास-क्षेत्र" (Cotton Tract) का एकाधिकार है। इस भाग में निमाड़ का जिला, वर्धा, नागपुर, उत्तरी चांदा और पूर्वी भंडारा आते हैं। पहले लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन होता था, किंतु अब छोटे रेशे वाली कपास का उत्पादन बढ़ता जाता है। इसमें जरीला मुख्य है। ७५% जरीला कपास का उत्पादन होता है। १९४६-४७ में मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में कपास की भूमि इस प्रकार थी :—

१९४६-४७ [००० एकड़ में]

जिला	एकड़	जिला	एकड़	जिला	एकड़		
सागर	०·८	छिंदवाड़ा	२३·६	रायपुर	२·५	योग	२,९६६·७
जबलपुर	०·१	वर्धा	२७९·५	बिलासपुर	·४		
होशंगाबाद	१४·८	नागपुर	१००·७	अकोला	६१७·५		
निमाड़	२०४·७	चांदा	३७·३	अमरावती	६०५·५		
बैतूल	३·५	दुग	०·२	बुलढाना	४८३·६		
				यवतमाल	५९२·०		

[उत्पादन ००० गांठ में]

	जिला	१६१०-३१	१६३५-३६	१६३६-४०	१६४२-४३	१६४६-४७
१	सागर जबलपुर	१.२	.६	.४	.२	.१
२	होशंगाबाद	१६.१	१३.८	३.२	२.४	१.४
३	निमाड़	६४.२	८०.६	६५.१	५३.२	३७.७
४	छिंदवाड़ा मंडला, बैतूल	३३.	१३.६	६.५	५.६	३.८
५	वर्धा, नागपूर, चांदा, भंडारा बालाघाट	२०६.४	८८.०	१०१.१	७३.५	५४.१
६	दुर्ग, रायपुर बिलासपुर	.७	.५	.४	.२	.४
७	अकोला, अमरावती, बुलढाना, यवतमाल	७२०.६	४५४.६	५५६.५	४१५.१	३७३.६
	योग	१,०७५.८	६५३.६	७३६.६	५५०.५	४७१.४

उपर्युक्त आंकडों में १६४७ तक उत्पादन संबंधी ह्रास बताया गया है। जिसके अनेकों कारण हैं। किन्तु युद्धोत्तर काल में कपास की भूमि दुगुनी हो गई और १६५१-५२ में मध्यप्रदेश में ६,८०,६३४ गांठ कपास का उत्पादन हुआ। १६२५ के बाद इतना अधिक कपास मध्यप्रदेश में नहीं हुआ था। इस उत्पादन में ८४०००० गांठे अन्य राज्यों को भेजी गई थीं। केवल १४०६५४ गांठों का उपयोग यहाँ की मिलों में हुआ था।

अध्याय ३

खनिज सम्पत्ति

अपने वृहदाकार के कारण मध्यप्रदेश का भारतीय गणतंत्र में अपना विशिष्ट स्थान है। किन्तु यह स्थान न केवल देश के मध्य में स्थित होने के कारण है, वरन अपनी खनिज और औद्योगिक सामर्थ्य के कारण भाविष्यक भारत में मध्यप्रदेश का स्थान अत्यन्त महत्व पूर्ण है। अन्य राज्यों की भांति पूर्व-काल से आज तक मध्यप्रदेश का विशेष उद्योग कृषि ही रहा आया है। किन्तु अपनी वनज, खनिज और कृषज सम्बन्धी शक्ति के आधार पर यह राज्य सरलता से शीघ्रतम प्रगति पा सकता है। ब्रिट्रिश-शासनकाल में भारत की खनिज सम्पत्ति का अल्पतम उपयोग किया गया और वह भी ब्रिटिश हित में ही हुआ * वैसे मध्यप्रदेश के लुहार—आगरिया, सुनार आदि अपनी साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य में उपलब्ध धातुओं से कर लेते थे। खनिज सम्पत्ति के क्षेत्र में मध्यप्रदेश का स्थान भारत में काफी महत्व पूर्ण है और भविष्य में जब कि भारत में भू-गर्भ में पड़ी हुई धातुओं का समुचित स्थानीय उपयोग किया जायगा तब मध्यप्रदेश का अनन्य स्थान हो जायगा। दुर्भाग्य से मध्यप्रदेश अपने महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के प्रत्यक्ष उपयोग से अधिकाँश वंचित रहा आया है। भारत के मध्य में स्थित होने के कारण भी मध्यप्रदेश को खनिज पदार्थों के उचित उपयोग के अव सर पर विशेष लाभ की आशा है।

---

* "The work of the Geologists in India was mainly to promote the export of raw materials rather than to encourage industrial development in this country."

Sir Cyril Fox

Director of Geological Survey

मध्यप्रदेश में इस युग की बहुधा सभी धातुयें सुलभ हैं। इनमें कोयला, लोह-धाऊ (Iron-Ore) मैंगनीज-धाऊ (Manganese Ore), बाक्साइट (Baux-ite,) चूना-पत्थर (Lime Stone), सोडा और नमक, स्टेटाइट (Steatite), टंगस्टेन (Tungsten), रेत (Sand), क्वारट्ज (Quartg), फेल्सपर (Felspar), मिट्टी कांच की भूमि (Ceramic Clays), तांबा ग्रेफाइट आदि मुख्य हैं। दुर्भाग्य से अभी तक वैज्ञानिक ढंग पर इन खनिज पदार्थों का पूर्ण रूप से आकलन नहीं किया गया है। (१) पता नहीं कितने विस्तार वाले खनिज क्षेत्र यहाँ अवस्थित हैं। भंडारा के समीप अचानक ही पारा के क्षेत्रों का पता चलना, इस की पुष्टि करता है।

कोयला

कोयले के क्षेत्र में मध्यप्रदेश में काफ़ी विस्तार के साथ कार्य किया गया है और मध्यप्रदेश की औद्योगिक प्रगति में स्थानीय कोयले की उपलब्धि ने पर्याप्त योग प्रदान किया है। मध्यप्रदेश में कोयले के विशाल निक्षेप (Deposits) मौजूद हैं। इस विषय पर विस्तार पूर्वक वर्णन आगे के अध्याय में किया गया है। यहां अन्य खनिज पदार्थों के साथ संक्षिप्त परिचय दिया जाता है।

---

(१) "The mineral resources of the Province (M. P.) have not been properly surveyed and nobody knows the extent of deposits of most of these minerals. The avaiable data regarding estimated supply of some important minerals are also meagre."

The Industrial Development of C P. & Berar,
Retrospect and Prospect
K. D. Guha (Page 5)

भारत के कोयला क्षेत्रों के उत्पादन का वितरण

टन में उत्पादन १६४७	राज्य	क्षेत्र
७६,४६,३५७	प० बंगाल	रानीगंज
१,७३,१८,१६५	बिहार	झरिया, बोकारो, गिरीडी, राजमहल पहाड़ी ।
४,३१,७४२	उड़ीसा	पालमाड, रामपुर, रामगढ़, उत्तरी दक्षिणी करणपुर
८,६६,०२६	मध्यभारत	उमरिया, सोहागपुर, सिंगरौली
२५,६०,४११	मध्यप्रदेश	मोहपानी, शाहपुर, पेंचघाटी, यवत-माल, बल्लालपुर
११,६३,०७७	हैदराबाद	सास्ती, तेंडुर, सिंगारेती
६२,०६६	राजस्थान	बीकानेर
३,५५,००१	आसाम	नाजरिया, माकूम
८,६२७	काश्मीर	

मध्यप्रदेश के कोयला क्षेत्र को तीन भागों में विभाजित किया जाता है:—

[१] छत्तीसगढ़—महानदी का क्षेत्र।
[२] सतपुड़ा का क्षेत्र ।
[३] वर्धा का क्षेत्र ।

महानदी के क्षेत्र में ही कुछ प्रथम श्रेणी का कोयला पाया जाता है। अन्‍ मध्यप्रदेश का कोयला रानीगंज, और झरिया के कोयले से हीन गुण वाला है वर्गीकरण संस्था (Coal Grading Board) ने यहां के कोयले को द्वि तृतीय श्रेणी का घोषित किया है। यहाँ के कोयले में १५ से २५ प्रतिश तत्व हैं और प्रति ग्राम (Gram) ५५०० से ६५०० केलारी की प्राप्ति यहाँ के तीनों कोयला क्षेत्रों में से १७,००० मिलियन टन कोयला की

संभावना है। इस १७००० मिलियन टन में डा० सिरिल फ्राक्स के अंदाज से ५१५० मिलियन टन संचिति पर कार्य किया जाता है। डा० फ्राक्स ने इस ५१५० मि० टन का विभाजन इस प्रकार किया है :—

छत्तीसगढ़—महानदी क्षेत्र—१००० मि० टन	
सतपुड़ा-क्षेत्र	१५० मि० टन
वर्धा क्षेत्र	४००० मि० टन
योग	५१५० मिलियन टन

मध्यप्रदेश में कोयला प्राप्ति का कार्य छत्तीसगढ़-महानदी क्षेत्र के बिलासपुर जिले में, सतपुड़ा क्षेत्र के छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों में एवं वर्धा क्षेत्र के चांदा और यवतमाल जिलों में किया जाता है। इनमें प्रमुख केन्द्र की घाटी (छिंदवाडा जिले) और बल्लारपुर (चांदा जिले) में उपलब्ध हैं। मध्यप्रदेश का कोयला साधारणतया कोक (Coke) निर्माण के लिए उपयोगी नहीं है। फिर भी छिंदवाड़ा में उपलब्ध कोयला इस दृष्टि से भी उपयोगी सिद्ध हुआ है।

कोयले की किस्म का अंदाज नीचे दिए टेबिल से लगता है :—

Moisture	9.00%	10.96%	8.40%
	Ultimate Analysis of Dried Sample		
Carbon	60.82	60.96	60.04
Hydrogen	4.43	4.28	4.39
Nitrogen	1,29	1.21	1.30
Sulpher	0.93	1.10	0.30
Ash	21.00	19.00	19.65
Oxygen (by difference)	12.53	13.45	14.32
al	100.00	100.00	100.00

Analysis on Dried Sample

Volatiles	30.60	32.40	32.30
Fixed Carbon	47.80	47.90	49.50
Ash	21.60	19.70	18.20
Total	100.00	100.00	100.00

Calorefic Value on Dried Sample

Nature of Coke	Non-coking Porous	Non-coking high grey	Non-coking Light Brown
Calories Per Gramme	6052	5941	6133
B. Th. U per lb	10894	10694	11029

लोहा और इस्पात

अत्यंत पुरातन काल से ही भारत लोहा और इस्पात की वस्तुओं के निर्माण में विख्यात रहा आया है। स्वदेशीय पद्धति से लौह-निर्माण में मध्यप्रदेश को वर्त्तमान काल में प्रथम स्थान प्रदान किया जा सकता है। जब भारत में बड़े पैमाने पर लोह उद्योग की स्थापना का प्रयत्न किया गया, तब श्री जमशेद जी टाटा ने समस्त सद्भावना से चांदा (मध्यप्रदेश) में ही इसकी स्थापना करना चाही थी। किन्तु, यहाँ कोकिंग कोयला (Coking Coal) का अभाव था। अतः वे अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए साक्ची में टाटानगर बसाने गए।

मध्यप्रदेश में लोह-धाऊ (Iron Ore) के विशाल क्षेत्र यत्रतत्र विद्यमान हैं। लाखों टन तक धाऊ इन क्षेत्रों से प्राप्त की जा सकती है। प्रमुख लोह क्षेत्रों में चांदा जिले का लोहारा, नरसिंहपुर सबडिवीजन (होशंगाबाद जिला) का उमरपानी और दुग जिले के डोंडी और लोहारा गराय हैं। मध्यप्रदेश के कुछ लोह धाऊ क्षेत्रों

को सामर्थ्य का आंकलन निम्न आंकड़ों से प्राप्त हो सकता है; किन्तु आंकड़े सम्पूर्ण नहीं हैं :—

स्थान	मिलियन टन में संभावित संचिति
दुर्ग जिला (डोंडी लोहारा जमींदारी)	
राजहारा पहाड़	७·५
राजहारा पहाड़ का पश्चिमी भाग	३७·५
झारदली के दक्षिण में	२४
कोंडेकासा	२५
कोंडेकासा के दक्षिण में	२०
	११४
(चांदा जिले का लोहारा पहाड़)	२
जबलपुर (१)	४६

चांदा जिले के लोहारा (२) का क्षेत्र एक टीले पर, जो ६५० गज लंबा, २०० गज चौड़ा और १२० फीट ऊंचा है, उपलब्ध है। यहाँ की ही धाउ प्रान्त की अन्य धाउओं से अच्छी किस्म की है। दुग के डोंडी लोहारा क्षेत्र दक्षिण में पहाड़ियों पर स्थित हैं। सबसे स्पष्ट डल्ली और राजहारा की पहाड़ियाँ हैं जो बीस मील की एडी-टेढ़ी लाइन में हैं, जिसकी ऊंचाई ४०० फीट तक हो जाती है। यहाँ से प्राप्त कुछ धाउओं के नमूने के आधार पर तलवर्ती (Surface) ६६·३५ लोहा, ०·०५८ फ़ासफ़ोरस, ०·१०८ गंधक, १·४४ सिलीसिया, ०·१५१ मेंगनीज़ का विश्लेषणात्मक निष्कर्ष निकला, जबकि गहराई पर (Deeper Layers) में प्राप्त लोह धाऊ में ६८·५६ लोहा, ०·०६४ फ़ासफ़ोरस, ०·०७१ गंधक, ०·७१ सिलीसिया, ०·१७५ मेंगनीज़ की विश्लेषणात्मक उपलब्धि हुई थी।

(१) "No quantitative estimate of Narsinghpur or Jabalpur ore has been made."

—Rao Committee Report,
Page 24

(२) 'लोहारा' नाम ही लोहे पर आधारित है।

Statement No VII Analysis of Chanda Iron Ore (१)

Place	Fe	Sio 2	S	P
Asola	65.99	3.89	—	—
Dewalgaon	61.2	11·04	—	—
Lohara	69·21	0·82	0·012	0.005
Pipalgaon	71.95	4.5	—	—
Poser	69.8	—	—	—
Ratanpur	49.7	26.0	—	—

मेंगनीज़

मध्यप्रदेश का सर्वोत्तम और आर्थिक दृष्टि से लाभकारी खनिज पदार्थ मेंगनीज़ है। यहाँ के मेंगनीज़ निक्षेपों की गणना विश्व के सर्वश्रेष्ठ निक्षेपों में की जाती है। मेंगनीज़ की उत्तमता का अंदाज इस सारिणी से किया जा सकता है।

धातु	बालाघाट %	भंडारा %	छिंदवाड़ा %	नागपुर %
मेंगनीज़	५१·८८	५१·६४	५२·७२	५१·५३
लोहा	७·४०	७·२७	७·०८	६·२४
सिलीसिया	३·७४	४·५६	७·१६	७·२५
फ़ासफ़रस	०·११	०·१४	०·१४	०·११
आर्द्रता	०·३७	०·४४	०·३८	०·४६

मध्यप्रदेश में मेंगनीज के क्षेत्र विशेष रूप से बालाघाट, भंडारा, छिंदवाड़ा और नागपुर में प्रसरित हैं। १६४० के अनुमान के अनुसार यहाँ १०·५ मिलियन टन प्रथम कोटि (First Grade) और ३ मिलियन टन द्वितीय कोटि (Second Grade) मेंगनीज संबंधी संचिति (Reserve) थी परन्तु, १६४० के बाद मेंगनीज की खदानों में से धातु के निकालने से संबंधित प्रगतिपूर्ण परिवर्तन हो गए हैं। अतः संचिति की आयु और भी बढ़ जाती है। मध्यप्रदेश के मेंगनीज़ क्षेत्रों का शासन की ओर से ठेकों (Leses) द्वारा विविध मेंगनीज प्रमंडलों को

(१) Ibid Page 145.

अधिकार दिया जाता है। इन प्रमंडलों में सर्व प्रमुख सेंट्रल प्राविंसेज मेंगनीज ओर कंपनी (Central Provinces Manganese Ore Company) है। इसके अतिरिक्त The Central India Mining Company (Nagpur and Bhandara), The India Manganese Company limeted (Nagpur and Chhindwara), Messers P. C- Dutt and Burn & Co., Doogara Mining Syndicate, Nagpur आदि भी गएय हैं।

मध्यप्रदेश ने मेंगनीज के उत्पादन में काफ़ी प्रगति की है। १६०७ में रूस विश्व का सबसे बड़ा मेंगनीज़ उत्पादक था, किन्तु १६०७ के बाद भारत ने खूब प्रगति की और रूस भी पिछड़ गया। (१) भारत में मेंगनीज उत्पादन में मध्यप्रदेश का अर्ध-एकाधिकार है (Quasi Monopoly) मध्यप्रदेश के अतिरिक्त भारत में मद्रास, उड़ीसा, बम्बई, और मैसूर में भी मेंगनीज की प्राप्ति होती है। किन्तु मध्यप्रदेश इस दिशा में अग्रणी है। निम्न तालिका से यह बात स्पष्ट होती है :—

भारत में मेंगनीज़ का वितरण लांग टन में

राज्य	उत्पादन
मध्यप्रदेश	६४६४६५
मद्रास	३३८०६
उड़ीसा	७६६६१
बम्बई	६१५६८
मैसूर	५३२३

(१) "Prior to 1907 Russia was the world's largest producer of Manganese ore, but in the early part of the century manganese deposits in India, mainly in C. P. were being rapidly opened up, and especially after 1904, output increased so remarkably that in 1907, the production reached 902291 tons, outstripping the yield in Russia"— S. K. Baroosh

मध्यप्रदेश में मेंगनीज प्राप्ति की और तत्संबंधी व्यापार का सक्रिय कदम १८६६ के बाद उठाया गया, जब कि एक प्रमंडल को लाइसेंस प्रदान किया गया। १६०० में सबसे पहिला जहाज यहां का मेंगनीज लेकर विदेशों को गया। इसके बाद मेंगनीज उद्योग में प्रगति होती गई। यह प्रगति मेंगनीज—उत्पादक जिलों के आंकड़ों के अनुसार इस प्रकार है (१)

भारत में मेंगनीज़ निर्यात सम्बन्धी आंकड़े इस प्रकार हैं
१६३०—१६५१

बर्ष	विजगापट्टम	बम्बई	कलकत्ता	मरमागोआ
१६३०	४५००	२,६७,७३८	३,००,२११	१,७०,५७७
१६३५	४१,२६,८३	६४,१००	२,२५,५०४	१,६२,४११
१६३६	३३,७३,४६	५५,४६६	२,६१,५७५	१,२८,२२६
१६५१	६१०	?	१,६५,४४८	३६.७,५६८

मध्यप्रदेश में मेंगनीज़ का बीसवीं शताब्दी में उत्पादन

वर्ष	बालाघाट	भंडारा	छिंदवाड़ा	नागपुर	योग
१६०१	३,८३६	४६६		७६,६२५	८१,२६३
१६०५	१६,२४६	३५,२३८		१,००,०६३	१,५१,५४७
१६१४	२,२१,१५१	८२,०५५	८७,११४	१,७४,५६२	५,६४,६६०
१६१८	२,१४,६७२	३२,२४५	७२,३६८	१,१८,६४८	४,३८,८४१
१६२६	३,३६,५७६	१५,२,८५८	४२,२४२	२,२६,५८६	७,६१,३६५
१६२६	२,६३,१०५	१५,६,५२५	२६,८१४	१,७२,५५६	६२,२०,१३
१६३३	२०,०५१	६०	८,२८८		२८,७८६
१६३७	३,६६,५३२	१,५३,२३०	१०,४८	१,४१,३६७	६,६५,१७७
१६४८	७८,७०५	३८,०६०	५	४५,७६६	३,४५,६०६

(१) "A short note on the manganese Industry in Central Provinces"—Page 11.

टाटानगर स्थित लोह उद्योग में मध्यप्रदेश के कुल मेंगनीज उत्पादन का कुछ अंश ही तो देश में उपभुक्त होता है और शेष विदेशों को भेज दिया जाता है। मध्य-प्रदेश में लोहा उद्योग का बड़े पैमाने पर अत्यधिक अभाव होने के कारण मेंगनीज का बिलकुल भी उपयोग नहीं होता। मेंगनीज के निर्यात के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश को सबसे बड़ी बाधा बन्दरस्थान की है। यहाँ से समुद्री तट ५०० मील से कम दूर नहीं है। इसलिये मेंगनीज को समीप के बन्दरस्थान तक पहुँचने का व्यय भी काफ़ी हो जाता है। (१) साथ ही शासन को भी निर्यात कर के रूप में काफ़ी आय होती है। मार्च १६४८ से फरवरी १६४६ तक भारतीय बन्दरस्थानों से निर्यात किये गये मेंगनीज से भारत सरकार को ३४,४२,२४१ रुपयों की प्राप्ति हुई। इस विपुल राशि में २३,८८,५०४ रुपयों की प्राप्ति मध्यप्रदेश के मेंगनीज के निर्यात से प्राप्त हुए। आवागमन की सुविधाओं की वृद्धि और देश में औद्योगिक प्रगति से मध्यप्रदेश का मेंगनीज उद्योग काफ़ी प्रगति करेगा। सबसे बड़ा लाभ तब होगा जब यहाँ पंचवर्षीय योजना के आधार पर बड़े पैमाने पर लोह उद्योग की स्थापना होगी। विद्युत् शक्ति की सस्ती सुलभता भी मेंगनीज उद्योग को बहुत लाभप्रद सिद्ध होगी। अभी मध्यप्रदेश में फेरो मेंगनीज (Ferro manganese) के उत्पादन की व्यवस्था नहीं हो पायी है।

---

(१) "The average mining costs in the C. P. including labour, tools, plant and administration--total about Rs. 4-4-0. per ton. Freight to Vizagapatam may be about Rs. 10-8-0. Port charges may be Rs. 1-7-at Vizagapatam and Rs. 1-13-0 at Calcutta to which may be added agents commission and other expenses amounting to 3-5 annas. Hence the total cost of delivering Manganese from C. P., F. O. R. Vizagapatam or Calcutta may be Rs. 14 or Rs- 17. In other ports of India costs may be lower; as many of the deposits are right at the surface and actual mining cost may be less than Rs. 2 in some cases where little or no sorting is necessary."

बाक्साइट (Bauxite)

मैंगनीज की ही भाँति मध्यप्रदेश में औद्योगिक प्रगति के लिये उपयोगी बाक्साइट की प्राप्ति होती है। बाक्साइट के समृद्ध और विशाल निक्षेप इस राज्य में उपलब्ध हैं, किन्तु अभी तक अविकसित स्थिति में हैं। सबसे अच्छे निक्षेपों में बालाघाट जिले के बैहर एवं जबलपुर जिले के कटनी के क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। (१) इसके अतिरिक्त मंडला और सिवनी सब डिवीजन के बाक्साइट के निक्षेप भी अच्छे निक्षेपों में गिनाये जा सकते हैं। मध्यप्रदेश की औद्योगिक प्रगति हीनता के कारण बाक्साइट का उचित उपयोग अभी तक नहीं हो पाया है। अल्यूमीनियम के उद्योग के लिये बाक्साइट की अत्यन्त आवश्यता पड़ती है। सीमेंट और रिफ्रेक्टोरीज के लिये भी यह एक आवश्यक पदार्थ है। मध्यप्रदेश से आसनसोल, बंगाल और उत्तरप्रदेश को एल्मूनियम के उद्योग निमित्त इसका निर्यात होता है। कटनी के समीप एल्यूमीनियम उद्योग की स्थापना का विचार आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से बड़ा ही लाभप्रद सिद्ध होगा। मध्यप्रदेश में सस्ता और समर्थ विद्युत प्रसार इस दृष्टि से हितकारी होगा। इस बात पर जोर देने की जरा भी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि लोहे के बाद धातुओं में अल्यूमीनियम का ही महत्व है।

---

(१) The quality of the material can be judged from the following table :—

Jabalpur District

	Range	Average of better grades	Best Grades 1	2	3
SiO	1-20	2·5	1.10	1.20	0.08
TiO_2	5.11	8	8.75	7.01	11.61
Al_2O_3	40-65	60	61.30	60.49	65.48
Fe_2O_3	2-8	3-4	2.50	2.50	3.77
Moisture	0.3-1.5	0.5	0.01	0.27	1.06
Combinedwat	19.29	2.6	25.55	28.53	18.32

भारत में बाक्साइट का उत्पादन

स्थान	१६४८	१६४६
बिहार	५,२२६	२५,०४६
बम्बई	२,१००	५००
मध्यप्रदेश	१३,३३७	१५,५२१
मद्रास	१,४६२	१,४७१
योग	२२,१५५	४२,५४१

सोडा और नमक :—इस दृष्टि से भी मध्यप्रदेश असंपन्न नहीं है। मध्य-प्रदेश के बुलढाना जिले की लोनार झील में सोडा और नमक की प्राप्ति की जा सकती है। इसका कारण वहाँ की तत्सम्बन्धी प्रतिशत प्राप्ति की पर्याप्त रूप से उप-लब्धि है। १६१० में किये गये एक अनुमानात्मक अध्ययन के अनुसार लोनार के जल में जब कि झील की अधिकतम गहराई २ फीट थी, तब पानी में २००० मेट्रिक टन सोडियम कार्बोनेट था एवं १'५ मीटर की गहराई वाली सतह पर ४५०० टन सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति गंदले जल से की जा सकती थी। उसी जल में बढ़े हुए प्रतिशत में बाईकार्बोनेट और खाने का नमक प्राप्त किया जाता है।(१)

अन्य स्फुट खनिज पदार्थों के बारे में मध्यप्रदेश के उत्पादन और मध्यप्रदेश की भारत में तत्सम्बन्धी स्थिति का पता संक्षिप्त में निम्न लिखित आंकड़ों से ही हो जाता है।

---

(१) निम्नलिखित सारणी से भारत से नमक उत्पादन का वर्णन प्राप्त होता है।

वर्ष	मिलियन टन में उत्पादन
१६४६	३८
१६४७	५२
१६४८	६३
१६४६	५५
१६५०	७१
१६५१	७६

[India & Pak Year Book 1952]

फेल्डस्पर (Feldspar) (१)

स्थान	१९४८	१९४९
अजमेर मारवाड़	३६३	२५
बंबई	१४०	२२४
मध्यप्रदेश	४४६	३२५
मैसूर	——	१७०
राजस्थान	५	६२
विन्ध्यप्रदेश	——	१३
योग	९८७	८४९

फुलर्स मिट्टी (Fullers Farth) (२)

स्थान	१९४८	१९४९
मध्यप्रदेश	८७	
राजस्थान	२७४३	२२००
जैसलमेर (राजस्थान)	१७५	
जोधपुर	३००६	४८५२
योग	६०११	४८५२

१, India And Pakistan Year Book, Page 212.

ओचर (Ochre) (१)

स्थान	१९४८	१९४९
हैदराबाद		१०
मध्यप्रदेश	१,१९७	२,८४२
मद्रास	४,६१६	९८६
मैसूर	७३	१०२
राजस्थान	३५०	१४५
विन्ध्यप्रदेश	४,३२१	१,८८६
योग	१०,५५७	५,९७१

स्टेटाइट (Steatite) (२)

स्थान	१९४८	१९४९
बिहार	७४६	८७५
हैदराबाद	४६	८७
मध्यप्रदेश	२,७४६	२,२८१
मद्रास	२७४	५५५
मैसूर	१७७	१३४
उड़ीसा	७९४	७६३
राजस्थान	१३,१७३	१६,४३९
उत्तरप्रदेश		६१
योग	१८,०९६	२१,१९५

१. India and Pakistan Year Book —Page 213

चूना-पत्थर (Lime-Stone)

चूना-पत्थर की उपलब्धि यत्र-तत्र मध्यप्रदेश में होती है, किन्तु जबलपुर जिले की कटनी तहसील का चूना विशेष रूप से प्रख्यात है कटनी के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ और चांदा के आसपास पर्याप्त चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। कटनी से अन्य राज्यों को चूना निष्क्रमित किया जाता है, किन्तु स्वयं मध्यप्रदेश में इसकी औद्योगिक प्रगति-हीनता के कारण उपयोग नहीं बढ़ा है। केवल कैमोर के सीमेंट उद्योग के लिये ही मध्यप्रदेश में इसका उपयोग किया जाता है। खाने और पुताई के लिये साधारण प्रकार के चूने का उपयोग किया जाता है।

उपर्युक्त खनिज पदार्थों के अतिरिक्त विभिन्न उद्योगों के वर्णन में तत्सम्बन्धी उपयोगी खनिज पदार्थों का वर्णन भी किया गया है।

अध्याय ४

कोयला सम्पत्ति

वर्त्तमान युग में उद्योग धंधों के संचालन एवं संचार के लिये विद्युत् और कोयला अत्यन्त आवश्यक हैं। किसी भी मनुष्य के लिये खाद्यान्न जितना उपयोगी है उतना ही उपयोगी कोयला उद्योग धन्धों के लिये है। पाश्चात्य देशों में विद्युत् का उत्पादन द्रुत गति से किया जा रहा है जिससे कोयला की खपत अन्य देशों में भारत जैसी नहीं है। कुछ ही दिन हुए जबकि भारतीय कोयले की मांग ब्रिटेन जैसे उद्योग प्रधान देश में हुई थी। भारतवर्ष में जल विद्युत् का निर्माण इन देशों की तुलना में देश के साधनों को दृष्टिगत रखते हुए उपेक्षनीय है। भारतवर्ष की समस्त जलशक्ति का केवल अढ़ाई प्रतिशत अभी तक उपयोग में लाया जा सका है। अतः उद्योग-धन्धों की अधिकांश मांग की पूर्ति कोयले से ही होती है। यह उल्लेखनीय है कि कामनवेल्थ राष्ट्रों में कोयला उत्पन्न करने में भारतवर्ष का स्थान द्वितीय है। कोयला का उत्पादन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्यभारत, मध्यप्रदेश, हैदराबाद, आसाम और राजस्थान में होता है। सम्पूर्ण देश में कोयले का उत्पादन प्रायः तीन करोड़ टन है और करीब १००० खदानों में से यह पदार्थ निकाला जाता है। इसमें से केवल ६% कोयला मध्यप्रदेश की खदानों से निकाला जाता है। जबकि बिहार में यह ५५ प्रतिशत और बंगाल में २८ प्रतिशत है। कोयले की आवश्यकता हर प्रकार के धन्धों के लिये होती है। विद्युत् के संचार में भी इसका हाथ रहता है। भारतवर्ष में कोयले की खपत रेल, लोह-उद्योगों, कपड़े के कारखानों और पाट के कारखानों में अधिक होती है। निम्नलिखित तालिका से उक्त कथन का सत्यता सिद्ध होती है :—

१९४५ में विभिन्न उद्योग धन्धों में कोयले की खपत (टन में)

उद्योग धन्धे	खपत	प्रतिशत
रेलें	६,५७३,७२७	३१·६
लोह उद्योग	२,६११,४८६	२४·४
कपड़े के कारखाने	२,०१०,८२०,८२०	६.७
इट इत्यादि	३५३,७१६	३·६
सीमेंट	८८६,५६०	४ (प्रायः)

मध्यप्रदेश में कोयले का संक्षिप्त इतिहास

शक्ति के संचार में मध्यप्रदेश में कोयले का अपना निराला स्थान है। इस उपक्रम में मध्यप्रदेश अन्य प्रदेशों से पीछे नहीं है। कोयले की साधारण खदानें सन् १७७४ में रानीगंज में पायी गयीं। किन्तु इसमें विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में रानीगंज में कई नई खदानों की प्राप्ति हुई। सन् १८५८ से १८८० तक इस क्षेत्र में प्रायः ५० खदानें थीं। इस काल में खदानों के स्वामियों को भूमि स्वामियों से अधिकार प्राप्त करने के लिये समझौता करना पड़ता था। कभी-कभी न्यायालयों की भी शरण लेनी पड़ती थी जिससे कोयले के उत्पादन में व्यय अधिक होता था। फलतः कई खदानों से कोयला निकाला जाना स्थगित कर दिया गया। मध्यप्रदेश में सबसे पहले मोहपानी में सन् १८३८ में कोयले की खदान का काम चला। यहां से बम्बई २०६ मील बैलगाड़ी भर कोयला भेजा गया। वहाँ पर जांच करने पर पता चला कि मोहपानी का कोयला उद्योग-धन्धों के लिए उपयुक्त है। अतः सन् १८६२ में यहां की खदान में कोयला निकालने का कार्य नियमित रूप से प्रारम्भ हुआ। कोयले के उत्पादन का खर्च दिनों दिन बढ़ने लगा। अतः सन् १९०२ में यहां से दो मील दूर गोटेटोरिया में कोयले की खदान शुरू की गयी। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने यहां से प्रायः २५ वर्षों तक कोयला निकाला। सन् १९२७ में अनेक कठिनाइयों के कारण और बिहार प्रान्त के बेकारो क्षेत्र में उच्च श्रेणी का कोयला मिलने से गोटेटोरिया में कोयले का उत्पादन बन्द कर दिया गया। सन् १९२६ में इस खदान में ७१,४८२ टन कोयला प्राप्त हुआ था। आज भी, अनुमान है कि, इस क्षेत्र में ७० लाख टन कोयला संचित है।

सन् १८७० में वर्धा नदी की घाटी में घुघुस नामक स्थान पर मेयो नाम की कोयले की खदान का कार्य प्रारम्भ हुआ। शीघ्र ही इसे भी बन्द करना पड़ा। सन् १८७३ में पुनः यहाँ पर कार्य शुरू किया गया, किन्तु इसका भी वही हाल हुआ। सन् १९०६ में ३३ वर्षों पश्चात् इसे भी बन्द करना पड़ा। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् मेयो खदान से एक मील दूर राजुर में कोयले के निकालने का कार्य शुरू किया गया। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक बल्लारपुर में भी स्वर्गीय सर एम. बी. दादाभाई ने कोयले की खदान स्थापित की। चांदा के समीप, महाकाली, बालपेठ और लालपेठ में भी कोयला प्राप्त हुआ। पेंच की घाटी में छिंदवाड़ा जिले में सबसे पहिले सन् १८६६ में बड़कुही

में कोयले की खदान शुरू की गयी। प्रायः ४० वर्षों तक इस खदान का सम्पर्क रेल से नहीं रहा। सन् १६०५ में बंगाल नागपुर रेलवे ने यहां तक रेलमार्ग का निर्माण किया। इससे आसपास के क्षेत्रों में भी नई खदानों की शुरूआत हुई। सन् १६१५ में जी. आई. पी. रेल्वे ने भी आमला से इसे जोड़ दिया। सन् १६०५ में कोयले का उत्पादन केवल ११०५ टन था और १६१५ में यही १ लाख टन था। आजकल कोयले का उत्पादन प्रायः सवा लाख टन है। कलकत्ता की शा वालेस कम्पनी ही अधिकांश खदानों की स्वामी है। इस प्रान्त में प्रायः ४६ कोयले की खदानें, छत्तीसगढ़, सतपुड़ा की तराई, और वर्धा नदी की घाटी में स्थित हैं। पिछली शताब्दी के अन्त में भारत सरकार के भूमीक्षक (Surveyor) डाक्टर सीरिल फ्राक्स ने मध्यप्रदेश की कोयले की खदानों का वर्णन इस प्रकार किया था:—

कोयले के मुख्य क्षेत्र	खदानें	आनुमानित संचय (लाख टन में)
सरगुजा	तातापानी-रामकोला	३५
	विसरामपुर	
	बांसर	
	लखनपुर	
	पचमौनी	
बिलासपुर	दमहामुमेला	
	सांदुरगढ़	४००
	हँसदो-आरंद (रायपुर)	
	कोरबा	२५००

झिलमिली	झिलमिली	३५
कोरिया	सांहट झागराखंड कुर्सिया कोरियागद	३४०
उदयपुर (रियासत)	मांदनदी कांकानी	
रायगढ़	रायगढ़-हिमगिया	
नरसिंहपुर	मोहपानी	४०
बैतूल	शाहपुर सोंदा सुकीनदी या गरगुँडा भाचना या मरदानपुर गोलई या कातासुर धुलहारा पाठाखेडा ब्राहम्णाबाडा या खापा तवा नदी की ऊपरी घाटी	
छिंदवाड़ा-कन्हान नदी की घाटी	दामुआ-कालाछपरा घोड़ावाडी-कोल्हिया पनारा-जिनौर दांतला-जामई टिगला देवी या घोघरी	

पेंच नदी की घाटी	गजनदोह बरकुट्टी-,मेजरिया-भुटारिया चांदामेटा-डोंगर चिरखली एकलेरा-न्यूटन सिरवली परासिया-खिरसाडोह खानवाड़ा-हरई दीघाबानी-छिंदा सिरघोडा-हरनभट्टा	१५०
चांदा	बांदर	१००
	बरोरा	१२०
	घुघुटम-तेलवासा	१५०००
	चांदा शहर क्षेत्र	
	बल्लारपुर	२०००
	वामनपल्ली	१५०००
	कोटा-चिकमाला	
	सिरोंचा	
यवतमाल	राजूरया	२४००

संचित कोयला :—समय-समय पर भारत सरकार के विशेषज्ञों ने कोयले की संचिति का भूमापन किया। इनमें सन् १६३२ का डा० फ्राक्स का भूमापन विश्वसनीय माना जाता है। समस्त देश में कोयले की खदानों में इस खनिज पदार्थ का भंडार ६००० करोड़ टन डा० फ्राक्स ने आंका। इसमें से मध्यप्रदेश की कोयले

(१) उपरोक्त तालिका डा० फ्राक्स के भूमापन के अनुसार तैयार की गयी है, किन्तु आनुमानित संचय के आंकड़े 'इंडियन कील फ़ील्डस् कमेटी' से लिए गए हैं।

की खदानों में २४०० करोड़ टन भंडार भरा पड़ा है। इसमें उड़ीसा की तालचर की खदानें और हैदराबाद की बेड़ाडानुक की खदानें भी सम्मिलित हैं। अतः औसतन मध्यप्रदेश का कोयले का भंडार २००० करोड़ टन माना जा सकता है। डा० फ्राक्स ने इन संपत्तियों में से ५०० करोड़ टन कोयला उत्तम श्रेणी का बताया और मध्यप्रदेश में यही ३१ करोड़ टन निश्चित किया गया। तालचर और सिगरेनी के उत्तम श्रेणी के कोयले की राशि औसतन १ करोड़ टन मानी जा सकती है। इसलिये इस राज्य की खदानों में ३० करोड़ टन कोयला होना चाहिये। सन् १६३७ में कोयला खदान समिति (Coal Mining Committee) ने डा० फ्राक्स के आंकड़ों का पुनः निरीक्षण किया। समिति ने अंदाजा लगाया कि उत्तम श्रेणी के कोयले का भंडार भारतवर्ष में ४८८.६१ करोड़ टन है अर्थात् पाँच वर्षों में प्रायः ११ करोड़ टन उत्तम कोयले के भंडार की क्षति हो गयी है। सन् १६४६ में भारतीय कोयला खदान समिति ने सावधानी से कोयला के संचय का अनुमान लगाया और निर्धारित किया कि भारतवर्ष में उपयोगी (Workable) कोयला खदानों में १६४८.४ करोड़ टन भरा पड़ा है। मध्यप्रदेश में उपयोगी कोयले का भंडार १.४३ करोड़ टन बताया गया।

कोयले का उत्पादन

इस राज्य में कोयले के उत्पादन में सन् १६२० से वृद्धि हो रही है। इस वर्ष कुल उत्पादन ४,६१,२०५ टन था। सन् १६४५ में यही १६,४६,२४३ टन था, अर्थात् २५ वर्षों में कोयले के उत्पादन में इस राज्य में ११,५७,६३८ टन से वृद्धि हुई। इसी काल में समस्त देश में कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई वह मध्यप्रदेश की १० गुनी थी। निम्नलिखित तालिका से स्थिति का स्पष्टीकरण हो सकता है :—

मध्यप्रदेश में कोयले का उत्पादन (लाख टन में)

वर्ष	उत्पादन	भारत वर्ष का उत्पादन	राज्य में कोयले का निर्माण	कोयले का मूल्य (प्रति टन)		
				रु०	आ०	पा०
१६२०	४'६	१७६'६	४'४	४	१३	
१६२५	७'०६	२०६'०४	६'२६	६	३	
१६३०	६'५२	२३८ ०३	८'६२	४	४	
१६३५	१५'२७	२३०'१७	१४'३५	३	६	
१६४०	१८'०६	२६३'८८	१६'४४	३	१२	
१६४१	१७'६१	२६४'६४	१६'६४	३	४	
१६४२	१८'३७	२६४'३३	१६'४३	५	८	
१६४३	१'६५७	२५३'६६	१५'००	६	१३	
१६४४	१६'७८	३५६'६६	१५'०४			
१६४५	१६'४६	२८६'७३	१४'४३			

उपरोक्त तालिका से प्रगट होता है कि मध्यप्रदेश में कोयले के उत्पादन में क्रमशः वृद्धि होते गयी है। व्यापार अवसाद (Depression) काल में अर्थात् १६३२ में कोयले की राशि में इस राज्य में अढ़ाई गुनी वृद्धि हुई और सन् १६३५ में यह तीन गुनी थी। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् मध्यप्रदेश प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के उपरात की तुलना में साढ़े तीन गुनी वृद्धि हुई। किन्तु १६२०-१६४५ तक देश भर में कोयले के उत्पादन में केवल एक करोड़ से वृद्धि हुई। इस अवधि में मध्यप्रदेश से अन्य प्रान्तों को भेजे जानेवाले कोयले की राशि में प्रायः १० लाख टन की वृद्धि हुई। इस विश्लेषण से विदित होता है कि स्वयं इस राज्य में कोयले की खपत अत्यंत न्यून है। इसका कारण आधुनिक उद्योग धंधों का अभाव है। देश के कोयले के उद्योग धंधे में मध्यप्रदेश का स्थान कम महत्व का नहीं है।

कोयला क्षेत्रों में विद्युत् का संचार

प्रायः प्रत्येक कोयले की खदान में विद्युत प्रकाश एवं शक्ति का संचार अनिवार्य सा है। पूर्व काल में विद्युत के स्थान पर तेल की बत्तियाँ या गेस की बत्तियाँ उपयोग में लाई जातीं थी। इनसे दुर्घटनाओं की आशंका सदैव बनी रहती थी और इसे रोकना कठिन था। फिर भी सन् १९२४ तक इस राज्य में केवल तीन ऐसी कोयले की खदानें थी जहाँ विद्युत् उत्पादन कार्य में योग देती थी। समय समय पर भिन्न-भिन्न समितियों ने परामर्श दिया कि भाप के एन्जिनों के स्थान में विद्युत का व्यवहार उपयुक्त होगा। इस दृष्टिकोण को मध्यप्रदेश के कोयला उद्योग-धंधे के उपक्रम क्रमशः अपनाते गए। सब १९४४ में दस कोयले की खदानों के विद्युत केन्द्र थे। इसमें बड़कुही, दांतला, बल्लारपुर, झागराखंड, और चिरमिरी की कोयले की खदानें सम्मिलित हैं। यह स्थिति संतोषप्रद नहीं है। कुछ समय पूर्व नागपुर के समीप खापरखेड़ा में एक विशाल विद्युत् केन्द्र ने कार्यारम्भ कर दिया है तथा यहाँ से बैतूल और छिंदवाड़ा जिले की कोयले की खदानों को भी विद्युत दी जावेगी। यवतमाल और चांदा जिले की खदानें भी इससे वंचित न रहेंगी। विद्युत सस्ती दर से प्राप्त होने से उत्पादन कार्य में बचत होने की संभावना है।

संभावित नये क्षेत्र :—द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् इस राज्य में कोयले के कुछ नवीन क्षेत्रों की खोज की गयी है जो कि वर्तमान क्षेत्रों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। नागपुर जिले में कामठी के समीप कोयले की नई खदानों से कोयला निकाला जा सकता है। भारतीय कोयला क्षेत्र समिति ने इस क्षेत्र के विकास के हेतु तत्काल समुचित कदम उठाने की सलाह भी दी थी। इसी के समीप एक विशाल विद्युत् केन्द्र स्थापित करने की सलाह दी थी जो कि अब निर्मित हो चुका है और जिसे खापरखेड़ा विद्युत् केन्द्र कहा जाता है। यहाँ से प्रतिवर्ष अढ़ाई लाख टन कोयला प्राप्त हो सकता है। समिति ने बताया कि "हम समझते हैं कि प्रान्तीय सरकार इस पर विचार कर रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि वह इस दिशा में शीघ्र निर्णय कर लेगी, क्योंकि इस क्षेत्र के विकास से परोक्ष रूप से पश्चिमी और दक्षिणी भारतवर्ष के उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिलेगा।"

---

(१) भारतीय कोयला क्षेत्र कमेटी रिपोर्ट; पेज २०८।

बैतूल जिले के पाठाखेड़ा नामक स्थान में भी १२ वर्गमील क्षेत्र वाला उपयोगी केन्द्र पाया गया है। पेंच की घाटी के समीप ही यह स्थान है। कुछ ही वर्षों तक इसका वार्षिक उत्पादन एक लाख से डेढ़ लाख टन तक हो सकेगा। अब तक राज्य सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है। बिलासपुर जिले में चांपा रेलवे स्टेशन से २४ मील दूर कोरबा में कोयले की खदान पायी गयी है। कोरबा और चांपा के बीच पक्की सड़क है। राज्य सरकार ने बंगाल नागपुर रेलवे के अधिकारियों से अनुरोध किया है कि इन दोनों स्थानों के बीच रेल की एक शाखा का शीघ्र निर्माण कर दिया जावे। अब इस मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। यहाँ से सरकार को हरवर्ष ५ लाख टन कोयला सरलतापूर्वक प्राप्त हो सकता है। इतना तो कामठी और पाठाखेड़ा की खदानों से भी उपलब्ध नहीं होता। यदि तीनों क्षेत्रों के कोयला भंडार का पूरा-पूरा उपयोग उठाया गया तो सन् १९५६ तक मध्यप्रदेश में १० लाख टन अतिरिक्त कोयले की उत्पत्ति सम्भव हो सकती है।

राज्य सरकार कोयला उद्योग-धंधे को प्रधानता देने की इच्छुक है। अपने आधीन कामठी के क्षेत्र का संचालन करने का सरकार का अभिप्राय है। "जब इन खदानों में अपेक्षित उत्पादन होने लगेगा तब खदान में सीधे खापरखेड़ा विद्युत् केन्द्र से अत्यंत सस्ती दर पर कोयला भेजा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त कामठी और नागपुर के आसपास के उद्योग धंधों को भी सस्ते दर पर कोयला बेचा जायेगा। सरकार ने कोयला क्षेत्र में आरम्भिक कार्य शुरू कर दिया है और शीघ्र यहाँ से कोयला प्राप्त होने लगेगा जिससे कि प्रान्त में उद्योग धंधों के संचालन का वेग तीव्र हो जायगा।"[१] स्पष्ट है कि राज्य सरकार का लक्ष्य इन कोयला क्षेत्रों की ओर है। किन्तु कठिनाइयों के बावजूद भी इनका कार्यारम्भ राज्य के हित में शीघ्र कर देना आवश्यक है।

---

१. **Towards Peace & Progress In C. P. & Berar, 1946-1949, Page 199.**

मध्यप्रदेश में कोयला प्रमंडल एवं उनके अन्तर्गत खदानें, १६५२

प्रमंडल	खदान	जिला
(१) अमलगेमेटेड कोल फ़ील्ड्स	भमौरी खदान	छिंदवाड़ा
	दांतला (पश्चिम) खदान	,,
	डिगवानी खदान	,,
	इकलेरा ,,	,,
	जाटा चांपा ,,	,,
	पनारा (पश्चिच)	,,
	रावणवारा ,,	,,
(२) बल्लारपुर कोलरीज	बल्लारपुर ,,	चांदा
	घुघुस नं.१ पिट,,	,,
	राजुर ,,	यवतमाल
(३) भारत कोलरीज़	जुन्नारदेव दादामी,,	छिंदवाड़ा
(४) बिलासपुर कोलरी	बिसरामपुर ,,	बिलासपुर
(५) सेन्ट्रल प्राविंसेज़ लिमिटेड	कालीछापर ,,	छिंदवाड़ा
(६) डालमिया जैन एन्ड कंपनी	जुन्नार देव ,,	,,
(७) डोंगरनाला कोलरी	डोंगर नाला ,,	बिलासपुर
(८) घोड़ा बाड़ी कलां	घोड़ा वाड़ी कला ,,	छिंदवाड़ा
(९) हरनभट्टा कोल कम्पनी	हरनभट्टा ,,	,,
(१०) हिरदागढ़ कोलरीज़	हिरदागढ़ ,,	,,
(११) कन्हान वेली कोल कम्पनी	दामुआ ,,	,,
(१२) खान साहेब एन्ड हुसेन जी एन्ड सन्स	बटेरिया ,,	,,
	जामकुन्ड ,,	,,
	ईस्ट बड़कुही ,,	,,
(१३) किशनचन्द एन्ड कम्पनी	धाओ ,,	,,
(१४) कोल्हिया हिरदागढ़ कम्पनी	कोल्हिया ,,	,,
(१५) कोरतला कोलरी	कोरतला ,,	बिलासपुर
(१६) नान्दोरा ईस्ट कम्पनी	नान्दोरा ,,	छिंदवाड़ा

प्रमंडल	खदान	जिला
(१७) न्यूटन चिखली कालरीज़	न्यूटन चिखली ,,	,,
(१८) एन. एच. ओझा एन्ड कं०	अडित (नं० १ और २)..,	,,
	अम्बारा (नं० ३) ,,	,,
	पाला चौरई ,,	,,
(१९) पेंचवेली कोल कम्पनी	डोंगरे चिखली ,,	,,
(२०) परफेक्ट पाटरी कम्पनी	हिन्दुस्थान लालपेठ ,,	चांदा
(२१) पेंचवेली कोल कम्पनी	चांदामेटा (नार्थ) ,,	छिंदवाड़ा
(२२) पेशोरासिंह सियाल ए० स०	माजभी ,,	चांदा
	सिमाल धोधरी ,,	छिंदवाड़ा
(२३) रावणवारा कोलरीज़	रावणवारा खास ,,	,,
(२४) राय बहादुर मथुराप्रसाद मोतीलाल एन्ड सन्स	जामई दामला नं० १ ,,	,,
	नं० २ ,,	,,
	जामई (सनगांव) ,,	,,
(२५) एस. सी. खम्बाता एन्ड कं०	राखी कोल ,,	,,
(२६) श्री महाकाली कोलमाइन्स	महाकाली ,,	चांदा
(२७) सियाल एन्ड सन्स लिमिटेड	चांद रैयतवारी ,,	,,
(२८) साउथ पनारा कालरी	पनारा ,,	छिंदवाड़ा
(२९) स्वर्णरेखा माइनिंग कारपो०	परासिया ,,	,,
(३०) यूनाइटेड कालरीज़	चिरमिरी ,,	सरगुजा
(३१) वेस्ट बड़कुही कोलरी	वेस्ट बड़कुही ,,	छिंदवाड़ा

अध्याय ५

वन सम्पत्ति

मध्यप्रदेश के १३०३२३ वर्ग मील क्षेत्रफल में बहुअंश में (२७·७ मिलियन एकड़ भूमि में) वन फैले हुए हैं। प्राकृतिक सौन्दर्य के उपासकों को अध्यात्मप्रेमी एकान्त-वासियों को मध्यप्रदेश के रमणीक सघन वनों द्वारा सदा ही उपयुक्त स्थानों की प्राप्ति हुई है; एवं शिकार के शौकीन मनुष्य नामी जीवधारी को अन्य जीवों के प्राण हनन के लिये भी खास अड्डे मिलते रहे हैं। मध्यप्रदेश में अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक उर्वर और विस्तृत वन उपलब्ध होते हैं। (१)

भारत में वन-विस्तार (वर्ग मील में)

राज्य	संचित वन Reserved	संरक्षित वन Protected	अन्य Unclassed	योग
आसाम	६५८२	९३	१४२७३	२०९४८
बिहार	१३६४	८८१	१३६	२३८१
बंबई	११६५८	१६०		११८१८
मध्यप्रदेश	१९४२२			१९४२२
मद्रास	१५८६०	४६		१५९०६
उड़ीसा	१३९५	१४७८		२८७४
पंजाब	४८६	३१३९	२५३	३८७८
उत्तर प्रदेश	८९३३	८८५	३९१	१०२०९
पं० बंगाल	२६७३	५		२६७३
योग	६८३७३	६६८७	१५० ५३	९०१०९

" The Central Province has in its forests a potential source of vast wealth, they already yield a big revenue. bigger than almost any other province of India "

Report of the Provincial Industries Committee,
Central Province & Berar, Page 51.

(२) Indian Year Book..1952.

तालिका में दिये गये राज्य 'अ' श्रेणी के हैं। उनके अतिरिक्त हैदराबाद में ६४५५ वर्ग मील, काश्मीर में ११०५८, मैसूर में ४४४८, पेप्सू में ३३२, राजस्थान में १२७८२, सौराष्ट्र में ६३१, त्रावणकोर कोचीन में २०६५; 'स' श्रेणी के राज्यों में १६३०३ और अंदमान में २१८६ वर्ग मील वन हैं। केवल १२% वन ही व्यवसाय योग्य है।

मध्यप्रदेश के वनों में उष्णबंधीय आद्र चौड़े पत्ते वाले वनों (Tropical Moist Deciduous Forests) और उष्णकटिबन्धीय शुष्क चौड़े पत्ते वाले वनों की प्राप्ति विशेष रूप से होती है। आद्र चौड़े पत्ते वाले वन वे हैं जो वर्ष में कुछ समय पत्तियाँ त्याग देते हैं। ये इतने सघन भी नहीं होते हैं और प्रमुख वृक्षों की ऊंचाई १०० से १५० फुट तक होती है। सागौन इनका प्रमुख वृक्ष है। मध्यप्रदेश के अतिरिक्त ये वन आसाम, बिहार, उड़ीसा, और उत्तरप्रदेश में भी फैले हैं।

उष्णकटिबंधीय शुष्क चौड़े पत्ते वाले वन दक्षिणी पठार में प्रसरित हैं; जैसे बम्बई, मध्यप्रदेश, हैदराबाद, मैसूर, मद्रास साथ ही उड़ीसा, बिहार, उत्तरप्रदेश में भी फैले हुए हैं। मूलरूप से ३०" से ५०" की वृष्टि वाले स्थानों में पनपते हैं। अमरकंटक सदृश कुछ स्थानों में अत्याधिक सघन वनों की उपलब्धि है। यहां के वृक्ष भी बहुत ऊंचे होते हैं। मध्यप्रदेश के सभी भागों में ३५" से ६०" तक वर्षा होती है। इसलिये यहाँ प्रायः सभी स्थानों में वन वृद्धि का क्षेत्र उपलब्ध है। मैदानों में जंगलों को हटाकर कृषि कार्य किया जा सकता है। मौसमी वायु केवल ग्रीष्म ऋतु में वर्षा करती है और इसलिये मध्यप्रदेशीय वनों को केवल ३-४ माह ही वर्षा प्राप्त होती है। जल-सम्बन्धी अल्पता के कारण ग्रीष्म के प्रारम्भ में ही वृक्ष पत्ते गिरा देते हैं। वनों के वृक्षों में सागौन, साल, सेमर, बबूल, महुआ, बीजा, खैर, सेवन, सेमल, अर्जुन, अंजन कंजई, आंवला आदि का प्रामुख्य है। बांस की भी विशेष रूप से प्राप्ति होती है।

अन्य राज्यों की भांति मध्यप्रदेश के वनों का गत शताब्दी में दुखद विनाश हुआ। विशेषकर वैयक्तिक वनों को इस दुष्टवृत्ति का विशेष शिकार बनना पड़ा। केवल अर्थोपार्जन की एकांगी नींव को अपनाकर ही यह निंद्य कर्म कुछ लोगों ने किया। इस प्रसंग पर राउ कमेटी की रिपोर्ट का यह वाक्यांश उद्धरण योग्य है :—

"In particular since the out-break of war, reckless felling with a view to making money quickly has been indulged

in to such an extent as almost to endanger the very existence of this Fine Property." (१)

वन विनाश न केवल वन-हित की दृष्टि से ही खतरनाक है, किन्तु राज्य अथवा राष्ट्र की बहुमुखी वृद्धि में भी यह अपना बहुत प्रभाव डालता है। कृषि जलवायु आदि क्षेत्रों में वनों का अपना निराला महत्व है जिसे आज स्वीकार किया जा रहा है। मध्यप्रदेश के नागरिकों और प्राचीन राजाओं ने इस विषय को पहले ही समझ लिया था। रानी दुर्गावती नामकी एक गोंड़ वीरांगना ने जबलपुर से ५ मील की दूरी पर एक स्थान में १००००० वृक्षों का आरोपण किया था। (२) वनों की उचित स्थिति से वर्षा ठीक प्रकार से होती है। इसका कारण यह है कि मेघों को जलपान करने के लिये वनों का ठंडा वातावरण प्रेरित करता है। वनों द्वारा एक लाभ यह भी है कि वे भूमि के कटाव (Soil Erosion) को रोकते हैं। इससे भूमि का संगठन उर्वरा-पूर्णतत्त्व सम्पन्न बना रहता है। औषधि संबंधी जड़ी बूटी ईंधन और इमारती लकड़ी उद्योग सम्बन्धी वस्तु-दान आदि अनेकों लाभ हैं। एक कृषि प्रधान देश के लिये वनों का होना प्राकृतिक संतुलन के रूप में ही होता है।

मध्यप्रदेश के वनों के प्रमुख उत्पादनों में लकड़ी (इमारती और ईंधन की), लाख, मौहा, बांस, घास रूसा और मोतिया आदि एवं हर्रा, बहेरा, आंवला, शहद, चिरोंजी मुख्य हैं. मध्यप्रदेश के जो वन संबंधी उद्योग (Forest Industries) हैं वे सब इन्हीं से संबंधित हैं। वनों में सुलभ तेंदू के पत्तों पर ही मध्यप्रदेश का बिड़ी उद्योग आधारित है। मध्यप्रदेश के शासनस्थ वनों का उत्पादन १९३८ से १९४९ तक इस प्रकार था :--- (३)

---

1. Rau Committee Report on C. P. & Berar—Page 5
2. यह स्थान अभी भी "इकलखा" कहलाता है।

(३) " The present method of exploiting the forest resources is admittedly unsatisfactory and leaves much room for development."

K. D. Guha

Director of Industries, C. P. & Berar

उत्पादन	मूल्य रुपयों में		
	१९४०—४१	१९३९—४०	१९३८—३९
प्रमुख उत्पादन :—			
इमारती लकड़ी	३२१६४४६	२४३२७०९	२३५९०२९
जलाऊ लकड़ी	६८४२४३	६१७९९६	५९९०७०
योग	३९००६८९	३०,५०७०५	२९५८०९९
गौण उत्पादन			
बांस	३०८८०५	२९०७६६	२४८३८६
घास	१५३६४९	१४३५०३	१६३९६२
चरोखरी घास	२४११९००	२४४९८७७	२५४२८६४
अन्य उत्पादन	२६२८२६	२२०३०२	१९६६९४
योग	३१३७१८०	३१०४७४८	३१५१९०६

वन वस्तु संबंधी उद्योग

वन उद्योगों को निम्नलिखित विभागों में विभाजित किया जा सकता है:—

[१] यांत्रिक उद्योग (Mechanical Industries)

(क) आराकसी (Saw mills)

(ख) परतदार लकड़ी बनाने के कारखाने जो सेमल, शीसम और सागौन पर आधारित हैं।

(ग) दियासलाई की पेटियों के निर्माण संबंधी उद्योग।

(च) धामन, तेंदु आदि की लकड़ियों पर अधारित टर्नरी (Turnery), बाबिन (Bobbin), शाफ्ट खिलौने आदि के निर्माणार्थ कारखाने।

(६) विविध--बढ़ईगिरी, टोकनी आदि।

[२] रासायनिक उद्योग (Chemical Industries)

(क) बांस, कोयला और चूना पर निर्भर कागज़ निर्माण।

(ख) लकड़ी निथारना (Wood Distillation)-जलाऊ कोयला आदि।

(ग) रूसा आदि अन्य तेल उद्योग।

(च) मौहा से शराब।

(छ) मौहा और कुसुम के बीजों से चर्बी और तेल प्राप्ति।

(ज) लाख और चपड़ा उद्योग।

[३] औषधि उद्योग (Pharmaceutical Industries)

(क) आंवला, हर्रा, बहेरा की वस्तुयें।

(ख) कंजई का तेल।

(ग) जड़ी-बूटियों से औषधियों का उत्पादन।

---

(१) K. D. Guha "The Industrial Development of C.P. & Berar

१६३५ के पूर्व भारत का लकड़ी सम्बन्धी उद्योग बर्मा के द्वारा किया जाता था किन्तु तत्कालीन विभाजन के उपरान्त भारत में (बर्मा-सहित) इस लकड़ी का आराकसी (Saw Milling), खरांत (wood turnery), सीज़निंग (Seasoning) के कार्यों को काफ़ी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। गनकैरिज फेक्टरी (Gun Carriage Factory) की स्थापना जबलपुर में सन् १६०६ में हुई। १६३६-४६ के द्वितीय विश्व-युद्ध के फल स्वरूप इस उद्योग की और प्रगति हुई। पंजाब के निवासियों ने यहां पर बड़े पैमाने पर कार्य प्रारम्भ किये। १६४७ के विभाजन के पश्चात् इन व्यक्तियों ने और भी अधिक अंश में योग देना प्रारम्भ किया। इस बीच में मध्यप्रदेश में बिजली से संबंधित लकड़ी के सामान भी यहां बनाये जाने लगे। दियासलाई की डब्बियों का निर्माण भी चालू हुआ। किन्तु परतदार लकड़ी (Ply Wood) के निर्माण में अधिक सफल प्रयोग नहीं हो सके यद्यपि मध्यप्रदेश में इसकी प्रगति की पर्याप्त गुंजायश मौजूद है। सबसे बड़ी कठिनाई जो परतदार लकड़ी के निर्माण में आती है वह है तत्सम्बन्धी मशीनों की।

रसायनिक वनोद्योग के विकास का मध्यप्रदेश में पर्याप्त क्षेत्र प्राप्त है। उत्तरी चांदा डिवीजन में पहले से ही कागज के उद्योग की स्थापना की चर्चा थी। क्योंकि केवल वहाँ ही १५००० टन बांस उपलब्ध हैं। उसकी स्थापना आशा का संचार कर चुकी हैं। न्यूज़पेपर निर्माणी (Nepa Mills) की स्थापना सम्बन्धी योजना और उसकी आंशकि पूर्ति कागज़ निर्माण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को अप्रतिम स्थान प्रदान कर सकेगी। क्योंकि भारत अखबारी कागज (News Print) के उत्पादन में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अखबारों की बढ़ती के कारण कागज़ की अभियाचना बढ़ती जाती है। बैतूल के पास बांस की खूब उत्पत्ति होती है। वहां कोयला, पानी आदि के भी सुभीते हैं। कटनी में उपलब्ध चूना भी इस दृष्टि में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगा। मगनवाड़ी और सेवा ग्राम (वर्धा) के हाथ के कागज़ निर्माण की सफलता ने इस बात का पूर्ण आभास दे दिया है कि मध्यप्रदेश इस ओर काफ़ी प्रगति कर सकता है।

मध्यप्रदेश अन्य प्रान्तों को खूब मात्रा में लकड़ी का कोयला निर्यात करता है। इसे लकड़ी निथारन (Wood Distillation) कहते हैं। अभी तक मध्यप्रदेश में यह कार्य प्राचीन विधियों से किया जा रहा है। यहां इसके उपोत्दपादन (Bye-Products) का भी उपयोग नहीं होता है। दुर्भाग्य से उपोत्पादन के उपयोग में भारत बहुत पिछड़ा है। बिना इनका उचित उपयोग किये कोई भी उद्योग आर्थिक दृष्टि से

पूर्ण रूप से लाभकारी सिद्ध नहीं हो सकता। शक्कर जैसे उद्योग के उपात्पादनों (बेगेस और मोलेसस) का हमारे देश में उपयोग नहीं हो पाता जिनसे प्लास्टिक, आल्कोहल, डायल आदि की विदेशों में प्रगति की जाती है। मध्यप्रदेश में पेट्रोल की अत्यल्प पूर्ति के (युद्धकाल) दिनों में इसी कोयला के बल पर मोटरों को निष्क्रिय नहीं होने दिया। हजारों गेस प्लेंट (Gas Plant) कार्यरत थे और मध्यप्रदेश के गेस-प्लेंट सम्बन्धी उद्योग को भी उन दिनों खूब प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। पेट्रोल सरीखी इस युग की अनिवार्य वस्तु के अभाव में मध्यप्रदेश की विजय वहाँ की वन संपत्ति पर ही आधारित है। वनों का औद्योगिक और आधुनिक महत्व प्रदर्शित करने के लिये इससे सुन्दर उदाहरण क्या हो सकता है?

मध्यप्रदेश के वनों में उपलब्ध आंवला, हर्रा, बबूल की छाल, धावरा की पत्तियाँ आदि चमड़ा उद्योग (Tanning) के लिये बहुत ही उपयोगी पदार्थ । दुर्भाग्य से अभी इस उद्योग का क्षेत्र आधुनिक ढंग पर नहीं बढ़ा है और प्रतिवर्ष लाखों मन आंवला यहाँ से बम्बई, उत्तरप्रदेश आदि को निर्यात किया जाता है। चमड़ा उद्योग के लिये आंवला बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है।

रासायनिक पदार्थों में तैल, चर्बी, शराब आदि का भी उत्पादन गर्भित है। भारत में १५,०००,०० मन के लगभग लाख का उत्पादन होता है, जिसमें मध्यप्रदेश १५% का उत्पादन करता है। लाख में से ही चपड़े (Shellac) का निर्माण होता है। इससे संबंधित दर्जनों निर्माणियां मध्यप्रदेश में हैं, किन्तु लाख चपड़ा के उत्पादन के बाद लाख के उपयोग के मध्यप्रदेश में साधन नहीं हैं और इसलिये विदेशों को इनका कच्चे माल के रूप में निर्यात कर दिया जाता है।

भारत की आयुवदिक औषधि पद्धति के क्षेत्र में मध्यप्रदेश का विशिष्ट स्थान है। हिमालय और विंध्याचल की जड़ी बूटियाँ आयुर्वेद शास्त्र के ग्रन्थों में भी प्रमुख रूप से उपयोगी मानी गयी हैं। महादेव पर्वत की जड़ियाँ विशेष रूप से ख्यात हैं। इन जड़ी बूटियों के अतिरिक्त हर्रा, बहेरा, आंवला आदि बहुत उपयोगी पदार्थ यहां होते हैं। रायपुर में आयुर्वेदिक संस्था की स्थापना का निर्णय प्रशंसनीय है और मध्यप्रदेश भविष्य में इस ओर काफ़ी प्रगति कर सकेगा। मध्यप्रदेश की आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई स्थिति के कारण इस औषधि विज्ञान की न केवल आवश्यकता ही है, वरन काफ़ी क्षेत्र इसके लिये मौजूद है। आयुर्वेद में अनुसंधान की आवश्यकता बहुत है।

अध्याय ६

पशुपालन

भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। मध्यप्रदेश भी कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर पशुओं के अभाव में कृषि कर्म असंभव हो सकता है। भारतवर्ष की आय में इनकी १००० करोड़ रुपये की राशि सम्मिलित रहती है। सन् १९५१ में इस देश में १५ करोड़ पशु और ४ करोड़ ३० लाख भैंसें और भैंसा थे। इस राज्य में सन् १९४६-४७ में ४४·५७ लाख पशु थे। इनमें सांड, बैल, गाय आदि सम्मलित हैं। सन् १९४८ में इस राज्य में पशुओं की गणना इस प्रकार थी :—

पशु	संख्या
सांड	६८७२१
बैल	४६६७७५५
गाय	३९२७८५६
भैंसा	७५०१४४
भैंस	८१६१५६
कृषि-पशु	५५०२८८८
भेड़	३१६४५५
बकरा	२०२३५६६
घोड़ा	६२,८७३
घोड़ी	४०,६३१
बछड़े	७०६८८६
अन्य	१८,६४०

उक्त गणना से यह स्पष्ट होता है कि इस राज्य में बैल, गाय और भैंस ही महत्वपूर्ण हैं। पशुओं का वितरण संतुलित है। एक जोड़ी बैल (औसतन) १२ एकड़ भूमि जोतते हैं और प्रत्येक कुटम्ब एक गाय पालता है। बैलों का वार्षिक उत्पादन ६·२ लाख है, जबकि ७·६ लाख बैल प्रतिवर्ष मरते हैं अथवा रुग्ण या वृद्ध होकर कृषि के लिए अनुपयुक्त होते हैं। १·८ लाख बैल प्रतिवर्ष पड़ोसी राज्यों से साढ़े पांच करोड़ रुपये की लागत से खरीदे जाते हैं। वैसे ८ लाख बैलों के उत्पादन के लिए ३२ लाख गायें पर्याप्त होती हैं, लेकिन ४७·४ लाख गायें होते हुए भी उतने

बैल उत्पन्न नहीं होते। अंदाज है कि मध्यप्रदेश ४ लाख बैलों के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता रखता है, लेकिन उसे १'८ लाख बैलों का आयात करना पड़ता है।

राज्य सरकार इस विषमता से अवगत है। उसका अंदाज है कि मध्यप्रदेश का पशुधन निम्नकोटि का है। "भारत के प्रांतों में मध्यप्रांत का पशुधन निम्नकोटि का है। वर्धा और निमाड़ जिलों में अवश्य ही गाड़ी खींचने वाली गावलाओं और निमाड़ी नामक जातियाँ पायी जाती हैं। इन जातियों को और बरार में उमरेधा तथा खामगांव के पशुओं और उत्तरी मध्यप्रांत में बाहर से लाये गए मालवी पशुओं को छोड़कर हमारे प्रांत के पशु अत्यंत साधारण और छोटे कद के होते हैं। वे न हल के काम के और न दूध के लिये उपयोगी होते हैं। अतः यह आवश्यक है कि पशु पालन की एक विचारपूर्ण दीर्घकालीन नीति अपनाकर वर्त्तमान साधारण पशुओं को अधिक बलवान और दुधार बनाने के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक तत्काल ध्यान दिया जावे।" इस उद्देश्य से सरकार ने आधारभूत ग्राम योजना को सन् १९४६ में शुरू कर दिया है। इस कार्य के लिए निकटवर्ती अधिक से अधिक गाँवों का ऐसा सघन क्षेत्र लिया जाता है कि जिसमें ५००–६०० तक गायें हों और पानी तथा चारे की पर्याप्त सुविधा हो। इस योजना में २७ ग्राम केन्द्रों की व्यवस्था है। प्रत्येक केन्द्र में ६ से ८ सांड रहते हैं। पशु–पालकों के संघ स्थापित किये जाते हैं। जो इन सांडों को अच्छी तरह रखते हैं। इन आधार–भूत ग्राम केन्द्रों को स्थापित करने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि वे पशुजनक केन्द्रों में परिवर्तित कर दिये जावें। सन् १९५१ के प्रारम्भ तक ऐसे ६० केन्द्र स्थापित किए गए थे। यहाँ ३७५ भिन्न भिन्न प्रकार के सांड थे। जैसे गावलाओ, मालवी, निमाड़ी, साहीवल, सिन्धी, हरैना, मुर्रा इत्यादि। तेलनखेड़ी (नागपुर), बोरगांव (अकोला), रतोना (सागर) और चांदखुरी (रायपुर) में पुष्ट सांडों के केन्द्र स्थापित किये गए हैं। पशुओं की व्याधियों की रोक-थाम भी की गई है।

पशुओं की संख्या मध्यप्रदेश में कभी भी ५५ लाख से अधिक नहीं रही। सन् १९११ से १९१४ तक ही ५० लाख से ऊपर पशु इस राज्य में थे। निम्न तालिका से विदित होगा कि इनकी संख्या में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है: —

---

(१) मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित शांति और अभ्युदय के पथ पर, १९४९।

वर्ष	पशुगणना (लाख में)
१६०६–१०	४८·६४
१६१४–१५	४४·०४
१६१६–२०	३८·१२
१६२४–२५	४४·२५
१६२६–३०	४४·०४
१६३४–३५	४७·३८
१६३६–४०	४४·६७
१६४१–४२	४४·२०
१६४६–४७	४४·५७

बिलासपुर जिले में करीब ६ लाख पशु हैं। राज्य में इसी जिले में सबसे अधिक पशु हैं। द्वितीय स्थान छिंदवाड़ा और तृतीय सागर का है। सबसे कम पशु निमाड़ जिले में है।

शहरों में दुग्ध उत्पादन प्रारंभिक अवस्था में है। संगठित दूध उत्पादन केन्द्रों की संख्या अत्यंत न्यून है। अधिकांश दुग्ध की पूर्ति शहरों के ग्वालों द्वारा होती है। गायों और भैंसों को सकरे और गंदे स्थानों में रखा जाता है। इन्हें पर्याप्त खाद्य भी नहीं दिया जाता है। सन् १६१२ में तेलनखेड़ी में सहकारी दुग्ध उत्पादन केन्द्र स्थापित किया गया था। इस संस्था को प्रतिवर्ष लाभ भी होता है। देहातों में विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ घास आदि उपलब्ध है ग्वाले गाय और भैंस पालते हैं। इनका ध्येय घी उत्पादन होता है। जब कभी खोवा भी तैयार करते हैं। द्वार-द्वार दुग्ध विक्रय ही ग्वालों का उद्देश्य होता है। संक्षेप में दुग्ध उत्पादन अत्यंत अनुन्नत दशा में है।

राज्य सरकार २० दुग्ध केन्द्र स्थापित क्रमशः कर रही है। रतौना (सागर), बोरगांव (अकोला) और चांदखुरी (रायपुर) में दुग्ध केन्द्र स्थापित हो चुके हैं। इन केन्द्रों में सन् १६४६ तक ३,६४६ मन दूध उत्पादन किया गया था। मध्यप्रदेश में ५२ पिंजरापोल और गोशालायें हैं। यहाँ ५८०० पशु रखे गए हैं। इन पर प्रतिवर्ष ३·६३ लाख रुपये खर्च होते हैं। सरकार घी उत्पादन की ओर भी अग्रसर है। नांदुरा (बुलडाना), मेटीखेड़ा (यवतमाल), कोथली (बालाघाट,) में उत्पादन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इनमें ४० टन घी प्रतिवर्ष उत्पन्न होता है।

अध्याय ७

मध्यप्रदेश में सिंचाई

इस राज्य में नहरों, तालाबों, कुओं इत्यादि से सिंचाई होती है। साधारणतः मध्यप्रदेश इस दिशा में पिछड़ा हुआ है। यहां पर पंजाब और उत्तरप्रदेश जैसी बड़ी नदियाँ नहीं हैं और न इनसे सिंचाई व्यवस्था अब तक हो सकी है। इस दृष्टि से यह राज्य देश में सातवाँ स्थान रखता है। इससे अधिक सिंचित भूमि तो उड़ीसा में है।

प्रत्येक राज्य में सिंचित भूमि का क्षेत्रफल

१९४५-१९४६ (हजार एकड़)

राज्य	सिंचित भूमि	कृषि की गई भूमि
अजमेर-मेरवाड़	९८	—
आसाम	१,२१६	५,२३४
पश्चिमी बंगाल	१,८६३	११,२२३
बिहार	५,३३३	१७,६५३
बंबई	१,३७३	२८,२४०
मध्यप्रदेश	१,५८२	२४,१९०
कुर्ग	६	—
दिल्ली	७८	—
मद्रास	९,२०९	३१,६००
उड़ीसा	१,६७५	६,५१७
पूर्वी पंजाब	५,०८९	११,९१०
उत्तरप्रदेश	११,७०२	३८,०९८
सकल योग	३९,२५४	—

मध्यप्रदेश में सिंचाई की संभावनायें हैं—जिन पर आगे विचार किया गया है। इस राज्य में वैसे चाँवल, गेहूँ, जौ, ज्वार, मका, गन्ना, कपास इत्यादि सिंचाई के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इनमें से छत्तीसगढ़ में ही चाँवल की सबसे ज्यादा सिंचित भूमि है। १,२३८,०६३ एकड़ सिंचित भूमि पर चाँवल की खेती की जाती है। द्वितीय एवं तृतीय स्थान क्रमशः गन्ना और गेहूँ का है जिनका क्षेत्रफल ७४,८२६ और २३,५७६ एकड़ हैं। कपास की सिंचित भूमि तो केवल ५२५ एकड़ है।

विगत ४५ वर्षों से इस राज्य में सिंचाई के साधनों में वृद्धि हुई है और इससे सिंचित भूमि भी बढ़ी है। यह वृद्धि करीब दुगनी है। पूर्वी पंजाब और उत्तरप्रदेश की तुलना तो इस वृद्धि से नहीं हो सकती है। जिस वेग से उन राज्यों में नहरों का निर्माण हुआ है वैसी गति अभी भी मध्यप्रदेश में परिलक्षित नहीं होती है। सन् १९०९-१० में कुल ८०९७ लाख एकड़ भूमि सिंचित थी और सन् १९०९-१० से इस ओर क्रमिक विकास होता रहा है। मध्यप्रदेश जैसे पिछड़े राज्य में कृषि द्वारा जीवकोपार्जन करना प्रमुख ध्येय है। नहरों की असंभावनाओं के कारण तालाबों और कुओं का निर्माण और पुनर्निर्माण आवश्यक था। पंचवर्षीय योजना में सरकार ने यही लक्ष रखा है। वर्त्तमान प्रगतिशील राज्यों की तुलना में इसमें भी अत्याधिक विलंब हुआ है। सबसे अधिक सिंचाई द्वितीय युद्धकाल में १९४०-४१ में १७·९४ एकड़ भूमि पर हुई थी।

तालाब ही इस राज्य में सिंचाई का प्रमुख साधन है। नहरें भी छत्तीसगढ़ में हैं। कुओं की अपेक्षा इस राज्य में तालाबों और नहरों द्वारा साढ़ेसात गुनी अधिक भूमि सींची जाती हैं। तालाब और नहर से सिंचाई सबसे अधिक चांदा, भंडारा, बालाघाट, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में होती है। कुओं से सिंचित जिले हैं निमाड., बैतूल, छिंदवाड़ा, वर्धा, नागपुर अमरावती और यवतमाल। इन जिलों में दस हजार एकड़ से अधिक भूमि पर सिंचाई होती है। निम्न तालिका में जिलेवार सिंचाई साधनों का विवरण दिया जाता है:—

१९४७–४८ [हजार एकड़ में]

जिला	तालाब और नहर	कुँऐं	अन्य साधन
सागर	१५·१	४·३	०·७
जबलपुर	१६·३	२·८	१·०
मंडला	—	१·०	०·८
होशंगाबाद	—	८·६	०·६
निमाड़	०·२	१७·६	०·२
बैतूल	—	२०·६	—
छिंदवाड़ा	३०·६	२३·८	७·६
वर्धा	—	१० ६	—
नागपुर	२०·४	३५·०	३·५
चांदा	२०४·२	३·५	५·३
भंडारा	२८६·४	६·०	३·८
बालाघाट	१८८·०	५·१	३·५
दुर्ग	१६६·६	२·१	५·६
रायपुर	२६८·३	५·३	१६·६
बिलासपुर	१७४·०	२·६	६·८
अकोला	—	७·६	—
अमरावती	—	१३·८	०·१
बुलढाना	०·४	१५·७	—
यवतमाल	०·४	६ ६	०·१
कुल योग	१४०६·६	१६३·२	५६·८

इसके पूर्व बताया जा चुका है कि विभिन्न मुख्य उपजों के अन्तर्गत कितनी भूमि है। नीचे सभी कृषि जन्य वस्तुओं की सिंचित भूमि का क्षेत्रफल और उनके अन्तर्गत कुल भूमि का क्षेत्रफल तथा उनका अनुपात दिया जाता है :— (१)

उपज	कुल भूमि (१९४७) (एकड़ में)	सिंचित भूमि (१९४७-एकड़)	सिंचित भूमि का कुल भूमि से प्रतिशत
धान (transplanted)	१,१९९,२१७	६६०,६३५	५५·१
धान (Broadcast)	४,९२०,००२	८०३,६३८	१६·३३
गेहूँ (पिसी)	१३,०३,००९	८,२०१	०·६३
गेहूँ (अन्य प्रकार)	९,३२,७४४	१४,२९९	१·५३
गन्ना (Planted)	३०,४७५	२६,८२२	८८·०१
गन्ना (Ratoon)	११,१५४	९,९१७	८८·९
संतरा	३२,४६७	३१,५८८	९७·३
अन्य फल	५४,०२९	९,३७९	१७·३
आलू (रबी)	३,७९४	३,७२५	९८·२
प्याज	८,०८५	७,८६२	९७·२
अन्य सब्जी	२६,०४८	१५,५१४	५९·६
ज्वार-अरहर	९,९५,२६९	—	—
ज्वार (खरीफ)	३,४१४,९२२	—	—
ज्वार (रबी)	४,५३,१८८	—	—
कपास	२३,६१,९१७	५२५	—
अरहर (कपास)	६०,२,१६४	—	—

1, Report of the Agricultural Policy Committee, M. P., 1951, Page 136.

युद्धोत्तर लघु सिंचाई योजनायें

राज्य सरकार ने द्वितीय युद्ध के पश्चात् 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत तालाबों के निर्माण की ओर कुछ ध्यान दिया है। सन् १९५० के अंत तक २५ योजनायें निर्मित हो चुकी थीं और ११ तालाबों पर निर्माण कार्य चालू था। इस प्रकार ३६ सिंचाई योजनाओं से ११,५६२ एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती थी। जिलेवार उनकी संख्या और संभावित सिंचित भूमि का क्षेत्रफल इस प्रकार है :—

जिला	तालाबों की संख्या	सिंचित भूमि
अकोला	१	४२८
अमरावती	२	६८४
सागर	७	२०००
जबलपुर	३	४१००
निमाड़	१	१००
छिंदवाड़ा	२	३०७
रायपुर	५	८४०
दुर्ग	५	१११८
बिलासपुर	८	१६५०
भंडारा	२	३३५
कुल योग	३६	११५६२

उपरोक्त ३६ तालाबों में दमोह तहसील का केवलारी तालाब ५०० एकड़ भूमि सींचता है। यही इस समूह में सबसे बड़ा तालाब है। तीन नालों पर बांध निर्मित किए गए हैं तथा १९ तालाबों को पुनः निर्मित किया गया है तथा उन्हें सिंचाई योग्य बनाया गया है। शेष नये तालाब निर्मित किए गए हैं।

सन् १९५० के पश्चात् २८ तालाबों, नदियों या नलों को बांधा गया है। कुछ पर निर्माण कार्य चालू है। इनसे ८,८५० एकड़ भूमि सिंचाई के योग्य हुई है। उनकी तालिका निम्नलिखित है :—

योजना	सिंचित भूमि (एकड़)	तहसील	जिला
१ कुरहा तालाब	१५०	चांदुर	अमरावती
२ हरतल तालाब	१३७	वासिम	अकोला
३ पालसी जासी नाला	३००	जलगांव	बुलढाना
४ गायखेड़ी तालाब	१३०	———	बुलढाना
५ मेहगांव नाला	५००	मुड़वारा	जबलपुर
६ बादलपुर का तालाब	५३०	सिवनी	छिंदवाड़ा
७ सागर नदी पर बांध	३००	सिवनी	,,
८ करहई नदी पर बांध	३००	डिन्डोरी	मंडला
९ गूहर नाला	१००	सागर	सागर
१० फुटेरा तालाब	४००	दमोह	सागर
११ हरसवाड़ा का नाला	११६	खंडवा	निमाड़
१२ पिपरिया कुन्दल तालाब	१२२	दमोह	सागर
१३ बड़गांब गूजर नाला	१२२	खंडवा	निमाड़
१४ छेगांव में नाला पर बांध	६३२	,,	,,
१५ दलार नाला योजना	१६०	,,	,,
१६ छेगांव नाला का माखम पर बांध	४०	,,	,,
१७ गोर्गी नाला पर रेग्युलेटर	१४८	मुल्ताई	बैतूल
१८ पन्नार खेड़ा नाला योजना	५६	होशंगाबाद	होशंगाबाद
१९ रिसाला नाला पर तालाब	२१००	गोंदिया	भंडारा
२० किसानपुर तालाब	३००	,,	,,
२१ लमनिया तालाब	१००	बालाघाट	बालाघाट
२२ गिरोला पर तालाब	३६२	रायपुर	रायपुर
२३ चेरिया पर तालाब	३६५	,,	,,
२४ गोटियाडीह के ता० का पु०नि०	२२५	,,	,,
२५ थेलका के ता० का पुनर्निर्माण	४७१	,,	,,
२६ रोडका पर तालाब	४००	जांजगीर	बिलासपुर
२७ दुलहारा तालाब का सुधार	४००	बिलासपुर	,,
२८ लावेरी तालाब का सुधार	३५०	———	चांदा

अध्याय ८

सूती वस्त्र-उद्योग

मध्यप्रदेश का प्रमुख धन्धा कृषि है। १,३०,२७२ वर्गमील के क्षेत्रफल में १/५ भाग वनों से आच्छादित है। इन प्रसिद्ध वनों और अन्य अनुपजाऊ भूमि को छोड़कर ६७ प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है। कृषि जन्य पदार्थों में चांवल, गेहूं, दालों, तिलहन और कपास का प्रमुख स्थान है। जहाँ तक कपास का सम्बन्ध है बरार को ३५% कपास के उत्पादन का श्रेय प्राप्त है। पचास वर्ष पूर्व मध्यप्रदेश और बरार का स्थान कपास उत्पादन की दृष्टि से भारत में अत्यधिक प्रसिद्ध था। फिर भी कपास इस राज्य की सर्वाधिक मूल्यवान कृषि-उपज है। १९४४-४५ में ३८८१ हजार एकड़ भूमि में कृषि का उत्पादन हुआ। कुल उत्पादन में लगभग २५% का ही उपयोग मध्यप्रदेशीय कारखानों द्वारा कर लिया जाता है और शेष को विदेश एवं अन्यत्र भेज दिया जाता है। मध्यप्रदेश सदृश लगभग उतनी ही भूमि में बम्बई राज्य में भारत के कुल सूती वस्त्र उत्पादन का ६५% पैदा किया जाता है।

मध्यप्रदेश में कपास उत्पादन का एकाधिकार 'कपास क्षेत्र' (Cotton Tract) का है। इस क्षेत्र में सम्पूर्ण बरार, निमाड़ ज़िला, वर्धा, नागपुर, पूर्वी भंडारा और पश्चिमी चांदा आते हैं। पहले लम्बे रेशेवाला कपास उत्पन्न किया जाता था, किन्तु कम प्राप्ति होने के कारण जरीला ने, जो एक लम्बे रेशे वाला कपास है उसका स्थान ले लिया। ७५% भाग में मध्यम लम्बाई वाले जरीला, वीरम, उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार कपास उत्पादन की औसत उत्पत्ति ४ लाख गठानें प्रति वर्ष है।

मध्यप्रदेश में उत्पन्न सभी कपास का राज्य में ही जीनिंग अथवा रुई-बिनौला में पृथक्करण कर लिया जाता है। इसी हेतु लगभग ३८० जीनिंग निर्माणियाँ और प्रेसिंग कारखानों की स्थापना हो चुकी है। यही प्राथमिक संस्थायें मध्यप्रदेशियों में मशीन की उपयोगिता, संयुक्त पूंजी, सक्रिय श्रम आदि की कल्पना प्रदान करती हैं। इससे ही इंजीनियरों का महत्व भी बढ़ा है।

जीनिंग कारखानों का प्रसार इस प्रकार है :—

स्थान	संख्या	स्थान	संख्या
नागपुर जिला	३२	मेहकर	६
वर्धा	४३	कारंजा	८
निमाड़	१४	एलिचपुर	४
बुरहानपुर	११	मलकापुर	७
अकोला जिला	२०	अमरखेड	४
आकोट	१३	हरसूद	४
खामगांव	१८	मुर्तिजापुर	३
पुसद	१५	हिवरखेड	३
अमरावती	११	शेष-आदेगांव	
डिगरस	११	वरुड, धामनगांव,	(लगभग)
छिंदवाडा	८	चीखली, नीमखेडी	१८०
चांदा जिला	६	आदि स्थानों में	

नागपुर, हींगनघाट, वर्धा, पुलगांव इत्यादि स्थानों में जीनिंग के अतिरिक्त कातने की और बुनने की निर्माणियाँ हैं। नागपुर, बुरहानपुर, भंडारा, पवनी, मोहरी, चांदा, उमरेड आदि में हाथ से बुनने के प्रख्यात केन्द्र हैं। १६२० के राष्ट्रपिता बापू के नेतृत्व से हस्तकला को प्रोत्साहन मिलने के कारण हाथ बुनाई की पर्याप्त प्रगति हुई है।

कपास उत्पादन में पटुता और कपास का अत्यधिक महत्व होने के कारण प्राकृतिक रूप से ही मध्यप्रदेश ने सूती वस्त्रों के निर्माण के प्रति परंपरागत अभिरुचि प्राप्त कर ली है। बुनाई को इस राज्य का सर्वप्रमुख उद्योग कहा जा सकता है। ब्रिटिश काल के पूर्व ही कोष्टों और महारों ने दक्षिण में और कोष्टों, कोरियों और साली ने उत्तर में इस उद्योग को अपनाया था। रेशम का भी निर्माण खूब होता था जिसका उपयोग उच्च और मध्यवर्ग के व्यक्तियों द्वारा ही होता था। साधारण जन के लिये कोष्टी और महार वर्ग बड़ा ही हितकारी था। उन्हीं के द्वारा बनाये गये वस्त्रों से रजाई, तोशक, विभिन्न चित्राकृतियों सहित बनायी जाती थीं, जिनका उपयोग धनिक वर्ग भी करता था। जाजम, पगड़ियाँ, साफ़े, और साड़ियाँ भी असंख्य संख्या में निर्मित होती थीं।

बुनकर जातियों का मध्यप्रदेश में इस प्रकार फैलाव है:—

जिला	जाति	कार्य
चांदा, भंडारा	हलवी, कोष्टी, सलवर महार	जरी की किनार का सूती वस्त्र, शुद्ध सूती वस्त्र-बड़े अर्क के, कम ज्यादा कांउट के।
नागपुर कामठी	मोमीन	गमछे, रूमाल, साड़िया, पगड़ी
उत्तरी मध्यप्रदेश गाडरवाड़ा, बुरहानपुर सागर, जबलपुर, होशंगाबाद में।	कोपटी, साली, कोरी	मोटे कपड़े, साड़ी
निमाड़	बालाहि (Balais)	काफी मोटे कपड़े
जबलपुर, बुरहानपुर	मोमीन	नागपुर सदृश्य
पूर्वी प्रदेश छत्तीसगढ़	पंका (Pankas)	बहुत मोटे वस्त्र
रायपुर	मोमीन	नागपुर सदृश्य
पूर्वी छत्तीसगढ़	गंड, (Gandas)महार	मोटा वस्त्र
पूर्वी बिलासपुर	हलवी, कोष्टी	टसर, सिल्क
बरार के जिले	कोष्टी साली, हलवी, मोमिन कोली	नागपुर सदृश्य

ब्रिटिश आगमन ने पहनावे की रुचि में परिवर्तन कर दिया। हमारा जरी और रेशम का उद्योग पतन को प्राप्त हुआ। गरीबी बढ़ी और मोटे कपड़े का अभियाचन बढ़ा परन्तु सबसे बड़ी हानि वैदेशिक प्रतिस्पर्धा जिसका प्रमुख कारण ब्रिटेन की नीति ही थी, से हुई। बुनकर आदि अपने भाइयों का जो निम्नस्तर का दयनीय जीवन दिख रहा है उसका मूल कारण ही ब्रिटिश सत्ता का सद्भाव रहा है फिर बुनाई का अपना निराला स्थान है। यह असंख्य कुटुम्बों के उदर-पोषण का एक मात्र

उपक्रम बना हुआ है। यह अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि बड़े २ कारखाने वाले उद्योगों के आगमन से इस बुनकरी व्यवस्था को ठेस लगी है। बुनकर समाज की अशिक्षा, पतित स्थिति, पुराने औजारों का उपयोग एवं हानिप्रद आदतें भी उनकी प्रतिगति में योग देती रही हैं। क्योंकि बड़े-बड़े उद्योग अभी हमारे राज्य में इतने अधिक स्थापित नहीं हुए हैं कि वे बुनाई की हस्तविद्या को पूर्ण रूप से नष्ट कर दें। हस्त बुनाई के साथ ही शक्ति संचालित करघों (Power Loom) का भी इन दिनों प्रसार हुआ है। ५२० में से अत्याधिक शक्ति-करघे वस्त्रोद्योग के सुप्रसिद्ध केन्द्र बुरहानपुर में कार्यरत हैं।

बड़े पैमाने पर मध्यप्रदेशीय सूतोद्योग का प्रारम्भ १८७७ से हुआ। हमारे राष्ट्र के चिरस्मरणीय उद्योगपति स्वर्गीय जमशेदजी ताता ने राज्य की राजधानी नागपुर में Central India Spinning Weaving and Manufacturing Company Ltd. जो बहुधा Empress Mills के नाम से प्रख्यात है, की स्थापना की। स्वर्गीय टाटाजी को इस स्थान में कच्चा माल, सस्ता सुलभ श्रम, कोयला, बाजार आदि आवश्यक सुविधायें प्राप्त थीं। तब तक कार्य भार उठाने की असमर्थता में और पूंजी की अल्पता के फलस्वरूप मध्यप्रदेश एक बड़े भारी सूती उद्योग को उठाने का साहस न कर सका था। अतः मध्यप्रदेश स्वर्गीय टाटा का सर्वकालीन आभारी है। जहाँ तक इस बड़े पैमाने पर कार्यरत सूतोद्योग का वर्णन है, मध्यप्रदेश में अन्य उद्योगों की अपेक्षा इसे सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है। परन्तु जब हम समूचे राष्ट्र में मध्यप्रदेश का स्थान खोजने जाते हैं तब यह काफी पिछड़ा हुआ प्रतीत होता है। जब कि बम्बई और मद्रास में क्रमशः २०५ और ८० कारखाने हैं तब मध्यप्रदेश में क्रमशः ११ कारखाने ही हैं। फिर भी उड़ीसा, बिहार, और पंजाब की तुलना में मध्यप्रदेश ही अधिक समुन्नत है। मध्यप्रदेश की सूती उद्योग सम्बन्धी समस्याओं को देखते हुए यथार्थ में उसे अभी आगे बढ़ना है।

मध्यप्रदेश में ११ बड़ी मिलें हैं जिनमें कुल ३,५७,४६० तकुये और ६८७४ करघे हैं। इसमें सूत और वस्त्र का दैनिक उत्पादन क्रमशः लगभग १,८०,००० पौन्ड और ४,२५,००० गज है। हस्तकरघों के लिये १७५ गांठ प्रतिदिन के हिसाब से सूत का अतिरिक्त उत्पादन होता है। इस उद्योग में २६,००० संचालक, १२५० क्लर्क अन्य कार्य कर्त्ताओं के अतिरिक्त कार्य पाते हैं। प्रतिदिन का वेतन-शोधन लगभग १,००,००० रुपये का होता है।

राजधानी नागपुर में स्थित एम्प्रेस मिल्स के ५ भाग हैं और उनमें कुल १,१५,१८८ तकुये और २१६८ करघे हैं। उसका अपना शक्ति उत्पादक यंत्र है। इस मिल में लगभग १०,००० व्यक्ति प्रतिदिन कार्य पाते हैं। उसकी पूंजी ६६,८७,५०० रुपये हैं। जब कि उसकी संचित प्रणीवि (Reseve Fund) और अन्य निधियाँ २,१७,००,००० रुपये की हैं।

माडेल मिल्स अगस्त १६२० में स्थापित हुई थी। उसकी प्राधिकृत पूंजी २००,००,००० रुपये है जिसमें ४०,००० साधारण अंशों की २५०) अंश की पूंजी का निर्गमन किया गया है। इस मिल का ध्येय १,००,००० तकुये और २,५०० करघे लगाने का है।

इन दोनों के अलावा विदर्भ मिल्स एलिचपुर, सावतराम मिल्स अकोला, राजनांदगांव का मिल एवं हींगनघाट की मिलों का भी उल्लेख किया जाता है। कुल मिलों में श्रमिकों की भलाई के लिये अतिरिक्त व्यय भी किये जाते हैं। १६४८-१६४६ में एम्मप्रेस मिल में इस मद में ६,१५,१०० खर्च किये गये। एम्प्रेस मिल्स में १६४८-४६ में इस प्रकार मजदूरों की सुविधा के लिये खर्च हुआ :—

औषधि	८८००० रुपये
शिशुओं के लिये क्रेचेज	२६००० „
भोजनागार (Dining Sheds)	२२००० „
रेडियो और ग्रामोफ़ोन	२१०० „
प्रायमरी स्कूल शिक्षा	१६७०० „
प्राविडेन्ट फँड में दान	२३६६०० „
मुफ्त चाय (दूसरी शिफ्ट में)	८०७०० „
को आपरेटिव पेन्शन	१४०००० „
योग	६१५१०० „

मजदूरों के लिये ही एम्प्रेस मिल्स एक "कामगार पत्रिका" भी निकालती है; किन्तु इस क्षेत्र में बहुत कुछ करने को रह जाता है।

उद्योग की असुविधायें

भारत के अन्य सूती केन्द्रों को देखते हुए कुछ ऐसे मूलभूत कारण हैं कि जिनसे यह उद्योग यहाँ सवेग उन्नति नहीं कर पाया है। मध्यप्रदेश में इस उद्योग को ४००० श्रमियों का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ता है जिसका मूल्य ३२ लाख रुपया वार्षिक होता है। अन्य स्थानों की अपेक्षा मध्यप्रदेशीय श्रमिक की कताई और बुनाई सम्बन्धी कुशलता के बारे में कभी-कभी सन्देह होता है। मालिकों के अनुसार बिक्री कर भी भार का एक प्रमुख कारण है। परन्तु कुछ विशेष कारण हैं। जिनका स्थायी महत्व है। मध्यप्रदेश बम्बई और मद्रास की अपेक्षा समुद्री तट से दूर स्थित रहने के कारण वस्त्र और सूत के निर्यात सम्बन्धी आदेश (Export Orders) प्राप्त नहीं कर पाता। अतः विदेशियों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने में सहज ही कठनाई जाती है। संवहन व्यय आदि भी बहुत अधिक पड़ता है। श्रम की सरल गतिशीलता के कारण अब इन दिनों सस्ते और सुलभ श्रम तथा कपास का लाभ भी मध्यप्रदेश को नहीं रह गया है।

इसी प्रकार के अनेकों कारणों के फलस्वरूप मध्यप्रदेश का यह वस्त्रोद्योग अधिक लाभ अर्जन नहीं कर पाता। "मध्यप्रदेश मिल ओनर्स एशोसियेशन" के अनुसार १९४९-५० में ६० लाख रुपये का घाटा लगा था। इसमें कपास का अधिक मूल्य भी एक कारण रहा। कपास के मूल्य का विषय एक विवादास्पद वस्तु है।

मध्यप्रदेश का यह उद्योग अभी मध्यप्रदेश की साधारण वस्त्र सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में स्वतः पूर्ण नहीं है। अभी भी यहां बम्बई, अहमदाबाद और जापान से वस्त्र का आयात किया जाता है। इसके विपरीत अन्य स्थलों को रुई, सूत और बिनौला भेजा जाता है।

१९३७ से १९४२ तक मध्यप्रदेश में निर्मित सूती माल का आयात इस प्रकार हुआ था :—

मनों में

निर्मित कपास	१६३७-३८	१६३८-३६	१६३६-४०	१६४०-४१	१६४१-४२
ट्विस्ट और सूती :—					
विदेशी	५३२३	७०५७	१०३४१	१०४०५	३१६५
देशी	६५४६८	७३५२५	७२३६७	५२०६७	६८६१६
वस्त्र :—					
विदेशी	६२७४	११६५६	६८५०	७७१८	२५६८
देशी	३४८४७६	३६३५२५	३८२६६१	३६८८८१	२५४६१२

इस राज्य से कपास वस्त्र आदि का जो निर्यात हुआ उसे भी देख लेना आवश्यक है :—

मनों में

बिनौला	६६०८४००	५१६२७००	६६६३६००	६५७४७६५	५१३००००
सूत	६३६२४६	७२५०४६	७४६६१८	६६६२६०	७७६१३६
वस्त्र	३०१२५३	३२३७८३	३०६११६	३०६६८३	३७५३०४
कच्चा कपास					
गठानों में	७२७२०२	५४६६२०	७३६२००	१००७८७०	५४००००
मनों में	३४६७६१२	२६०७१४३	३५१०८३२	४८०६३८७	२५७५१८२

यदि मध्यप्रदेश में और भी मशीनों की व्यवस्था हो जाये तो परिस्थिति सुधर सकती है, क्योंकि यहाँ कपास के कुल उत्पादन का केवल २५% ही उपभुक्त होता है। शेष का निर्यात कर दिया जाता है। इस सभी कपास का उपभोग न केवल मध्यप्रदेश की वस्त्र सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति करेगा वरन् मध्यप्रदेश को एक वस्त्र निर्यात करने वाला राज्य बनाकर संपत्ति शाली भी बना देगा। मध्यप्रदेश के पास तो बिहार और उड़ीसा का विस्तृत भारी बाजार भी है। इस विशाल विपणि में बम्बई और मद्रास की अपेक्षा अधिक सरलता और अल्पव्यय से प्रवेश किया जा सकता है, क्योंकि इस बाजार की समीपता और आवागमन का सस्तापन विशेष लाभ देगा।

वस्त्र-उद्योग प्रसार में प्रथमतः मध्यप्रदेशीय कारखानों का आधुनिक ढांचे पर सुधार एवं नवीन कारखानों का निर्माण आवश्यक है। हमारे कारखानों को आधुनिक ढंग की मशीनों की आवश्यकता है। पुरानी मशीनें अब अनेक कारणों से काल-तिरोहित हो गई हैं। आशा है कि नवोदित भारत में औद्योगिकता की वृद्धि करते समय मध्यप्रदेश की तनिक भी उपेक्षा नहीं की जायेगी। साथ ही उच्चकोटि के कपास की उत्पादन वृद्धि भी आवश्यक है। आज हमें लगभग ३३६ मिलियन गज अतिरिक्त वस्त्र की आवश्यकता है जिसकी पूर्ति के लिये उपर्युक्त बातों की प्राप्ति के साथ ही हमारे गृह-उद्योग की वृद्धि भी अनिवार्य रूप से आवश्यक है। ये हस्तकौशल वाले उद्योग यदि व्यवस्थित रूप से कार्य करें तो शायद बड़े-बड़े उद्योगों के प्रति इस प्रकार आस्था और निर्भरता का भाव त्यागना सरल हो जावेगा। ये अकेले ही हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर पावेंगे। पूर्वकाल में भारत जब समृद्धि के शिखर पर था तब हमारे पास बड़े-बड़े उद्योगों के स्थान पर ये गृह-उद्योग ही थे, फिर भी आज हम बड़े उद्योगों के विनाश की चर्चा नहीं कर सकते। किन्तु लाखों को रोटी देने वाले हमारे गृह-उद्योग किसी प्रकार भी उपेक्षित और पतित न होने पावें।

अभी तक मध्यप्रदेश का वस्त्रोद्योग केवल 'कपास के क्षेत्र' बरार में ही सीमित-सा हो गया है। इसके फलस्वरूप इस राज्य में कितने ही क्षेत्र औद्योगिकता के प्रकाश से वंचित रहे आये हैं। जब मध्यभारत के इन्दौर और अजमेर के समीप किशनगढ़ में सूती वस्त्रों की निर्माणियाँ कार्य कर सकती हैं तो फिर मध्यप्रदेश के अन्य स्थलों में भी वे सफलता से कार्य कर सकती हैं। जबलपुर में माढ़ोताल के पास एक कारखाना चालू करने की योजना थी जिसे कि कुछ वर्षों से उपेक्षित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में और भी कारखाने खुल सकते हैं। अन्य स्थलों में भी पर्याप्त गुंजाइश है। सूत तो आवागमन की सुविधाओं के कारण सरलता से यहाँ-वहाँ भेजा जा सकता है और कृत्रिम आर्द्रता द्वारा वातावरण की नमी सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति भी की जा सकती है।

आशा है निकट भविष्य में मध्यप्रदेश सूती का वस्त्रोद्योग पर्याप्त प्रगति करेगा।

अध्याय ६

काँच का उद्योग

कांच निर्माण की कला मध्यप्रदेश के लिए नवीन नहीं है। किन्तु आधुनिक ढंग के बड़े पैमाने वाले-कांच उद्योगों के आगमन के पूर्व इस उद्योग का कार्य-क्षेत्र कुछ उद्यमी गांवों में सीमित था। वहाँ विशेषकर चूड़ियों का निर्माण होता था। अभी भी छिंदवाड़ा जिले के चांवड़ी नामक स्थान में चूड़ियाँ उत्तरप्रदेश के कांच के रज (glass sand) के आयात के आधार पर बनायी जाती हैं। आधुनिक बड़े उद्योगों का प्रारंभ बीसवीं सदी के प्रथम चतुर्थांश में हुआ। इसी प्रकार भारत भर में इसी चतुर्थांश में इस उद्योग ने गति पकड़ी।

प्रारंभ में भारत के इस उद्योग को वैदेशिक कांच वस्तुओं से कंठच्छेदी प्रतिस्पर्धा में, विशेषकर जापान के साथ, गुजरना पड़ा था और भारतीय उद्योग पतियों के सभी प्रयत्नों के बावजूद विदेशी शासन ने इस उद्योग को 'संरक्षण' (Protection) देने से बिलकुल इंकार कर दिया। जबकि १६२७ में टेरिफ बोर्ड ने डा० जान मथाई के नेतृत्व में संरक्षण दिए जाने की बात को मान्यता प्रदान की थी और शासन ने इस अस्वीकृति का एक ही बहाना किया कि इस उद्योग के लिए आवश्यक सोडा-एश (Soda-Ash) का उत्पादन भारत में बिलकुल नहीं होता। यह सब होते हुए भी भारत के कांच उद्योग ने प्रगति का ही प्रदर्शन किया। यह प्रगति निम्न सारिणी से प्रगट होती है :—

वर्ष	निर्माणी संख्या
१८६२	१
१६१४	३
१६१८	२०
१६३२	५६
१६३८	१०१
१६५०	२२४

१६३६-४६ का द्वितीय विश्वयुद्ध इस उद्योग की प्रगति में वरदान सिद्ध हुआ। युद्ध के फलस्वरूप जापानी माल के आयात में की गयी रोक ने इस उद्योग को प्रगति करने में काफी सहायता पहुंचाई।

मध्यप्रदेश के स्थान का पता भारत में कांच उद्योग के राज्यानुसार विभाजन से निम्न सारिणी से लगता है :—

१६५०–५१

राज्य	कांच और कांच के बर्तनों की निर्माणियाँ	चूड़ी, गुरिये आदि की निर्माणियाँ	कुल निर्माणियाँ
उत्तर प्रदेश	२४	६०	११४
पं० बंगाल	३४		३४
बिहार	८		८
उड़ीसा	१		१
मध्यप्रदेश	६		६
बंबई	३२		३२
मद्रास	४	३	७
दिल्ली	३		३
पंजाब	७		७
पहले के रियासती संघ	१२		१२
योग	१३१	६३	२२४

इस टेबिल से पता चलता है कि कांच उद्योग के क्षेत्र में मध्यप्रदेश का कोई विशेष राष्ट्रीय महत्व नहीं है। यह भी ज्ञात होता है कि बड़े पैमाने पर चूड़ी निर्माण का कार्य उत्तरप्रदेश में ही सीमित है। जबकि देश भर में चूड़ी की अत्यधिक मांग है। मध्यप्रदेश में कांच की चादरें (Sheet Glass) वैज्ञानिक उपयोग में आने वाले सामान और अन्य सजावट के कांच के सामानों के उत्पादन करने का कार्य नहीं होता है। भारत के कांच उद्योग में लगभग ४ करोड़ रुपये की पूंजी विनियोजित है; जिसमें लगभग ३०,००० श्रमिकों को कार्य प्राप्त होता है।

कच्चा माल

मध्यप्रदेश में कांच के उद्योग की प्रगति इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि एक उद्योग कुछ कच्चे मालों के अभाव में भी किस प्रकार वेग से प्रगति पथ पर आरूढ़ हो सकता है। मध्यप्रदेश में इस उद्योग की प्रगति का मौलिक कारण विस्तृत विपणि का विशिष्ट सद्भाव है ।

कांच निर्माण में जिन कच्चे मालों की विशेष आवश्यकता पड़ती है उनमें कांच की रेत (Glass Sand), सोडा एश (Soda Ash) और चूना मुख्य हैं। यहाँ की सभी निर्माणियों को ग्लास सेंड का उत्तरप्रदेश से आयात करना पड़ता है— प्रयाग से। इस ओर जबलपुर को अन्य निर्माणियों की अपेक्षा विशेष लाभ उपलब्ध हैं। जबलपुर के समीप इसके कुछ अच्छे निक्षेप (Deposits) हैं। भी परन्तु यहाँ की उपलब्ध कांच-रेत कुछ खराब होती है और इसलिए उसमें से कोलिन और अन्य अशुद्धियों को निकालने के लिए उसे खूब धोना पड़ता है।

दूसरा उपयोगी कच्चा माल सोडा एश (Soda Ash) है और अन्य मालों की अपेक्षा यह सबसे अधिक मंहगा भी पड़ता है कि जिनका आयात यह राज्य करता है। सोडा एश के उत्पादन में भारतवर्ष आत्मनिर्भरता की सतह से काफी नीचे है और इसीलिए प्रतिवर्ष ब्रिटेन, संयुक्तराष्ट्र, अमेरिका, आफ्रिका, (मगरी सोडा एश) आदि से भारत में करोड़ों रुपयों के सोडा एश का आयात होता है। विविध उत्पादन कार्यों के लिए भारतवर्ष को प्रतिवर्ष १२४००० टन सोडा एश की आवश्यकता पड़ती है जिसमें कांच उद्योग को ४०,००० टन चाहिए। १९४६ में अपनी सोडा एश संबंधी उत्पादन सामर्थ्य का, जो ५४००० टन है, भारत केवल २५ प्रतिशत का ही दोहन कर रहा था। मध्यप्रदेश के कांच के उद्योग को सोडा एश प्रदान करने में इंग्लैंड की जग विख्यात संस्था इंपीरियल केमिकल इंन्डस्ट्रीज (Imperial Chemical Industries) का विशेष महत्व है।

तीसरा उपयोगी कच्चा माल चूना (Burnt lime) है। भाग्य से अच्छी प्रकार का चूना जो कांच निर्माण के लिए उपयोगी है, मध्यप्रदेश में यत्रतत्र उपलब्ध है बंगाल और उत्तरप्रदेश को मध्यप्रदेश से बहुत अच्छी किस्म का चूना भेजा जाता था। कटनी का चूना अपनी विशेष प्रसिद्धि रखता है।

भट्टी के लिए रिफ्रेक्टोरीज (Refractories) की कांच—निर्माण में अतीव आवश्यकता पड़ती है। जबलपुर की ईंधन योग्य क्ले (Fire clay) इस दिशा में बड़ी ही लाभकारी सिद्ध हुई है। परन्तु जबलपुर का यह लाभ नागपुर को अनुपलब्ध है। जहाँ तक ईंधन का प्रश्न है स्थानीय कोयला साधारण है, अतः इतना कार्यकारी नहीं है। केवल गेस भट्टियाँ (Gas Furnaces) ही कोयले की कमी की पूर्ति उचित प्रकार से कर सकती हैं। मध्यप्रदेश का कोयला इस उपयोगी गेस का उत्पादन भी भली प्रकार से कर सकता है।

कांच के कारखाने

मध्यप्रदेश में ६ कांच के कारखाने हैं जो बड़े पैमाने पर कांच वस्तुओं का निर्माण करने के लिए स्थापित किए गए हैं। वे इस प्रकार हैं :—

(१) श्री ओनामा ग्लास वर्क्स लिमिटेड, जबलपुर।
(२) „ स्वस्तिक ग्लास वर्क्स लिमिटेड, चांदा।
(३) „ ओनामा ग्लास वर्क्स लिमिटेड, गोंदिया।
(४) „ सेन्ट्रल ग्लास फेक्टरी, नागपुर।
(५) „ जयरामनगर ग्लास वर्क्स, जयरामनगर।
(६) „ नागपुर गलास वर्क्स, नागपुर।

ओनामा ग्लास वर्क्स लिमिटेड, जबलपुर—जबलपुर के घमापुर उपांग में स्थित है। इसमें ३२६१६० रुपए की पूंजी विनियोजित है। यह हालोवेयर, चिमनी, और जग का निर्माण करता है। प्रतिमाह लगभग ६० टन कांच-वस्तु का निर्माण होता है। कांच के उत्पादन के लिए इस संस्था को सोडा एश, बोरेक्स, बेरियम कार्बोनेट, मेगनीशियम डाय आक्साइड, सेलेनियम आदि रसायनिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है।

स्वस्तिक ग्लास वर्क्स—यह संस्था चाँदा में बाबुपेठ में अवस्थित है। इसमें ७५००० रुपये की पूंजी विनियोजित है। इसमें भी लगभग ६० टन प्रतिमाह के हिसाब से कांच वस्तुओं का निर्माण होता है। परन्तु इसकी दैनिक क्षमता (Capacity) ४ टन प्रतिदिन है। कच्चे माल (रसायनिक पदार्थों) की अल्पता के दूर होते ही इनका अधिक वृद्धि का विचार है। इस निर्माणी के द्वारा हालोवेयर, प्रेस्टवेयर,

शीशियाँ, टेबिल के सामान का निर्माण होता है। इन वस्तुओं के निर्माण में इसे सोडा एश, बोरेक्स फेलस्पर, पोटेशियम नाइट्रेट, आरसेनिक, एलोनियम, मेगनीशियम डाय आक्साइड आदि की आवश्यकता पड़ती है। अगर यह अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करे तो इसका उत्पादन वर्तमान उत्पादन से द्विगुणित हो सकता है।

ओनामा ग्लास वर्क्स लिमिटेड, गोंदिया—यह निर्माणी (भूतकालीन) बंगाल नागपुर रेलवे पर गोंदिया में १९२१ में स्थापित हुई थी। इसमें ३२८००० रुपए की पूंजी विनियोजित है। यद्यपि इसका मासिक उत्पादन ६० टन ही है; किन्तु इसकी क्षमता इससे भी कहीं अधिक है। यह कांच की चिमनियाँ, विविध प्रकार के ग्लोब, टंबलर, घरेलू सामान, हालोवेयर आदि का निर्माण करती है।

सेंट्रल ग्लास फेक्टरी, नागपुर—नागपुर में इमाम बाड़ा रोड पर यह निर्माणी खड़ी है। श्री० एच० एस० नायडू के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप सन् १९३१ में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें प्रारंभ में १५००० रुपए की पूंजी लगी थी। किन्तु अब सम्पूर्ण विनियोजित पूंजी लगभग ३००००० रुपए की है। इसका प्रतिमास उत्पादन १०० टन है। किन्तु इसकी सम्पूर्ण मासिक क्षमता २३८ टन उत्पादन की है। इस निर्माणी के द्वारा शीशियाँ, स्क्रू ड केप, प्लेट, टंबलर, चिमनी इत्यादि कांच की वस्तुओं का बड़े पैमाने पर निर्माण होता है। इनके उत्पादन के लिए यह निर्माणी भी सोडा एश, बोरेक्स, आर्सेनिक, मेगनीज डाय आक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट आदि का उपयोग करती है।

जैराम ग्लास वर्क्स—यह निर्माणी बिलासपुर के जयरामनगर में स्थित है; किन्तु किन्हीं अवांछनीय कारणों से अभी यह बंद पड़ी है।

नागपुर ग्लास वर्क्स नागपुर—यह निर्माणी नागपुर के इतवारा स्टेशन के समीप स्थित है। कांच उद्योग में विख्यात श्री दिगंबर प्रभाकर ओगले के प्रबन्ध-अभिकर्तृत्व में १९२३ में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें ८००००० रुपये की पूंजी विनियोजित है। इसके द्वारा प्रतिमास कांच वस्तु (Finished goods) का निर्माण होता है। यह कांच की चिमनियाँ, ग्लोब, कांच के टंबलर, घरेलू उपयोग की वस्तुयें आदि का निर्माण करती है। इनके निर्माण में सोडा-एश, बोरेक्स, आरसेनिक, मेगनीज डाय आक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, कापर आक्साइड आदि का उपयोग किया जाता है।

उपयुक्त निर्माणियों की उत्पादन सामर्थ्य वर्तमान उत्पादन से बहुत अधिक है। किन्तु इसका दोहन करने में सबसे बड़ी बाधा रासायनिक पदार्थों की अल्पता है। निम्नलिखित सारणी से रासायनिक पदार्थ-संबंधी प्राप्ति और आवश्यकता का प्रदर्शन होता है।

निर्माणी	सोडा एश (टन में)		बोरेक्स (हंडरवेट)		आर्सेनिक (हंडरवेट)		सोडियम नाइट्रेट आदि (हंडरवेट)	
	प्राप्ति	आवश्यकता	प्राप्ति	आवश्यकता	प्राप्ति	आवश्यकता	प्राप्ति	आवश्यकता
नागपुर ग्लास वर्कस लि०	५	१५	२	६	१	३	१५	२·१४ (टन)
सेंट्रल ग्लास फेक्टरी	१७	३०	१·५	२·२५	६	१३	३·२५	५ टन
स्वास्तिक ग्लास वर्कस	५	१०	५	१०	२	४	५	१०
ओनामा ग्लास वर्कस	८	१६	२ टन प्रतिवर्ष	४ टन प्रतिवर्ष	१	२	—	—

उपर्युक्त आंकड़ों के अनुसार यदि निर्माणियों की रासायनिक वस्तु संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जावे तो काफी प्रगति हो सकती है। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय शासन के नेतृत्व में स्थापित प्रयोग-शालायें (Laboratories) इस क्षेत्र में पर्याप्त सहयोग प्रदान करेंगीं और इस प्रकार निश्चय ही कांच के उद्योग का भविष्य उज्जवल होगा।

मध्यप्रदेश से कांच का आयात-निर्यात

कांच के लिये मध्यप्रदेश को न केवल आन्तरिक बाज़ार (Internal market) की प्राप्ति है वरन अन्य प्रान्तों में भी वह उपलब्ध है। मध्यप्रदेश से मद्रास, खानदेश, मध्यभारत, राजपूताना, हैद्राबाद को कांच वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। प्रारम्भ में हमारे उद्योग को वैदेशिक प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप कुछ अलाभ हुए थे। परन्तु १९३९-४६ से जब से जापानी माल का आयात बंद हो गया, इस उद्योग को प्रगति करने का अवसर प्राप्त हुआ। मध्यप्रदेश में कांच सम्बन्धी आंकड़े इस प्रकार हैं।

टनों में (1)

वर्ष	१९३७-३८	१९३८ ३९	१९३९-४०	१९४०-४१	१९४१-४२	१९४३-४४
आयात	१४०४	१४७८	१३६८	१३६७	११५७	६५८
निर्यात	६९६	७३४	७७४	८६३	१०२३	३८९

किन्तु जैसा कि लिखा जा चुका है कि इस उद्योग की प्रगति सम्बन्धी सामर्थ्य मध्यप्रदेश में पर्याप्त है और तब व्यापार के क्षेत्र में भी वृद्धि होगी।

कांच-उद्योग का भविष्य

जब हम कांच के उद्योग की वृद्धि और प्रगति पर विचार करते हैं तब हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि भिन्न-भिन्न विपणि स्थलों में नवीन निर्माणियों की स्थापना के साथ ही वर्तमान निर्माणियों में पर्याप्त परिवर्तनों की आवश्यकता है। वर्तमान निर्माणियों में अनेक दोषों का दर्शन होता है। सर्व प्रथम त्रुटि भट्टी (Furnaces) को खराबी है। इसके परिणाम स्वरूप निर्मित कांच अच्छी किस्म का नहीं होता। और उसमें टूट फूट की अधिक गुंजाइश विद्यमान रहती है। कुछ निर्माणियों ने भट्टियों में पर्याप्त सुधार किये हैं और कुछ प्रयत्नशील हैं। दूसरी त्रुटि प्रबन्ध सम्बन्धी

(1) 'Inland Trade of India'—Department of Commercial Intelligence and Statistics, India.

है। राउ कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रबन्धन सम्बन्धी त्रुटि के फलस्वरूप ही उत्पादन की विशेषता में ह्रास हुआ है। (१) इस उद्योग की प्रगति ही क्या किसी भी उद्योग के लिये प्रबन्धन का ठीक होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। तीसरी त्रुटि कांच-रज (Glass sand) से सम्बन्धित है। दुर्भाग्य से भारत में उपलब्ध कांच-रज में अशुद्धि के रूप में अधिक लोहा मिश्रित है जिसे दूर करने लिये अतिरिक्त श्रम की आवश्यता पड़ती है। यह पुनः अच्छी भट्टियों की आवश्कता में वृद्धि करता है।

नवीन निर्माणियाँ :—काँच के बढ़ते हुए उपयोग को प्रदर्शित करने के लिये आंकड़ों की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष ही हम उनका बढ़ता हुआ उपयोग देख रहे हैं। कांच के सामान कमजोर होते हैं और टूट फूट के शिकार जल्दी बन्द जाते हैं। ऐसी स्थिति में उसका सरलता से स्थानान्तरण नहीं होता। अतः यह आवश्यक है कि नवीन निर्माणियों की स्थापना कच्चे माल के अड्डों में न होकर विपणि (Market) के समीप हो। अतः बड़े पैमाने पर कांच वस्तुओं का उत्पादन करनेवाले उद्योगों की आवश्यकता और क्षेत्र अधिक नहीं है। क्योंकि बड़े पैमाने वाले उद्योगों द्वारा उत्पन्न पदार्थों का स्थानान्तरण आवश्यक होता है। अतः छोटे-छोटे उद्योगों का क्षेत्र पर्याप्त रूप से दृष्टिगत होता है। राउ कमेटी की भी यही राय है। इन्ही उद्योगों का भविष्य उज्जवल और सफलता से परिपूर्ण दृष्टिगत होता है। इसके लिये स्थानीय विपणि में भी वृद्धि करने की अधिक आवश्यकता है। विपणि वृद्धि में नवीन वस्तुओं का निर्माण चाहिए और आयात पर भी रोक की जरूरत है।

इस प्रकार नवीन निर्माणियों की आवश्यकता तो है ही, साथ ही विद्यमान निर्माणियों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

---

(१) "A high standard is not insisted on by the management and no inducements are offered to blowers to attain it. Almost any work is accepted——————production has thus greatly deteriorated in quality, which must be remedied and new standards set."

Report of The Provincial Industries Committee, Central Provinces & Berar (Page 36).

अध्याय १०

बिड़ी उद्योग

यह मध्यप्रदेश का बहुत बड़ा गृह-उद्योग है। देश में गृह-उद्योग प्रणाली पर ही इसे संचालित किया जाता है। देश में ६००००० व्यक्ति इस उद्योग में सालाना काम पाते हैं और तीन माह की व्यस्त-ऋतु में तीन लाख अतिरिक्त व्यक्तियों को भी इसमें काम मिलता है। बिड़ी के लिये उपयोगी तम्बाकू पर शासन को ११,००,००,००० रुपये प्रतिवर्ष की कर सम्बन्धी (Excise Duty) आय होती है। भारत में ३४२५८० पौंड तम्बाकू प्रतिदिन बिड़ी बनाने के काम में ली जाती है। प्रतिदिन लगभग ५०,००,००,००० बिड़ी भारत में बनाई जाती है। मध्यप्रदेश बिड़ी के उत्पादन में अग्रणी है इस बात का अनुमान १९५२-५३ में कर की वसूली (Excise Duty) पर से सरलता से लगाया जा सकता है:—

१९५२–५३

राज्य	प्रतिशत कर प्राप्ति
मध्यप्रदेश	२५%
बम्बई	२२%
मद्रास	१६%
प० बंगाल	१२%

बिड़ी का उत्पादन भारत के राज्यों में इस प्रकार है :—

(करोड़ में)

राज्य	बिड़ी
मध्यप्रदेश	१२·५
बम्बई	११
मद्रास	८
प० बंगाल	६
शेष	१२·५

मध्यप्रदेश में बिड़ी उद्योग का प्रारम्भ लगभग ५२ वर्ष पूर्व हुआ था। गुजरात के व्यापारी अपने साथ कुछ कुशल कारीगर लेकर आये थे। उन्होंने ही मध्यप्रदेश में इस उद्योग का आरम्भ किया। दो मुख्य कारण इस उद्योग की प्रगति के रहे हैं। सर्व प्रथम कारण तो तेंदू के पत्तों का बाहुल्य, जो कच्चे माल के रूप में बिड़ी की प्राथमिक अनिवार्य आवश्यकता है। दूसरा कारण मध्यप्रदेश की उद्योग हीनता रही है। गांवों और शहरों में निवास करने लाखों व्यक्तियों को अल्प आय के कारण गरीबी से जीवन यापन करना पड़ता था। अतः बिड़ी उद्योग को विपुल श्रमिक संपत्ति की सरलता से प्राप्त हो सकी। इनके अतिरिक्त बड़ी भारी प्रान्तीय और अन्य-प्रान्तीय विपणि भी इसकी शीघ्रोन्नति के लिये बहुत प्रेरक सिद्ध हुई कि जिसके अभाव में यह उद्योग जरा भी नहीं बढ़ पाता। ग्रामीणों का तम्बाखू खाने पीने का व्यसन तत्सम्बन्धी उपयोग को बढ़ाये हुये है।

मध्यप्रदेश के बिड़ी उद्योग में १५०००० से २००००० श्रमिक काम करते हैं। इस प्रकार इस दृष्टि से भी मध्यप्रदेश का स्थान अग्रणी के रूप में है। यह निम्नलिखित सारिणी में स्पष्ट हो जाता है :—

श्रमिक संख्या

राज्य	संख्या
मध्यप्रदेश	१५००००
बम्बई	१३२०००
मद्रास	६६०००
बिहार	४८०००
शेष	१२००००

सभी जातियों के व्यक्ति इसके निर्माण में योग देते हैं। इस प्रकार किसी वर्ग विशेष की इसके उत्पादन में विशेषता नहीं है। मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध बिड़ी उद्योगपति श्रीयुत भाई परमानन्द पटेल के अनुसार लगभग २५,०००० और ३००००० रुपये की राशि श्रमिकों को पारिश्रमिक स्वरूप प्राप्त होती है। बिड़ी के उद्योग में करीब ३०,००० मुनीम गुमास्ते काम करते हैं। मध्यप्रदेश में बिड़ी उद्योग पूंजीपतियों के हाथ में होते हुए भी गृह-उद्योग के रूप में

प्रचलित है। यह हस्तकला का एक नमूना है। उद्योगपति बिड़ी बनाने वाले श्रमिकों को निश्चित तौल में तम्बाखू और पत्ती देते हैं। फिर श्रमिक दिन भर बिड़ी तैयार करता है—जो कार्य उसके घर में या उद्योगपति के कारखाने में भी होता है। बिड़ियों की संख्या भी गिनकर ही श्रमिक को कार्यानुसार उसका शोधन (Payment on the basis of Piece wages) किया जाता है। यहाँ मासिक वेतन जैसा कोई प्रश्न हीं नहीं उठता। मध्यप्रदेश का एक श्रमिक माध्य रूप से ९०० बिड़ी प्रतिदिन बना सकता है।

बिड़ी उद्योग के लिए कुछ वस्तुओं की आवश्यकता विशेष रूप से होती है। तम्बाखू, तेंदू की पत्ती तो मुख्य हैं ही; इनके साथ ही वेष्ठन के लिए क्राफ्ट पेपर, झिल्ली कागज और बिड़ी बांधने का तागा आदि भी आवश्यक है। भारतवर्ष में १०,००,००० एकड़ भूमि में तम्बाखू की खेती होती है। बिड़ी निर्माण के लिए गुजरात, बेलगांव और कोल्हापुर से लगभग ५००००० मन तम्बाखू का प्रतिवर्ष बिड़ी निर्माण के निमित्त आयात किया जाता है। इसका मूल्य लगभग ५००००००० रुपये होता है। तेंदू का पत्ता, तम्बाखू भरने के लिए सिगरेट जैसा कार्य करता है। यह तेंदू के पत्ते की ही विशेषता है कि वह नरम एवं कुवास रहित बिड़ी के लिए आवश्यक सभी गुणों सहित होता है और उसका महत्व तम्बाखू से किसी भी प्रकार कम नहीं आंका जा सकता। मध्यप्रदेश के जंगलों में यह पत्ती विशेषकर उपलब्ध है। छेवले के पौधे की ऊँचाई वाले इसके वृक्ष होते हैं। उसके फल भी सुस्वादु होते हैं। इन पत्तों की फसल वर्ष में १ या १॥ माह ही होती है। मई का माह ही इसके लिए निश्चित रहता है। तेंदू के पेड़ों से पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं और उन्हें सुखाकर नमी प्रदान की जाती है। बाद में उन्हें उचित प्रकार से बोरियों में भर दिया जाता है। मई के माह में ही वर्ष भर की आवश्यकता की पत्तियाँ प्राप्त करना पड़ता है। मालगुजारी के उन्मूलन के पूर्व मालगुजारों के अधिकृत जंगलों को बिड़ी उद्योग के मालिक ठेके पर लिया करते थे। पत्ती की फसल के दिनों लगभग १५ लाख मजदूर काम करते हैं। भारत में लगभग २·५ अरब पत्तियाँ बिड़ी उद्योग के लिए उपयोग में लायी जाती हैं। तम्बाखू और पत्तों के साथ ही बिड़ी के व्यवसाय के लिए उसका वेष्ठित (Packing) किया जाना असाधारण महत्व का है। यह एक सुव्यवस्थित कार्य हुआ करता है। पच्चीस पच्चीस बिड़ियों के कट्टे बनाये जाते हैं। कट्टों के लिए झिल्ली कागज (Tissue

Papar) का वेष्टन चाहिये। दुर्भाग्य से यह कागज भारत में उपयुक्त मात्रा में नहीं होता। अतः विदेशों से इसका आयात करना पड़ता है। नार्वे और स्वीडन इस कागज के प्रधान निर्यातक (Exporter) हैं। प्रतिवर्ष विदेशों से ३००००० और ४००००० के बीच इस कागज की रीमों का आयात होता है। यह लगभग १,७५,००,००० रुपये के मूल्य का होता है। झिल्ली कागज के अतिरिक्त क्राफ्ट पेपर कट्टों के सामूहिक वेष्टन के लिए जरूरी होता है। भारत में ही अब प्रचुर मात्रा में क्राफ्ट पेपर का उत्पादन होने लगा है।

मध्यप्रदेश में बिड़ी उद्योग की प्रमुख निर्माणियाँ जबलपुर, भंडारा, सागर कामठी, रायपुर, बिलासपुर, होशंगाबाद, कटनी, दमोह तथा सिहोरा आदि प्रमुख स्थानों में प्राप्य हैं। कुछ कुछ निर्माणियों ने तो बड़े भारी पैमाने पर कुछ अन्य गांवों में भी अपने छोटे-छोटे कारखाने खोल दिये हैं।

अध्याय ११

कृषि पर आधारित उद्योग एवं अन्य गृह उद्योग

मध्यप्रदेश का प्रधान उद्योग कृषि है। हम यह भी देख आए हैं कि मध्यप्रदेश की लगभग ८३ प्रतिशत जनता ग्रामों में ही निवास करती है। (१) भारत की उद्योग संबंधी व्यवस्था के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ केवल १५ प्रतिशत श्रमिक बड़े-बड़े उद्योगों में काम करते हैं; जो बड़े उद्योग केवल शहरों में ही सीमित हैं और इसमें भी बम्बई और बंगाल में बड़े उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक समुदाय का ६० प्रतिशत केन्द्रित है। अतः मध्यप्रदेश में कुछ बड़े उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योग ग्रामों में स्थानित हैं और उनका संचालन यहाँ के ग्रामीण ही करते हैं। उदाहरणार्थ लोहे पर काम करने वाला आगरिया ग्रामवासी ही है और क्योंकि मध्यप्रदेश में अभी तक बड़े पैमाने पर खनिज पदार्थों का उपयोग नहीं किया गया है इसलिए जितने भी ग्रामीण अथवा कुटीर उद्योग हैं वे कृषि पदार्थों से या जमीन के ऊपर ही प्राप्त पदार्थों से संबंधित हैं। जैसे तेल निकालना, बांस की वस्तुयें बनाना, रस्सी बनाना, लकड़ी की चीजें बनाना इत्यादि, इत्यादि। भूमिहीन कृषकों की समस्या का प्रारंभ ब्रिटिश सत्ता के प्रारंभ से ही संबंधित है, अन्यथा मध्यप्रदेश का कृषक कृषि के साथ ही अपनी कुटीर में उस प्रकार के उद्योगों का आश्रय लेता आया है जो ग्राम की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और जो ग्रामों को आत्मनिर्भर करते रहे हैं। अभी भी इन उद्योगों का महत्व कम नहीं हुआ है, यद्यपि हमारी उपेक्षा उनके प्रति होती जा रही है और वे जर्जर हालत में है। किन्तु, यह तो कभी भी अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि मध्यप्रदेश सदृश कृषि प्रधान और अल्प पूंजी वाले राज्य के लिए कुटीर उद्योगों का महत्व अपने ढंग का निराला है और उनकी उपेक्षा के सद्भाव में आर्थिक-प्रगति शहरों तक ही

(१)

शहरी जनसंख्या प्रतिमील	मध्यप्रदेश ६८ उत्तरप्रदेश ११२ बंबई २१२	बिहार उड़ीसा ४० इंगलेंड ७६६

सीमित हो सकती है। यहाँ का गांव गांव समृद्ध और संतुष्ट होवे, उसके लिए यह अत्यावश्यक है कि यहाँ के ग्राम्य या कुटीर उद्योगों की पुनः प्रतिष्ठा की जावे।

१९४७-४८ और ४८-४९ में मध्यप्रदेश का भूमि संबंधी विभाजन इस प्रकार था—

००० एकड़ में

क्षेत्र	१९४७-४८	४८-४९
वन	२३५७९	२३५७२
कृषि के लिए अप्राप्य भूमि	६२४८	५९६५
अन्य अप्राप्य भूमि	१७७३२	२००९८
पड़ती भूमि	५३६६	४७८४
कृष्य भूमि	२८०२५	२८५७८

२८५७८००० एकड़ भूमि पर खेती होती है। इस क्षेत्र में अन्न (Food Grains) के लिए १९४७-४८ और ४८-४९ में क्रमशः २४५६९ और २५०८१ हजार एकड़ भूमि का उपयोग किया गया। इन अनाजों के अतिरिक्त व्यापार योग्य आर्थिक अनाजों (Cash Crops) का उत्पादन शेष भूमि पर किया जाता है। इस प्रकार के अनाजों में तिलहन, गन्ना, कपास आदि सम्मलित हैं। तिलहन का उत्पादन मध्यप्रदेश में इस प्रकार हुआ :—

तिलहन का उत्पादन (००० एकड़ में)

वर्ष	अलसी	तिली	सरसों-राई
१९४७-४८	१०९७	४६६	१५४
१९४८-४९	११२४	४०९	१६३

वर्ष	मूंगफली	अरंडी	अन्य	योग
१९४७-४८	६०४	३३	३९७	२७५१
१९४८-४९	६२९	३३	४१७	२७७५

आर्थिक अनाज (००० एकड़ में)

वर्ष	गन्ना	कपास	अन्य रेशे वाले पौधे	तम्बाकू
१९४७–४८	५६	२६१०	१०४	१०
१९४८–४९	५६	३०५३	११८	८

उपर्युक्त के अतिरिक्त कुछ क्षेत्र ऐसा भी है जिसका उपयोग मसाले, नील, अफीम, पशुभोज्य, फल-साग आदि के लिये किया जाता है। १९४८–४९ में मसाले वाले पदार्थों (जीरा, धनियाँ) के लिये १५८ हजार एकड़ और साग-भाजी के लिये २८६ हजार एकड़ भूमि का उपयोग किया गया।

उपर्युक्त अधिकांश आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ आर्थिक अनाजों के उत्पादन की ओर कृषक का झुकाव बढ़ते जा रहा है। यदि मध्यप्रदेशीय सरकार इस वृत्ति पर रोक न लगाती तो शायद यह और भी जोर पाती। ज्यों-ज्यों आर्थिक अनाज (Commercial Crops) का उत्पादन बढ़ता जाता है स्पष्ट ही तत्संबन्धी उद्योगों की प्रगति होती जाती है—जैसे अब मध्यप्रदेश में तेल-पेरने का उद्योग काफी बढ़ रहा है। कुछ आर्थिक अनाजों के बारे में, जैसे महुआ, हर्र-बहेरा आदि, विश्वसनीय आंकड़े भी उपलब्ध नहीं किए जा सके हैं।

मध्यप्रदेश के कृषि सम्बन्धी उद्योग

इस प्रकार के उद्योग निम्न लिखित हैं :—

(१) सूत कातना या बुनना
(२) तैल निकालना
(३) वनस्पति तैल
(४) चांवल कूटना
(५) संतरा का उद्योग
(६) गुड़ बनाना
(७) दुग्ध तथा तत्संबन्धी पदार्थों का उत्पादन
(८) लाख
(९) पशुपालन

सूत कातना और बुनना मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा गृहउद्योग है। कितने ही वर्षों से मध्यप्रदेश के जुलाहों, कोष्टों, महारों आदि ने साड़ी, धोती, गमछे, चादर, साफे, पगड़ी आदि के बनाने में अपने को सिद्ध हस्त कर लिया है। चांदा, भंडारा, आदि में सूत के बदले कोसे की कताई और बुनाई की जाती है। इस कताई और बुनाई का न केवल गांवों में प्रसार है अपितु नागपुर, जबलपुर, बुरहानपु रने इस ओर विशेषता प्राप्त की है। यद्यपि मध्यप्रदेश अपनी सूती वस्त्र संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, तो भी दुर्भाग्य से अधिकांश कपास का निर्यात यहां से बम्बई, विदेश आदि के लिये होता है। बहुधा यह गृह-उद्योग मिलों द्वारा काते गये सूत का उपयोग करता है। इसलिए दोनों के बीच विशेष रूप से संतुलित संबंध की आवश्यकता है। इस विषय पर 'सूती वस्त्र उद्योग' के अध्याय में पूर्ण रूप से प्रकाश डाला गया है [१]। इतना अवश्य ही कहा जा सकता है कि कपास उत्पादक कृषक अधिक संतुष्ट और समृद्ध होगा यदि उचित विधि से उसके कपास का उपयोग राज्य के भीतर ही किया जाता है।

तेल पेरने का उद्योग अब विशेष प्रगति कर रहा है। तेल पेरने वाली जाति को तेली (Oil vendor) कहते हैं। पूर्वकाल से प्रचलित अपने कोल्हू और बैल की सहायता से मध्यप्रदेश के ग्रामों में जगनी (राम तिली), तिली, सरसों, अलसी आदि का तेल पेरा जाता रहा है। दुर्भाग्य से भारत से लाखों रुपये का तिलहन विदेशों को भेजा जाता रहा है। किन्तु यदि यहां ही तेल के उद्योग का विकास होता है तो न केवल नागरिकों को तेल की प्राप्ति होगी, बरन, कृषि के लिये अनिवार्य बैलों के लिये खली के रूप में उच्च कोटि का भोजन भी प्राप्त होगा। खली का उपयोग कृषि-भूमि की उर्बरा शक्ति बढ़ाने में भी उचित प्रकार से लाभ पूर्वक किया जा सकता है। हम देख चुके हैं कि मध्यप्रदेश तिलहन के उत्पादन में खूब समर्थ हैं अतः तेल पेरने का उद्योग अपना विशेष महत्व रखता है। (२)

---

(१) देखो "सूती वस्त्र उद्योग"

(२) तिलहन के उत्पादन में भारत का स्थान सर्व प्रथम है

(मिलियन मन में)

भारत	८·०	रूस	१·६
चीन	७·०	नाइजीरिया	१·०
संयुक्तराष्ट्र	४·३	डच इंडीज	०·६
अरजेनटाइना	२·०	योग	२४·८

इस विषय में महुआ और बिनौले के तेल का महत्व भूला नहीं जा सकता। महुआ के बारे में अभी तक विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी मध्यप्रदेश के जंगलों में बहुतायकता से महुआ उत्पन्न होता है। बिनौला का उपयोग अभी तक केवल पशुभोज के लिए होता है। किन्तु बिनौले की खली मात्र से पशुभोज का का काम लिया जा सकता है, जबकि उसका तेल स्वास्थ्य की दृष्टि से जैतून के तेल सरीखा स्वास्थ्यप्रद है।

वनस्पति घी के बारे में, यद्यपि देश में अनेक विचारधारायें हैं और यद्यपि यह कभी भी प्राकृतिक घी की तुलना में उपयुक्त स्थान नहीं पा सकता, तो भी, मध्यप्रदेश ने इस क्षेत्र में भी प्रगति की। अकोला आदि में वनस्पति घी के उत्पादन के कारखाने खुल गए हैं। मध्यप्रदेश में पर्याप्त मात्रा में मूंगफली का तेल उपलब्ध है। और इसका उपयोग इस घी के उत्पादन में किया जाता है।

नागपुर में स्थापित डी. लक्ष्मीनारायण इंस्टीटयूट आफ टेकनालाजी (D. Laxminarayan Institute of Technology, Nagpur) ने तेल निर्माण के विशेष अध्यापन द्वारा इस ओर अनुसंधान चालू किए हैं।

मध्यप्रदेश में बहुतायकता के साथ चावल का उत्पादन होता है। चावल भारत की अधिकांश जनता का प्रमुख भोजन (Staple food) है अतः चावल कूटने और साफ करने के उद्योग का महत्व स्पष्ट हो जाता है। वैसे तो पहले मध्यप्रदेश में हाथ के द्वारा ही ऊखल आदि में चावल कूटा जाता था किन्तु अब विदेशों से विशेषकर अमेरिका से चावल कूटने की मशीनें (Hullers) आने से काफी प्रगति हो रही है। चावल उत्पादन के केन्द्र छतीसगढ़, बालाघाट आदि में सैकड़ों हलर स्थापित किए गए हैं। महात्मा गांधी के प्रभाववश वर्धा के इस बात

को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि हाथ का कुटा चावल ही उपयोग में लाना चाहिये क्योंकि वह ही स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। शासन की ओर से भी इस ओर कुछ असफल प्रयत्न किए गए थे। चावल कूटने के उद्योग का मध्यप्रदेश में पर्याप्त क्षेत्र है ।

संतरा संबंधी उद्योग का भी विशेष स्थान है। मध्यप्रदेश संतरे के उत्पादन में काफी बढ़ा हुआ है। भारत के विदेशी व्यापार तक में संतरे का स्थान बढ़ते जा रहा है। किन्तु संतरा एक शीघ्र विनाशीक पदार्थ है, इसलिए इसके संरक्षण के लिए विशेष यंत्रादि का होना आवश्यक है इसलिए मध्यप्रदेश में इसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। संतरे से अनेकों वस्तुओं का उत्पादन होता है ।

मध्यप्रदेश के उन ग्रामों में जहाँ गुड़ पैदा किया जाता है वहाँ गुड़ निर्माण का कार्य होता है। मध्यप्रदेश में एक भी शक्कर का उद्योग नहीं है। इसलिए अधिकांश ईख-उत्पादन का उपयोग गुड़ बनाने के लिए ही होता है। भोजन विज्ञान के ज्ञाताओं का कथन है कि गुड़ शक्कर से अधिक स्वास्थ्य प्रद है। यदि हम स्वास्थ्य शास्त्र की चर्चा को नगण्य भी कर दें, तो भी यह भूला नही जा सकता कि गुड़ निर्माण साधारण कृषक की भी पहुँच के भीतर है, जबकि शक्कर का कारखाना एक पूंजीपति ही खोल सकता है। मध्यप्रदेश अपनी आवश्यकता की पूर्ति यहां के गुड़ में नहीं कर सकता। अतः अन्य प्रान्तों से गुड़ और शक्कर का आयात किया जाता है। मध्यप्रदेश में शक्कर के उद्योग की स्थापना के लिए उर्वर क्षेत्र भी उपस्थित नहीं हैं।

कृषि उद्योगों (Agro-Industries) के अतिरिक्त जो अन्य लघु उद्योग यहाँ पर स्थापित हैं उनका विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है :—

(१) वनों पर आधारित उद्योग।
(२) वस्त्र संबंधी उद्योग।
(३) श्रृंगार संबंधी उद्योग।
(४) धातु संबंधी उद्योग।
(५) औषधि संबंधी उद्योग।
(६) पशु संबंधी उद्योग।
(७) भोजन संबंधी उद्योग।

वन संबंधी उद्योगों को ३ प्रकार विभाजित किया जा सकता है :—

(१) यांत्रिक उद्योग (Mechanical Industries)

(२) रासायनिक उद्योग (Chemical Industries)

(३) औषधि उद्योग (Pharmaceutical Industries)

वन संबंधी यांत्रिक उद्योगों में आरा के मिल (Saw mills) परतदार लकड़ी का निर्माण, दियासलाई की डब्बियाँ और काड़ियों का निर्माण गर्भित है। रासायनिक उद्योगों में कागज, कोयला, चूना, महुआ का तेल, लाख, चमड़ा, रूसा का तेल का निर्माण गर्भित है। औषधि उद्योगों में आंवला, जड़ी बूटियाँ, कंजई का तेल, आदि की प्राप्ति को गर्भित किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश में जबलपुर, सिवनी, चांदा आदि में वन-संबधी यांत्रिक उद्योगों की काफी प्रगति हुई है। विशेषकर विभाजन के बाद पश्चिमी पंजाब और सिन्ध के नागरिकों ने आकर आरा (Saw Mills) के उद्योग को खूब ही प्रोत्साहन प्रदान दिया है। यह उद्योग सिक्खों, पंजाबियों और सिन्धियों के हाथों विशेष रूप से हैं। परतदार लकड़ी के उत्पादन के लिए मध्यप्रदेश में काफी क्षेत्र मौजूद हैं। वैसे तो पंचमनगर और वर्धा में हाथ का कागज बनाया जाता है किन्तु इसका अधिक विकास अभी तक नहीं हुआ है। फिर भी यहाँ हाथ के निर्माण के लिए बहुत क्षेत्र मौजूद हैं। खंडवा के समीप नेपा मिल एक बड़े पैमाने के उद्योग से संबंधित कदम है।

वस्त्र संबंधी उद्योगों में सूती और रेशमी वस्त्रों का निर्माण, वस्त्रों की सिलाई, रजाई, गद्दे तकिये भरने का उद्योग, दरी, निवार का निर्माण आदि गर्भित किए जाते हैं।

श्रृंगार संबंधी उद्योगों में चूड़ी (कांच, लाख और सींक की बनाना), आभूषण बनाना, रजक गृह (Laundry) साबुन का निर्माण, खिलौने बनाना, रंगाई, कंघी बनाना, टेबिल कुर्सी का निर्माण आदि आते हैं।

मध्यप्रदेश में बैतूल, चांवडी, जबलपुर आदि में चूड़ियाँ बनायी जाती हैं साबुन के उद्योग को भी जबलपुर नागपुर आदि में प्रोत्साहन मिला है। अनेक शहर अच्छे प्रकार के लकड़ी और मिट्टी के खिलौने बनाते हैं। अनेक स्थानों पर गोरापान, लकड़ी, पत्थर, संगमर्मर आदि पर खुदाई का काम विशेष रूप से होता है।

धातु संबंधी उद्योगों में घंटों का निर्माण, पीतल, कांसे और तांबे के बर्तनों का निर्माण, लोहे की वस्तुओं का निर्माण, तार, खीले, नाल, लोहे के हल आदि का बनाना गर्भित किये जाते हैं। लोहे की वस्तुओं के निर्माण में तो मध्यप्रदेश की विशेषता रही है।

पशु संबंधी उद्योगों में चमड़ा (जूता, चप्पल का निर्माण) हड्डी सींग की प्राप्ति के साथ, पशुओं को दूध से प्राप्त खोवा, मिठाई, दही मक्खन घी आदि की प्राप्ति को भी गर्भित किया जाता है। इस दृष्टि से मध्यप्रदेश में काफी क्षेत्र मौजूद। पशुओं के मल-मूत्र से प्राप्त खात् का उपयोग भी एक विशेष बात है।

भोजन संबंधी उद्योगों में चूना, कत्था, बिस्कुट, मिठाई गुड़, शहद, अचार पापड़ आदि की प्राप्ति को गर्भित किया जाता है। बागवानी (Horticulture) का भी यत्र-तत्र प्रसार है। यातायात की असुविधाओं के कारण उद्यान विद्या को अधिक प्रोत्साहन नहीं मिल पाया है।

इसके अतिरिक्त रस्सी बनाना, बांस की टोकनियाँ, घास की चटाइयाँ, स्याही, पटाके बनाना, मिट्टी के बर्तन, नस तैयार करना, आटा पीसना, जाली बनाना आदि अनेक उद्योग गिनाये जा सकते हैं।

शासन द्वारा आर्थिक सहयोग, अनुसंधान (Research), वस्तु-निर्माण में सुधार, वस्तुओं का समुचित विपणन बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा का अभाव इस क्षेत्र में प्रगति प्रदान करेगा।

अध्याय १२

पंच वर्षीय योजना और मध्यप्रदेश

भारतवर्ष में मध्यप्रदेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है परन्तु आबादी में छठवां स्थान है। सबसे अधिक जन संख्या उत्तर प्रदेश की है। उसके पश्चात् मद्रास, बिहार, बम्बई और पश्चिमी बंगाल का स्थान है। पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत विकासार्थ इस राज्य का पांचवां स्थान है। सबसे अधिक व्यय बम्बई राज्य में होगा। मद्रास, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल भी मध्यप्रदेश से आगे रहेंगे। पंच वर्षीय योजना का सम्पूर्ण व्यय २०६९ करोड़ रुपये है। इस राज्य को केवल ४३'०८ करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। भारत सरकार, वैसे, 'अ' श्रेणी के राज्यों पर सबसे अधिक व्यय करेगी। 'ब' और 'स' श्रेणी के १८ राज्य हैं। इनके विकास पर जितना व्यय होगा, उसका करीब तीन गुना व्यय 'अ' श्रेणी के राज्य करेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि 'अ' श्रेणी के राज्यों पर आवश्यकता से अधिक ध्यान दिया गया है। वास्तव में 'अ' श्रेणी के राज्यों की जन संख्या 'ब' और 'स' श्रेणी के राज्यों की सम्मिलित जन संख्या से बहुत अधिक है। इन प्रान्तों में प्रधान उद्योग-धन्धों का केन्द्रीय-करण है तथा इन्हें अंग्रेजों के शासन काल से उद्योग-प्रधान बनाने के प्रयत्न किये गये हैं। यद्यपि मध्य-प्रदेश 'अ' श्रेणी के राज्यों में पिछड़ा हुआ राज्य है तो भी इसे प्रथम चार या पाँच राज्यों की श्रेणी में रखा जाता है।

अन्य राज्यों के समान ही विभिन्न अंगों का विकास-व्यय निश्चित कर दिया गया है। सबसे अधिक व्यय कृषि एवं उसके उपांगों पर किया जायगा। निम्न लिखित तालिका से इसका स्पष्टीकरण हो जायगा :—

मध्यप्रदेश का विकास व्यय (लाख रुपयों में)

मद	राशि
कृषि और ग्राम सुधार	१३८२'५
प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत योजनाएँ	९०८'०
उद्योग-धंधे	२३५'४
यातायात	२००'०
सामाजिक सेवा में	१५८२'३
कुल	४३०८'२

कृषि और ग्राम सुधार तथा प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत योजनाओं को कृषि विकास में शामिल कर देने से सबसे अधिक खर्च कृषि पर ही होगा। यदि इन्हें पृथक रखा जाये तो इस राज्य में सामाजिक कल्याण पर ही अधिक खर्च होगा। सबसे कम व्यय यातायात पर ही किया जायगा। प्राथमिकता की दृष्टि से कृषि के पश्चात यातायात को ही स्थान देना उपयुक्त था, परन्तु सामाजिक सेवाओं में अनेक कार्यों का समावेश कर दिये जाने से इसे द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। कृषि और ग्राम विकास में कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं दुग्ध शालाएँ, वन, सहकारिता, और ग्राम विकास आदि सम्मिलित हैं। क्योंकि कृषि ही इस राज्य के निवासियों की जीविका का आधार है। अन्य उद्योग तो उसके सहायक हैं। सिंचाई योजनाओं को भी बहुमुखी एवं साधारण योजनाओं में बाँटा गया है। उद्योग-धंधों के तो दो हिस्से किये ही गये हैं। वे हैं—प्रधान धंधे और लघु तथा कुटीर उद्योग धंधे। यातायात में तो केवल सड़कें ही रखी गई है। नदी-यातायात के विकास को स्थान नहीं दिया गया है। सामाजिक कल्याण में शिक्षा, स्वास्थ्य, औषधि, वास-व्यवस्था, श्रम एवं उसकी सुरक्षा सम्मिलित है। सबसे अधिक खर्च शिक्षा पर होगा। इस पर कुल १०·७६ करोड़ रुपये खर्च होंगे।

योजना—कमीशन ने प्रत्येक राज्य की राशि को पाँच वर्षों में बाँट दिया है। प्रथम तीन वर्षों का व्यय अलग-अलग दिया गया है तथा अन्तिम दो वर्षों का व्यय मिला दिया है। इसका कारण यह है कि कमीशन के समक्ष सन् १९५२-५३ तक के आंकड़े हैं। अंतिम दो वर्षों की प्रगति का अभी से अनुमान लगाना कठिन था। रूस में यद्यपि प्रत्येक वर्ष की प्रगति एवं व्यय का सही-सही अनुमान लगाया जाता है। सोवियट रूस में ऐसी चार पाँच-वर्षीय योजनाएँ सफल हो चुकी हैं। वहाँ की सरकार ने उनकी सफलता के लिये समस्त सत्ता और शक्ति का प्रयोग किया है। फिर भी कमीशन ने प्रत्येक राज्य के वार्षिक व्यय का अनुमान देकर योजना की पृष्ठ भूमि को मजबूत बना दिया है। 'अ' श्रेणी के राज्यों के व्यय की तालिका इस प्रकार है :—

राज्य	सन् १६५०-५१ में व्यथ	सन् १६५१-५२ में व्यय	सन् १६५२-५३ का आय व्यय	पांच वर्षों कुल व्य
आसाम	१·०३०	१·४१८	२·४७७	१७·४६२
बिहार	७·६३६	१३·४८६	१५·३१८	५७ २६१
बम्बई	२०·११०	२३·१२२	२६·२२७	१४६·४३५
मध्यप्रदेश	७·६७५	७·८२४	६·५४३	४३·०८२
मद्रास	३०·६४२	२७·७०५	३०·०८२	१४०·८४१
उड़ीसा	३·२०३	२·७८६	३.६६६	१७·८४२
पंजाब	२ ८१२	३·७७३	५.६१०	२०·२०७
उत्तर प्रदेश	१३·७८३	१७·२२६	२२ ६४१	६७·८२६
पश्चिमी बंगाल	१०·१२२	१२·०८१	१३·७६१	६६·०६७
	६७·६१६	११०·४२४	१३२·६२५	६१०·११६

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि सन् १६५२-५३ में मध्यप्रदेश में पं वर्षीय योजना के अंतर्गत प्रायः साढ़े नौ करोड़ रुपये खर्च हुआ। वैसे इस वर्ष श्रेणी के राज्यों में सबके अधिक व्यय मद्रास में हुआ। इसका कारण वहां क सीमा की समस्या है। आंध्र राज्य का निर्माण हो जाने से यह राशि मद्रा या तामिलनाड और आंध्र राज्यों में विभाजित कर दी गई। यह बता देन अनुपयुक्त न होगा कि योजनाकाल में अंदमान निकोबार में भी केन्द्रीय सरका ३ करोड़ ८२ लाख ८० हजार रुपये खर्च करेगी।

सन् १६५०-५१ से सन् १६५५-५६ तक विभिन्न ७५ विभागों, अंगों और उपांग पर ४३·०८ करोड़ रुपये खर्च किये जावेंगे। इनमें कृषि, पशुपालन, वन, सहकारिता सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, व्यवस्था इत्यादि शामिल हैं। सिंचाई योजनाओं औ बहुमुखी योजनाओं का हिसाब इन ७५ योजनाओं के बाहिर है। कृषि विकास में कुओं की खुदाई एवं उनका पुनर्निर्माण, तालाबों का निर्माण, ग्रामीण सिंचाई योजनाएँ, रहट बाँध, ट्रैक्टर्स, की खरीद तथा उनसे भूमि की जुताई, खाद का वितरण, अच्छे बीजों क वितरण इत्यादि शामिल हैं। राज्य सरकार के कृषि विभागके प्रसार में ७०,६०,००० रुपं खर्च होंगे। पशु महाविद्यालय और पशु अनुसंधान शाला पर ४२ लाख रुपये का खर्च होगा। बड़े बड़े शहरों में दुग्ध शालाएँ स्थापित की जावेंगी। सरकार ५३ लाख रुपये

इनमें लगायगी और सन् १६५५-५६ के अंत तक तीन दुग्ध शालाएँ कार्यरत रहेंगी तथा ११ के विकास का समाप्तिकाल समीप रहेगा। सहकारिता के प्रसार और विकास पर केवल २८ लाख रुपये खर्च किये जावेंगे। ग्राम एवं न्याय पंचायतों पर १ करोड़ ८४ लाख रुपये का व्यय होगा। इससे विदित होता है कि योजना कमीशन ने इन पर अधिक ध्यान दिया है। नेपा मिल्स पर कुल ४ करोड़ २४ लाख रुपये खर्च होंगे और आशा है कि सन् १६५५-५६ तक उससे कागज का उत्पादन शुरू हो जायगा। अधिकतर सड़कें छत्तीसगढ़ में बनाई जावेंगी; क्योंकि विलियित रियासतों में पक्की सड़कों का अभाव था। उन्हें एक दूसरे से शृंखला बद्ध करना आवश्यक है।

शिक्षा-विभाग की व्यवस्था हेतु ३८ लाख ६० हजार रुपये की अतिरिक्त राशि का व्यय होगा। योजना काल के अंत तक इस राज्य में ५०० प्रायमरी शालाएँ और ६७ मिडिल स्कूल खुल जावेंगे। प्रायमरी पाठशालाओं के भवनों के निर्माण में २२ लाख रुपये लगेंगे तथा उन्हें ३३ लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। माध्यमिक शालाओं के निर्माण में प्रायमरी पाठशालाओं से करीब दुगुनी राशि का व्यय होगा। साइंस कालेज, नागपुर; विदर्भ महाविद्यालय, अमरावती; और महाकौशल महाविद्यालय, जबलपुर के प्रसार में ३२ लाख रुपये खर्च होंगे। महाकौशल महाविद्यालय के निर्माण में करीब ७० लाख रुपये का व्यय होगा। इंजीनियर्स कालेज की स्थापना पर सब मिलाकर १ करोड़ २२ लाख और ५० हजार रुपये लगेंगे। समाज शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च होगा। यह राशि ३ करोड़ २२ लाख रुपये हैं। मेडिकल कालेज नागपुर और आयुर्वेदिक स्कूल, रायपुर भी पंचवर्षीय योजना में शामिल हैं। तपेदिक के अस्पतालों पर प्रायः ४२ लाख की राशि लगेगी। शहरों और देहातों में जल-पूर्ति के लिये राज्य सरकार ७ करोड़ ३६ लाख रुपये खर्च करेगी। वन जातियों के उत्थान का विशेष ध्यान राज्य सरकार ने रखा है।

मध्यप्रदेश की सिंचाई योजनाओं से १,८४,००० एकड़ अतिरिक्त भूमि कृषि योग्य बनेगी। 'अ' श्रेणी के राज्यों में सिंचाई से कृषि योग्य भूमि तैयार करने में यही राज्य सबसे पीछे रहेगा। सिंचाई का सबसे अधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा। इसी प्रकार नवीन विद्युत संचार केन्द्रों से ५८००० किलोवाट अतिरिक्त विद्युत उत्पन्न की जायगी। इससे अधिक बिजली का उत्पादन बम्बई, मद्रास और उत्तरप्रदेश में होगा। राज्य सरकार लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण सन् १६५५-५६ तक करा देगी। ऐसी कुल आठ योजनाएँ हैं। राज्य में बहुमुखी योजनाओं की तालिका उनके व्यय एवं उत्पादन की क्षमता सहित इस प्रकार है :—

योजना	संबंधित जिला	व्यय राशि लाख रुपयों में	सिंचित भूमि
अरी तालाब	छिंदवाड़ा	३२	१०,०००
गंगल पारा	बालाघाट	३०	६,०००
बरगूर	छिंदवाड़ा	२२	६,०००
गोंदली	दुर्ग	७५	५०,०००
कुधवा	रायपुर	१५०	६०,०००
सांपना	बैतूल	३०	१०,०००
डुकरी खेड़ा	होशंगाबाद	३०	१०,०००
कुल	———	३६६	१८४,०००

उक्त लघु योजनाओं में से इस वर्ष छिंदवाड़ा जिले का अरी तालाब बनकर तैयार हो जायगा। शेष का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायगा। राज्य सरकार ने गत दिसम्बर मास में ग्राम विकास की योजना प्रकाशित की है। इन लघु योजनाओं को इन ग्राम योजनाओं से शृंखला बद्ध करना उचित होगा। बैतूल, छिंदवाड़ा और बालाघाट जिले की सिंचाई योजनाओं का उदघाटन अत्यन्त आवश्यक है; क्योंकि इन जिलों की फसलें नष्ट हो जाने से अभाव ग्रस्त स्थिति उत्पन्न हो गई है।

मध्यप्रदेश का इस प्रकार सर्वांगीण योजनात्मक चित्र अधूरा है। अनेक लघु योजनाओं को मिलाकर यहां ४३·०८ करोड़ रुपये की योजनाएँ प्रस्तुत की गई है। इनमें से अनेक ऐसी हैं जो कार्यान्वित हैं अथवा उनका निर्माण कार्य चल रहा है। ग्राम विकास योजनाओं के अलावा राज्य को कितना लाभ होगा, यह अभी से बताना संभव नहीं है। यातायात के साधनों और उद्योग धन्धों की प्रायः उपेक्षा की गई है। केवल खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि से राज्य के निवासियों की सर्वतोमुखी उन्नति अधूरी रह जायगी। केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित और निर्देशित योजनाएँ इस राज्य में बहुत कम हैं। ऐसी योजनाओं का फैलाव अन्य राज्यों में ज्यादा है। यथार्थ में मध्यप्रदेश की पंचवर्षीय योजना अन्य राज्यों के ही समान देश के सर्वांगीण आयोजन का सूत्रपात है। वास्तविक पंचवर्षीय योजना तो सन् १९५५-५६ में तैयार होगी।

अध्याय १३

बहुमुखी योजनायें

मध्यप्रदेश की सरकार ने राज्य में सिंचाई की योजनाओं को कार्यान्वित में करने का निश्चय किया। राज्य में देश की महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए यदि उसकी सिंचाई योजनाओं एवं जलशक्ति का सिंहावलोकन किया जाये तो विदित होता है कि यह देश के पिछड़े हुए राज्यों में से एक है। यहाँ पर न तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं और न उत्तरप्रदेश और पूर्वी पंजाब जैसे उपजाऊ मैदान। केवल सिंचाई के उद्देश्य से नहरों का निर्माण न तो राज्य के लिए हितकर है और न पूंजी के विनियोग की दृष्टि से लाभदायक। अब प्रगतिशील देशों में केवल सिंचाई की दृष्टि से योजनाओं का निर्माण नहीं किया जाता है वरन् इसके अतिरिक्त विद्युत उत्पादन, नौकानयन एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। पहले सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, नौकानयन एवं विद्युत उत्पादन के लिए स्वतंत्र एवं प्रथक-प्रथक आयोजन किये जाते थे। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका को टेनेसी घाटी योजना ने चारों उद्देश्यों को एक ही सूत्र में बांधकर जो सफलता प्राप्त की है उससे प्रायः सभी देशों को प्रोत्साहन मिला है। ऐसी योजनाओं को बहुमुखी योजना कहा जाता है। जिसका आरम्भ भारतवर्ष में दामोदर घाटी योजना से किया गया है। "एक ही योजना के अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत शक्ति सृजन, जहाजरानी इत्यादि का समावेश कर समाज की सर्वाङ्गीण उन्नति करना आधुनिक सिंचाई सिद्धांत् का मूल सिद्धांत् है। दामोदरघाटी योजना का निर्माण इसी नवीन सिद्धांत पर किया गया है। देश के इतिहास में प्रथम बार इस प्रकार की बहुमुखी योजना कार्यान्वित हो रही है।" (१)

भारतवर्ष में वर्षा की कमी एव उसकी अनियमितता के कारण प्राचीनकाल में भी नहरों का निर्माण किया जाता था और बड़े बड़े बांध बाधे जाते थे। सन् २०० में भी चोलराजाओं ने कावेरी नदी पर महान एनीकट बांध का निर्माण किया था। राजा भोज ने भी ग्यारहवीं शताब्दी में भोपाल में बांध का निर्माण कराया था। मुगल सम्राटों ने भी इस ओर प्रशंसनीय कार्य किया था। वर्तमान काल में विशेषतः बीसवीं सदी में तो इसमें आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष २३:६ करोड़ एकड़ भूमि पर कृषि की जाती है; उसमें से २.७ करोड़ एकड़ भूमि पर सिंचाई की जाती है।

---

(१) आर्थिक समस्यायें—डा० दयाशंकर नाग, पृष्ठ १५४

मध्यप्रदेश में विद्युत सृजन भी अन्य राज्यों की तुलना में कुछ भी नहीं है। कोई संदेह नहीं कि विद्युत देश की सर्वाङ्गीण औद्योगिक प्रगति का आधार स्तंभ है। विद्युत उत्पन्न करने में संसार में भारतवर्ष प्रगतिशील देशों में पिछड़ा हुआ माना जाता है। सोवियत रूस में समस्त जलशक्ति का ३४ प्रतिशत विद्युत उत्पादन में उपयोग किया जाता है। लेनिन का सिद्धांत था कि समाजवाद की प्राप्ति विद्युत एवं सोवियत सरकारों से हो सकेगी। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका में भी टेनेसी घाटी योजना से उतनी जलविद्युत प्राप्त होती है जितनी कि सन् १९०० में समस्त संसार में सृजित की जाती थी। केवल संयुक्तराष्ट्र अमेरिका में से भारतवर्ष से प्रायः ४० गुनी अधिक विद्युत पैदा की जाती है। जबकि इस देश में १,३६१,७६५ किलोवाट विद्युत का उत्पादन है। मध्यप्रदेश में कुल विद्युत का उत्पादन ५५,६६६ किलोवाट है तथा कुछ ही समय में खापरखेड़ा पावरस्टेशन से जिसने कि काम प्रारम्भ कर दिया है तीस हजार किलोवाट विद्युत अधिक प्राप्त हो सकेगी। इस प्रान्त में विद्युत जलप्रपातों से प्राप्त नहीं की जाती है बल्कि भाफ या अन्य साधनों से।

इस प्रान्त में यातायात के साधनों की भी अत्यंत कमी है। रेलमार्ग, मोटर यातायात एवं बैलगाड़ियों से आने जाने की सुविधा प्राप्त है। जलमार्ग के साधन मध्यप्रदेश में विशेष उल्लेखनीय नहीं हैं! अन्य प्रान्तों में जैसे उत्तरप्रदेश में नदिय यातायात का साधन बन गयी हैं। मध्यप्रदेश में नदियाँ पहाड़ी एवं उथली हैं, फलतः एक स्थान से दूसरे स्थान में आने जाने के लिए नर्मदा, ताप्ती, महानदी, आदि नदियाँ उपयुक्त नहीं है। अतः अन्न उत्पादन, विद्युत सृजन एवं यातायात का विकास इस प्रान्त की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है जो कि बहुमुखी योजनाओं से सभव है। हीराकुंड बांधकी ईंट रखते हुए प्रधानमन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था "कि हमारी राजनैतिक एव अन्य समस्याओं से भारतवर्ष का न केवल रूपान्तर होगा और न केवल इस देश के करोड़ों निवासियों की उन्नति होगी बल्कि वे इस प्रगति को हजारों वर्षों तक जीवित रखेंगी। ये बाढ़ एवं भूमि स्खलन को रोकेंगी। इनसे लाखों एकड़ भूमि सींची जावेगी, इस प्रकार अन्न का उत्पादन बढ़ेगा। इनसे विद्युत सजन होगा जिससे कि देश के उद्योग धंधों का शीघ्र विकास हो सकेगा। आज भारतवर्ष को अधिक अन्न और विद्युत शक्ति की आवश्यकता है।" (हिन्दु, १३ अप्रैल १९४८) यही कथन मध्यप्रदेश के लिए भी लागू होता है।

सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए भी इस राज्य में समय समय पर प्रयत्न किये गए। सन् १९१८ में औद्योगिक आयोग (इन्डस्ट्रियल कमीशन) ने सिफारिश की थी कि "संभावित जल विद्युत की भूमिति (Survey) करना सरकार के लिए आवश्यक है। इसे अविलंब प्रारम्भ कर दिया जाय, और शक्ति से संबंधित उद्योग धंधों को आरंभ करने के लिए कई स्थानों का चुनाव हो। देश के इन साधनों को निश्चित करने में विलंब करने से खर्च बढ़ेगा जिसे कि शीघ्र भूमिति (Survey) से बचाया जा सकता है।" (प्रान्तीय उद्योग समिति मध्यप्रदेश और बरार, पृष्ठ ६) भारत सरकार ने इसी सिफारिश के आधार पर इस प्रान्त में भी जल विद्युत की संभावित भूमिति (खोज) के लिए अपने विद्युत परामर्श दाताओं को नियुक्त किया। मि० मीरेज ने प्रायः ४० स्थानों का निरीक्षण किया। इनमें से सत्रह का पूर्व विवरण भारत सरकार के समक्ष रखा गया। इन सत्रह में से आठ को महत्वपूर्ण बताया गया। द्वितीय युद्ध के उपरांत इनके साथ चार और अन्य योजनाओं को भारत सरकार के विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण बताया।

सन् १९१९ के राजनैतिक सुधारों के अनुसार विद्युत एवं सिंचाई विभाग प्रांतीय सरकार के आधीन कर दिये गए। प्रान्तीय सरकार ने इस ओर विशेष दिलचस्पी प्रगट नहीं की कई बार प्रान्तीय सरकार और टाटा कम्पनी की ओर से प्रयत्न किए गए, परन्तु विद्युत उत्पादन के साधनों को भूमापन के लिए मि० मीरेज के बाद सबसे पहले छिंदवाड़ा जिले के डिपुटी कमिश्नर मि. ई. बेचलर ने छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर नागपुर से ५५ मील दूर सिल्लेवानी घाट पर बांध बांधकर जल विद्युत उत्पन्न करने की संभावना बतायी। यहाँ पर प्रायः ६२० फुट की ऊँचाई से कन्हान नदी पर पेंच नदी का जल गिराने का सुझाव रखा गया। सन् १९३२ में टाटा कम्पनी ने पुनः भूमापन कराया और पेंच नदी पर टोतला दोह पर बांध की संभावना बतायी गयी। उक्त कम्पनी यहाँ के एम्प्रेस मिल के लिये विद्युत उत्पन्न करना चाहती थी। सन् १९३३ में यह योजना प्रान्तीय सरकार को सौंप दी गयी, लेकिन सरकार ने भी अधिक खर्च के भय से इसे कार्यान्वित करने में अनिच्छा प्रगट की। पुनः इस योजना को बहुमुखी बनाने का विचार भारत सरकार ने प्रदर्शित किया है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् ही मध्यप्रदेश की इन सभी योजनाओं पर नवीन विचार धारा के अनुसार विचार किया गया। भारत सरकार ने देश के समस्त प्रान्तों में पुनः भूमापन (Survey) कराया। सन् १९४९ में इन बहुमुखी योजनाओं की संख्या १७८ बतायी.

गयी। सन् १६५० के अंत तक केन्द्रीय सिंचाई समिति ने छोटी बड़ी बहुमुखी योजनाओं की तादाद १८३ बताई। योजना आयोग (Planning Commis-ion) के अनुसार १३५ योजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया गया तथा १२२ योजनायें विचाराधीन रखी गईं। मध्यप्रदेश की बहुमुखी योजनायें केवल बारह हैं और देश के राज्यों में इसका पांचवां स्थान है। इनमे से दो बहुमुखी योजनायें देश की प्रमुख तेईस योजनाओं में से हैं। उक्त बारह योजनाओं के नाम इस प्रकार हैं—बरगी योजना, बरसुर योजना, भूपाल पटनम योजना, चित्रकूट योजना, गुमना, हसदो, जोंक महानदी, पैरी, पुनासा, तवा और बैनगंगा योजना। इनमें से बरगी और बैनगंगा योजना प्रमुख हैं। बरगी योजना में मंडला जिले की बिलघरा. और घुघरी योजनायें जो कि नर्मदा और बुढ़नेर पर हैं, भी सम्मलित हैं। उक्त योजनाओं का स्पष्टीकरण अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका से हो जाता है :—

	नाम	सिंचित भूमि (एकड़ में)	विद्युत उत्पादन मिलावट	भूमित खर्च (लाख रुपयों में)	कुल खर्च (करोड़ रुपया)	निर्माण स्थल
१	बरगी योजना	१८,००,०००	८०,८००	२०	१००	नर्मदा नदी
२	बरसुरयोजना		३२,५००	६		बस्तर जिला
३	भूपाल पटनम योजना		८७,९८०	६.५		,,
४	चित्रकोट योजना		२,७००	६.२		इंद्रावती नदी
५	गुमनायोजना	६६०,०००	२२,०००	६.५१		सबरी नदी
६	हंसदो योजना	३,००,०००	६,५००	६.५१		छत्तीसगढ़
७	जोंक नदी योजना	१,००,०००	५ ०००	६.५		,,
८	महानदी योजना	१,५०,०००	५०००	६.३३		,,
९	पैरी नदी योजना	१.००,१००	६,३६०	६.५१		,,
१०	पुनासा नदी योजना	३,२० ०००	२,२३,०००		२०.२५	होशंगाबाद जिला
११	तवा नदी योजना	१,१००,०००	१२,७०,००		१३	,,
१२	बैनगंगा योजना	२,६४,०००	६,२०,००२		४६.८८	बैनगंगा नदी

River Valley Projects in India (Govt. of India)

बरगी योजना को समाप्त करने के लिए १० वर्ष का अनुमान लगाया गया है। मध्यप्रदेश की यह सबसे बड़ी योजना है जिसमें सौ करोड़ रुपये का खर्च का अंदाज है। मुख्य बांध जबलपुर-गोंदिया रेलवे लाइन पर जबलपुर से अठारह मील दूर बरगी नामक स्थान पर नर्मदा नदी पर निर्माण किया जायेगा। इससे उतनी ही विद्युत उत्पन्न की जावेगी जितनी कि मध्यप्रदेश में सन् १९५१-५२ में सृजित की जाती थी। मुख्य बांध की सहायता के लिए मंडला जिले में नर्मदा और बुढ़नेर नदी पर बिलहरा और घुघरी नामक स्थानों पर भी बांधों का निर्माण किया जावेगा। इन दोनों बांधों से नहरें निकाली जायेंगी जिनसे कि तीन लाख टन अधिक अनाज उत्पन्न किया जा सकेगा। केन्द्रीय सरकार के सिंचाई एवं नौका नयन विभाग के अंतर्गत इस योजना की भूमिति का कार्य चल रहा था। पिछले वर्ष के अंत तक इसे स्थगित कर दिया जबकि इसमें २० लाख रुपए खर्च हो चुके थे। बताया जाता है कि प्रान्तीय सरकार न भूमिति के प्रारंभिक खर्च में हिस्सा बटाने में असमर्थता प्रगट की। प्रसिद्ध अमेरिकन इंजीनियर एवं विशेषज्ञ से डा० सेवेज ने भी इसे टेनेसी घाटी योजना के ही समान निर्मित करने का परामर्श दिया था। यदि इस योजना का निर्माण हो जाता तो जबलपुर तक अरब समुद्र से समुद्री जहाज आ जा सकते हैं। निकट भविष्य में इस योजना के निर्माण की कोई आशा प्रतीत नही होती है।

बरसुर योजना का तो अभी भूमापन (Survey) ही नहीं हुआ है। गोदावरी नदी की सहायक नदी इन्द्रावती पर बरसुर पर इसका निर्माण किया जायेगा। इससे बस्तर की खनिज संपत्ति का समुचित लाभ उठाया जा सकेगा। भूपालपटनम योजना भी बस्तर में कार्यान्वित की जावेगी इससे भी प्रायः बरगी योजना के समान विद्युत उत्पन्न की जा सकेगी तथा गोदावरी नदी तक दस मील नौकानयन को सुविधा हो सकेगी ताकि समुद्र से भूपाल पटनम तक २१० मील जहाज आ सकेंगे। चित्रकोट बांध भी इन्द्रावती नदी पर तैयार किया जायेगा। इससे ५ हजार वर्गमील तक की भूमि पर प्रभाव पड़ेगा। इसका भी भूमापन नहीं किया जा सका है। गुमना योजना का बांध गोदावरी नदी की सहायक सबरी नदी पर तैयार किया जायेगा। इसमें २४ लाख एकड़ फुट जल रोका जा सकेगा। अन्य योजना के समान इसको भी भूमिति नहीं हो सकी। जोंक, हसदो, महानदी और पैरी योजनाओं का

क्षेत्र छत्तीसगढ़ रहेगा। इन चारों योजनाओं के भूमापन में विशेष प्रगति नहीं हो सकी है। वैसे इनके भूमापन के खर्च का अंदाज प्रायः ४० लाख रुपये लगाया गया है।

पुनासा योजना के भूमापन का प्रारंभिक कार्य आरंभ हो चुका था और आशा की जाती थी कि इसके निर्माण से खंडवा एवं पश्चिमी होशंगाबाद जिले को लाभ पहुँचेगा। इसके निर्माण में ४-५ वर्ष से अधिक समय नहीं लगेगा है। यहाँ अहमदाबाद तथा उत्तरी गुजरात को विद्युत सस्ते भाव पर बेची जा सकती है। अहमदाबाद में विद्युत की सबसे अधिक मांग है जिसकी कि पूर्ति भी आवश्यक है। तवा योजना को भी नर्मदा नदी की सहायक तवा नदी पर तैयार करने का निश्चय किया गया है। यह मध्यम श्रेणी की योजना मानी गयी है। बांध की लम्बाई—२७०० फुट एवं ऊँचाई १७० फुट अनुमानित की गयी है।

बैनगंगा योजना को भी प्रमुख योजनायों में से एक माना गया है। सन् १९४८-४९ में इसके भूमापन का कार्य भी आरंभ हो चुका था और अनुमान लगाया गया था कि इससे निर्मित झील में प्रायः २०० गावों को डुबाना पड़ेगा। मुख्य बांध तेवल गांव पर बैनगंगा नदी पर तैयार करने का सुझाव रखा गया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस योजना के निर्माण से विजगापट्टम से कामटी तक जहाजों के आने जाने की सुविधा रहेगी। इससे मेगनीज, लोहा, सीमेंट, कपड़ा आदि के उद्योग धंधों को सस्ती दर पर विद्युत मिल सकेगी। इससे खापरखेड़ा शक्ति केन्द्र से दुगनी विद्युत उत्पन्न होगी।

राज्य सरकार ने बरगी एवं बैनगंगा योजनाओं के प्रति अधिक दिलचस्पी बताई तथा कुछ समय तक इस ओर समुचित प्रयत्न भी किया। अर्थाभाव के कारण उसे अपना लक्ष्य अन्य उद्योग धंधों एवं साधनों की ओर करना पड़ा। यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार की आर्थिक सहायता के अभाव में इन विशाल योजनाओं का निर्माण संभव नहीं है। प्रान्तीय सरकार को बहुमुखी योजनाओं की चतुर्मुखी सर्वांगीण उन्नति की ओर से उक्त कारणों से अपना ध्यान हटाना पड़ा। दिसंबर १९५० के के पिछले सप्ताह में अपनी एक विज्ञप्ति में सरकार ने बताया कि इसमें कोई संदेह नहीं कि नदियों का जल विद्युत उत्पादन का उत्तम साधन है, किन्तु यह एक दीर्घकालीन आयोजन है। विद्युत प्राप्त होने के पूर्व योजनाओं के निर्माण के लिए विशाल पूंजी की आवश्यकता है एवं आवश्यकता से अधिक उपलब्ध विद्युत के

उचित उपयोग का प्रश्न उठता है। सन् १६४६ में भी प्रान्तीय सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी थी। यद्यपि सरकार यह स्वीकार करती है कि संसार में विद्युत उद्योग धंधों का जीवन स्त्रोत है तथा वह इससे अवगत है कि जल विद्युत उद्योग धंधों के लिए आवश्यक है, "परन्तु जिस प्रान्त में विशेषकर मध्यप्रदेश में कोयला अपरिमित मात्रा में उपलब्ध है और जो विद्युत केन्द्रों के समीप है किसी भी व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि किस साधन का आश्रय लिया जाय आर्थिक स्थिति और वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए।" (१) सरकार के उपरोक्त वक्तव्य से विदित होता है कि वह बहुमुखी योजनाओं के विचार को त्यागकर विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई एवं नौकानयन के अलग अलग साधनों का अवलंबन करना चाहती है तथा इसी लक्ष्य का ध्यान में रखकर खापरखेड़ा विद्युत केन्द्र का निर्माण प्रायः दो करोड़ रुपए की पूंजी से किया गया है।

---

(१) Towards Peace & Progress in C. P. & Berar, Page 201.

अध्याय १४

मध्यप्रदेश की खाद्य स्थिति

भारत वर्ष में सन् १६४२ में अनाजों के भावों में तीव्र वृद्धि हुई। खाद्यान्न का भी तीव्र अभाव हुआ। यातायात के साधनों की विषम स्थिति, बंगाल के दुर्भिक्ष और सन् १६४३ में जापानी हमले की विकट संभावना से स्थिति और भी भयावह हो गई। बंगाल अकाल के मुँह से नहीं बच सका। देश के अन्य हिस्सों में भी अकाल की काली छाया मंडरा रही थी। उसे समुचित सहायता नहीं दी जा सकी लाखों जानों और घोर नैराशय की बड़ी मँहगी कीमत देकर हम बंगाल के अकाल से मुक्त हुए, पर वह अपने पीछे भय, अनिश्चयता और भविष्य के प्रति अविश्वास की विरासत छोड़ गया। ५० वर्ष बाद इस काल का इतिहास लिखते समय कदाचित यह अनुभव किया जायगा कि बंगाल के अकाल ने ही भारत की खाद्य समस्या का आरम्भ किया जिससे भय और अनिश्चयता की स्थिति उत्पन्न हुई। इस कथन में अतिशयोक्ति नहीं है। इसी वर्ष से खाद्यान्न का आयात वेग से बढ़ता गया। सन् १६४३ में अविभाज्य भारतवर्ष में ८ करोड़ ४४ लाख रुपयों का अनाज विदेशों से खरीदा गया था। देश के विभाजन के पश्चात् भारतीय संघ ने सन् १६४८-४६ में १३१ करोड़ ३ हजार रुपये का खाद्यान्न अन्य देशों से खरीदा। निम्नलिखित तालिका से इसका स्पष्टीकरण हो जायगा :—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपयों में)	मात्रा (लाख टनों में)
१६४३-४४	८·४४	३·२६
१६४४-४५	१५·७६	७·२६
१६४५-४६	२६·००	६·३१
१६४६-४७	८८·६१	२५·७८
१६४७-४८	१०८·७५	२६·५६
१६४८-४६	१३१·०३	३०·४७

सन् १६४८-४६ के पश्चात् तो खाद्यान्न का आयात और भी बढ़ा। अनुमान है कि वार्षिक आयात ६० लाख टन तक पहुँच गया था। गत वर्ष से आयात पुनः घटने लगे हैं।

मध्यप्रदेश में अनुमानतः ११० करोड़ रुपये मूल्य की फसलें होती हैं तथा राज्य शासन को ३ करोड़ ४७ लाख रुपये की आय होती है। यह राज्य चाँवल और ज्वार अपनी आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात् कमी वाले राज्यों को बहिर्गमन करता है। गेहूँ में इसे आत्म निर्भर कहा जा सकता है। अन्य राज्यों के समान यहाँ पर दुर्भिक्ष और बाढ़ आदि के संकट नहीं आये। लेकिन १६४३ से खाद्यान्न पर नियंत्रण लगा दिया ग या। मूल्य नियंत्रण के अतिरिक्त अनाज वसूली भी खाद्य नियंत्रण का अंग बन गई। यहाँ से अनाज अन्य राज्यों को भेजा गया। इस कार्य में दो पथ निर्देशक सिद्धान्तों का ध्यान रखा गया। प्रथम सिद्धान्त था कि स्टाक को आवश्यकता पड़ने पर सरकार की ओर से जहाँ आवश्यकता हो, ले जाया जा सके और द्वितीय सिद्धान्त था कि इतना धान्य संग्रह हो कि उसे बाहर निकालकर बाजार के भावों में स्थिरता पैदा की जा सके। सन् १६४४ से खाद्यान्न के समुचित और सुचारु वितरण हेतु राशनिंग भी शुरू कर दिया। सन् १६४४ तक १६ लाख ४० हजार व्यक्ति राशनिंग के अन्तर्गत थे। राज्य सरकार ने गल्ला वसूल में ढिलाई नहीं की। सरकार को वसूली में विशेष सफलता मिली। सन् १६४७ में २·७३ लाख टन चाँवल और २४०० टन ज्वार की वसूली की गई। चाँवल वसूली और उसके बहिर्गमन के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष	वसूली (लाख टन में)	राज्य से बहिर्गमन 'लाख टन
१६४३-४४	२·६५	१·६७
१६४४-४५	३·१६	२·०५
१६४५-४६	३·१७	१·८३
१६४६-४७	२·७३	·४४
१६४७-४८	२·३५	१·३२

इस तालिका में छत्तीसगढ़ की विलियित रियासतों के आंकड़े नहीं हैं। मध्य प्रदेश से गत १० वर्षों में चांवल अन्य राज्यों को ले जा गया है। बाहर से नहीं मंगाया गया है। इसके विपरीत गेहूँ अन्य राज्यों से खरीदना पड़ा है, यद्यपि उसकी भी वसूली सरकार करती है। विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	वसूली (हजार टन में)	अन्य राज्यों द्वारा केन्द्रीय सरकार से क्रय (हजार टन में)
१९४३-४४	३२	—
१९४४-४५	३६	८१·२
१९४५-४६	२५	४५·१
१९४६-४७	—	४८·२
१९४७-४८	५	७१·१
१९४८-४९	—	५४·६

मका की वसूली राज्य सरकार नहीं करती है। कभी-कभी मध्यप्रदेश मका खरीदता है। सन् १९४६-४७ में करीब २२ हजार टन मका केन्द्रीय सरकार या अन्य सरकारों से खरीदी गई थी तथा सन् १९४७-४८ में यहाँ से प्रायः ६ हजार टन बाहर भेजा गया था। अतएव मध्यप्रदेश की खाद्य समस्या के मुख्य मद चाँवल, ज्वार और गेहूँ ही रहे हैं। चाँवल और ज्वार, मई १९५३ तक क्रमशः ९८००० टन और १८,००० टन अभावग्रस्त राज्यों को भेजा गया। वसूली चाँवल की डेढ़ लाख टन और ज्वार की ४७,००० टन हुई।

खाद्य स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने खाद्य सलाहकार समितियाँ सभी शहरों, तहसीलों, जिलों और ग्रामों में संगठित कीं। गल्ला वसूली का कार्य अप्रिय होता है; क्योंकि सरकार कृषकों से सस्ते भाव पर गल्ला खरीदती है। वे बाजार में सरकारी दर से ऊँची दर पर अनाज बेंच सकते हैं। सन् ११४६ में प्रथम छह महिनों में वसूली में तेजी नहीं थी। अन्तिम छह महिनों में जब मद्रास की खाद्य स्थिति विषम हो गई तो उसे और बम्बई प्रान्त को ४५,००० टन चाँवल भेजा गया।

सन् १९४७ के अंत तक केन्द्रीय सरकार ने नियंत्रण नीति पर पुनर्विचार किया। समस्त देश की नीति केन्द्रीय सरकार ने क्रमिक विनियंत्रण निर्धारित किया। मध्य-प्रदेश में एकाधिकार वसूली-पद्धति प्रचलित थी। इसके अनुसार व्यापारी वर्ग कृषकों से जितना अनाज खरीदता था उतना सभी सरकार उनसे एक निश्चित मूल्य पर वसूल कर लेती थी। इससे ग्राहकों को कठिनाई होती थी। वे केवल राशन दूकान से उपलब्ध मात्रा से ही सतोष कर लेते थे। कृषक भी असन्तुष्ट थे। इसीलिए सरकार ने अनिवार्य आंशिक वसूली पद्धति अपनायी। इस पद्धति के अनुसार केवल अनाज के लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों को ही सरकार द्वारा नियत दर पर गैर लाइसेंस शुदा व्यापारियों से खरीदे गये अनाज का कुछ भाग अनिवार्यतः सरकार को बेचना पड़ता है। यह अनुपात ४० प्रतिशत रखा गया था, तत्पश्चात् ६० प्रतिशत कर दिया गया। सन् १९ ५२-५३ के आम चुनाव के पश्चात् सरकार की खाद्य नीति में परिवर्तन हुआ। सन् १९४७ से सन् १९५२ तक खाद्य नीति देश की बिगड़ी हुई खाद्य स्थिति को संभालने की थी। अब भारत सरकार ने आयात घटाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने का निश्चय किया है। मध्यप्रदेश भी देशव्यापी नीति का एक अंग है। अनाज वसूली को नीति पूर्ववत् है।

राज्य सरकार ने बिना पालिश का चाँवल प्रचलित किया। इसके पूर्व पालिश का चाँवल व्यवहृत था। चाँवल के मिलों में मशीन से चाँवल के कोड़ की सम्पूर्ण पर्त निकाल दी जाती है। इसे पालिस का चाँवल कहते हैं। द्वितीय युद्ध के पूर्व यही चांवल प्रयुक्त होता था। युद्ध काल में खाद्याभाव के कारण पालिश की प्रक्रिया आधी कर दी गई। नवम्बर १९४८ से बिना पालिश के चाँवल की प्रक्रिया शुरू की गई। इस प्रकार के चाँवल को बगड़ कहते हैं। दो मन धान से ५६ सेर बगड़ तैयार होती है तथा आधी पालिश से यही वजन ५४ सेर रह जाता है। सरकार ने वैज्ञानिक दृष्टि से यह भी बताया कि बगड़ पालिश के चाँवल की तुलना में अधिक पौष्टिक होता है। सरकार ने यह प्रतिबंध सन् १९५२ तक उठा लिया।

नवम्बर १९५२ से राज्य सरकार ने जिलों का समूहीकरण कर दिया है। कुछ जिलों का एक समूह खाद्यान्नों के गमनागमन के लिये प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया जाता है। यह समूहीकरण उपजों के आधार पर किया गया है। समूहीकरण इस प्रकार किया गया है :—

उपजें		समूहीकरण
चांवल, धान, एवं उत्पादित वस्तुएँ।	१	रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बालाघाट, भंडारा, बालाघाट एवं चाँदा। छिन्दवाड़ा जिले का सिवनी सबडिवीजन और बस्तर जिले का कांकेर डिवीजन।
	२	सरगुजा सब-डिवीजन।
	३	सरगुजा जिले के अंबिकापुर, सूरजपुर और रामानुज गँज सब डिवीजन।
	४	कांकेर डिवीजन को छोड़कर बस्तर जिला।
ज्वार एवं उससे उत्पादित वस्तुएँ।	५	अमरावती, अकोला, बुलढाना, यवतमाल और वर्धा जिला।
	६	चाँदा जिला।
	७	नागपुर जिला।
	८	निमाड़ जिला।
गेहूँ एवं उसकी अन्य उपजें।	९	जबलपुर, सागर, होशंगाबाद, मंडला एवं छिन्दवाड़ा जिला।
	१०	रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जिला।
	११	सरगुजा जिला।

उक्त समूहीकरण से विनियंत्रण की नीति में लोच आ गया है। सन् १९५३ से गेहूँ वाले जबलपुर, मंडला और होशंगाबाद जिले के समूह में गेहूँ का गमनागमन प्रतिबँध-मुक्त कर दिया गया है।

अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन

यह अभियान सन् १६४३ से इस राज्य में शुरू हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता की उपलब्धि है। प्रारम्भ में यही वैभागिक प्रयत्न था। इसका निर्धारित लक्ष्य और कार्य क्रम नहीं था। भारत सरकार ने १६४७-४८ से १६५१-५२ तक के लिए एक योजना बनाई। इस अवधि में मध्यप्रदेश का लक्ष्य साधारण उपज से दो लाख टन अधिक खाद्यान्न उत्पादन रखा गया है। इस प्रान्त की जन संख्या सम्मिलित रियासतों को छोड़कर १·८२ करोड़ उस समय थी। उस समय लगभग दो करोड़ एकड़ भूमि पर कृषि होती थी। अनाजों का औसत उत्पादन ४० लाख टन उस समय आंका गया। अर्थात् राज्य के प्रति व्यक्ति पीछे एक एकड़ से अधिक भूमि पड़ती थी और खाद्यान्नों का औसत उत्पादन ५·४ मन था। एक व्यक्ति का औसत वार्षिक व्यय ५ मन माना गया। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति आधा मन अनाज जरूरत से ज्यादा उपयोग कर सकता था। किन्तु यह आधा मन बीज आदि के लिये सुरक्षित रखा जाना आवश्यक समझा गया। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जब तक उपज में वृद्धि नहीं की जाती तब तक उसका राज्य से निर्गमन कठिन है। अतः तत्कालीन उत्पादन में आवश्यक प्रगति हुई। उपभोग के पश्चात शेष अनाज के निर्गमन को बढ़ाने का यत्न भी अनिवार्य समझा गया। इससे अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन को इस राज्य में गति मान किया गया। इस अभियान को तीन भागों में बाटा गया।

(१) बीज वितरण योजनाएँ।

(२) खाद और फर्टिलाइजर (उर्वरता वर्धक रासायनिक पदार्थ) वितरण योजनाएँ

(३) भूमि उपयोगिता वर्धक योजनाएँ।

बीज वितरण

धान, मूंगफली, आलू, गेहूँ और चने के बीजों का वितरण कृषकों में किया गया। मूंगफली और आलू भी कृषकों को तकावी में देने की व्यवस्था की गई। इनके वितरण का उद्देश्य इनकी कृषि भूमि का विस्तार है। नवीन भूमि जिस पर चने की खेती संभव है, राज्य सरकार ५० प्रतिशत चने का बीज सहायता रूप में इस भूमि के किसानों को देती है। किसानों को पड़ती भूमि जोतने की इससे प्रेरणा मिलती है। उत्तम श्रेणी के धान के बीज लभंडी (रायपुर) में तैयार किये गये थे। इससे उत्पादित धान, सामान्य बीज से १० गुनी ज्यादा होती है। यह योजना सन् १६४४-४५ में शुरू की गई थी। इससे लाभ हुआ है। विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	वितरित बीज की मात्रा (मन में)	लाभांवित भूमि का क्षेत्रफल	अनुमानित अतिरिक्त खाद्य उत्पादन (टन में)
१९४४-४५	१,२३,०४४	१,०३,६०१	३,१८४
१९४५-४६	१,६८,७४१	१,५८,६६३	४,७७०
१९४६-४७	२,०७,८३१	१,५४,२५५	४,६२८
१९४७-४८	१,००,४६१	८०,५३१	२,४१६
१९४८-४९	१,२१,६६५	९७,३३२	२,९९९
१९४९-५०	१,३९,५१०	१,११,६०८	३,३४८

धान के बीजों के वितरण और उससे प्राप्त परिणाम से पता चलता है कि एक मन उत्तम श्रेणी के बीजों से करीब ३० सेर धान अधिक उत्पन्न होती है।

चांवल के ही समान उच्च कोटि के गेहूँ के बीजों का वितरण किया गया। मध्यप्रदेश में गेहूँ की फसल गेरुआ की बीमारी से पीड़ित हो जाती है; जिससे सम्पूर्ण फसल नष्ट हो जाती है। इसी बीमारी के कारण यह राज्य गेहूँ के निर्यातक से अंशतः आयातक हो गया है। यदि ऐसे बीजों का प्रबन्ध हो जिन पर गेरुआ की बीमारी का असर नहीं पड़ता है, तो उससे उत्पादन वृद्धि होगी। राज्य सरकार ने ऐसे ही किस्म के बीज का प्रबन्ध किया। सन् १९४६-४७ में सरकार को इसमें असफलता हाथ लगी। उस वर्ष गेरुआ से उत्तम वर्ग का गेहूँ भी नही बच सका। कृषि विभाग एक मन बीज तो वापिस देना ही पड़ता है। साथ ही साथ डेढ़ मन अतिरिक्त गेहूँ निम्न भाव पर सरकार को बेचना पड़ता है। इसलिये यह योजना विशेष प्रभावकारी सिद्ध नही हो सकी। तो भी इससे लाभ हुआ है।

वर्ष	वितरित मात्रा (मन में)	लाभांवित भूमि (एकड़ में)	अतिरिक्त उत्पादन (टन में)
१९४७-४८	४७८	३८२	७
१९४८-४९	४५२	३७२	७
१९४०-५०	५३७४	४२७९	७९

मूंगफली के बीजों के वितरण का लक्ष्य गेहूँ के बीजों के वितरण के लक्ष्य से कहीं विपरीत था। सरकार का उद्देश्य था कि कृषकों को कपास आदि की ओर से इस खाद्य उपज की ओर आकर्षित किया जाये। इसमें उसे समुचित सफलता मिली। मूँगफली का खाद्य पदार्थ के रूप में वर्तमान उपयोग से कहीं अधिक उपयोग किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मूँगफली से १५० प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार किये जाते हैं। वितरित बीज से इस प्रकार लाभ पहुँचा:—

वर्ष	वितरित बीज की मात्रा (मन में)	लाभान्वित भूमि (एकड़ में)	अतिरिक्त उत्पादन (टन में)
१९४४-४५	५५,५६३	४४.४७६	७,११६
१९४५-४६	७६,५३४	६१,२२७	६,१९६
१९४६-४७	५५,९८५	४४,६१२	७,१८३
१९४७-४८	२८,१४२	२२,५१४	३,६०२
१९४८-४९	६२,११२	४९,६९०	७,९५०
१९४९-५०	६६,८३१	५३,४६५	८,५५४

प्रायः प्रत्येक जिले में बंजरभूमि थी। यदि उसे कृषि योग्य बना दिया जाता तो उससे अत्यधिक लाभ होता। ऐसी भूमि के उपयुक्त सर्वप्रथम फसल के लिए चना अनुकूल माना गया। सन् १९४३-४४ में सरकार ने चने का मुफ्त वितरण किया। इसके पश्चात अर्ध मूल्य पर इसका वितरण किया गया। इससे इस प्रकार लाभ हुआ:—

वर्ष	वितरित मात्रा (मन में)	लांभान्वित भूमि (एकड़ में)	अतिरिक्त उत्पादन (टन में)
१९४३-४४	१३,४४०	२१,४७०	३,०६७
१९४४-४५	२२,५६६	३३,७१४	५,०५७
१९४५-४६	१३,०७०	१८,०२६	३,००४
१९४६-४७	१४,१८२	१४,१८२	२,३६३
१९४७-४८	१०,८४४	१४,४५६	२,०६६
१९४८-४९	१८,१५५	२४,१५३	३,४५०
१९४९-५०	६,६७१	८,८६५	१,२७१

खाद और फर्टिलाइजर का वितरण

भूमि को उर्वरावर्धक बनाना अति आवश्यक है। भूमि की उर्वरा शक्ति प्रथमतः जल और खाद पर निर्भर करती है । "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन का एक अंग खाद वितरण भी था। तीन प्रकार की खाद इस राज्य में बाँटी गई।

(१) धान, ज्वार और गेहूँ की खाद के लिये इस प्रान्त में पैदा होने वाली मूंगफली की खली की वसूली और उसका वितरण किसानों में किया गया।

(२) धान और गेहूँ के लिये उर्वरक (फर्टिलाइजर) का विक्रय तथा वितरण किया गया। अमोनियम सल्फेट का प्रचार ज्यादा किया गया।

(३) कम्पोस्ट खाद तैयार कर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उसे बाँटा गया।

इस अभियान के पूर्व मूंगफली की खली की खाद का उपयोग नहीं हुआ था। प्रारम्भ के कुछ वर्षों तक खली का वितरण तकावी ऋण के आधार पर किया गया। सरकार का खली की वसूली पर एकाधिकार है । सरकार का कर्त्तव्य है कि वह यह भी ध्यान रखे कि खली स्वच्छ स्थान पर पेरी जाय । धान, गेहूँ और ज्वार के लिये मूंगफली की खली की खाद में इस प्रकार वितरित की गई तथा उससे निम्नफल निकला:—

वर्ष	निर्धारित मात्रा (टन में)	लाभान्वित भूमि (एकड़ में)	अतिरि उत्पादन (
१९४३-४४	६८८	३,९७२	
१९४४-४५	५,५३१	३०,१९९	३,
१९४५-४६	१३,७०६	७८,११०	७,
१९४६-४७	१६,२५८	१,०९,७३८	६,
१९४७-४८	६,६९४	४४,९३८	३,
१९४८-४९	१७,७०६	१,०९.८५३	८,
१९४९-५०	२१,४८५	१,३८,८९४	१२,

फर्टीलाइजर का प्रचार अब इस राज्य में बढ़ रहा है। न केवल म बल्कि देश भर में सींदरी की खाद का उपयोग बढ़ाया जा रहा है । सींदरी का कारखाना सन् १९५२ से उत्पादन कार्य में रत है । यह कारखाना प्रनिदि टन अमोनिया सल्फेट या ऐसी ही रासायनिक खाद उत्पन्न कर रहा है। म के कृषकों में अभी भी रासायनिक उर्वरकों के प्रति सन्देह है । उनका भ्रम एक बार के उपयोग के पश्चात् भूमि पर अन्य प्रकार की खाद का उपयो किया जा सकता । इससे भूमि के विनष्ट होने का भय रहता है । यह शंका नहीं है। किस भूमि को कितने उर्वरक की आवश्यकता है, कृषकों को इसका ज्ञ रहता है। तो भी इस राज्य में उर्वरकों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। सन् ४६ से इनका वितरण "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के अन्तर्गत म में किया गया। अमोनिया सल्फेट सर्वप्रथम वितरित किया गया, तत्पश्चात् अ फास्फेट और फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स का भी वितरण किया गया । वितर तालिका निम्न प्रकार है:—

वर्ष	अमोनियम सल्फेट (टन)	अमोनियम फास्फेट (टन)	फास्फेटिक फर्टिला-इजर्स (टन)
१९४५-४६	३३१	—	--
१९४६-४७	६७२	६१	१६८
१९४७-४८	१,१५७	४३४	३४४
१९४८-४९	२,७२०	५१८	६०७
१९४९-५०	३.३७७	१,१७२	४०६

इन तीनों उर्वरकों से २.७५,८२४ एकड़ भूमि लाभांवित हुई । इससे उत्पन्न खाद्यान्न की मात्रा २६,५२६ टन थी । राज्यसरकार ने उर्वरकों के मूल्यों का विवरण उपलब्ध नहीं किया है। वैसे एक टन खाद का मूल्य ४००) रु० आंका जा सकता है। सन् १९५३ में राज्य सरकार का लक्ष्य १०,००० टन अमोनियम सल्फेट किसानों में वितरित करने का था । इसमें उसे सफलता भी मिली। इसका मूल्य भी २८०) प्रति टन कर दिया गया है ।

शहर के कचरे आदि से भी खाद तैयार की गई है। इसे कम्पोस्ट कहते हैं। सन् १९४५-४६ से ही इसे शुरू किया गया है । राज्य की सभी नगर पालिकाओं को सरकार इस काम के लिये आर्थिक सहायता और ऋण देती है। सन् १९४९-५० तक करीब ७ लाख टन कम्पोस्ट तैयार की गई तथा प्रायः सात हजार टन अतिरिक्त अन्न उत्पन्न हुआ। कम्पोस्ट खाद की योजना सफल रही है तथा अब भी यह चालू है।

भूमि उपयोगिता वर्धक योजनाएँ:—

इस शीर्षक के अतिरिक्त राज्य शासन ने चतुर्मुखी अभियान को प्रोत्साहित किया। नवीन कुँए खुदवाये गये। कांस युक्त भूमि को कांस मुक्त किया गया। ट्रेक्टर स्टेशन स्थापित किये गये तथा ग्रामों की सिंचाई व्यवस्था की गई । सन् १९४८-४९ तक १२,३५५ कुँए बनवाये गये थे। यह क्रम अब भी चालू है। अब कुँओं की आवश्यकता सिंचाई के अलावा ग्रामीणों को पड़ने लगी है। जल कष्ट के कारण मध्यप्रदेश शासन लाखों रुपयों का व्यय इस मद के अन्तर्गत कर रहा है।

पिछले वर्षों में मध्यप्रदेश के उत्तरी जिलों में कांस नामक घातक पौधा तीव्र गति से भूमि पर फैल चुका था । गेरुए और पाला की व्याधा से भी कृषकों को कष्ट उठाने पड़े । सन् १६२६ में कांस के निर्मूलन के लिये स्टीमटेकल आउटफिट नामक यंत्र प्रयुक्त किया गया । यह वजनदार यंत्र था । इसकी गति अत्यन्त मंद थी । एक वर्ष में १००० एकड़ से अधिक भूमि यह यंत्र नहीं तोड़ सकता था । सन् १६४५ से कांस को उखाड़ने के लिये राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ३० ट्रेक्टर उधार लिये । पंद्रह पंद्रह ट्रेक्टरों की दो इकाइयों से सागर जिले की खुरई तहसील की ७०,००० एकड़ भूमि तोड़ी गई । एक एकड़ भूमि जोतने का खर्च करीब ४०) होता है । कृषकों से केवल २०) लिये गये । शेष व्यय सरकार ने उठाया । अब राज्य-सरकार ने अपना ट्रेक्टर संगठन बना लिया है । राज्यों में इसका पाँचवा स्थान है ।

राज्य	टैक्टरों की संख्या
आसाम	४०
बम्बई	२६५
मद्रास	२८३
मध्य प्रदेश	१००
उड़ीसा	३२
पंजाब	१८७
उत्तर प्रदेश	४६२
पश्चिमी बंगाल	६६
हैदराबाद	३०
मध्यभारत	२७
सौराष्ट्र	३७

मध्यप्रदेश में सन् १९४८-४९ से सन् १९५०-५१ तक १ लाख ७६ हजार एकड़ भूमि तोड़ी गई है । राज्य सरकार कृषकों को भी ट्रेक्टर खरीदने के लिये प्रेरित करती है । इस राज्य में धनी कृषकों ने ट्रेक्टर खरीदे हैं । सन् १९४३ से १९५१ तक केन्द्रीय सरकार ने कुल ८,४१ करोड़ रुपये "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रदान किये । वैसे कुल राशि राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार से इसी अवधि में ६२.१० करोड़ रुपये प्राप्त हुई । राज्य सरकार ने जितनी राशि का व्यय किया है, उतनी सफलता उसे इस अभियान में नहीं मिली है ।

अध्याय १५

सहकारिता

सहकारिता आन्दोलन एक आर्थिक सिद्धान्त है । सामाजिक आर्थिक संगठन के तीन सिद्धान्त हैं:—पूंजीवाद, समाजवाद, और सहकारिता । पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था का आदर्श है "सब एक के लाभ के लिये" । समाजवादी व्यवस्था में "प्रत्येक व्यक्ति राज्य अथवा राष्ट्र के लिये होता है" । इसमें राज्य सर्वोपरि होता है तथा व्यक्ति विशेष को कोई महत्व नहीं दिया जाता है । सहकारिता इन दोनों से भिन्न है । इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण नहीं होता । समाज का शोषण व्यक्ति विशेष नहीं कर सकते हैं। सहकारी संगठन व्यक्तियों के सामूहिक संगठन द्वारा निर्मित होता है । प्रत्येक व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का स्वामी होता है । वास्तव में सहकारिता का आदर्श:—"सब एक के लिये और एक सारे समाज के लिये" है । सहकारी संगठन के अनिवार्य तत्व निम्न हैं :—

(१) सहकारी संगठन के सदस्य स्वेच्छा से बनते हैं।
(२) पारस्परिक सहायता से स्वयं की आर्थिक कठिनाइयां का समाधान होता है ।
(३) इसमें व्यक्तिवाद महत्त्वहीन है ।
(४) इसका आधार जनतंत्र है।
(५) यह चरित्र निर्माण को बल देता है ।

सहकारी आन्दोलन की शरण विशेषतः निर्धन ही लेते हैं । भारतवर्ष में भी अन्य देशों के ही समान सहकारी समितियाँ विभिन्न उद्देश्यों से संगठित की जाती हैं । उत्पादक अपनी समितियाँ स्थापित कर सकते हैं । उपभोक्तागणउपभोक्ता-समिति बना लेते हैं । कृषक ऋण लेने के लिये साख समिति संगठित करते हैं । वे कृषि हेतु सामुहिक कृषि समिति का आश्रय लेते हैं। सम्पूर्ण देश में अनेक प्रकार की लाखों समितियां अवस्थित हैं। समितियों का सर्वमान्य विभाजन इस प्रकार है :—साख, उत्पादक, क्रय और विक्रय । इस देश में सर्व प्रथम सहकारी समितियाँ २५ मार्च १६०४ में स्थापित की गईं । वैसे कृषकों को सरकारी सहायता इसके पूर्व भी दी जाती थी । अंग्रेज शासक इनके संगठन में प्रयत्नशील रहे हैं। प्रारम्भ में ग्राम्य और नागरिक समितियों को गठित किया गया । यथार्थ में सहकारी समितियों की

स्थापना का मूल उद्देश्य उनकी साख सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति रहा है। अतः सहकारी साख समितियों का प्राधान्य द्वितीय विश्व युद्ध तक भारतवर्ष में रहा है। इस आन्दोलन को स्थापित हुये प्रायः ५० वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस अर्ध-शताब्दि में सहकारी समितियों की उपयोगिता एवं अनिवार्यता देश के आर्थिक विकास के हेतु जनता पर प्रगट हो चुकी है।

मध्यप्रदेश में सहकारिता का श्री गणेश :—

सन् १९०४ का सहकारी समिति अधिनियम इस राज्य पर भी लागू हुआ। इसके अन्तर्गत केवल साख समितियों को ही मान्यता दी गई। सन् १९०४-५ में प्रयोगात्मक दृष्टि से ग्रामीण, नागरिक एवं केन्द्रीय सहकारी समितियाँ स्थापित की गईं। साख समितियों के लिये होशंगाबाद और बैतूल जिलों को चुना गया। ६ समितियाँ होशंगाबाद और ३ समितियां बैतूल जिलों में स्थापित की गईं। आमला की साख समिति की सदस्य संख्या १२५ थी। सन् १९१२ तक इस राज्य में कुल २८२ सहकारी ग्रामीण समितियाँ थीं। इनकी सदस्य संख्या ७,२०३ थी तथा क्रियाशील पूंजी २४८,०३१ रुपये थी। नागरिक समितियों की प्रगति शिथिल रही। सन् १९१२ तक केवल आठ समितियों का पंजीयन हुआ। इनकी क्रिया शील पूंजी ७६,५३४ रुपये थी तथा १,२४७ सदस्य थे। वर्धा में सन् १९०५ में सर्व प्रथम इस राज्य में नागरिक सहकारी समिति गठित हुई। मध्यप्रदेश में सर्वप्रथम केन्द्रीय सहकारी अधिकोष सन् १९०६-७ में सिहोरा में स्थापित हुआ। कुछ समय पश्चात यह अधिकोष राज्य के ऐसे ही अधिकोषों का मार्ग दर्शन करने लगा। ऐसे अधिकोषों का उद्देश्य ग्रामीण समितियों की सहायता था। सिहोरा अधिकोष ने ही सर्वप्रथम व्यापारिक अधिकोषों से सम्बन्ध स्थापित किये। बालाघाट, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, आकोला, सिरोंचा और मुड़वारा अधिकोषों ने भी इसका अनुकरण किया। १९१२ तक इनकी कुल पूंजी १,७८,२१६ रुपये थी तथा निक्षेप (Deposits) राशि २१,००० रुपये थे। सन् १९१२ तक सहकारी आन्दोलन अपनी शैशवावस्था में था। इन्हें पूंजी का अभाव था। सन् १९२२ में राज्य सरकार ने सहकारी आन्दोलन के पुनर्गठन हेतु आर० एम० किंग, आई० सी० एस० की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। उक्त समिति ने निम्न शब्दों में इस काल का वर्णन इस प्रकार किया है :—

"On the whole, the co-operative movement in the province during this period was in its infancy and without a more plentiful supply of money its continuance seemed improbable. The Deputy-Commissioner of Balaghat, for instance, pointed out to the registrar that unless capital could be found the societies in his district would have to be dissolved. Similar warnings came from other districts". (page 1)

श्री नगरकट्टी के शब्दों में "From the very start, it failed to develop any spontaneity." (१) अतएव सहकारी आन्दोलन मध्यप्रदेश में स्फूर्ति का संचार जन साधारण में नहीं कर सका। असफलता का ही प्राधान्य रहा। केवल साख समितियों की संख्या में वृद्धि होती गई, यद्यपि उनकी कार्य प्रणाली एवं व्यवस्था उत्साह जनक नहीं थी। इन साख समितियों के बाहुल्य का मूल कारण कृषि की प्रधानता थी।

साख की आवश्यकता एवं उसकी उपलब्धि :—

भारतवर्ष एक कृषिप्रधान देश है। मध्यप्रदेश अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक-कृषिप्रधान है। छत्तीसगढ़ की रियासतों को छोड़कर इस राज्य में कुल ४२,६३५ गांव हैं। राज्य की ८७५ प्रतिशत जनता का आधार कृषि है। रियासतों के विलियन से राज्य में ग्रामों की संख्या ५० हजार से अधिक हो गई है तथा उक्त अनुपात ६० प्रतिशत से ऊपर समझा जाता है। १६२० में राज्य सरकार ने अधिकोषण जांच समिति की नियुक्ति की थी। उसका अनुमान था कि राज्य की कुल ६१ प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। इस गणना में राज्य की विलयित रियासतों का समावेश नहीं था। इस राज्य की कुल जनसंख्या २ करोड़ १२॥ लाख है राज्य के कृषकों की उत्पादन क्षमता में स्थिरता बनाये रखना आवश्यक है। उनकी महत्व पूर्ण समस्या साख या ऋण की है। यही लक्ष्य तत्कालीन सहकारी आन्दोलन का था।

---

(1) Five year Plan for Co-operative Reconstruction in C. P. & Berar, page 15-16.

न केवल मध्यप्रदेश बल्कि देश के सम्पूर्ण राज्य कृषिऋण से ग्रसित थे। ऐसे अनेक राज्य थे जहाँ पर ऋण राशि मध्यप्रदेश से अधिक थी। केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति ने सभी राज्यों के कृषि ऋण के आंकड़े संकलित किये थे। वे इस प्रकार थे :—

वर्ष	समितियों की संख्या	सदस्य संख्या	क्रियाशील पूंजी (लाख रुपयों में)
१९११-१२	४४०	९,५१६	३·८
१९१२-१३	१,३६५	२२,७९७	१३·४
१९१३-१४	२०,८३	३४,२४८	२५·६
१९१४-१५	२,१५४	३६,९८१	२८·१
१९१५-१६	२,४१२	४०,९९८	३२·६
१९१६-१७	३,२६७	५२,७५७	४८·१
१९१७-१८	३,३७७	५५,६६३	५७·५

विभिन्न समितियाँ :—

सन् १९०४ के अधिनियम के अनुसार ग्राम्य एवं शहरी समितियां स्थापित की गईं थीं। सन् १९१२ के अधिनियम की स्वीकृति के पूर्व इस राज्य में कुल ३०० सहकारी समितियां थीं जिनमें साख समितियाँ भी सम्मलित थीं। इस नवीन अधिनियम की स्वीकृति के उपरांत विभिन्न उद्देश्यों से भी समितियों का गठन किया गया। बीज-समितियां, बीमा समितियां, सहकारी स्टोर्स आदि का गठन हुआ। सन् १९२१ में मध्यप्रदेश में कुल समितियां ५०११ थी तथा उनकी सदस्य संख्या १,५६,७८७ थी। इसी वर्ष साख समितियों की संख्या प्रायः ४,२५० थी। इस प्रकार विभिन्न उद्देश्यों से भी समितियों का संगठन किया गया।

उक्त समितियों का अन्तर्सम्बन्ध साख समितियों से नहीं रखा गया था। किंग समिति ने, जो कि सन् १९२२ में स्थापित की गई थी, इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। उसके शब्दों में "In the first place we must emphasise the principle that societies for such purposes as purchase, sale, production and insurance must not be inter-locked with societies found in order to provide credit for

their members." (पृष्ठ ३५) गैर साख समितियों की प्रगति इस वजह से कई वर्षों तक रुकी रही।

मध्यप्रदेश में सर्व प्रथम सहकारी स्टोर्स (भंडार) सन् १९१८ में स्थापित किया गया था। सन् १९२१-२२ तक ऐसी दूकानों की संख्या ३१ तक बढ़ गई थी। इनमें से एक का अवसायन हो गया, दस कार्यारम्भ भी नहीं कर पाईं और दस दूकानों को घाटा हुआ। केवल ६ सहकारी दूकानें सफल रहीं। एक दूकान में तो १९००० रुपयोंका क्रय किया गया लेकिन इसके प्रमाणकों (Vouchers) का पता ही नहीं था। बरार बीज समितियों की प्रगति प्रशंसनीय रही।

संसार व्यापी मंदी एवं सहकारी आन्दोलन :—

इस राज्य में सन् १९२२-२३ से १९३३-३४ तक सहकारी आन्दोलन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यद्यपि समितियों की संख्या में वृद्धि हुई लेकिन उनके संगठन एवं व्यवस्था में शिथिलता थी। सन् १९२९-३० से तो सर्वत्र मंदी के कुप्रभाव दृष्टिगोचर होने लगे। कृषि वस्तुओं के भाव इतने घट गये कि कृषकों के उत्पादन का खर्च भी नहीं निकल पाता था। उन पर कर्ज का भार बढ़ता ही गया। सहकारी समितियों पर भी सेन्ट्रल बैंकों का ऋण बढ़ता गया। इसके विपरीत समितियां कृषकों से अपना ऋण वसूल नहीं कर सकीं। सदस्यों ने समितियों और कृषकों के ऋण के बदले में अपनी भूमि सौंप दी। बरार में केवल सन् १९३० में ऐसी भूमि २३४९ एकड़ थी तथा कृषिऋण ४२·५४ लाख रुपया था और साख समितियों का स्थिति भी दयनीय थी।

सन् १९३४-३५ में राज्य में फसलें नष्ट हो गई थीं। इससे समस्त राज्य में वसूली नहीं हो सकी। राज्य सरकार स्वयं इससे चिन्तित थी। "The cumulative effect of a series of years of low crop out-turn, slump in prices and the spread of demoralisation amongst the members of societies has resulted in heavy overdues, while fresh financing of societies is practically at a standstill and the indebtedness of members continues unabated". (1)

---

(1) Report on the working of Co-operative Societies in C. P. & Berar, for the year ending 30th June, 1938.

इससे विदित होता है कि समितियों और केन्द्रीय अधिकोषों के समस्त बकाया ऋण की वसूली एक जटिल समस्या थी। राज्य सरकार ने भी आन्दोलन में स्थिरता बनाये रखने का प्रयत्न किया।

ऋणी कृषकों को कर्ज भुगतान के लिए सरकार ने अनेक सुविधायें प्रदान कीं। कई केन्द्रीय अधिकोष अपने ग्राहकों की निक्षेप राशि (Deposit money) वापिस करने में असमर्थ थे। प्रान्तीय सहकारी अधिकोष ने मंडला, अमरावती और मलकापुर के अधिकोषों को सन् १९३३ से सन् १९३६ तक सहायता दी। अधिकोषों के अधीन ३४५३० एकड़ भूमि सन् १९३५-३६ में थी। सन् १९३३ में दो भूमि बंधक अधिकोष (लेन्ड मार्टगेज बैंक) स्थापित किए गए थे। सन् १९३६ में इनकी संख्या १० थी। सन १९३५-३६ में विभिन्न समितियों की संख्या इस प्रकार थी।

समिति	संख्या	सदस्य संख्या	क्रियाशील पूंजी (रुपयों में)
साख समितियाँ	३,५८५	४७,८९८	१,२४,५६,८७२
भूबंधक अधिकोष	१०	७६५	१,७४,५४३
केन्द्रीय अधिकोष	३५	-	२,४५,१२,३७५
प्रान्तीय अधिकोष	१	—	१,४४,१५,३८६
भूमिधारक संगठन	२	—	१,६६,६७६
कृषि संगठन (एसोसियेशन)	४२	—	१,५१,५५१
बीज समितियाँ	१४	—	—
आढ़त समितियाँ	६	—	—
अकृषकीय समितियाँ (अपरिमित दायित्व)	३०	४४३	४८,५५०
अकृषकी साख समितियां (परिमित दायित्व)	४३	१८,८२१	१४,२१,३७२

समिति	संख्या	सदस्य संख्या	क्रियाशीलपूंजी (रुपयों में)
स्टोर्स	११	८६२	७८,०७५
डेयरी फार्म	—	—	—
औद्योगिक समितियाँ	६	—	—
गृह निर्माण समितियाँ	६	३८०	५,४८,८६६
बचत समितियां	३८	३३४	१६,८७०
वयस्क शिक्षण समितियां	४३	—	—
अनिवार्य शिक्षण समितियां	४	—	—
अन्य समितियां	२	—	—

नागपुर में तेलनखेड़ी दुग्धशाला का संचालन राज्य सरकार का कृषि विभाग कर रहा था। मध्यप्रान्त और बरार बुनकर समिति की स्थापना केन्द्रीय सरकार की सहायता से की गयी। प्रारंभ में उसके २८८ सदस्य थे तथा कार्यशील पूंजी १४,४५४ रुपये थी। इससे उत्पादित वस्तुओं के विक्रय में सन १९३६ में कठिनाई प्रतीत हुई। आकोला की गृह निर्माण समिति सदस्यों से बकाया राशि इस वर्ष वसूल नहीं कर पायी। यवतमाल में १ तथा जबलपुर जिले में वयस्क शिक्षक समितियों की स्थापना की गई।

उक्त विवरण से विदित होता है कि सभी प्रकार की साख समितियों की क्रियाशील पूंजी अन्य सभी समितियों की तुलना में कई गुनी अधिक थी। राज्य सरकार के दृष्टिकोण से यही समितियाँ सहकारी आन्दोलन की प्रधान अंग थीं। गैर साख समितियों की संख्या कम नहीं थी। उनमें भी प्रायः २५ लाख रुपये की पूंजी विनियोजित थी। विभिन्न उद्देश्यों से इसका गठन हुआ था। सहकारी आन्दोलन में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान था।

गोले जाँच समिति :—

युद्ध पूर्व काल में आर्थिक संकट के कारण सहकारिता आन्दोलन असंगठित एवं अव्यवस्थित हो चुका था। बरार की साख समितियाँ और सहकारी अधिकोष अपने ऋणों की वसूली कृषकों से नहीं कर सके थे। राज्य सरकार ने एक समिति श्री. पी. बी. गोले की अध्यक्षता में नियुक्त की। समिति को निम्नलिखित बातों पर जांच एवं सुझाव देने के अधिकार थे :—

(१) बरार के सहकारी आंदोलन, विशेषकर सहकारी अधिकोषों की स्थिति की जांच करना।

(२) सहकारी अधिकोषों से द्वारा संरक्षित भूमि की आय में वृद्धि करने के उपायों के सुझाव।

(३) उन अधिकोषों को किस तरह आर्थिक सहायता दी जाय जिन्हें कि इनकी अत्यंत आवश्यकता है।

गोले समिति ने सहकारी आन्दोलन के उद्धारार्थ अनेक सुझाव प्रस्तुत किये। यह सुझाव रखा गया कि बरार के सहकारी अधिकोषों के विधानों को तब तक स्थगित कर दिया जाये जब तक कि वे अपने आधीन भूमि को बेच नहीं देते अथवा अन्य उचित व्यवस्था नहीं कर देते हैं। प्रत्येक अधिकोष की व्यवस्था के के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाये। इन अधिकोषों के अंशों को सरकार मल्य विहीन घोषित कर दे। प्रान्तीय अधिकोष अपने दस लाख रुपये के दावे को रोक दे। ऋणी समितियां एवं सदस्यों की राशियों को घटा दिया जावे। इससे १५ लाख रुपये का कमी होगा जिसकी पूर्ति राज्य सरकार करे। अधिकोषों के आधीन भूमि खंडों को लाटरी की सहायता से बेच दिया जाये। यदि कुछ खंड बच जायें तो उन्हें नीलाम करा दिया जाये। अधिकोषों के निक्षेपों को ३० वर्षों के लिए ऋण पत्र घोषित कर दिया जावे। उन पर ब्याज की दर ३ प्रतिशत ली जाये। समिति ने सरकार से निवेदन किया कि उसकी सिफारिशों को वह सम्पूर्णतः स्वीकार करे, अथवा उन्हें सम्पूर्ण अस्वीकृत कर दे।

राज्य सरकार ने गोले समिति की सभी सिफारिशों को अस्वीकृत किया। लाटरी पद्धति का सरकार ने विरोध किया तथा एक नयी योजना प्रत्युत्तर में प्रस्तुत की। उसके अनुसार समितियों, सदस्यों और अधिकोषों का ऋण बोझ इतना घटा दिया जाय कि उनका भुगतान छोटी छोटी किश्तों में २५ वर्षों में हो सके।

द्वितीय विश्वयुद्ध एवं सहकारिता

विश्व युद्ध के कारण वस्तुओं की अप्रतिबंधित मांग उत्पन्न हो गयी। वस्तुओं का प्रदाय अत्यंत सीमित था। इससे कृषकीय वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गयी तथा कृषकों की आय भी बढ़ गयी। साथ ही साथ उन्हें काला बाजार और मुनाफा खोरी का शिकार भी बनना पड़ा। बहु उद्देश्यीय समितियों की बाढ़-सी आ गयी। इनके द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुओं का वितरण ग्रामों में होने लगा। साख की अपेक्षा गैर साख प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला। इस कथन की पुष्टि रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित 'रिव्यु आफ दी कोआपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, १९३९-४६ से इस प्रकार होती है :—

"... ...that the greatest contribution of the war to the co-operative movement was the shifting of the emphasis from the credit aspect to its multi-purpose potentialities-a long felt need for imparting that richness and balance which is necessary for the proper development of the movement." (page 1)

सन् १९३९ में मध्यप्रदेश गैर-साख समितियों की तादाद केवल ९.५ प्रतिशत थी। सन १९४६-४७ में यही अनुपात २२.५ प्रतिशत हो गया। इससे साख समितियों की प्रगति रुक गयी। युद्धकाल में राज्य सरकार ने 'क्राप लोन' समितियाँ बरार में स्थापित की। इनकी देयता सीमित थी। इससे इनकी उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। यदि उपरोक्त समितियों की स्थापना न होती तो गैर साख समितियों का अनुपात ३४ प्रतिशत होता। सन १९३९ में इन साख समितियों की संख्या ५१ थी और १९४६-४७ में यही ७३५ हो गयी। इन समितियों को साख हेतु अत्यंत उपयुक्त समझा गया।

सन १९३८ में रिजर्व बैंक ने साख कार्यों के लिए बहुउद्देश्यीय समितियों की स्थापना पर जोर दिया था। सन् १९४९ में केवल १६ समितियाँ ही अस्तित्व में थी। सन ११४७ में करीब ५०० समितियाँ थीं। इस प्रकार इनकी संख्या में आशा से अधिक वृद्धि हुई। सन १९४९ में राज्य शासन ने प्रान्तीय पिपणन समिति डेढ़ लाख रुपये की लागत से स्थापित की। इस समिति को ३० लाख रुपये के ऋण की छूट भी दे दी गयी है।

युद्धकाल में गैर साख समितियों की प्रगति—

नाम	संख्या जून, १९४२	संख्या जून, १९४६
ग्रामों और शहरों में सहकारी भंडार	३०	२७७
बहुउद्देश्यीय समितियां	१६	१०४
एग्रीकलचरल एशोसियेशन	५६	८७
औद्योगिक समितियाँ	१०	१६३
दुग्ध शालायें	५	११
गृह निर्माण समितियाँ	१६	१४
वेतन भोगी समितियां (शहरी अधिकोषों सहित)	६२	७२
बचत समितियाँ	२६	२६

इस प्रकार सरकारी आंदोलन के ढांचे में द्वितीय विश्वयुद्ध ने महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कर दिए। कई समितियों को बल मिला। पुरानी समितियों का पुनः गठन हुआ और साख समितियों के आर्थिक साधनों में प्रगति हुई। भूमि बंधक अधिकोषों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। ७ भूमिबंधक अधिकोषों का विलयन सहकारी अधिकोषों से कर दिया गया।

युद्धोत्तर काल एवं विकास योजना

१९४५ में राज्य सरकार ने भी नगरकट्टी की अध्यक्षता में एक समिति सहकारी आंदोलन के पुनः संगठनार्थ नियुक्त की थी। इसने एक पंच-वर्षीय योजना मध्यप्रदेश के लिए प्रस्तुत की। इसने साख समितियों के उन्मूलन का सुझाव रखा, तथा तकावी ऋण पद्धति के अनुकूल ही सहकारी साख की व्यवस्था का सुझाव दिया। नगरकट्टी समिति ने भूमिबंधक बैंकों को समाप्त करने का सुझाव भी रखा। केंद्रीय सहकारी अधिकोष समिति के विचार से दीर्घकालीन साख व्यवस्था के उपयुक्त समझे गए। समिति ने बताया कि प्रत्येक ५ या १० ग्रामों के समूह में एक बहु-उद्देश्यीय समिति

स्थापित की जाय, जो ग्रामीणों के दैनिक उपयोग की आवश्यकताओं की पूर्ति क
प्रत्येक तहसील में एक कृषकीय-संगठन तथा प्रांत में एक केंद्रीय-संगठन रहेगा
उक्त समितियों द्वारा वस्तु वितरण करेगा। नगरकट्टी की सिफारिशों को तत्काल
आर्थिक एवं युद्धोत्तर आर्थिक प्रवृत्तियों से प्रेरणा मिली। युद्धोत्तर योजनाओं
समिति की सिफ़ारिशों को प्रधानता दी गई।

राज्य सरकार ने दिसंबर १९४६ से कुछ पुनः निर्माण योजनाओं को कार्यान्वि
किया तथा वे सन् १९४९-५० तक चलती रहीं। वे योजनायें निम्नलिखित हैं:—

(१) चार कृषकीय संगठन, दो बरार में, एक चांवल क्षेत्र में, एक आदिवासियों क्षेत्र मंडला, में स्थापित किये जायें।

(२) हाथ करघा उद्योग-धंधे का विकास किया जाये।

(३) मछलियों की योजना बनायी गयी।

(४) महिलाओं के मध्य गृह-उद्योग का विकास हो।

(५) आवश्यक कर्मचारियों एवं अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं उनकी नियुक्ति

(६) कुछ अधिकारियों को विदेशों में उच्च अध्ययनार्थ भेजना।

चारों कृषकीय संगठन बहुउद्देश्यीय समितियों के जरिये ग्रामीण जनता
गल्ला की वसूली करने लगे। मलकापुर, बालाघाट, अमरावती और वारासि
तथा मंडला जिले में बहुउद्देशीय समितियों को पूर्णतः संगटित किया गय
अमरावती कृषकीय संगठन ने जीन का कारखाना खरीदा, बालाघाट के संगठन
लालबर्रा में में चांवल का कारखाना स्थापित किया। मंडला के संगठन ने हर्रा
व्यापार किया। इन संगठनों को राज्य ने प्रायः सवा लाख रुपये का ऋण भी दिया

प्रान्तीय सहकारी बुनकर समिति बुनकर समितियों के द्वारा सूत का वित
करती रही। सन १९४७ में १०६ समितियाँ थीं तथा १,१८,२१,८८० रुपये
सूत बेचा गया। सन १९५०-५१ में २५६ प्राथमिक समितियाँ थीं। प्रान्तीय सम
ने इस वर्ष १५०.१७ लाख रुपये का सूत बेचा।

राज्य सरकार सहकारी संस्थाओं को हर समय सहयोग देती रही है। ब
उद्देश्यीय समितियों एवं कृषकीय संगठनों को भी वस्तुओं के क्रय एवं विक्रय

उसका सहयोग प्राप्त होता रहा है। सन १६५०-५१ में राज्य सरकार ने विलियित राज्यों के कृषकीय संगठनों और सहकारी अधिकोषों को २०,००० रुपये की आर्थिक सहायता दी थी। मध्यप्रदेश सहकारी विपणन एवं प्रदाय संस्था को इसी वर्ष २० लाख रुपये का निम्न दर पर ऋण दिया गया। राज्य सरकार ने सन १६५१ में प्रांदेशिक सहकारी अधिकोष के लिए रिजर्व बेंक के ५० लाख रुपये के ऋण की गेरेंटी दी। सन १६५०-५१ में सहकारी समितियों को कुल संख्या १०,१८५ थी, इनमें से सहकारी साख समितियों (सहकारी अधिकोषों सहित) की संख्या ८,२६१ थी। हर प्रकार की गैर साख समितियां केवल १,६१८ थीं। सभी समितियों की सदस्य संख्या ४ लाख ६३ हजार थी और राज्य को सरकारो आंदोलन की कुल क्रियाशील पूँजी १०,०६ ८०,००० रुपये थी। सहकारी समितियों ने अकृषकीय प्रयोजनों के लिये भी, इसी वर्ष, ११ करोड़ रुपये से अधिक के ऋण दिये। सन् १६५०–५१ में राज्य के करीब २२ लाख निवासियों या राज्य को १०.४ प्रतिशत जनता ने इस आंदोलन से लाभ उठाया। राज्य में ग्रामों की तादाद ४४,००० है उनमें से ११,००० ग्रामों का स्पर्श इन समितियों ने किया है।

इस प्रकार सहकारी आंदोलन सरकार की दृष्टि से राज्य में पर्याप्त प्रगति कर रहा है। किंतु उसके पुर्नगठन और पुनर्निर्माण को समस्या का पंचवर्षीय योजना काल में ही समाधान होना चाहिये। राज्य की पंचवर्षीय योजना की सफलता सहकारिता पर ही आधारित है।

अध्याय १६

कागज का उद्योग

भारत में कागज का निर्माण कार्य प्राचीन समय से होता आया है। हाथ का बना हुआ कागज यद्यपि बड़ी-बड़ी मिलों द्वारा निर्मित कागज की भांति सुन्दर और चिकना नहीं था, किन्तु वह अधिक टिकाऊ होता था। मध्यप्रदेश में पंचमनगर का हस्त-निर्मित कागज प्रख्यात रहा आया है। महात्मा गांधी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में वर्धा के समीप सेवाग्राम और मगनवाड़ी में अभी भी अच्छी किस्म का कागज गृह-उद्योग (Cottage Industry) की पद्धति पर उत्पादित किया जाता है। अपनी अतुल वन संपत्ति, जल-राशि और श्रमिक-उपलब्धि के कारण मध्यप्रदेश को कागज उद्योग में प्रगति करने के लिए सभी साधन प्राप्त हैं। किन्तु बड़े पैमाने पर इस उद्योग की स्थापना मध्यप्रदेश में अधिक पुरानी नहीं है। इससे ही हम इस देश की औद्योगिक मंद-गति का परिचय पा सकते हैं। कागज उद्योग की वृद्धि के लिए प्रमुख कारण देश में शिक्षा का और अन्य उद्योगों का प्रसार है, जिन्हें कागज की अनिवार्य रूप से आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिये बिड़ी, सीमेंट, वस्त्र आदि उद्योगों को कागज पेकिंग के लिए चाहिए। अभी भारत में कागज का इतना उपयोग नहीं बढ़ पाया है, जितना विदेशों में है। जब कि अमेरिका में प्रति-व्यक्ति पीछे २४० पौंड कागज का उपभोग होता है, तब हमारे देश में १·५ पौंड कागज की ही खपत हो पाती है। मध्यप्रदेश में प्रति-व्यक्ति पीछे कागज का उपभोग तो शायद और भी कम होगा। इसके कारण भी इतने प्रत्यक्ष हैं कि उन पर प्रकाश डालना अनावश्यक है।

किन्तु हमारे राज्य में इस उद्योग की वृद्धि के लिए सभी साधन मौजूद हैं। वनों से संबंधित परिच्छेद में हमने इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। यद्यपि मध्यप्रदेश में कागज निर्माण के लिये अच्छी घास भी उपलब्ध है किन्तु पर्याप्त

---

१ "Bamboo made paper is superior to grass made paper, for it is singularly free from blemishes and spots; and not only possesses initial strength but has sufficient durability."

DeWETT & SINGH

Indian Economics, Page 255

मात्रा में बांस के वनों की प्राप्ति कागज उद्योग के ही उज्जवल भविष्य का संकेत करती है। देहरादून स्थित "वन-अनुसंधान संस्था" ने भी बांस के कागज के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य किये हैं। बांस-निर्मित कागज घास के कागज की अपेक्षा अधिक सुन्दर और टिकाऊ होता है। (१) अभी तक मध्यप्रदेश की बांस संपत्ति का उपयोग उत्तरप्रदेश, बंगाल आदि में स्थित कागज के बड़े-बड़े कारखाने ही करते आये हैं। किन्तु निश्चय ही स्वयं यहाँ ही उच्चकोटि की कागज निर्माणियों की आवश्यकता है।

मध्यप्रदेश में बड़े पैमाने पर कागज निर्माण करने के लिए बल्लारपुर में "बल्लारपुर पेपर एन्ड स्ट्रा बोर्ड मिल्स लिमिटेड (Ballarpur Paper and Straw Board Mills Ltd.)" की स्थापना १९४६ में हुई। यह चांदा से ११ मील दूर स्थित है। यद्यपि प्रारंभ में चांदा के समीप ही इस निर्माणी की स्थापना का निश्चय था, किन्तु निर्माण कार्य के प्रारंभ में ट्यूब-वेल्स (Tube wells) की खुदाई करते समय भूमि के गर्भ में कोयला पाया गया, जिसके फल-स्वरूप वर्धा नदी के समीपस्थ बल्लारपुर में ही इसकी स्थापना हुई। यद्यपि यह एक अलोक-संस्था (Private Concern) है, फिर भी मध्यप्रदेशीय शासन के संरक्षण, सहायता और स्नेह के अभाव में इसकी प्रगति असंभव थी। ३१ जुलाई १९४७ को कंपनी और राज्य सरकार ने संविदा पत्र पर हस्ताक्षर किए, तथा कंपनी को राज्य सरकार ने बल्लारशाह क्षेत्र में कागज का कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। मध्यप्रदेशीय सरकार ने इस कारखाने की स्थापना में जो उचित रुख अपनाया है उसका अंदाज निम्न उदाहरण से लगाया जा सकता है[१] :—

"मूलतः कंपनी का पंजीयन बल्लारपुर स्ट्रा बोर्ड लिमिटेड नाम से किया गया था, जिसकी अधिकृत पूंजी ५० लाख रुपये तथा निर्गमित (Issued) पूंजी १५ लाख रुपए थी। ११ अक्टूबर १९४७ को १ करोड़ रुपए और अधिक निर्गमित पूंजी तथा अधिकृत (Authorised) पूंजी की वृद्धि कर २ करोड़ रुपए करने की स्वीकृति प्रदान की गई। २४ जून १९४८ को कंपनी ने अपनी योजना पत्रिका प्रकाशित की, किन्तु जनता द्वारा अधिक अभिदान की प्राप्ति नहीं हुई; फलतः प्लांट और मशीनों के लिए कंपनी ने सरकार से याचना की। मेसर्स जान इंगलिश कंपनी, टारेंटो, केनेडा को मशीनों का आर्डर दिया गया था। फलतः राज्यसरकार

---

(१) "प्रगति" (जनवरी-फरवरी १९५४; पृष्ठ ८३)

ने १५ लाख रुपए के अधिमान्य हिस्सों (Preferential Shares) तथा ३५.०१ लाख रुपए के साधारण हिस्सों (Ordinary Shares) के रूप में ५०.०१ लाख रुपए नियोजित किए । साथ ही सरकार ने जनता द्वारा अनभिदानित (Un-subscribed) पूंजी को १० साल के विमोच्य बांडों (Redeemable Bonds) के रूप में न्यूनतम ४% ब्याज पर लेने की स्वीकृति दी । ...२७ जून १९४९ को "उद्योगों को राज्य सहायता" अधिनियम के अंतर्गत एक सचिव की नियुक्ति की । पौंड-स्टर्लिंग अवमूल्यन के कारण शीघ्रातिशीघ्र साख पत्रों द्वारा प्लांटों और मशीनों के मूल्य की अदायगी आवश्यक थी । अतः सरकार ने बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की औपचारिक स्वीकृति के पूर्व ही मेसर्स जान इंगलिश कंपनी लिमिटेड से साख संबंध स्थापित कर सराहनीय प्रयास द्वारा कंपनी को भारी हानि से बचा लिया" ।

इसी प्रकार जब ८ नवम्बर १९४९ को तत्कालीन प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने पदत्याग किया था, तब भी शासन ने समस्त व्यवस्था-भार ग्रहण कर हिस्सेदारों को आश्वासित किया था कि योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार आवश्यक वित्तीय सहायता देगी और इसी आश्वासन की पूर्ति हेतु कंपनी को ६० लाख रुपए का कर्ज भी दिया । २८ अप्रेल १९५१ को सराफ कमेटी की सिफारिश पर कंपनी के अधिकारियों के एक सामान्य अधिवेशन में सर्व सहमति से मेसर्स थापर एंड ब्रदर्स लिमिटेड को कंपनी का प्रबंध अधिकर्ता नियुक्त किया । (१)

बल्लारपुर के कागज के कारखाने ने २१ नवंबर १९५३ से कागज-निर्माण कार्य चालू किया, जब कि प्रधान मंत्री पं० रविशंकर शुक्ल ने इसका उद्घाटन किया था । इस आधुनिकतम निर्माणी में नए ढंग की मशीने हैं और यह लेखन तथा मुद्रण के कागजों का उत्पादन करती है । यद्यपि वर्तमान में यह २०-२५ टन कागज का ही दैनिक उत्पादन करती है किन्तु निकट भविष्य में कुछ नवीन मशीनों एवं यंत्रों को कारखाने में चालित करके प्रतिदिन ५० टन उत्तम प्रकार के कागज के उत्पादन के लिए रूपरेखा प्रस्तुत की जा चुकी है ।

---

(१) मेसर्स थापर एन्ड ब्रदर्स लिमिटेड के नियन्त्रण में गोपाल पेपर मिल्स एवं जालन्धर पेपर मिल्स पहले से ही हैं ।

बल्लारपुर पेपर मिल्स के अतिरिक्त मध्यप्रदेश को एक अनूठे कागज-उद्योग की स्थापना का श्रेय मिला है। सामान्य व्यवहार में यह " नेपा मिल्स " के नाम से है। इसका पूर्ण नाम " National News Print and Paper Mills Limited " है। मेसर्स नायर प्रेस सिंडीकेट के प्रबन्ध अभि-कर्तृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मूलध्येय अखबारी कागज (News Print Paper) का उत्पादन करना है। भारत को प्रति वर्ष लगभग ७०–७५ हजार टन अखबारी कागज का आयात विदेशों से करना पड़ता है। इसका आनुमानिक मूल्य ६ करोड़ रुपए है। देश में शिक्षा सम्बन्धी प्रगति के फलस्वरूप और भी अधिक अखबारी कागज की आवश्यकता पड़ेगी। अतः यह अत्यावश्यक था कि देश की औद्योगिक प्रगति निमित्त और बढ़ती हुई कागज सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति निमित्त शीघ्र ही एक अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली निर्माणी की स्थापना की जाय।

मध्यप्रदेश के निमाड़ जिले की खंडवा तहसील में स्थित चांदनी नामक ग्राम को इस नवीन उद्योग की स्थापना के लिए चुना गया। इस चुनाव का प्रमुख कारण यह है कि यहां अखबारी कागज के लिए आवश्यक बांस और सलाई के अच्छे वन हैं। साथ ही यह स्थान रेलवे से भी जुड़ा हुआ है। ताप्ती नदी का अतुल जल कम महत्त्वपूर्ण कारण नहीं है। बल्लारपुर पेपर मिल्स की भांति इस कारखाने की स्थापना में भी राज्य-सरकार ने आर्थिक सहयोग देकर खूब प्रोत्साहन प्रदान किया है। प० रविशंकर शुक्ल के प्रधान मन्त्रित्व में इस कम्पनी के १० लाख रुपये के अंश खरीदे गए। साथ ही शासन की ओर से १९४८ में ६५ लाख रुपये की सीमा तक अनभिदानित (Unsubscribed) पूंजी खरीदने का आश्वासन भी दिया गया। शासन के इस झुकाव ने जनता में विश्वास की लहर दौड़ा दी। परिणाम स्वरूप इसकी अभिदानित पूंजी १४० लाख रुपए हो गई। किन्तु दुर्भाग्य से यह अभिदान भी अपर्याप्त था और इसका मूल कारण प्रबंध अभिकर्ताओं की साख का अभाव था। श्री नायर के इस मिल से संबंधित विदेशों में किए गए मशीन आदि की खरीदी संबंधी कार्यों से राज्य और जनता सशंक और सतर्क हो गई। और यह संदेह साधार सिद्ध हुआ। फलतः अक्टूबर १९४९ को इन्हें पद-त्याग करना पड़ा। और साथ ही शासन ने राज्य की उद्योग समिति की सिफारिश पर टाटा सन्स लिमिटेड के श्री ए. डी. श्राफ की अध्यक्षता में प्रथम प्रबंध अभिकर्ताओं की दुष्प्रवृत्तियों की जांच एवं तांत्रिक तथा वित्तीय दृष्टिकोण से परीक्षण तथा योजना की सुचारु

क्रियान्विति के लिए व्यवस्था की रूपरेखा के संबध में सुझाव प्रस्तुत करने के लिए एक जांच-समिति की नियुक्ति की। इस समिति ने अक्टूबर १६५० में शासन के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश की। कमेटी की राय में तांत्रिक दृष्टि से योजना पूर्णतः सुस्थिर थी। योजना की शीघ्र कार्यान्विति और सुचारु संचालन के लिए व्यवस्था का भार किसी सरकारी व्यवस्था अभिकर्ता पर रखने के बदले किसी साखवान औद्योगिक संस्था को सौंपना लाभकारी होगा। (१) इसी हेतु श्राफ कमेटी की राय थी कि मेसर्स बिड़ला ब्रदर्स को ही प्रबंध अभिकर्त्ता नियुक्त किया जाय १६५१ तक इस सिफारिश के अनुसार सरकार ने बिड़ला बंधुओं से व्यवस्था भार ग्रहण करने की वार्ता की। किन्तु वार्ता असफल हुई। अतः ६ व्यक्तियों का एक संचालक-गण (Board of Directors) बनाया गया। शासकीय अधिकारी जो संचालक भी हैं, को मेनेजिंग-डायरेक्टर (Managing Director) बनाया गया। यह भारतीय वन-सेवा (Indian forest Services) के भी सदस्य हैं। इनके जिम्मे कंपनी की दैनिक व्यवस्था तथा कार्यपालक कार्यरत हैं। कंपनी के वन-प्रवर्तनों (Operations) को सगठित करने का उत्तरदायित्व भी इन्हीं पर है।

इस निर्माणी की स्थापना बड़े भारी पैमाने पर तो की ही गई है, साथ ही इसे अपने ढंग का निराला बनाने के लिए हर दृष्टि से इसे आत्मनिर्भर बनाया गया है। इसकी अपनी गवेषणा-प्रयोग शाला है, श्रमिकों के लिए उचित रहवास के स्थान हैं और सभी आवश्यक सज्जाएं (Equipments) हैं। कारखाने की इमारत भी सर्वाङ्गपूर्ण है। इस निर्माणी के नाम पर ही निर्माणी स्थल को "नेपा-नगर" नाम दिया गया है, जो एक सुन्दर नगर के रूप में अपना भविष्य आंक रहा है। कारखाने के कार्यों तथा नगर में जलपूर्ति के लिए ८० लाख गैलन जल की आवश्यकता है। कारखाने के लिए नलों द्वारा जलपूर्ति योजना तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत ताप्ती नदी से २ मील की दूरी पर कारखाने के समीप ही, एक पहाड़ी पर जलाशय निर्माण होगा। कारखाने के समीप ही मध्यप्रदेश विद्युत समिति द्वारा १२५०० किलोवाट क्षमता का विद्युत गृह बनाया गया है। नेपा नगर सेंट्रल रेलवे द्वारा एक स्टेशन भी बना दिया गया है जिसके कारण यह खंडवा से संबंधित हो

(१) "सरकार ने स्व. सर सन्मुखम चेट्टी की अध्यक्षता वाली व्यवस्था अभिकर्त्ताओं की समिति को इस प्रस्ताव पर राजी किया था कि एक सरकारी अधिकारी को व्यवस्था अभिकर्ता के पद पर नियुक्त किया जाय"

गया है। साथ ही कंपनी ने लगभग २ लाख रुपए का व्यय करके चांदनी से नेपा-नगर को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कर बुरहानपुर खंडवा सड़क से अभिगमन की व्यवस्था की है।

इस मिल के विलंब से कागज उत्पादन में मुख्य कारण यह रहे हैं :—

(१) एक नवीन स्थान में नवीन उद्योग की स्थापना।

(२) प्रारंभ में ही प्रबंध अभिकर्ताओं का प्रपंच और तत्संबंधी अड़चनें।

(३) कागज निर्माण के लिए रासायनिक लुग्दी (Chemical Pulp) के लिए विदेशों पर निर्भरता।

६ करोड़ रुपए की लागत वाली इस मिल की प्रतिदिन १०० टन अखबारी कागज निर्माण करने की उत्पादन-क्षमता है।[१] इसके फलस्वरूप राष्ट्र को डेढ़ करोड़ रुपए के विदेशी विनिमय की बचत हो सकेगी। जब इस मिल के द्वारा ही रासायनिक लुग्दी का भी उत्पादन होने लगेगा तब राष्ट्र को और भी अधिक लाभ होगा। यह मिल राष्ट्र की अखबारी कागज संबंधी अभियाचना (Demand) की $\frac{1}{3}$ की पूर्ति कर सकती है।

इस प्रकार कागज उत्पादन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश स्थान अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। इस दिशा में शासकीय सहयोग के कारण प्राप्त की गई सफलता से ही इस बात का अंदाज लगाया जा सकता है कि राष्ट्र में औद्योगिक प्रगति के लिए जनता और शासन में एकता होना अनिवार्य है।

---

(१) इतना कागज निर्माण करने के लिए लगभग २२,५०० टन सलाई व लगभग ३०,००० टन बांस की वार्षिक खपत होगी।

अध्याय १७

सामुदायिक विकास योजनाएँ

हम इस विषय को जनगणना के अंतगत स्पष्ट कर आए हैं कि मध्यप्रदेश में बड़े-बड़े शहर इने गिने हैं। ग्राम-बाहुल्य वाले किसी भी देश अथवा राज्य की वास्तविक उन्नति का आकलन शहरों से संबंधित योजनाओं और उनके विकास से नहीं किया जा सकता। गांवों की आत्यंतिक उपेक्षा पर आधारित शहरों का संवर्धन एक अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था में ही हो सकता है। प्राचीन काल में भारत की अर्थ - परंपरा ग्रामों में ही केन्द्रीभूत थी । भारत की संस्कृति, समृद्धि, और समुन्नति का दर्शन ग्रामों में ही होता था । और इतनी अधिक सुंदरता और व्यंवस्था से ग्रामों के कार्य होते थे कि समूचा भारत, जो ग्राम – निर्मित देश रहा आया है, व्यवस्थित और उन्नत रहता था। राजनैतिक परिवर्तनों के बावजूद हमारा आर्थिक, सामाजिक ढांचा दृढ़ नींव पर अवस्थित था । भारत के ऐतिहासिक उत्कर्ष का मूलभूत कारण हमारी ग्राम-व्यवस्था थी। प्रत्येक गांव आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भर था । और इस प्रकार छोटे-छोटे गणतंत्र दृष्टिगत होते थे। इंद्रप्रस्थ राजगृही सदृश राजधानियां होते हुए भी वस्तुतः देश में शासन व्यवस्था अपने सफलतम रूप में विकेंद्रित थी । वातावरण, आवश्यकता आदि के अनुसार प्रत्येक ग्राम अपना कार्य संभालता था। शासन का अल्पतम हस्तक्षेप ग्रामीण व्यवस्था पर हुआ करता था। शासकीय न्यूनता (Governmental Minimum) का सिद्धांत लागू होने के साथ ही प्रत्येक नागरिक अधिकतम योग प्रदान कर ग्रामोन्नति में संलग्न रहता था । शिक्षा, संगति, सिंचाई, सदाचार, सदृश क्षेत्रों में गांव समृद्ध था। सर्वांगीण विकास की यह प्राकृतिक पद्धति भारतीय समृद्धि की जननी थी ।

किन्तु ब्रिटिश शासन काल में स्थिति को योजनापूर्वक नष्ट-भ्रष्ट किया गया। शासन ने समस्त अधिकार अपने में केन्द्रित कर लिया । गांवों की पंचायत व्यवस्था के बदले बड़े शहरों में स्थित कोर्ट, घर-घर में कलरव करने वाले हस्त करघों चरखों के बदले विशेष शहरों में स्थित कारखाने आदि के रूप में विनाशकारी परिवर्तन हुए। ग्राम व्यवस्था का अर्थात् पुरातन भारतीय व्यवस्था का मूलोच्छेद किया गया। और जिन जिन कारणों से भारतीय-समृद्धि हुआ करती थी, उनके विपरीत, अहितकर

कार्य करने में तनिक भी विलंब और हिचकिचाहट का प्रदर्शन नहीं किया गया। ब्रिटिश शासक ने अपनी दूरदर्शिता का आसुरी उपयोग कर यह अनुभव कर लिया था कि भारत पर सफलता पूर्वक चिरकालीन आधिपत्य जमाए रखने के लिए ग्रामों की अनादिकालीन व्यवस्था को विस्खलित करना होगा। उन्होंने एक भी प्रयत्न इस स्वार्थांधतापूर्ण ध्येय की प्रप्ति के लिए नहीं छोड़ा। विदेशी शासन प्रणाली ने यह प्रणाली कि जिसने भारत के प्रति हीनाचरण करने वाली सौतेली मां का व्यवहार किया, अपने दो सौ वर्षीय जीवनकाल में दानवीय लीलाएं कर ऐसी स्थिति पैदा करदी कि भारतीय ग्रामीण की आय दुनियां के किसी भी देश के नागरिक से कम हो गई, उसके स्वास्थ्य का नाश हो गया, विविध रोगों ने ग्रामों में डेरा जमाया, गंदगी का प्रसार हुआ, अशिक्षा और मूर्खता का अंधकार छा गया, कलह और कचहरीबाजी बढ़ी, और अंतोगत्वा ग्रामीण का जीवन निराश और विनाशदायक बनगया। गांवों में वह शांति और समृद्धि हमारी कल्पना की परिधि से भी निकल गए। ग्राम-पतन इतना स्पष्ट दृष्टिगत होता है कि उसके सिद्ध करने के लिए आंकड़ों को प्रस्तुत करना एक सरल चीज को जटिल बनाने जैसा होगा।

ब्रिटिश-शासन-काल में ही लोक चेतना के उदय ने भारतीयों को ठेस पहुंचाई थी। भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम में विचारकों, और राज नेताओं ने इस बात को अनुभव कर लिया था कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन जानबूझकर गांवों के विनाश पर उतारू थी। ब्रिटेन को तो अपने खजाने के भरे-पूरे रहने पर विश्वास था। उसे भारत की अवनति पर ही ठीक रखा जा सकता था। भारतीय विचारकों ने समझ लिया था कि ब्रिटिश शासन से राजनैतिक स्वतंत्रता पाने मात्र से वास्तविक हित नहीं होगा। राजनैतिक स्वतंत्रता के साथ ही आर्थिक सामाजिक समृद्धि अनिवार्यतः आवश्यक है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में संचालिक स्वतंत्रता के उपक्रमों में ग्राम-सेवा आधार बन ई गई थी। गांधीजी का चरखा आन्दोलन, उनका सेवा-ग्राम इसी बात के परिचायक हैं कि वे ग्राम-सुधार के साथ-साथ देश को स्वतन्त्र किया चाहते थे। उनकी धारणा थी कि भारत की स्वतन्त्रता पतित-ग्रामों की स्थिति में बेढंगी लगती है। ग्रामोन्नति शीघ्रातिशीघ्र होनी चाहिए।

इस प्रकार ग्रामोन्नति का बोरण जोर पकड़ रहा था, यद्यपि विदेशी शासन की ओर से वस्तुतः सदिच्छापूर्ण कोई भी कदम नहीं उठाया गया था। शासन के द्वारा

किए गए सुधार कार्य एकांगी होते थे। कभी ग्रामीण को ऋण से मुक्ति प्रदान करने के लिए "कुछ" किया जाता, कभी शिक्षा के लिए तो कभी पशु और ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए छुट-पुट प्रयत्न किए जाते थे। और इन सुधारों के करते समय ब्रिटिश-शासन सदा ही ऐसा रुख अख्त्यार करता था मानों ग्रामों पर बड़ा भारी उपकार लादा जा रहा हो। सुधार करते समय ग्रामीणों को मूर्ख, उनकी कृषि पद्धति, शिक्षा, विचार प्रणाली आदि को भी मूर्खता और अज्ञानता से परिपूर्ण घोषित किया जाता था। जबकि ६० वर्ष पूर्व एक विदेशी विशेषज्ञ डा. वोलकर (Voelcker) ने भारतीय कृषि के गुण गाते हुए कहा था :—

"...Nowhere would one find better instances of keeping land scrupulously clean from weeds, of ingenuity in device of water-raising appliances, of knowledge of soils and their capabilities, as well as of the exact time to sow and to reap as one would in Indian Agriculture; and this not at its best alone but at its ordinary level. It is wonderful, too, how much is known of rotations, the system of mixed crops and of following. Certain it is that I at least have never eesn a more perfect picture of careful cultivation combined with hard labour, perseverance and fertility of resources than I have seen of many of the halting places...... . But to return to the question of improvement; while some have erred by calling agriculture primitive, and forgetting that novelty is not necessarily improvement, have thought that all that was needed was a better plough, a reaper, a threshing machine, or else artificial manures, to make the land yield as English soil does, others have equally erred by going to the opposite extreme." [1]

ब्रिटिश-नीति की अभांति कुछ भारतीय प्रयत्न आधुनिक ढंग पर किए गए। किन्तु ये प्रयत्न न तो राष्ट्रीय पैमाने पर ही किए गए और न इन्हें शासन का

[1] Dr. Voelcker—Royal Agriculture Society.

सहयोग ही उपलब्ध हो सका था। कुछ विशेष व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा ही दो-चार स्थानों में ग्राम निर्माण के कार्य किए गए थे। उत्तर प्रदेश में इटावा में ग्राम सुधार की एक योजना को कार्यान्वित किया गया। इसमें तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति ट्रूमेन के चार-सूत्री प्रोग्राम के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त थी। इस प्रकार विदेशी सहायता के बल पर ग्राम निर्माण करने का यह पहला संयोजित कार्य था। बंबई में गांधी-विचारधारा पर विश्वास रख सर्वोदय नीति पर ग्राम-सृजन का काम हो रहा था। मद्रास में फिरका विकास योजना कार्य कर रही थी। गांधीजी ने सेवाग्राम का निर्माण मध्यप्रदेश में वर्धा से ६ मील की दूरी पर किया था। और उसे सर्वांगीण उन्नति के पथ पर लगाया था। बंबई में एक रेशनल प्लानिंग कारपोरेशन ने इंजीनियरों, यांत्रिकों, शहर-संयोजकों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, उद्योगपतियों, राजनेताओं, धार्मिक व्यक्तियों, समाज सेवकों के सहयोग पर स्थापित किया गया था। इसका ध्येय बिना लाभ या हानि की आशा के ग्रामों की उन्नति करने का था।

किन्तु भारत सदृश ग्रामों के देश में ये इने-गिने कार्य अपना न्यूनतम महत्व रखते हैं। और इन कार्यों में इस प्रकार निष्कर्ष निकलते हैं—

(१) ग्रामीण के सुधार कार्य एकांगी नहीं होने चाहिए। उसके जीवन की अनेक समस्याएं हैं: इसलिए उसके लिए किए गए कार्य में सर्वांग-संयोजन होना चाहिए।

(२) ग्रामीणों के सहयोग से किए गए कार्य अधिक स्थायी प्रभाव रखते हैं। उन पर लादे गए कार्यों में इच्छित सफलता की आशा निराशा में परिवर्तित हो सकती है।

(३) यद्यपि शासन का योग चाहिए, फिर भी उन्नति संबंधी उत्तरदायित्व जनता का ही है। विकास के कार्यों के प्रति जनता की ममता का होना बहुत आवश्यक है।

(४) केवल शासन के स्थायी व्यय से काम नहीं होगा, ग्राम-विकास के कार्य इस प्रकार होने चाहिए कि शीघ्रता से भारतीय गांवों की अपनी विशेषता बेकारी का सदा के लिए निराकरण हो जावे। और यह कृषि और कुटीर उद्योगों के वैज्ञानिक ढंग पर किए गए विकास पर ही संभव है।

(५) केवल सलाह और साहित्य से काम न होगा, ग्राम विकास में आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना पड़ेगा, यथा प्रयोग करना, बीज, बैल, भूमि प्रदान करना। और यह भी आवश्यक है जैसा कि पंचवर्षीय योजना में लिखा गया है:—

"There has to be a dominant purpose round which the enthusiasm of the people can be aroused and sustained, a purpose which can draw forth from the people and those who assist them on behalf of the Government the will to work as well as a sense of urgency. The aim should be to create in the rural population a burning desire for a higher standard of living—a will to live better"[१]

भारतीय स्वतंत्रता की उपलब्धि के पश्चात नव निर्मित शासन ने ग्राम - निर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कदम उठाया। सच तो यह है कि परदेशीय-सत्ता का जुआ हमारी गरदन पर से उठ जाने के बाद ही हम ठीक दिशा में चल सकने में समर्थ हो सके हैं। ७००,०००,०० कुटुंबों के लिए जीवन-स्तर संबंधी सुधार— वह भी पारस्परिक सहयोग और संगठन की भावना द्वारा संपादित करना प्रिय किन्तु असाधारण महत्त्वाकांक्षा है। शासन द्वारा प्रस्थापित "सामुदायिक विकास योजना" के अंतर्गत भारतीय जीवन की सामाजिक आर्थिक (Socio-Economic) बातों से संबंधित सर्वांगीण विकास की सदिच्छा से इस योजना का प्रारंभ समूचे देश में किया गया। इस योजना को युद्ध - सदृश आधार प्रदान किया गया है, क्योंकि तब ही शीघ्रता से सफलता की आशा की जा सकती है। यह योजना संक्षिप्त में गरीबी, बेकारी, रोग आदि के विरोध में बगावत है, ताकि पूर्ण और वास्तविक रूप में स्वतंत्र जीवन का आनंद प्राप्त किया जा सके।

इतने बड़े कार्य के लिए भारत के पास धन की कमी का अनुभव होना साहजिक ही है। यद्यपि हमारी जन - शक्ति अपार है, किन्तु आर्थिक सामर्थ्य की आवश्यकता है। इसीलिए फोर्ड - फाउन्डेशन और अमरीकी शासन से यंत्रों के रूप में आर्थिक सहायता की प्राप्ति के आधार पर ही यह कार्य संपन्न होगा। किन्तु विदेशी सहायता मात्र लाभकारी नहीं हो सकती। बल्कि वह हानि ही कर सकती है।

---

[१] The First Five Year Plan.

वस्तुतः राष्ट्र के नागरिकों के सक्रिय सहयोग के बिना १०% भी सफलता नहीं मिल सकती। अधिक अन्न उपजाओ (Grow more Food Committee) ने अपनी रिपोर्ट में काफी प्रकाश डाला था [१]। स्थायी और शीघ्र प्रतिफल की प्राप्ति जनता के भाग पर ही आश्रित है। प्रथम पंचवार्षिक योजना से संबंधित एक पुस्तिका में सामुदायिक विकास योजना के बारे में इस प्रकार लिखा है।

---

१ * "No plan can have any chance of success unless the millions of small farmers in the country accept its objective; share in its making, regard it as their own, and are prepared to make the sacrifices necessary for implementing it. The integrated production programme has failed to arouse enthusiasm for the reasons we have given. . ...
The economic aspects of village life can not be detached from the broader social aspects; and agriculture improvement is inextricably linked up with a whole set of social problems. .. All aspects of rural life are interrelated and no lasting result can be achieved if individual aspects of it are dealt with in isolation. This does not mean that particular problems should not be given prominence but the plans for them should form parts of, and be integrated with, those for achieving the wider aims. It is only by placing this ideal—of bringing about an appreciable improvement in the standards of rural life and making it fuller and richer–before the country and ensuring that the energies of the entire administrative machinery of the states and the best non–official leadership are directed to plans for its realisation that we can awaken mass enthusiasm and enlist the active interest and support of millions of families living in the country-side in the immense task of bettering their own conditions."

Grow More Food Committee's Report.

सामूहिक विकास एक ऐसी कोशिश है, जिसका उद्देश्य देहातों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में धीरे-धीरे फेर बदल करना है। इस फेर बदल के काम में उनकी निजी बेहतरी के लिए खुद देहाती लोगों से ही सहयोग लिया जायगा। इस काम के लिए अधिक वैज्ञानिक खेती करने का अभ्यास कराया जायगा, सफाई के बेहतर इंतजाम होंगे, रेलों, सड़कों आदि और घरेलू उद्योगों का विकास होगा। इस काम को पूरा करने के लिए देहातों तक पहुंचा जायगा, लेकिन यह पहुंच ऐसे अफसरों की भीड़-भाड़ द्वारा नहीं होगी, कि जो अलग-अलग तौर पर देहाती जीवन के केवल एक ही पहलू से संबंध रखते हों, बल्कि ऐसे प्रतिनिधि द्वारा (जो ग्राम-कार्यकर्ता कहलायगा) जो कम-से-कम देहात विकास के मुख्य कामों से परिचित हो। यह तजबीज की गई है कि दस वर्ष के अर्से में देश भर में ऐसे कार्यकर्ताओं का जाल-सा बिछा दिया जाय और वे किसान को उसकी कठिनाइयों का हल सुझाने और पूरे देहाती जीवन का विकास करने में सहायक हों।

योजना का रूप

मई १६५२ को राज्य की सरकारों से संपर्क स्थापित कर भारत में ५५ सामुदायिक योजनाओं का भारतीय शासन ने प्रारंभ किया। बाद में और भी सामुदायिक योजनाओं का प्रारंभ किया गया। १६५३ तक २२० विकास-वर्ग स्थापित हो गए जिनके अंतर्गत २१०·५० लाख जनसंख्या गर्भित है।[१] मध्यप्रदेश में

---

१ "For each community project there will be approximately 300 villages with a total area of about 450 to 500 square miles, a cultivated area of about 150,000 acres and a population of about 200,000. The project area is conceived as being divided into 3 Development Blocks each consisting of about 100 villages and a population of about 60,000 to 70,000. The Development Block is in turn, divided into groups of 5 villages each, each group being the field of operation for a village level worker."

First Five Year Plan
Page 224.

४ योजनाएं आरंभ हुई। ये रायपुर, होशंगाबाद, अमरावती और बस्तर में स्थित हैं। रायपुर, होशंगाबाद और अमरावती क्रमशः चावल, गेहूँ और कपास के क्षेत्र हैं। बस्तर योजना का उद्देश आदिम जातियों का कल्याण है। चांदा जिले के सिंदेवाही स्थान में (Extension Training-Cum-Development Centre) की स्थापना १६ जून १६५२ में हुई। एक सामुदायिक विकास योजना का लक्ष्य अपने अंतर्गत सामान्य ग्राम में निम्नलिखित व्यवस्था करने का रहता है :—

(१) कुएं ट्यूब वेल या तालाब।

(२) नालियों की व्यवस्था।

(३) कृषि विस्तार सेवा के अंतर्गत प्रति ५ गांव के बीच १ ग्राम सेवक।

(४) विकास संवर्ग के केंद्र स्थित सेनीटरी इंसपेक्टर द्वारा सफाई संबंधी सेवा।

(५) कम-से-कम कृषि योग्य भूमि के ½ भाग में सिंचाई व्यवस्था।

(६) गांव के क्षेत्रफल का ⅓ भाग घर बनाने, चरागाह तथा वन लगाने के लिए सुरक्षित रखना। कृषि योग्य पड़ित भूमि उठाना।

(७) विकास क्षेत्र के ग्रामीण भाग में सड़कों की ऐसी व्यवस्था करना कि कोई भी गांव सड़क से आधे मील से अधिक दूर न हो। मुख्य सड़कें राज्य सरकार अथवा स्थानीय संस्थाओं द्वारा बनाई जावेंगी और सड़क की देखभाल भी वे ही करेंगे। गांव से प्रमुख सड़क तक गांव वाले सड़क बनायेंगे।

(८) स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए प्राथमिक शाला होगी।

(९) प्रारंभिक प्रौढ़ शिक्षा और मनोरंजन केंद्र होगा। इत्यादि।

प्रत्येक विकास संवर्ग में एक मंडी होगी, जिसमें निम्नलिखित सुविधाएं होंगी—

(१) माध्यमिक शाला।

(२) एक छोटा सा औषधालय जिसमें एक हेल्थ विजिटर, दाइयां और सेनीटरी इंसपेक्टर होगा।

(३) कृषि विस्तार सेवा का उपकेंद्र।

(४) डाक और तार कार्यालय।

(५) एक विक्रय केंद्र।

(६) एक कला, हस्तकौशल और कुटीर उद्योग केन्द्र।

(७) कृषि उत्पादन के लिये संग्रह भवन तथा क्रय विक्रय केंद्र।

(८) नित्य प्रति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार।

(९) सामुदायिक मनोरंजन केन्द्र।

(१०) एक फल-फूल एवं सब्जियों का बगीचा; एक बीज तैयार करने का केन्द्र तथा एक पशु-पक्षी प्रजनन केन्द्र से युक्त आदर्श फार्म।

(११) पशु-चिकित्सा सेवाव्यवस्था के लिए औषधालय।

प्रत्येक विकास क्षेत्र में ३ मंडिया और उनपर निर्भर गांव होंगे। विकास खंड का केन्द्र एक ग्रामीण नगर होगा जिसकी जनसंख्या लगभग ५००० होगी विकास खंड वर्तमान थाने के बराबर होगा।

योजना की व्यवस्था

केन्द्रीय व्यवस्था

हम पहले लिख आये हैं कि सामुदायिक विकास योजना की क्रियान्विति केन्द्रीय और राज्यकीय शासन के परस्परिक सहयोग पर निर्भर है। केन्द्र में इस हेतु एक केन्द्रीय समिति (Central Committee) और एक प्रशासक

(Administrator for Community Projects) होंगे । यह प्रशासक केन्द्रीय समिति के अधीन होगा, और वह भारतवर्षीय सामुदायिक योजनाओं की व्यवस्था, संचालन और संगठन संबंधी कार्य केन्द्रीय-समिति की देखरेख में और विभिन्न राज्यों के अधिकारियों की सलाह से करेगा । इस प्रशासक के विशेषज्ञ सहायक होंगे ।

(१) कर्मचारी विभाग—यह विभाग विस्तार योजना के कर्मचारी, कारीगर, निरीक्षक, कार्यकारी अधिकारी, आदि का प्रशिक्षण, केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रशिक्षण केन्द्रों और आवश्यक होने पर विकास योजना प्रशासन द्वारा आयोजित प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा करता है ।

(२) आयोजन विभाग—यह विभाग राज्य सरकारों को ग्रामीण, शहरी तथा प्रादेशिक विकास की योजना बनाने में सहायता पहुंचाता है । यह विभाग विकास क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों के सहयोग से ही काम कर रहा है ।

(३) वित्तीय विभाग—इस विभाग में एक वित्तीय मंत्रणा-दाता है, जो प्रशासक को विधि निर्धारण में मंत्रणा देता है, तथा केंद्रीय समिति द्वारा स्वीकृत विकास योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान करता है ।

(४) प्रशासक विभाग—यह विभाग विकास योजना को कार्यान्वित करने में नीचे बताए ढंग पर सहायता देता है ।

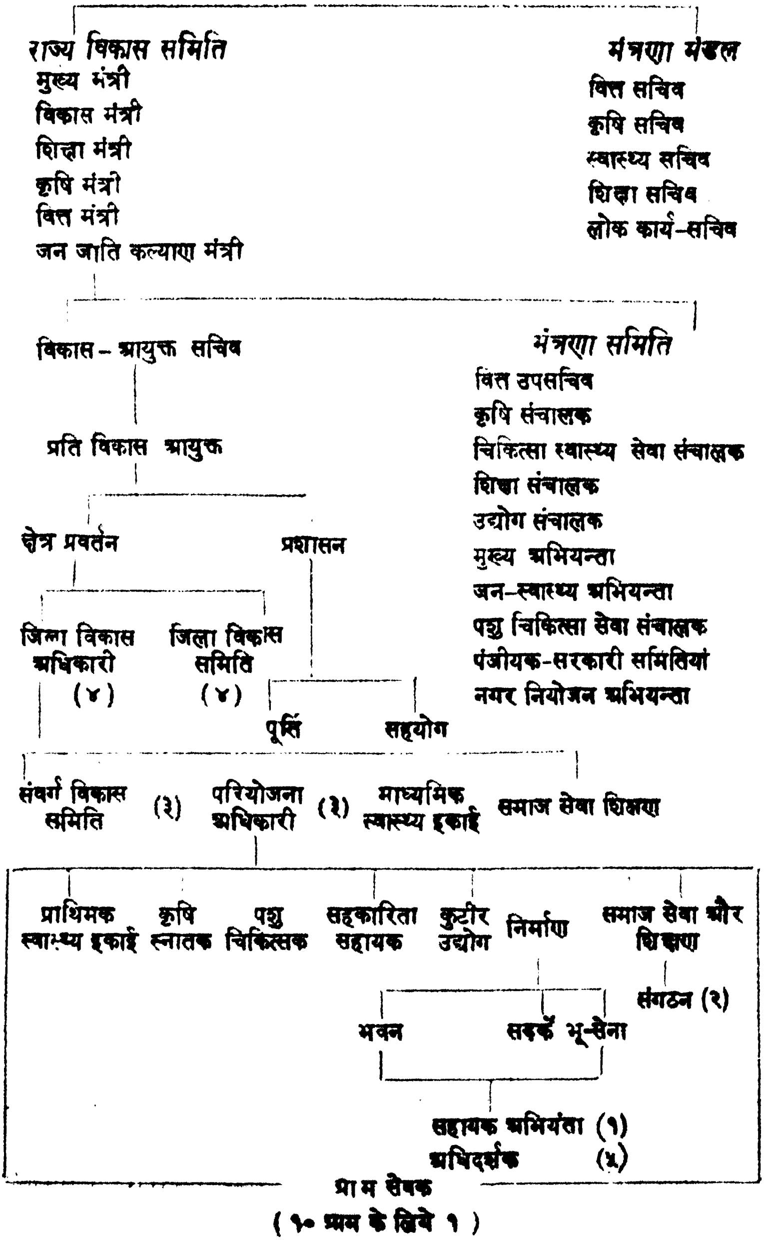
(१) प्राथमिकता के अनुसार पूर्ति

(२) कर्मचारियों के बीच सहयोग

(३) सूचना तथा आंकड़े एकत्रित करना (तथा योजना की सामूहिक प्रगति के संबंध में नियमित रूप से बुलेटिन छापना)

राज्य संबंधी व्यवस्था इस प्रकार है :—

सामुदायिक विकास योजना
राज्य – संगठन



सिंदेवाही की प्रारंभिक विकास योजना [1]

मध्यप्रदेश के ग्राम निर्माण कार्यक्रम में १६ जून १६५२ से नये युग का आरंभ हुआ, जबकि उस दिन सामूहिक विकास योजनाओं के अंतर्गत चांदा जिले के सिंदेवाही स्थान में प्रथम शिक्षण केन्द्र का निर्माण हुआ। विकास आयुक्त श्री एस. एन. मेहता की अध्यक्षता में एक सुन्दर समारोह हुआ और केंद्र का कार्यारंभ हो गया। विभिन्न राज्यों के शिक्षणार्थियों के प्रथम दल के अतिरिक्त निकटवर्ती गांवों के कृषक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। यह योजना राज्य सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के फोर्ड फाउन्डेशन के संयुक्त सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। सिंदेवाही शिक्षण तथा विकास योजना दो भागों में विभाजित है :—

(१) शिक्षण केन्द्र तथा (२) विकास योजना।

शिक्षा केन्द्र—इस केन्द्र में उन व्यक्तियों को ऊँची शिक्षा दी जाती है, जिन्होंने तान्त्रिक कृषि सम्बन्धी या लोक स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षण पूरा कर लिया है। उद्देश्य यह है कि वे डेस्क छोड़कर खेतों में काम करें और अपने कार्य द्वारा "प्रदर्शन" की प्रणाली का क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त हो। कृषि, पशुपालन, लोक स्वास्थ्य, तथा सफाई, पशु चिकित्सा और प्रौढ़ व्यक्तियों की शिक्षा के व्यावहारिक पक्ष पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस शिक्षण का उद्देश्य यह है कि इस स्थान पर शिक्षित कर्मचारियों की सहायता से कृषि विस्तार योजनाएँ आरम्भ की जावें।

इस संवर्ग (ब्लाक) में १०५ गांव हैं तथा उसका क्षेत्रफल लगभग १५० वर्ग मील है। इन गावों का आरम्भिक पर्यवेक्षण हो चुका है यह पर्यवेक्षण निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया था :-

(१) इन गावों की समस्याएं (२) इन क्षेत्रों में विभिन्न भूमि दान योजनाओं तथा अन्य योजनाओं के आरंभ की सभावनाएं और (३) छोटे सिंचाई कार्य इत्यादि हाथ में लेने की संभावनाएं।

---

[1] मध्यप्रदेश की सामुदायिक विकास योजनाएँ और राष्ट्रीय विस्तार सेवा व्यवस्था से—पृष्ठ १२—

इस केन्द्र में शिक्षण तथा विकास कार्यक्रम के लिए आवश्यक लगभग सभी कर्मचारियों को उनके स्थानों पर भेज दिया जाता है। लोक-कर्म विभाग ने कृषि इमारतों को सुधारने तथा बदलने का काम हाथ में ले लिया है, जिससे वे योजना की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। जहां तक इस योजना के शिक्षण कार्य का सम्बन्ध है, आवश्यक सामग्री इकट्ठी कर ली गई है, तथा प्रदर्शन सामग्री भी उपलब्ध की जा चुकी है।

राष्ट्र की विकास योजना में प्रशिक्षण का प्रमुख स्थान है। यह प्रशिक्षण केन्द्र एक प्रयोग शाला के समान है, जहां से शास्त्रीय ज्ञान को खेतों तक पहुंचाया जावेगा। अतः स्वभावतः शिक्षार्थियों को भारी उत्तरदायित्व सम्हालना पड़ेगा। जब तक वे अपना कार्य मिशनरी के से उत्साह से न करें, कोई ठोस सफलता हासिल नहीं हो सकती। चूँकि अपनी जीविका के लिए अधिकांश लोग मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहते हैं, इसलिए आयोग ने कृषि विकास पर विशेष जोर दिया है। भारत के भविष्य की कुँजी भी यही है।

विकास योजना :—

शिक्षार्थियों को किसानों से व्यवहार की शिक्षा देने के लिए इस शिक्षण केन्द्र से एक प्रारंभिक विकास योजना संलग्न है। यह केन्द्र एक ऐसा वर्कशाप है, जहां शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष शिक्षा मिलेगी। विस्तार कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा प्रौढ़ शिक्षा के विषय सम्मलित हैं तथा कृषि तथा पशुपालन पर अधिक जोर दिया गया है। यह योजना केन्द्र के आसपास के लगभग १०० ग्रामों में कार्यान्वित की जा रही है। इस कार्य को करने के पूर्व समूह के प्रत्येक गांव का पर्यवेक्षण किया गया है और विकास के लिये भूमि तथा जल सम्बन्धी उपलब्ध साधनों के आधार पर एक कार्य-क्रम निश्चित किया गया है।

वित्तीय पक्ष – शिक्षण केन्द्र के लिये तीन तथा विकास योजना के लिए पांच वर्षों की स्वीकृति दी गई है। शिक्षण केन्द्र का सारा व्यय फोर्ड फाउन्डेशन अनुदान से किया जावेगा तथा विकास योजना के व्यय की पूर्ति इस प्रकार होगी।

(अ) प्रथम दो वर्ष तक सारा व्यय "फोर्ड फाउन्डेशन अनुदान से"

(ब) तृतीय वर्ष में "फोर्ड फाउन्डेशन अनुदान" तथा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा बराबर बराबर दी जाने वाली निधियों से

(ख) चौथे और पांचवे वर्षों में भारत सरकार और राज्य सरकार की निधियों से ५०:५० के आधार पर।

अमरावती–मोर्शी विकास क्षेत्र [1]

"अमरावती विकास योजना के कार्यक्षेत्र में मोर्शी, अमरावती तथा दर्यापुर तालुकों के ग्राम सम्मिलित हैं। योजना का क्षेत्र ७२८ वर्गमील है, जिसके अंतर्गत ३६४ ग्राम हैं तथा जनसंख्या २ लाख १७ हजार है। पहिले विभाग में मोर्शी तालुक में वरुड के आस पास १२३ ग्राम तथा तीसरे विभाग में अमरावती तालुक में ५३ ग्राम तथा दर्यापुर तालुक में ५६ ग्राम शामिल हैं। योजना २ अक्टूबर १९५२ से प्रारंभ की गई है। इन क्षेत्रों में कृषि सुधार, खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि तथा जनता में स्वावलंबन की भावना जागृत करने के कार्य प्रमुख रूप से किये जाते हैं।

जुआर तथा कपास इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं। अतः अधिकाधिक जमीन में (H) ४२० मध्यम धागे की, व बुरा (ओ) ३९४ लंबे धागे की सरकी व सावनेर जुआरी के बीज बोने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया। पहिले वर्ष में कार्य-क्रम के मुताबिक ६२००० एकड़ जमीन में (H) ४२० सरकी तथा १३३६० एकड़ जमीन में बुरी (ओ) ३९४ सरकी बोई गई। अर्थात् पहिले वर्ष में ५०% अधिक जमीन में उत्तम बीज बोए गए। इसी प्रकार जुआरी के उत्पादन क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ, तथा, कृषि विभाग से प्राप्त सावनेर जुआरी ६२५० एकड़ जमीन में बोई गई।

दूसरा कार्य जमीन में अधिक मात्रा में गोबर का तथा रासायनिक खाद दिया गया। २००० अधिक मिश्र-खाद (Compost Manure) के गड्ढे, १३० मूत्र गड्ढे खोदे गए तथा ४०० टन कंपोस्ट का शहर में उपयोग किया गया। रासायनिक खाद का भी प्रचार किया गया। १९५३-५४ में २८,३४० एकड़ जमीन के लिए १२१७ टन अमोनियम सलफेट तथा १५४ टन सुपर सलफेट व अन्य रासायनिक खादों का वितरण किया गया। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष

(१) प्रगति – योजना विशेषांक फरवरी १९५४

४०० प्रतिशत अधिक रासायनिक खाद का उपयोग किया, तथा काश्तकारों को सरलता से खाद प्राप्त हो सके इसके लिए विभिन्न ग्रामों में रासायनिक खाद का संग्रह किया गया । साथ ही खाद के लिए तकाबी की भी व्यवस्था की गई । स्थान स्थान पर कृषि एसोसियेशन के समान सहकारी संस्था के मार्फत खाद का वितरण किया जाता है । गांवों में वितरण कार्य विविध संस्थाओं अथवा विकास मंडल द्वारा किया जाता है ।

फसलों की रोगों से रक्षा करने के संबंध में पर्चे बांटे गए तथा प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदर्शन की व्यवस्था की गई तथा अन्य आवश्यक कार्य इस विषय से सम्बन्धित किए गए ।

ट्रेक्टरों की खरीदी के लिए किसानों को तकाबी दी गई तथा उन किसानों ने अपनी जमीन जोतने के पश्चात् दूसरों की जमीनें भी उचित दर पर जोतीं ।

अच्छे पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए पंजाब की हरियाना जाति के ८ सांड ग्रामों में भेजे गए तथा ग्रामीणों ने उनका पोषण करने का आश्वासन दिया । मुख्यतः रोग प्रतिबंधक उपायों पर विशेष जोर दिया गया है । २६००० पशुओं को गलसुए, एक टंगिया तथा माता के प्रतिबंधक टीके लगाए गए । वरुड में पशु अस्पताल के लिए पशु चिकित्सक नियुक्त किया गया है

५२ इंजिन प्राप्त किये गये, जिनकी सहायता से कुएं खोदने, और नालों पर बांध बांधने के लिए तकाबी बांटी गई । १०० नये कुएं बनाने तथा १७० पुराने कुओं की मरम्मत के लिए तकाबी दी गई । इंजिन से पानी निकालने तथा नहरों से जलपूर्ति के लिए ६ स्थानों का चुनाव किया गया । इनका शास्त्रीय पर्यवेक्षण भी हुआ ।

शिरखेड में एक दवाखाना खोला गया है । तथा वहां दवाखाने की इमारत बनाने के लिए विकास मंडल ने २५% खर्च करने का आश्वासन दिया । मोर्शी में भी दवाखाने के लिए विकास मंडल ने १०,००० रुपया चंदा एकत्रित करने का आश्वासन दिया । यहां ६ रोगियों के लिए बिस्तर तथा ६ स्त्रियों की प्रसूति की व्यवस्था रहेगी । इसी रूप में वरूड में दवाखाने के विस्तार के लिए जनता ने ८००० रुपए का दान दिया है । सेंदुरजना में दवाखाने के लिए ३०,००० रुपये प्राप्त

हुए हैं। वरूड में अस्थायी सूतिकागृह तथा शिशु गृह खोले गए हैं, जिन्हें "यूनिसेफ" द्वारा उपकरण प्रदान किए गए। दाइयों के प्रशिक्षण के लिए दो वर्ग खोले गए । इनमें ५० दाइयां प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं। दर्यापुर में जनता ने स्वयं ही एक सूतिका गृह बनाने का अश्वासन दिया। इसी रूप से विभाग २ में लोनी व बिभाग १ में नेरपिंगलई के विकास मंडलों ने अपने ग्रामों में सूतिका गृह निर्माण के लिए ५००० रुपये देने का आश्वासन दिया। गांवों में सफाई एवं स्वास्थ्य संबंधी काफी प्रचार किया गया । अनेक विकास मंडलों द्वारा ग्रामीण रास्तों पर मुरुम व रेती डालकर उनकी मरम्मत तथा घरों की दीवारों को मिट्टी से पोतने के सफाई कार्य किये गए। चार गावों में चार संडास खोदे गए। इस विकास योजना क्षेत्र में कुष्ट रोग का काफी प्रकोप है । कुष्ट रोग का पद्धतिपूर्ण उन्मूलन करने के लिए अमरावती में जगदंब कुष्ट निवास नामक संस्था खोली गई। विशेषज्ञों द्वारा २५ ग्रामों का पर्यवेक्षण किया तथा कुष्ट रोगियों को मुफ्त औषधि की व्यवस्था की गई। इस क्षेत्र में ३ जनपद सभाओं ने अपनी शालाओं में अनिवार्य शिक्षा के लिए तैयारी की। तीन नवोन माध्यमिक शालाएं सहायता के आधार पर खोली गई। नेरपिंगलई में निजी शिक्षण संस्था द्वारा निजी हाइ स्कूल खोला गया। बालकों में ईमानदारी की भावना उत्पन्न करने के निमित्त प्रामाणिक वस्तु भंडार की कार्य-योजन-पद्धति (Project System) प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं में प्रारंभ की गई। प्रत्येक बालक स्वेच्छानुसार १ पैसा चंदा देता है जिसमें बालोपयोगी वस्तुएं खरीदकर शाला के बाहर टेबिल पर रखी जाती हैं। जिस बालक को वस्तु की आवश्यकता होती है, वह उस वस्तु को लेकर मूल्य पास ही रखी पेटी में डाल देता है। इस दूकान में दूकानदार नहीं होता तथा इसका मुख्य उद्देश्य बालकों में ईमानदारी की भावना का निर्माण करना है। २६ स्थानों में ऐसे भंडार हैं। आरंभ में एक या दो स्थानों में थोड़ा नुकसान हुआ था, किन्तु साप्ताहिक नीतिपाठ में उन्हें इस योजना पद्धति का का उद्देश्य पूर्णरूप से समझाया गया जिससे अब कहीं भी नुकसान की शंका नहीं है। आधा खर्च सहन कर ३२ विकास मंडलों ने समाचार पत्र तथा मासिक पत्रिकाएं मंगाकर वाचनालय-योजना का लाभ उठाया। विभाग १ में १० ग्रामों में रेडियो दिए गए तथा कुछ ग्रामों में साक्षरता-ज्ञान के लिए वर्ग प्रारंभ किए गए ।

३६ मील लम्बी सड़क बनाने का एक कार्यक्रम निश्चित किया गया। जिसके

लिए जनता ने २०% से २५% खर्च करने का आश्वासन दिया इसमें रिथपुर-नैरपिंगलई महत्त्वपूर्ण सड़क है, जिसे ६ मील तक बनाया गया। दूसरी महत्त्वपूर्ण सड़क वरुड़ से राजूरा, तथा आमनेक है। मोर्शी-पाला ३½ मील लम्बी एक और महत्व-पूर्ण सड़क है। इस क्षेत्र की जमीन काली होने की वजह से पक्की सड़कों की अत्यधिक आवश्यकता है।

मोर्शी में एक उत्पादन तथा एक शिक्षण केन्द्र प्रारंभ किया गया जहां बढ़ई-गिरी, बुनाई, निवाड़ आदि का काम सिखाया जाता है। ताड़ी से गुड़ तैयार करने के धंधे को प्रोत्साहन दिया गया। बेलोरा में दूध तथा दूध से निर्मित पदार्थों के विक्रय के लिये एक सहकारी संस्था का पंजीयन (Registration) किया गया।

अब तक विकास मंडलों तथा जनता ने १६५ सामूहिक कार्यों के लिए प्रतिज्ञा-पत्र दिये हैं, जिसमें और भी कार्यों का समावेश किया जावेगा। ३० प्राथमिक-शालाओं की इमारतों, १० नये कुंए, १०५ पुराने कुंए को गहरा करने का तथा उनकी मरम्मत करने का, पक्की सड़कों से गांव को जोड़ने वाले छोटे रास्ते, नालों पर छोटे पुल बनाना तथा सामूहिक क्रीड़ा मन्दिर सदृश १० विभिन्न कार्य हैं। इन सभी कार्यों के लिये आधा खर्चा जनता देगी। इन सब कार्यों पर कुल २ लाख १५ हजार रुपया व्यय होगा जिसमें से १,२५०००) सरकार देगी। इन सब कार्यों के व्यय में दवाखानों तथा सड़कों आदि के सरकारी मोहकमों द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख नहीं है। इन कार्यों को ठेकेदारों के सुपुर्द नहीं किया गया। जनता ने सब कार्य स्वेच्छा से अपने विकास मंडलों की कार्य सम्बन्धी सब कमेटियों के पथ-प्रदर्शनों में संपन्न किये। व्यय में कमी करने के लिये विकास-योजना ने स्वयं ईंट के भट्टे तैयार किये तथा वन-विभाग से इमारती लकड़ी खरीदी। इसी प्रकार शाला भवनों या कुओं के निर्माण के हेतु ईंटों को ग्रामीणों की गाड़ियों पर ही ढुलाया गया। और इस प्रकार वहां के संगठन और समता ने मितव्ययतापूर्वक काम करने में सहायता पहुंचाई।

रायपुर धमतरी सामुदायिक विकास-योजना

छत्तीसगढ़ की ग्रामीण जनता इस राज्य के अन्य विभागों से पिछड़ी हुई है। अतः सहज ही सामुदायिक योजना की सफलता के बारे में संदेह होता है। रूढ़ियों में ग्रस्त ग्रामीणों का विकास आधुनिक ढंग पर करना बहुत ही कठिन कार्य है।

फिर भी रायपुर-योजना की क्रियान्विति में आशा की झलक दिखी है। रायपुर-धमतरी विकास योजना के प्रथम खंड का प्रारंभ २ अक्टूबर १९५२ को एवं दूसरे खंड का प्रारंभ १ अप्रैल १९५३ से किया गया इस योजना के अंतर्गत ३ विकास संवर्ग आते हैं। इनमें ३४२ गांव है। यहां की कुल जनसंख्या २७७९४७ है। रायपुर-धमतरी विकास योजना को क्रियान्विय से संबंधित कठिनाइयों का अंदाज रायपुर के समाज शिक्षा आयोजक के इस कथन पर से होता है— "लोगों से संपर्क स्थापित करके उनकी रहन सहन और विचारधारा का अध्ययन कर उसमें सुधार का क्रम और प्रमाण निर्धारित करना प्रथम कार्य था। साधारण तया सर्वत्र यही अनुभव हुआ कि अनेक शताब्दियों से जो स्थिति चली आई है, उसके प्रति किसी प्रकार का असंतोष या उसमें सुधार की कल्पना भी उन्हें सहन न थी"। फिर भी "विकास योजना के कार्यकर्ताओं ने संपर्क और तर्क का क्रम रखा। आरंभ में कुछ शिक्षित जनों का तथा उनके सहयोग से कुछ समझदार लोगों का समाधान कर सकने में सफलता की आशा दिखाई दी"।

क्रमशः ग्रामों में स्थानीय आवश्यकताओं और समस्याओं पर विचार करके ग्रामीण जनता का सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से विकास मंडल बनाए गए। पंचवार्षिक योजना के क्रमानुसार प्रथम लक्ष्य "अधिक अन्न उपजाना" है। कृषि सहायकों की नियुक्त आरंभ से ही हो गई है। इस विभाग में १९५४ में १७१७५ मन सुधरे हुए बीज बांटे गए; १२७० टन उर्वरकों का वितरण किया गया। लोगों ने कंपोस्ट खाद के ५२८ गढ्ढे तैयार किए, जिनमें ७६०० गाडी खाद खेतों को मिला। एक गांव के अधिकांश लोगों ने मिलकर तालाब को गहरा किया और निकली हुई लद्दी से खेतों में खाद का काम लिया और उल्लेखनीय लाभ उठाया। यह कार्य थोड़े-बहुत प्रभाव में अब तक ९ ग्रामों में हो चुका है। इसके अतिरिक्त लगभग १ मन साग भाजी का बीज बांटा गया, जिसके फलस्वरूप साग भाजी की उपज में बाढ़ आई। लगभग १२०० फलदार वृक्षों का वितरण भी हुआ। सिंचाई के भी कुछ प्रयत्न किये गए। पशुओं की सुरक्षा भी खेत और धान्य की सुरक्षा से किसी प्रकार कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। पशुओं को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिये १००००० से अधिक टीके लगाये गए। जनता ने स्वयं ही अपनी आवश्यकता प्रतिपादित करके योजना विभाग की सहायता से २ पशु चिकित्सालय बना लिए हैं। पशुओं की नसल सुधारने के लिए लोगों की मांग पर अच्छी नसल के लिए भी

व्यवस्था की गई। जन स्वास्थ्य के सुधार निमित्त स्वच्छ और शुद्ध जल प्राप्त करने के लिये २८ कुँए बनाये गए। इनके लिए योजना विभाग से आधे खर्च की सहायता विशेषतः सामग्री के रूप में प्राप्त हुई। इस भाग में हैजे का विशेष प्रकोप रहता है। माता की बीमारी से भी उसी तरह कष्ट होता है। जनता को इन संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिये २५,००० से अधिक टीके लगाये गए। १९५३-५४ में इन बीमारियों से कोई उल्लेखनीय क्षति नहीं हुई। नेशनल मलेरिया कंट्रोल स्कीम के अंतर्गत सभी ग्रामों में डी. डी. टी. छिड़का गया जनता ने अपने अपने क्षेत्र में उपचार की उचित व्यवस्था की दृष्टि से स्वावलम्बन के मार्ग का अनुसरण किया और दो स्थानों पर सरकार की सहायता से भवन निर्माण कराकर चिकित्सालय भी स्थापित किए। जिनमें ३ मास में ही करीब ४००० रोगियों को लाभ हुआ। प्रसूतिका गृह सम्बन्धी व्यवस्था भी की गई है। शिक्षा के सम्बन्ध में भी जागृति हुई है। जनपद सभाओं द्वारा स्थापित २१ शालाएँ चल रही हैं। दो प्राथमिक शालाओं में माध्यमिक कक्षाएँ जोड़ी गईं। एक बड़े ग्राम में जनता के ४०,००० रुपये के चंदे से एक हाईस्कूल स्थापित हो रहा है। ग्राम सेवकों द्वारा समाज शिक्षा का भी प्रसार किया जा रहा है। सामूहिक खेलों और नाटकों को प्रोत्साहन दिया गया। एक क्लब और पंचायत घर का भी निर्माण हुआ। प्रथम दो खंडों मे ३७ मील लम्बी सड़क बनाने का भी योजना ने निश्चय किया है। ४० मील लंबी सड़कों की मरम्मत की गई।

होशंगाबाद को सामुदायिक विकास योजना

रेवा के दक्षिण तट पर, मोहेंजोदाड़ो और हड़प्पा से भी प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ था। अब पुनः वहां भाग्य निर्माण का प्रयत्न हो रहा है। इस सामुदायिक योजना का क्षेत्र ६४० वर्ग मील है, इसके अंतर्गत ३४८ गांव हैं। आज यह क्षेत्र दारिद्र्य, भूख, अज्ञान, रोग व्याधि तथा मतभेद के दूषित वातावरण से निकलकर एकता, स्वास्थ्य, पर्याप्त भोजन और अच्छे जीवन की ओर अग्रसर हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत ३ संवग है; जिनमें प्रत्येक की आबादी १९०३८१ है।

गणतंत्र की स्थापना के साथ ही लोगों पर उत्तरदायित्व का भार आ गया; वे इसके लिए प्रस्तुत न थे। गावों में सामान्य समस्याओं पर भी भारी विरोध और मतभेद था। लोगों का विश्वास उठ गया था। वे यह मानने को तैयार न थे कि

बिना स्वार्थ के कोई भी व्यक्ति उनके लिए कुछ कर सकता है। परन्तु योजना पर काम करने वाले कर्मचारियों ने स्वतः काम करके उन्हें दिखाया कि काम कैसे किया जाता है।

कृषि इस क्षेत्र का मुख्य उद्योग है। योजना क्षेत्र में कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए १९५४ में ४७५ मन उन्नत बीज और ७०० मन उर्वरक वितरित किए गए तथा मिश्र खाद्य के लिए १२०० और ३० शोषक कूप खोदे गए ताकि किसानों को मूल्यवान खाद मिल सके। सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई गईं। इसके लिए ३५३ नए कुएं खोदे गए, तथा १०७ पुराने कुओं की मरम्मत की गई। सामुदायिक क्षेत्र में पीने के पानी के अभाव को दूर करने के लिए ४५ नए कुएं खोदे गए और १७० पुराने कुओं की मरम्मत की गई। पशुरोगों के उपचार तथा पशुओं की दशा सुधारने के लिए ३ पशुचिकित्सालय और ८ ग्रामसुधार केंद्र खोले गए। लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में ३ नए औषधालय खोले गए तथा समस्त योजना क्षेत्र में ग्राम सफाई के कार्य किए गए। शिक्षा के प्रचार के लिए ३५ नई प्राथमिक शालाएं और २ मिडिल स्कूल खोले गए। चमड़े के काम में ग्रामीण कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए एक चमड़ा प्रशिक्षण-केंद्र स्थापित किया गया। उन्नत आवागमन कार्यक्रम के अंतर्गत कुल मिलाकर १० मील लंबी सड़कें पूरी गईं।

यहां ही पवारखेड़ा का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। इसका प्रारंभ ३ नवंबर १९५२ को किया गया। यह एक बहुउद्देशीय केंद्र है। यह केंद्र फोर्ड फाउन्डेशन की सहायता से राज्य सरकार द्वारा खोला गया है। प्रथम दल में, निर्देशन-कामगारों, कृषि विभाग के अधिदर्शकों और पशुपालन तथा स्वास्थ्य सहायकों में से चुने गए ८० ग्राम सेवक थे। इनमें से ७८ लोगों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण समाप्त कर लिया है और वे अब राज्य के विभिन्न सामुदायिक विकास क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद (Indian Council of Agricultural Research) ने उक्त योजना को स्वीकृत देते हुए कहा कि इस पर चार वर्ष की अवधि में अधिक से अधिक ५५५६८० रुपये व्यय होना चाहिए। इस व्यय में १२०००० रुपये व्यय अनावर्तक (Non-Recurring) और ४२५६८० रुपये का व्यय आवर्तक है। इस केंद्र के प्रतिष्ठापन और संचालन के लिए जो धनराशि

प्राप्त होगी उसका विवरण इस प्रकार है :—

टेक्नीकल कोआपरेशन एग्रीमेंट		...	३०,०००
फोर्ड फाउन्डेशन	...	...	२६१४७०
भारत शासन	...	...	१,००,०००
राज्य सरकार	...	...	१६४२१०
		कुल	५५५६८०

अन्य प्रशिक्षण केंद्र—निश्चय के अनुसार पवारखेड़ा में १५० ग्राम सेवकों का प्रशिक्षण होगा। तथा पांच और प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं—

कपास क्षेत्र — अचलापुर

गेहूं क्षेत्र — जबलपुर

चांवल क्षेत्र — रायपुर, बिलासपुर, वारासिवनी

बस्तर सामुदायिक विकास योजना

बस्तर एक पहाड़ी इलाका है। यद्यपि इसका क्षेत्रफल १५००० वर्ग मील का है, फिर भी जन संख्या केवल ६०००,००० है। यहां ज्यादातर मैड़ी व मूरिया नाम की आदिम जातियों के लोग पाये जाते हैं। इधर उधर बिखरे हुए एकांत में इनकी बस्तियां हैं। इस सुंदर बन प्रदेश में कहीं कहीं धान की खेती होती है तथा कहीं कहीं हरे-भरे और घने जंगल दीख पड़ते हैं। इसके मध्य से इंद्रावती नदी बहती है। यहां के निवासी तंदुरुस्त, सीधेसाधे व मेहनती हैं। यदि उन्हें ठीक २ राह बताई जावे तो वे सार्वजनिक भलाई के लिए कोई भी काम करने को तैयार रहते हैं और काम करते भी ढंग से हैं। २ अक्टूबर १६५२ को बस्तर में सामुदायिक विकास योजना का उद्घाटन हुआ। बस्तर यद्यपि मध्यप्रदेश के पिछड़े हुए जिलों में से है; लेकिन वहां के निवासी अपने लिए स्वयं ही तालाब व सड़कें बना लेते हैं। सामुदायिक विकास योजना के उद्घाटन से उनमें दुगुना उत्साह उत्पन्न हुआ है और उन्हें आवश्यक मदद देने का भी प्रबंध किया गया है।

बस्तर के विकास केंद्र राज्य के दूसरे केन्द्रों से कुछ अलग तरह के हैं। विकास को दृष्टि से यहां ३ खंड बनाए गए हैं। इनमें से प्रत्येक खंड में दो मंडियां

शामिल हैं १। योजना का क्षेत्र ६५३ वर्गमील है। इस क्षेत्र में ३३८ गांव हैं। जन संख्या १०६७५५ है। खंडों का विभाजन इस प्रकार किया गया है:—

(१) कोंडागांव – जगदलपुर, क्षेत्रफल ४२६ वर्गमील, गांवों की संख्या १२६ और जन संख्या ६६२४८ है।

(२) भोपाल पट्टनम—क्षेत्रफल, १५१ वर्गमील, गांवों की संख्या ११२ और जन संख्या २३८४१ है।

(३) अंतागढ़—क्षेत्रफल १०५ वर्गमील; गावों की संख्या १०० और जन संख्या १६६६६ है। दूसरे खंड में मद्देड व एलभिडी दो केंद्र हैं। तथा तीसरे खंड में भानुप्रतापपुर व अंतागढ़ मंडी केंद्र हैं।

सामान्य रूप से जनवरी १६५३ तक तीनों खंडों के लिए आगे दिए गए शीर्षकों के अंतर्गत कार्यकारी योजनाएं बनाई गईं। जैसे-जैसे कर्मचारी व साधन सामग्री मिलती गई, वैसे-वैसे कार्य बढ़ता गया। खंड १ में संतोष जनक काम हुआ है, खंड २ में और ३ में काम शुरू होने में विलंब हुआ, क्योंकि कर्मचारी देर से पहुंचे।

कृषि—(१) खेतों में बांध बांधना और जमीन को समतल बनाना खंड १ के ३००० एकड़ में यह काम किया गया है। १५०० एकड़ में काम करने की योजना थी, लेकिन लोगों का अत्यधिक सहयोग मिलने के कारण दुगुना काम हुआ है। प्रत्येक गांव में छोटे-छोटे काश्तकारों के दल तैयार किए गए तथा आपस में तय करके प्रत्येक ने बारी बारी से अपनी शक्ति के अनुसार बांध बांधने व जमीन को समतल बनाने का काम बांट लिया था। उदाहरणार्थ, ६ एकड़ जमीन वाले १० काश्तकारों के दल ने बारी बारी से एक दूसरे के खेतों में १ एकड़ जमीन पर बांध बनाने व जमीन को समतल करने का काम किया। इस तरह आपस में तय करके एक दूसरे के खेतों में काम हुआ। पहाड़ी इलाके के बांध और जमीन को समतल करने के काम बहुत उपयोगी हैं। इनसे धान की पैदावार १० से १५ प्रतिशत तक बढ़ जाती है।

---

(१) जब कि अन्य केन्द्रों के विकास संवर्गों में केवल एक-एक मंडी है। तथा विकास संवर्ग एक दूसरे से लगभग १०० मील के अन्तर पर हैं। इस कारण यहां के लिए कभी-कभी अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत पड़ जाती है।

खाद के गड्ढे—खंड १ में २००० खाद्य के गड्ढे बनाने का निश्चय था लेकिन ३१५० गड्ढे तैयार हो गये।

प्रदर्शन—खंड १ में १२६ गांवों में से हरएक गांव के ५ काश्तकार चुने गए। प्रत्येक के खेतों में से करीब $\frac{1}{8}$ एकड़ जमीन के दो प्लाट लिए गये। इनमें से एक प्लाट में काम और दूसरे में प्रदर्शन करने का निश्चय किया गया। लगभग ५०% गावों एक ही किस्म के बीज दोनों प्लाटों में बोए गए। प्रदर्शन के प्लाटों में सरकारी विशेषज्ञों द्वारा बताई रीति से बीज बोए गए। दूसरे प्लाटों में काश्तकारों ने अपनी पद्धति से बीज बोए, बाकी बचे आधे गांवों में काम के प्लाटों में किसानों ने अपनी पद्धति से अपने ही बीज भी बोए। मोटे रूप से प्रयोग के निम्न लिखित परिणाम निकले।

(अ) जहां सरकारी विशेषज्ञों द्वारा बताई पद्धति से खेती की गई वहां की फसलें उत्तम हैं।

(ब) ब्रह्मदेशीय बीज किसी भी स्थानीय बीज से अच्छा है। परन्तु सरकारी ई. बी. १७ और क्लास १७७ बीजों की अपेक्षा स्थानीय किस्म के आसाम चूड़ी व वरंगी बीज कहीं अच्छे हैं। कुछ प्लाटों में ई. बी. १७ बीजों में अंकुर नहीं फूटे; इस कारण उन प्लाटों में फिर से बीज बोए गए। पहिले ही दिये गए आश्वासन के अनुसार काश्तकारों के नुकसान की पूर्ति की गई है। इन सब प्रयोगों का काश्तकारों पर सुंदर प्रभाव हुआ है। नियमित तौर पर प्रदर्शन-प्लाटों में काश्तकारों के दलों के सामने सब प्रयोगों का प्रदर्शन किया गया है।

बीज वितरण— ंड १ में ६२५ मन सुधरे बीज बांटे गए और बीजों की कमी होने के कारण बाकी दोनों खंडों में बहुत कम बीज बांटे गए। इसमें से २६८ मन ब्रह्मदेशीय बीज भी थे। इनकी बहुत अधिक मांग रहती है।

यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा होने के कारण यहां बीज पैसे के बदले न देकर सवाई पर दिए गए। काश्तकारों को प्राप्त बीजों का सवा गुना वापिस करना पड़ता है। यह सवाया भाग चालू साल में नये किसानों को बांटा जाता है। सवा गुना बीज चुकाने के बाद ऋणी काश्तकार के पास जो बाकी स्टाक रहता है, उसमें से काश्तकार की आवश्यकता पूर्ति के पश्चात बचे हुए बीज चुने गए काश्तकारों को उपयुक्त शर्तों पर बांटा जावेगा।

सन १६५३ में फसल की कटाई शुरू करने के पहिले धान के भाव कम थे। बाजार भाव को ठीक बनाये रखने के लिए सरकार ने ऊंची कीमत पर धान की खरीद की। इस भाव से ३००० मन धान खरीदी गई और यह सवाई पर काश्तकारों में बांटी गई। इस प्रकार के जो दो वितरण केंद्र हैं उनमें से एक केंद्र के निवासियों ने धान के गोदाम बनाने के लिए आधा खर्च देना मंजूर किया है। गोदामों में वसूल किये हुए धान को इकट्ठा करके रखा जायगा, तथा यह धान विकास-पंचायत कर्ज के रूप में काश्तकारों को देगी। दूसरे काश्तकार जहां कहीं भी इस तरह का कर्ज देते हैं, तो वे डेढ़ गुना अथवा दुगुना वसूल करते हैं। परन्तु केंद्र सिर्फ सवा गुना ही वसूल करेगा, जिससे केवल एकत्रित करने, संग्रह करने तथा देख रेख का खर्च पूरा हो सके।

पशुपालन—खंड १ में हर साल पशु-माता का प्रकोप रहता है। इसे रोकने का उपाय किया जा रहा है, तथा पशुओं को टीके लगाये जा रहे हैं। इस क्षेत्र में लगभग ६४००० पशुओं में से २०,००० को टीके लगाए गए। खुरी तथा घटसर्प सदृश संक्रामक रोग तीनों खंडों में भयानक रूप में है। अभी तक रोगी पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखने की सब कोशिशें बेकार हुई हैं। इस रोग के लिए गांवों में जो इलाज किया जाता है, उसमें और शास्त्रीय पद्धति में कोई खास फर्क नहीं है। इंगलेंड व अमेरिका में इस रोग से पीड़ित पशुओं को मार डालने की प्रथा है किन्तु हमारी धार्मिक भावना के कारण इस प्रथा को अपनाना असम्भव है। इस रोग को दूर करने के लिये योजना बनाई जा रही है। तथा रोगी पशुओं के इलाज के लिये ग्राम सेवकों को कारबोलिक पाउडर दिया जाता है। इसी प्रकार पशुओं के सम्बन्ध में चारा, नस्ल सुधार, आदि में कार्य हुए।

वन—प्रत्येक खंड को आधे से अधिक हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। परन्तु इन जंगलों को बुरी तरह नष्ट किया जा रहा है। इस कारण भूमि का क्षय हो रहा है और इमारती लकडी की भी कमी हो रही है। बस्तर मंडी केन्द्र में जंगलों की रक्षा करने के लिए एक योजना तैयार की गई है। इस योजना के मुताबिक एक वनखंड ले लिया गया है। इसका क्षेत्रफल १२ वर्गमील है। इसके भीतर ४३ गांव रखे गये हैं। खंड १ में बासों की बड़ी कमी है। इसलिए वर्षा शुरू होने के पहिले शामपुर, दहीकोंगा, व बस्तर के आसपास ३२ एकड़ बिरले जंगलों में बांस के पौधे लगाये गये।

शिक्षा—खंड १ में १७ प्राथमिक शालाएं खोली गई हैं। बस्तर में एक कृषि मिडिल स्कूल खोला गया है। एक मिडिल स्कूल को हाईस्कूल में बदला गया। शिक्षा-बिभाग की मंजूरी से प्राथमिक शालायें कृषि विषयक पाठ्यक्रम शुरू कर दिया गया है। आदिवासियों के मन में शिक्षा के प्रति अभी तक जो अविश्वास था, वह अब दूर हो रहा है। खंड २ में ६ नई प्राथमिक शालायें खोली गई हैं। खंड ३ में ११ नई प्राथमिक शालाएं और एक मिडिल स्कूल खोला गया। खंड १ में २२००० रुपये के खर्च से ६ प्राथमिक शालाओं की इमारतें बनाकर तैयार हो गई हैं। इनमें से हरएक इमारत के लिए सरकार ने ५०० की सहायता दी। बाकी खर्च ग्रामवासियों ने ही किया है। इसके सिवा सरकारी सहायता के बिना ही प्रति इमारत २०० रुपये के अनुमानित खर्च से ५ कच्ची इमारतें बनाई गई हैं। खण्ड २ और ३ में शालाएँ बनाने का कार्य-क्रम तैयार किया गया है ।

इसी प्रकार १८ पंचायत घरों का निर्माण हुआ। चलते फिरते शिक्षा देने का इन्तजाम किया गया है। प्रति घर पीछे १८०० रुपए के खर्च से ६ आदर्श घर बनाए गए। बस्तर मन्डी केन्द्र के लोगों के लिए प्रधान मन्त्री श्री नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष में ६२०० रुपये के अनुमानित खर्च से विद्यार्थियों का छात्रावास बनाया गया है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद ने किया था।

आवागमन—खण्ड १ में कुल ४७ मील लम्बाई की २ सड़कें बनाने का इरादा है। इस कार्य के बिए जनता के श्रमदान से खुदाई के काम, सफाई और ६ से ८ इंच तक मिट्टी के काम किए गए हैं। इस पर ४२,३०० रुपये खर्च हुआ है। सड़क पर रोलर फेरने और उन्हें पक्का करने का काम सरकार ने अपने हाथ में लिया है। इसके सिवाय ४५ मील लम्बी अन्तर्ग्रामीण सड़कें बनी हैं। इस पर प्रति मील ३०० रुपए खर्च के हिसाब से कुल १३,५०० रुपए खर्च हुआ है, किन्तु यह खर्च विकास केन्द्र को नहीं करना पड़ा है। खण्ड १ में अब हर एक गांव मुख्य सड़क अथवा विकास योजना की प्रमुख सड़कों से जुड़ गया है। खण्ड २ में भी सन्तोष जनक काम हुए हैं कुल ३० मील लम्बी सड़कें चौड़ी की गई हैं। उन्हें सुधारा गया है। साथ ही मुख्य सड़क से ३ मील के इर्द गिर्द सब गावों को मोटर की सड़कों से जोड़ा गया है। इस प्रकार १६ मील लम्बी सड़कें बनाई गई हैं । गावों के अन्दर ३० मील लम्बी सड़कों की मरम्मत की गई है । पुलियों के लिए २ फुट और १ फुट

के नल बनवाने का काम चालू है । अब तक प्रत्येक आकार के ३०० नल बनाए गए ।

सिंचाई—खंड २ में अच्छे सिंचाई कार्य किये गए हैं। १००० एकड़ जमीन की सिंचाई के लिए १३ तालाबों की मरम्मत की जा रही है। ये सब कार्य पूर्ण रूप से जनता के परस्पर सहयोग से ही किये गए हैं। इनके लिए कुछ स्थानों में सरकार द्वारा सहायता के रूप में केवल लकड़ी ही दी गई । खंड १ में किंजोर्ली तालाब का काम पूरा हो गया है। इसके लिए ४००० रुपये के कुल अनुमानित खर्च में से स्लुइसगेट और लोहे के लिए सरकार ने १००० रुपए दिये थे। इस तालाब से १२७ एकड़ जमीन में सिंचाई की जायगी। टाकरगुडा में १५०० रुपए के खर्च से तालाब पर एक बांध बनाया गया है फसलों को नष्ट करने वाले एक नाले की दिशा बदलने के लिए सरकारने ३०० रुपये दिये थे और ३ तलाबों का काम चालू है और १५ तलाबों का पर्य वेक्षण किया जा रहा है ।

इमारतें—खंड १ में बस्तर-मंडी केन्द्र में कृषि मिडिल स्कूल के बढ़ाने का काम पूरा हो गया है। मंडी-केन्द्र में ४०००) का कुंआ खुदा। बस्तर-मंडी केन्द्र में दवाखाना, सहायक चिकित्सा अधिकारी का घर पशु-चिकित्सा, दवाखाना, पशु-चिकित्सा कंपाऊंडर आदि के लिए घर बनाने के लिए नींव रखी गई है। हाई-स्कूल को बढ़ाने के लिए इमारत, सहायक-योजन अधिकारी का कार्यालय, अस्पताल में रहने वाले रोगियों के लिए वार्ड, ३ शिक्षकों के लिए और सहायक योजना अधिकारी के लिए घर, पशु दवाखाने के लिए शेड व पशुचिकित्सा सहायक सर्जन के लिए घर, के लिए कोंडागांव केन्द्र में काम चालू हो गए।

चिकित्सा और लोकस्वाध्य—खंड १ के बस्तर-मंडी केंद्र में एक दवाखाना खोला गया है, तथा आवश्यक दवाइयों की पूर्ति की गई है। बस्तर में १ और कोंडागांव में १ इस तरह २ हेल्थ विजिटर नियुक्त किये गए हैं। अबतक १७५७ रोगियों का इलाज किया गया, १० हजार लोगों को हैजे के टीके लगाये गए तथा ८०० कुओं में दवाई डाली गई।

---

(१) "प्रगति" (योजना विशेषांक) जनवरी-फरवरी १९५४

(२) यह वर्णन योजनाओं के प्रारंभिक वर्ष का ही है।

उपर्युक्त विवरण इस बात को प्रमाणित करने के लिए दिया गया है, कि जिससे सामुदायिक योजनाओं की हृदयगत उन्नति संबंधी भावना का परिचय मिल सके। स्पष्ट है कि जिस दिशा में सामुदायिक योजनाओं का कार्य हो रहा है, वही दिशा देश की प्राची दिशा हैं। वहां ही उदय होगा। यह तो कहा नहीं जा सकता कि अभी तक किए गए कार्य पर्याप्त हैं; २ किन्तु जन-शासन योग की चरम-स्थिति अवश्यमेव इच्छित ध्येयपर पहुंचा देगी। यह तो निश्चित है कि एक बार तो समूचे राष्ट्र ने उन्नति के इस स्वर्णिम सूत्र को स्वीकार कर लिया है कि न केवल शासन या जनता एकाकी होकर कुछ भी नहीं कर सकते दोनों का स्वेच्छा से स्थापित किया गया, सम-भावना पर आधारित क्रियमाण रूप ही उन्नति की नींव बन सकता है। इसके लिए जनता में और शासन में १००% ईमानदारी (भ्रष्टाचार-हीनता) श्रम-प्रेम, देश-भक्ति, स्थिति-ज्ञान, दृढ़ इच्छाशक्ति (लगन), सेवा-भावना, पारस्परिक-विश्वास. आदि गुणों की आवश्यकता है। अन्यथा केवल धन से कुछ भी नहीं किया जा सकता। और विशेषकर भारत जैसे विशालकाल देश का पुनःनिर्माण तो पवित्रतम और पूर्ण रूप से आयोजित पद्धति पर हो हो सकता है।

सामुदायिक योजनाओं के बारे में अमरीकी आर्थिक (यांत्रिक) सहायता अवश्य ही कटु प्रतीत होती है। वस्तुतः स्थायी निर्माण के लिए यह एक अभिशाप भी सिद्ध हो सकती है। यदि हम एकदम से आधुनिक उन्नति की भावुकता पूर्ण भावना का त्याग का धीरे २ ठोस उन्नति करें तो शायद यह अधिक लाभप्रद होता। २०० वर्षों से अधिक जिस देश का "क्षय" हुआ, उसकी उन्नति यदि बाहिरी ऋणों, और वह भी अमेरिका जैसे पूंजीवादी राष्ट्रों के ऋणों, से शीघ्र हो जाती है तो संदेह है कि क्या यह अपने पल्ले में कुछ खतरे न छुपाये होंगी। गांधी जी का सेवाग्राम टैगोर का श्रीनिकेतन इस बात के परिचायक हैं कि वे यही चाहते थे कि ग्राम-सुधार भारतीय पद्धति पर भारतीयों के जन-धन से ही होवे। राजनैतिक कुचक्रमय जगत में हमारा उस देश से ऋण प्राप्त करना जो स्वयं भारत-विरोधी अन्य देश को सैनिक सहायता भी दे रहा है, बड़ा विचित्र प्रतीत होता है। आज जब कि अमेरिका हमें सहायता दे रहा है, तो हम वेग से और सरलता से उस सहायता का उपयोग कर लेते हैं। हमारी अमरीकी सहायता पर निर्भरता में वृद्धि होते जाती है। और यदि अचानक ही

किसी राजनैतिक कारण से अमरीका सहायता देना बंद कर देता है तो निर्भरता-प्रिय स्वतंत्र-देश की विचित्र हालत हो जावेगी। अमरीका एक पूंजीवादी देश है और स्वार्थ प्रेरित होने के नाते कभी भी क्रोधित और प्रसन्न होते रहता है। उसकी पर-राष्ट्र नीति हमारी पर-राष्ट्र नीति से ताल-मेल नहीं खाती। जब कि अमरीका अपनी आर्थिक समृद्धि के बल पर समस्त विश्व में हस्तक्षेप किया चाहता है, तब भारत की ऐसी नीति न तो है ही और न वर्तमान स्थिति में ऐसी आशा ही की जा सकती है। आज ब्रिटेन जैसे राष्ट्र के नागरिक भी अमरीका द्वारा दी जाने वाली भरपूर सहायता (ऋण रूप सहायता) को अच्छी नजर से देखने के बदले संदेह से देखते हैं और उसे अत्यंत अनिच्छा पूर्वक ही स्वीकार करते हैं। क्या भारत को भी इस प्रकार का रुख अख्त्यार नहीं करना चाहिये? और भाग्य से भारतीय शासन इस दिशा में सुप्त अथवा उपेक्षा वृत्ति नहीं अपनाये हुए हैं। राष्ट्रीय-ऋण का निर्गमन और जनता द्वारा दिया गया सहयोग इस बात के परिचायक हैं। अमरीकी सहायता संबंधी निभरता दूर करने के लिए ही देश में सामुदायिक-योजनाओं के साथ ही राष्ट्रीय-विकास-सेवाओं (National-Extension Services) की स्थापना की गई जिनका क्षेत्र विकसित है। राष्ट्रानुकूल है। इस विषय पर अगले अध्याय में विचार किया जायगा।

सामुदायिक - विकास योजना की दूसरी किस्त का कार्य १९५३ में हुआ। इसके अनुसार २२० विकास केंद्र हो गए जिनमें २३६५० ग्राम और २१०.५ लाख जनसंख्या के लिए कार्य का दृष्टिकोण स्थापित किया गया।

तदनुसार मध्यप्रदेश में निम्न लिखित चार केंद्रों का उद्घाटन हुआ।

(१) बालाघाट जिले में बारा सिवनी ब्लाक

(२) बुलढाना जिले में चिखली ब्लाक

(३) जबलपुर जिले में मोहरीबंद ब्लाक

(४) मंडला जिले में बाजाग - करंजिया ब्लाक

इनके कार्य भी साधारण रूप से ठीक ही प्रगति कर रहे हैं।

अध्याय १८

राष्ट्रीय विस्तार सेवा व्यवस्था

सामुदायिक विकास योजनाओं की यह विशेषता है कि वे केंद्रीय और राज्य-शासन द्वारा व्यवस्थापित और पूंजित (Financed) होती हैं। साथ ही राज्य के गांव गांव में सामुदायिक विकास योजनाओं के अंतर्गत निर्माण करना भी वर्तमान स्थिति में संभव नहीं है। सामुदायिक विकास योजनाओं की पूर्ति निमित्त हमें वैदेशिक सहायता भी प्राप्त करनी पड़ती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि सामुदायिक विकास योजनाएं काल-विशेष (तीन वर्ष) तक के लिए वर्तमान में स्थापित की गई हैं। सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि सामुदायिक विकास योजनाओं का क्षेत्र, काल, अतएव प्रभाव सीमित है। भारत में ग्राम्य-बाहुल्य के कारण जब तक एक साथ समस्त ग्रामों में सर्वांगीण विकास के कार्य नहीं होते, तब तक सामुदायिक विकास योजनाओं द्वारा की गई ग्राम विशेष की सर्वांगीण उन्नति भी राष्ट्रीय दृष्टि से (अनुन्नत ग्रामों को ध्यान रखते हुए) एकांगी ही कही जावेगी। ऐसी स्थिति तो किसी भी प्रकार अभिमान्य नहीं हो सकती, कि कोई ग्राम तो राज्य, केंद्र और अमरीका की सहायता और सहयोग के बल पर फलें-फूलें और उनके ही बगल के अनेक ग्राम पतन और दरिद्रता के कठोर चुंगुल में फंसे रहकर विकास की ओर से सर्वथा निराश बने रहें। हमारी पंचवर्षीय योजना ने इस बात की ओर ध्यान दिया। और "राष्ट्रीय विस्तार-सेवा व्यवस्था (National Extension Service)" की स्थापना इसी याचना की पूर्ति के रूप में की गई है। योजना के अनुसार देश के १२०,००० ग्रामों में सर्वांगीण विकास किया जावेगा। अर्थात यह विकास-व्यवस्था देश की १/४ जनसंख्या को प्रगति की ओर प्रेरित कर देगी। विकास-व्यवस्था के द्वारा भी वे ही काम ग्रामोन्नति के लिए किए जावेंगे, जो सामुदायिक योजनाएं करती हैं, किन्तु इसकी बुनियादी खूबी यह है कि हरएक गांव के लोग अपनी जरूरतों के अनुसार अपनी योजनाएं स्वयं बनायेंगे। ऐसी योजना गांव वालों की अपनी योजना होगी; उन पर लादी गई योजना नहीं। सामुदायिक योजनाओं और विकास-सेवा व्यवस्था में पारस्परिक

संबंध है। दोनों के सबंध का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है:—

"In both the programmes Agricultural extension work is a common factor in its widest sense, including animal husbandry, co-operation, and subsidiary and cottage and small-scale industries. But in the community projects, the works programme is more comprehensive for temporary period of 3 years. Thus a development block which has received attention under the extension progrrmme can be subsequently taken up under the community programme. The pace at which this will happen will depend on available resources, both external as well as internal and the response of the people. The selection of areas for intensive development under the community development programme will be made on the basis of proposal received from the state Governments and certain other criteria determined in consultation with the state Governments." १

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि विकास-सेवाएं जनता की इच्छा पर केंद्रित हैं। जनता द्वारा स्वेच्छा से किया गया निर्माण कार्य ही स्थायित्व और तत्संबंधी अच्छे प्रभावों को रखता है :

२ अक्टूबर १९५३ को मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय विकास सेवाओं से संबंधित योजना का प्रारंभ हुआ। जैसा कि ज्ञात है, इसके द्वारा कृषि, पशुपालन, लोकस्वास्थ्य, सिंचाई व्यवस्था, गृह निर्माण, ग्राम सड़क, शिक्षा, कुटीर-उद्योगों आदि में सुधार कर ग्राम जीवन में विकास करना है। इसे व्यावहारिक रूप देने के लिए विकास खंडों के कर्मचारियों का विशेष संगठन किया गया है। एक-एक गांव पर ध्यान दिया जा सके इस हेतु १०० से १२० गावों के खंड बनाए गए हैं। इन खंडों में भी प्रत्येक १० से १५ गांव पीछे १ ग्राम सेवक रहेगा: अर्थात् प्रत्येक खंड में कम से कम १० ग्राम सेवक होंगे। इनके ऊपर विकास-अधिकारी (Extension Officer) रहेंगे। जिले के विकास के लिये 'जिलाधिकारी' (Deputy

१ "The Progress of the Plan" January 1954; P. 26-27

Commissioner) और पूरे राज्य के लिए विकास-आयुक्त (Developrment Commissioners) रहेंगे। जिले तक के राज्य के विभागीय अधिकारी और विशेषज्ञ विकास कार्य में जिला साहिब की मदद करेंगे। परन्तु कार्य क्षेत्र की इकाई तो गांव ही है; और प्रारंभिक अवस्था में ही ग्रामोन्नति का भार ग्राम-सेवक पर होगा। वह बहुउद्देश्यीय व्यक्ति होगा। खेती, ढोर का इलाज, दवा-दारू, सहकारिता आदि का उसे ज्ञान होना चाहिए। फोर्ड-फाउन्डेशन की सहायता से पबारखेड़ा में इस प्रकार के ग्राम-सेवकों का शिक्षण भी हुआ है। विशेष-शिक्षा के अभाव में ग्राम-सेवक प्रगति में बाधक ही होगा। (१)

प्रथम पंचवर्षीय योजना मे ग्राम सेवकों आदि कार्य कर्ताओं से "समर्पण" तक की आशा की गई है। जैसा कि इन शब्दों से स्पष्ट होता है—' "The qualities required are not only the ability to require knowledge but a dedication to the task of serving the rural people and the development of a will to find solution for their problems. People from village surroundings with experience of practical farming are likely to prove of special value as extension workers." २

१ "The training of extension workers requires the closest attention and must be related to the services that they will have to perform. They have to understand rural problems, the psychology of the farmer and offer solutions to his various difficulties. They have to try and find out the felt needs of the people; and the solutions that they offer must be demonstrated by acting in close cooperation with the farmers. They should be able to discover leadership and stimulate it to action. Their success will depend on the extent to which they gain the confidence of the farmers. Their duties thus have to be educative and demonstrative. Their training thus will have many facets." F. F. Y. P. Page. 232

२ Ibid. P. 232.

विस्तार सेवा व्यवस्था का आर्थिक पहलू—योजना के अंतर्गत एक विकास संवर्ग की कीमत ७½ लाख रुपये हैं। इसमें ७५ प्रतिशत हिस्सा केंद्र से उन मदों पर प्राप्त होगा, जिन पर बार बार खर्च करने की जरूरत न होगी। इन्हें अनावर्त व्यय (Non-recurring Expenditure) कहते। आवर्त व्यय (Recurring Expenditure) का ५०% भी केंद्र से प्राप्त होगा। केंद्र से प्राप्त ७५% अनावर्त व्यय, ५०% आवर्त व्यय तथा अन्य ऋणों से प्राप्त कुल निधि ६.२५ लाख होती है। राज्य का हिस्सा १.२५ लाख है।

१०० गावों के एक विकास-संवर्ग (Development Block) में काम करने वाले कर्मचारियों पर प्रतिवर्ष ३३००० रुपए खर्च होंगे। मोटे हिसाब से ३ वर्षों में यही खर्च लगभग १,००,००० रुपए होगा। इससे सिवाय दूसरी मदों पर होने वाले खर्च का व्यौरा इस प्रकार है:—

क्रम	मद	रुपए
(१)	कार्यालय भवन, कार्यालय के लिए सामग्री, फर्नीचर, बीज, औजार भंडार तथा आवागमन का साधन	५०,०००
(२)	स्थानीय निर्माण कार्य, जिनमें लोक स्वास्थ्य संबंधी तथा स्वच्छता संबंधी कार्य शामिल हैं	१,५०,०००
(३)	समाज शिक्षा. जिनमें पारितोषिक आदि तथा अन्य योजनाएं शामिल हैं	२५०००
(४)	शालाओं, अस्पतालों तथा स्थानीय संस्थाओं को आवर्त व्यय के लिए अनुदान	२५०००
(५)	छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए ऋण	१००,०००
(६)	अल्प अवधि के लिए साख संबंधी सुविधाओं पर ऋण	३००,०००

(१) मध्यप्रदेश सामुदायिक विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा व्यवस्था पृष्ठ ३३

इस तरह सब मिलाकर तीन वर्षों में एक विकास संवर्ग पर कुल सात या साढ़े सात लाख रुपयों का व्यय होगा।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के २२ जिलों की विभिन्न तहसीलों में निम्नलिखित विकास संवर्ग (Development Blocks) स्थापित किए गए :—

योजना के अनुसार गांववाले निर्दिष्ट विषयों में अपनी इच्छानुसार अपने गांव तथा खंड की प्रगति के लिए योजना बना लेंगे। तब शासन उनको टेक्निकल तथा दूसरे तरह की आवश्यक सलाह शासकीय अधिकारियों की सहायता, तथा कुछ सीमा तक रुपये पैसे की भी सहायता प्रदान करेगा। इस प्रकार राष्ट्रीय-विस्तार सेवा व्यवस्था एक आशाप्रद व्यावहारिक कदम है।[१] किन्तु जैसा कि हम पहिले ही लिख चुके हैं केवल योजना-निर्माण हमारी समस्याओं को न्यून नहीं कर सकता है। योजना की सफलता के लिए योजना से सम्बन्धित व्यक्तियों में लगन, सदाशयता आदि की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। भारतीय ग्रामीण सदृश अज्ञान और निराश व्यक्ति में स्फूर्ति और आशा का संचार करने के लिए मनोवैज्ञानिक ढंग पर काम किए जाने चाहिए। उसमें आत्म-विश्वास की जागृति करना बहुत जरूरी है। अतः यह आवश्यक है कि प्रारम्भ में उन्हीं कार्यों को लिया जावे जो प्रारम्भिक दशा में ग्रामीण जीवन की आवश्यकताओं से सम्बन्धित हैं। उदाहरणार्थ ग्रामों को अपने साधारण कार्यों के लिए साख (credit) और कृषि औज़ारों की जरूरत पड़ती है।

---

१ "The organisation of extension services with the object of securing increased production and raising the standard of village life is a new undertaking. Extension is a continuous process dasigned to make the rural people aware of their problems, and indicating to them ways and means by which they can solve them. It thus involves not only education of the rural people in determining their problems and the methods of solving them, but also inspiring them towards positive action in doing so."

Ibid 232

जो योजना उन्हें इन वस्तुओं के बदले बिजली और अन्य ऐशोआराम की चीजें देने की प्रतिज्ञा करती है, वह सहज ही शीघ्र ही ग्रामीण के लिए अनादर और उपेक्षा की पात्र बन बैठती है। [१] साथ ही विकास कार्यों में संलग्न व्यक्तियों का अनुसंधान में संलग्न व्यक्तियों से सदा ही सम्पर्क आते रहना चाहिए। इसलिए दोनों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध की स्थापना निमित्त उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। बिना अनुसन्धान का आश्रय लिए किए गए कार्य अधिक श्रम और व्यय के उपभोक्ता बनकर बिलम्ब और निराशा प्रदान करेंगे। यह भारत के लिए दुर्भाग्य की बात रही है कि यहाँ अनुसंधान (Research) शिक्षा संस्थाओं में सीमित रहकर कभ. भी ग्रामों, ग्रामीणों और खेतों तक नहा पहुंचा है। एक योजनानुसार कार्य करने वाले राष्ट्र के लिए ऐसी स्थिति कभी भी बांछनीय नहीं कही जा सकती। हमारी राष्ट्रीय-प्रयोगशालाएँ बड़े-बड़े अनुसंधान करते हुए बेकार और व्यर्थ होंगी, यदि उनके अनुभवों का लाभ ग्रामों को बृहद पैमाने पर नहीं होता। वैज्ञानिकता के इस युग में अनुसंधानों का क्रियात्मक रूप ही प्रगति-पथ पर लगा सकता है। [२]

---

[१] "The confidence of the villager is gained with difficulty and lost easily. It is, therefore, of the essence extension, that the initial start is made with items whose usefulness to the cultivator in increasing agricultural production has been well established. It is only after sufficient confidence is gained that comparitively untired measures can be put forward, and even those should be held out as experiments until the people have found the answer for themselves. ...... Extension activities will be adversely affected if arrangements can not be made for supplying the needs which they guarantee."

Ibid page 233.

[२] "Finally it may be pointed out that extension workers have to be supported effectively by research workers to whom they can bring their problems and whose results they carry to the people. Special arrangements are, therefore, needed to ensure the closest cooperation between extension and research."

Ibid P. 233.

राष्ट्रीय–विस्तार सेवा योजना संवर्ग–तालिका

क्रमांक	जिला	तहसील/ताल्लुका	२ अक्टूबर १९५३ को उद्‌घाटन के लिए चुने गए प्रथम संवर्ग
१	सागर	१) सागर	नरयावली
		२) रहली	रहली
		३) खुरई	खुरई
		४) बंडा	बंडा विनैका
		५) दमोह	पथरिया
		६) हटा	बटिया गढ़
२	जबलपुर	१) जबलपुर	बरेला
		२) मुरवाडा	मुरवाडा
		३) पाटन	पाटन
३	होशंगाबाद	१) सिवनी-मालवा	सिवनी--मालवा
		२) हर्दा	टिमरनी
		३) नरसिंहपुर	करकबेल-गोटेगांव
		४) गाडरवाडा	हरई-हवेली
४	निमाड़	१) बुरहानपुर	शाहपुर
		२) खंडवा	खंडवा
		३) हरसूद	हरसूद
५	मंडला	१) मंडला	मंडला
		२) निवास	नारायणगंज
६	बैतूल	१) बैतूल	बैतूल
		२) मुलताई	प्रभात पट्टम

क्रमांक	जिला	तहसील / तालुका	२ अक्टूबर १९५३ को उद्घाटन के लिए चुने गए प्रथम संवर्ग
७	छिंदवाड़ा	१. सिवनी	सिवनी
		२. सौसर	पांढुरना
		३. लखनादौन	कहानीखास
८	रायपुर	१ महासमुंदर	कौडिया
		२. बलौदा-बाजार	पल्लारी
		३. बिंद्रानवागढ़	
९	बिलासपुर.	१. बिलासपुर	मस्तूरी
		२. [illegible]गेली	लोरमी
		३. जांजगीर	नवागढ़
		४. सक्ती	सक्ती
१०	दुर्ग	१. बेमतरा	बेरला
		२. दुर्ग	पाटन
		३. कवर्धा	कवर्धा
		४. नांरगांव	नांरगांव
		५. खैरागढ़	खैरागढ़
११	बस्तर	१. कांकेर	चारमा
१२	सरगुजा	१. अंबिकापुर	सीतापुर
		२. सूरजपुर	सूरजपुर
		३. पाल	रामचंद्रपुर
		४. बैकुंठपुर	बैकुंठपुर
		५. मनेंद्रगढ़	खरगवां

क्रमांक	जिला	तहसील / तालुका	२ अक्टूबर १९५३ को उद्घाटन के लिए चुने गए प्रथम संवर्ग
१३	रायगढ़	१. धरधोंडा	धरधोंडा
		२. सारंगढ़	सरईया-लंढरा
		३. रायगढ़	रायगढ़
१४	चांदा	१. चांदा	मूल
		२. बरोरा	?
१५	भंडारा	१. भंडारा	तुमसर
		२. गोंदिया	तिरोडा
		३. साकोली	मोरगांव-अर्जुनी
१६	बालाघाट	१. बालाघाट	लांजी
१७	वर्धा	१. आर्वी	आव
		२. वर्धा	सेल
		३. हींगनघाट	मांडगांव
१८	नागपुर	१. रामटेक	मौदा
		२. काटोल	नरखेड
		३. सावनेर	कलमेश्वर
		४. उमरेड	कुही
१९	अमरावती	१. चांदूर	तिवसा
		२. अचलापुर	चांदुर-बाजार
२०	अकोला	१. वाशिम	रिसोद
		२. आकोट	आकोट
		३. बालापुर	बालापुर
		४. अकोला	आकोला

क्रमांम	जिला	तहसील । तालुका	२ अक्टूबर १९५३ को उद्घाटन के लिए चुने गए प्रथम संवर्ग
		४. मंगरुलपीर	मंगरुलपीर
		५. मुर्तजापुर	मुर्तजापुर
२१	यवतमाल	१. यवतमाल	बाबुलगांव
		२. दारव्हा	दारव्हा
		३. पूसद	उपरखेड
		४. वणी	वणी
		५. पांढरकवडा	केलापुर
२२	बुलढाना	१. जलगांव	जलगांव
		२. मेहकर	मेहकर
		३. खामगांव	जालम्ब
		४. मलकापुर	नंदुरा

अध्याय १९

प्रमुख नगर

नागपुर—यह मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा नगर है और मध्यप्रदेश की राजधानी है। मध्यप्रदेश के बीच में स्थित यह एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र और रेलवे जंकशन है। अपनी औद्यागिक प्रगति के लिए इस नगर का निराला स्थान है। यहाँ दो सूती कपड़े की मिले हैं—एम्प्रेस मिल्स और माडल मिल्स। शिक्षा के क्षेत्र में भी नागपुर का निराला महत्व है। यहाँ अनेक महाविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय है। कांच, साबुन, चिनीमिट्टी की भी निर्माणिया यहाँ स्थित हैं। यहाँ से आठ मील की दूरी पर हवाई अड्डा (Aerodrome) है। नागपुर अपने संतरों के लिये विश्व विख्यात है। इस नगर का भविष्य बड़ा ही आशाप्रद है।

जबलपुर—यह नर्मदा के कछार का सबसे बड़ा और मध्यप्रदेश का दूसरे नम्बर का शहर है। यह व्यापारिक दृष्टि कोण से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ अनेक कारखाने हैं। चिनीमिट्टी के बर्तनों की दो निर्माणियाँ-वर्न कम्पनी और परफेक्ट पाटरीज यहां स्थित हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा स्थापित अस्त्र शस्त्र निर्माण और गोला बारूद निर्माण की विशाल निर्माणी (Gun Carriage Factory) भी है। यहां का टेलीग्राफ वर्क शाप (Telegraph Workshop) अपने ढंग का निराला है। लकड़ी के कारखाने (Saw Mills) भी यहां पर बहुत हैं। साबुन का निर्माण भी किया जाता है। यहाँ गृह-उद्योग प्रणाली पर जुलाहों द्वारा कपड़ा भी बुना जाता है।

होशंगाबाद—नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नदी के तीर पर होने से इसका महत्व तो है, साथ ही रेल मार्गों की सुविधा के कारण एक अच्छा व्यापारिक शहर भी है। इस शहर में पीतल के बर्तन, अधिक बनते हैं।

इटारसी—नर्मदा कछार विभाग के मध्य में यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र और प्रसिद्ध रेलवे जंकशन है। यहाँ ढोरों का व्यापार होता है। ईंट और खपरे के निर्माण में भी इसकी प्रसिद्धि है। इसका व्यापारिक संबंध विशेषकर बम्बई से है।

रायपुर—यह महानदी के कछार में स्थित छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। यह एक प्रसिद्ध रेलवे जङ्कशन है। यहाँ साबुन का उद्योग है और शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति हुई है। चांवल के क्षेत्र में होने के कारण इसकी मुख्य व्यापार वस्तु चांवल ही है।

बिलासपुर—यह भी महानदी कछार में अरपानदी के तट पर अवस्थित है। व्यापारिक दृष्टि से यह महत्व का नगर है और रेलवे जङ्कशन है। यहां कोसे का कपड़ा उच्चकोटि का निर्मित होता है। यह भी शिक्षा का केन्द्र है! यहां चावल, कोसा, हर्रा और लाख का व्यापार होता है।

गोंदिया—यह नागपुर बरार के मैदान में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर है तथा रेल का जङ्कशन भी है। औद्योगिक दृष्टि से इस नगर ने अपनी काफी प्रगति की है। यहाँ चमड़ा बिड़ी और कांच के कारखाने हैं। दी ओनामा ग्लास वर्क अपनी प्रसिद्धि रखता है। गोंदिया लाख के लिये भी अच्छी व्यापारिक मंडी है।

हींगनघाट—बरार में स्थित वर्धा जिले का महत्व पूर्ण औद्योगिक शहर है। यहाँ कपास का व्यापार होता है और सूती मिल की एक निर्माणी भी है। यहाँ रेलवे स्टेशन है।

वर्धा—बरार में वर्धा नदी से कुछ ही मील की दूरी पर (नागपूर से ४६ मील दूर) यह एक बड़ा भारी व्यापारिक केन्द्र है। यहाँ कपास का व्यापार होता है। कपास से संबंधित अनेकों फेन्टरोज (Ginning Factories) यहां है। मध्यप्रदेश के कुटीर उद्योगों की दृष्टि से भी इस नगर का महत्व है। नालबाडी, मगनबाडी में साबुन, शहद, चर्म वस्तुयें तैल, आटा आदि के कार्यों के लिये वर्धा का महत्व पूर्ण स्थान है। शैक्षणिक दृष्टि से भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से ६ मील दूर भारतीय राजनीति का प्रमुख केन्द्र सेवाग्राम है, जहाँ महात्मा गाँधी रहे थे। यह एक रेलवे जङ्कशन भी है।

चांदा—यह भी औद्योगिक शहर एवं रेलवे स्टेशन है। यहां माचिस का एक कारखाना है यहाँ के तांबे और पीतल के बर्तनों की प्रसिद्ध है। इसके समीप ही लोहा धाऊ (Iron ore) भी उपलब्ध है! सर जमशेद जी टाटा का पहिले यहाँ ही एक लोह उद्योग की स्थापना का विचार था।

अमरावती—यह बरार स्थित प्रसिद्ध व्यापारिक शहर है। यहां कपास का व्यापार अधिक होता है। कपास का निर्यात भी होता है। यह बरार का सबसे बड़ा शहर है। शैक्षणिक दृष्टि से भी इसका महत्व है।

खामगांव—यह बरार का सबसे बड़ा कपास के व्यापार का केन्द्र है। यहाँ पर अनेकों जीनिंग फेक्टरीज (Ginning Factories) हैं। शिक्षा की दृष्टि से भी यह एक महत्व का स्थान है।

भंडारा—यह बैनगंगा के तट पर बसा हुआ है। यहां के पीतल के बर्तन प्रसिद्ध हैं। यहां मेंगनीज की खदानें हैं और इन्ही खदानों के कारण इसका महत्व बढ़ गया है।

कोटा—यह नगर छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से १८ मील की दूरी पर बसा हुआ है। यहाँ दियासलाई और चमड़े के कारखाने हैं। यह साधारण व्यापारिक नगर हैं।

छिंदवाड़ा—यह सतपुडा विभाग में स्थित एक महत्वपूर्ण नगर है। यह एक रेलवे जङ्कशन हैं और व्यापारिक केन्द्र है। यह टाट-पट्टी और पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है।

मंडला—यह सतपुड़ा विभाग का एक पहाड़ी नगर है। वह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है तथा कांसे के बर्तन, चूना और पान के कारण प्रसिद्ध है। यहां की वनसम्पति भी बहुलता से उपलब्ध है।

खंडवा—यह नर्मदा विभाग में निमाड़ जिले का महत्वपूर्ण नगर है। यह एक मुख्य रेलवे जङ्कशन है, जहां इन्दोर, बम्बई और जबलपुर से रेलें आती हैं। यहाँ कपास और अनाज का व्यापार होता है। यहाँ का मुख्य निर्यात कपास का है। यहाँ गांजे का भी व्यापार होता है।

बैतूल—यह सतपुड़ा की उच्चसमभूमि में स्थित एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर है। यह इटारसी और नागपुर के बीच एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। इटारसी, छिंदवाडा और नागपुर से रेलें आकर यहाँ मिलती हैं। यहाँ मिट्टी के बर्तन और चूड़ियाँ बनती है।

बालाघाट—यह सतपुडा विभाग का महत्वपूर्ण नगर है। यह बैनगंगा नदी के तट पर स्थित है। व्यापारिक केन्द्र होने के अलावा इसके पास ही मध्यप्रदेश की बहुत

प्रमुख मेगनीज की खदान है। चावल के व्यापार के लिये इसका महत्व है।

बुरहानपुर—यह सतपुडा विभाग में निमाड जिले का एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र है। यह ताप्ति नदी पर स्थित है। इसका अधिक व्यापार खंडवा और भुसावल से ही होता है। यहाँ का हेडलूम उद्योग प्रसिद्ध है। सूती कपड़ों के साथ ही रेशम और जरी के कपड़ों के लिये भी इसकी प्रसिद्धि है।

अकोला—यह बरार में स्थित प्रमुख व्यापारिक केन्द्र है। यहाँ पर कपड़े और साबुन की निर्माणियाँ हैं। कपास के व्यापार के लिये भीं इसकी प्रसिद्धि है।

सागर—विन्ध्य विभाग का यह सुप्रसिद्ध नगर एक बड़े भारी तालाब के किनारे स्थित है। यह व्यापार की मंडी है। यहाँ की बागवानी प्रसिद्ध है। शिक्षा की दृष्टि से सागर विश्वविद्यालय के स्थापित हो जाने से इसका महत्व काफी बढ़ गया है।

कटनी—विन्ध्य विभाग कटनी नदी के समीप यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक औद्योगिक नगर है। यह महत्वपूर्व रेलवे जङ्कशन है। कई दिशाओं से रेलें यहाँ आती हैं। यहाँ चूना, रंग और रबर के कारखाने हैं। पास ही कैमोर में सुप्रसिद्ध सीमेंट का कारखाना है। यहाँ पर उच्चकोटि का बाक्साइट भी उपलब्ध है जिसके फलस्वरूप एल्मोनियम के उद्योग की सभी संभावनायें है। इस नगरी का औद्योगिक प्रगति संबंधी भविष्य बडा उज्ज्वल है।

उपयुक्त नगरों के अतिरिक्त एलिचपुर, सिवनी, मोहपानी, परासिया, कामठी, गाडरवारा, हरदा, खुरई, धमतरी, जगदलपुर आदि आर्थिक दृष्टि से उपयोगी शहर हैं।

परिशिष्ट

मध्यप्रदेश

क्षेत्रफल	१३०२७२ वर्ग मील
जिला	२२
तहसील	१११
शहर	१४२
गांव	४८४४४
जन संख्या	२१,२४७,५३३
शहरी जन संख्या	२,८७७,३३६
गांवों की जन संख्या	१८,३७०,१६४
शहरी आबादी का प्रतिशत	१३·५४
ग्रामीण जन संख्या का प्रतिशत	८६·४६
जनसंख्या का घनत्व	१६३·१० प्रति वर्ग मील

मध्यप्रदेश में प्रमुख वस्तुओं का आयात (हजार मन में)

वस्तु	१९४६–४७	१९४७–४८	१९४८–४९	१९४९–५०	१९५०-५१	१९५१-५२
सीमेंट	६३	६८	५८	१५४	१०५	८३
कोयला	१३०८१	१४०९७	८८३२	९४४३	९८१८	१०००४
सूती वस्त्र	१०९	११७	१८६	१५९	१२३	२४८
कांच	४३	३०	३६	३६	३८	४४
कच्चा जूट	६४	४७	५६	७८	६३	७८
तेल	९३६	११७३	९६६	१३२२	१६७०	२०५०
तिलहन	८९	४७५	३६९	२२६	४०८	३८६
शक्कर	१५८८	२०२०	२३७४	२४३०	२६५३	३२३७
तंबाकू	१८०	११९	१८५	१६६	१८९	२२३
लकड़ी और इमारती लकड़ी	३३२	१५७	२४३	५८१	३१५	१७८

मध्यप्रदेश से निर्यात (हजार मन में)

वस्तु	१९४६–४७	१९४७–४८	१९४८–४९	१९४९–५०	१९५०–५१	१९५१–५२
सीमेंट	४११३	२७१६	२८१४	५७५१	६४०१	६०६३
कोयला	३३६०३	३३०१४	३३४३७	३६१६३	४८६१९	३७८७४
वस्त्र	८०	१०४	४७	९८	१७७	६५
कांच	१५	८·४	१३	२१	४०	४७
जूट	३	६·३	३	१२	८	२७
लोहा और छड़ें	३८६	२१५	२५८	४५५	४२७	५६४
मैंगनीज	१२४६४	८७६०	७७६२	१२५०४	११०१०	१६२१८
तेल	३८	१३०	१६५	२२०	२५५	२८०
तिलहन	७६५	१४४३	२५२४	२२६६	२१२१	४३२८
शक्कर	१०	१५	३९	८०	७३	५६
तंबाकू	६	११	८	१०	५१	३३
लकड़ी और इमारती लकड़ी	४१२३	२०८२	२३४७	५३६१	६४५६	५७४२

मध्यप्रदेश में मुख्य अनाजों का उत्पादन

मुख्य अनाज	१९४६–४७	१९४७–४८	१९४८–४९	१९४९–५०	१९५०–५१	१९५१–५२	१९५२–५३
चाँवल (हजार टन)	१४००·६	२३०४·४	२३२०·०	२५६९·३	१३९४·९	२४१३·४	२६११·५
गेहूं ,,	१११·६	६८·१	४१७·८	४९९·४	५८६·२	४८४·४	५६४·७
ज्वार ,,	८२४·९	११९९·६	७५२·९	८९३·६	८७२·५	१२१२·०	११७८·१
बाजरा ,,	३०·४	२३·४	१४·४	१४·७	१६·१	१६·७	१५·३
मक्का ,,	—	६१·६	६५·६	६९·३	६०·०	७१·१	७२·३
चना ,,	१९२·५	२५२·५	३४४·८	३०३·९	२५३·६	२४८·४	२३२·५
गन्ना ,,	५४·३	७५·६	७२·४	६०·०	५६·७	५३·३	४४·८
कपास (हजार गांठ)	४७१·४	५७५·७	३४७·६	२९६·०	५१०·३	७८०·१	६५३

मध्यप्रदेश में खनिज पदार्थों का उत्पादन

खनिज पदार्थ	वर्ष	मात्रा
मेंगनीज (हजार टन)	१९४७	२४६
	१९४८	३३२
	१९४९	५५८
	१९५०	६२६
	१९५१	७०७
	१९५२	७३५
	१९५३	८५३
लोह-धाऊ (टन)	१९४७	—
	१९४८	—
	१९४९	५१६
	१९५०	४२०
	१९५१	११२
	१९५२	२३७
	१९५३	३३९४
कोयला (हजार टन)	१९४७	१५१८
	१९४८	२८८५
	१९४९	२९४५
	१९५०	२९६४
	१९५१	३२०९
	१९५२	३४५७
	१९५२	३५१९
चूना	१९४७	४३७
	१९४८	४८१
	१९४९	६३८
	१९५०	५८८
	१९५१	६७८
	१९५२	७२३
	१९५३	७६७

बाक्साइट (हजार टन)	१९४७	११·५
	१९४८	१४·४
	११४९	२४·२
	१९५०	२६·७
	१९५१	२६·३
	१९५२	२२·७
	१९५३	३०·३
फेलस्फर (हजार टन)	१९४७	—
	१९४८	—
	१९४९	०·२५०
	१९५०	०·३३५
	१९५१	०·४७२
	१९५२	०·६९५
	१९५३	०·६०५
चिनी - मिट्टी (हजार टन)	१९४७	२५·३
	१९४८	२८·७
	१९४९	२९·१
	१९५०	३८·९
	१९५१	२६·८
	१९५२	३२ ६
	१९५३	३८·२

मध्यप्रदेश में औद्योगिक उत्पादन

(अ)

उद्योग	वर्ष	उत्पादन
सूती वस्त्र (दस हजार गज)	१९४९	११०४२
	१९५०	१०९३३
	१९५१	११६४४
	१९५२	१२७५९
	१९५३	१२११९
सूत (दस हजार पौंड)	१९४९	५३४९
	१९५०	४६९३
	१९५१	४८२३
	१९५२	५७३४
	१९५३	५८५९
सीमेंट (हजार टन)	१९४६	२६४
	१९४७	१८८
	१९४८	२१४
	१९४९	३२०
	१९५०	३३८
	१९५१	३५२
	१९५२	३३३
	१९५३	३६१
कागज	१९५३	१३२४
	१९५४	७३५२

(ग)

उद्योग	वर्ष	उत्पादन - मूल्य (लाख रुपयों में)
कांच और कांच के बर्तन	१९४७	१४
	१९४८	१३
	१९४९	१६
	१९५०	१८
	१९५१	२४
	१९५२	२३
	१९५३	२३
मिट्टी के बर्तन	१९४७	४०
	१९४८	१३
	१९४९	५०
	१९५०	५३
	१९५१	५३
	१९५२	५३
	१९५३	६१
सूती वस्त्र—कातना, बुनना	१९४७	६५२
	१९४८	६८६
	१९४९	१०२८
	१९५०	१०७४
	१९५१	१२५६
	१९५२	१३७३
	१९५३	१२८६

मध्यप्रदेश में वाहन (Vehicles) संख्या

वाहन	वर्ष	संख्या
मोटर-साइकिल	१९४८	९७६
	१९५३	१२८३
	१९५४	११७३
लारी	१९४८	२२७३
	१९५३	३०८५
	१९५४	३०४५
टेक्सी	१९४८	१०५
	१९५३	३५६
	१९५४	३६०
बस	१९४८	१०५६
	१९५३	१३४९
	१९५४	१५७४
कार	१९४८	३७९१
	१९५३	३२२१
	१९५४	४६०१
अन्य	१९४८	—
	१९५३	३४३
	१९५४	४४५
सकल योग	१९४८	८२०५
	१९५३	९६३७
	१९५४	११४९८

कारखानों में काम करनेवाले श्रमिकों की संख्या

वर्ष	कार्यरत निर्माणियां	श्रमिक संख्या (दैनिक-औसत)
१९४७	९३८	९७२१९
१९४८	१००३	१०१६४६
१९४९	१०६२	९६२७३
१९५०	१४१८	१०००५६
१९५१	१५४४	११०९९४
१९५२	१५४७	१००८४[illegible]
१९५३	१५४४	१०८०६७
१९५४	१५५८	१०७१४५

मध्यप्रदेश में श्रमिक संघ

वर्ष	पंजीयित श्रमिक संघ	वर्ष के अंत में हाजिरी (Roll) पर संघ
१९४०–४९	२२	९३
१९४९–५०	२३	९०
१९५०–५१	१९	१०३
१९५१–५२	१३	११६
१९५२–५३	१३	१२९

मध्यप्रदेश में विकास में किया गया व्यय

(लाखों रुपयों में)

वर्ष	आय-लेखा	पूंजी-लेखा	राज्य द्वारा ऋण और अग्रिम	योग
१९४७—४८	१२४ ८८	१३०·८१	६६·४३	३२२·१२
१९४८—४९	२६०·१५	३५९·९०	११०·७१	७३०·७६
१९४९—५०	३०८·२१	३४४·४८	२२०·९१	८७३·६०
१९५०—५१	३१५·०२	२६५·९२	३१०·५४	८९१·४८
१९५१—५२	३१२·५१	१६९·०७	२२१·९०	७०३ ४८
१९५२—५३	३८१·२२	३५·३७	२५८·१८	६७४·७७
१९५३—५४	६८७ २१	५८·९१	४०२·१२	११४८·३१
१९५४—५५	१२२४·८९	१७१·०५	५४२·३२	१९३८·२६

1. Books are issued for 15 days only but may have to be recalled earlier if urgently required.
2. An over-due charge of 25 Paise per day per volume will be charged.
3. Books may be renewed on request, at the discretion of the Librarian.
4. Periodicals, Rare and Reference books may not be issued and may be consulted only in the Library.
5. Books lost, defaced or injured in any way shall have to be replaced or its double price shall be paid by the borrower.

Help to keep this book fresh, clean & moving